लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit 6-7-92
Fumigated On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 15–सोमवार, 4 मार्च, 1968/ 14 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 15, Monday, March 4, 1968/ Phalguna 14, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	521-523
391.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	523-527
392.	विकसित देशों से पूंजी	Capital from Developed Countries	527-529
393.	1968–69 के लिये योजना परिव्यय	Plan outlay for 1968-69	529-532
394.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	United Nations Development Programme	532-533
395.	भारत से माल के निर्यात के सम्बन्ध में विश्व बैंक की टीम की रिपोर्ट	World Bank Team's Report on India's Exports	533-535
396.	मद्य निषेध	Prohibition	535

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

3.	अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें	Complaints Re. High Telephone Bills	535-540

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

397.	कोका कोला की बोतलों में शराब	Liquor in Coca Cola Bottles	540

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
398. मध्य प्रदेश में हरिजन	Harijans in Madhya Pradesh	540-541
399. पारादीप पत्तन तक सम्पर्क सड़क	Link Road to Paradeep Port	541
400. कपड़ा मिलों में उत्पादन शुल्क की वसूली	Collection of Excise Duty from Textile Mills	541-542
401. पंजाब के मुख्य मंत्री को भुगतान	Payments to Chief Minister, Punjab	542
402. नानक सागर बाँध में दरारें	Cracks in Nanak Sagar Dam	542
403. तेल की उत्पादन लागत	Cost of Production of Oil	543
404. बचत अभियान	Economy Drive	543-544
405. बी० ओ० ए० सी० विमान से पकड़ा गया सोना	Gold seized from B. O. A. C. Plane	544
406. बिहार में वित्तीय संकट	Financial Crisis in Bihar	544-545
407. पैट्रोल का मूल्य	Price of Petrol	545
408. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये धन का नियतन	Allotment of Funds to Public Sector Undertakings	545
409. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज की रियायती दर	Concessional Borrowing Rate for Commercial Banks lending to Priority Sector	546
410. बरौनी तेल शोधन कारखाना	Barauni Oil Refinery	546-547
411. मिट्टी के तेल की आवश्यकता	Requirements of Kerosene Oil	547
412. हल्दिया उर्वरक कारखाना	Haldia Fertilizer Plant	547-548
413. मैसर्स स्ट्रैचलोन (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s. Stretchlon (P) Ltd.	548
414. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	548
415. पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	548-549
416. बच्चों में कुपोषण	Mal Nutrition among Children	549
417. उर्वरक कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता	Idle Capacity in Fertilizer Plants	549-550
418. तेल की कीमतें	Oil Prices	550-551
419. तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant based on Liquid Ammonia	551

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
420.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भण्डारों में माल	Stock of Stores with ONGC	551-552
	अता० प्र० संख्या		
	U.Q. Nos.		
2503.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली	Hindustan Housing Factory, New Delhi	552
2504.	दिल्ली में औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत क्वार्टर	Industrial Housing Scheme Quarters in Delhi	552-553
2505.	गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories in Private Sector	553
2506.	रंग-रोगन में आत्म-निर्भरता	Self sufficiency in Dye Stuffs	553-554
2507.	फरक्का बाँध परियोजना के लिये मशीनें	Machines for Farakka Barrage Project	554
2508.	हृदय का प्रतिरोपण आपरेशन	Heart Transplantation Operation	554
2509.	जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation	554-555
2510.	विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के सदस्यों द्वारा तस्करी किया जाना	Indulgence in Smuggling by Members of Cultural Delegations sent abroad	555
2511.	महाराष्ट्र में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Maharashtra	555
2512.	नागपुर नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Nagpur City	555
2513.	मध्य प्रदेश में पीने का पानी	Drinking Water to Madhya Pradesh	555-556
2514.	मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Madhya Pradesh	556-557
2515.	उड़ीसा में बौडा सिंचाई परियोजना	Bauda Irrigation Project	557
2516.	मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/S Oriental Timber Trading Corporation	557-558
2517.	मैसर्स मैकेजोज लिमिटेड	M/S Mackanzies Ltd.	558
2518.	मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/S Oriental Timber Trading Corporation	558

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2519.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आयकर दाता	Income tax Payers in Andaman and Nicobar Islands	558-559
2520.	वाराणसी के कारखानों पर आय-कर की बकाया राशि	Income tax due from Factories in Varanasi	559
2521.	मैसर्स साहू जैन पर आय कर को बकाया राशि	Income Tax arrears of M/S Sahu Jain	559-560
2522.	चलचित्र व्यवसाय के लोगों द्वारा आय कर का अपवंचन	Income Tax Evasion by Film People	560
2523.	स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन	Advertising by Autonomous Corporations	560
2524.	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability	560
2525.	अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष	Chairman of Committee on Untouchability and Economic and Educational Development of Scheduled Castes	561
2526.	अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability and Economical and Educational Development of Scheduled castes	561
2527.	अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability and Economic and Educational Development of Scheduled Castes	562
2528.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	562
2529.	स्वर्णकारों को दी गई सहायता	Assistance given to Goldsmiths	563
2530.	पोचमपाद परियोजना	Pochampad Project	563-564
2531.	संश्लिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद	Synthetic Drugs Factory, Hyderabad	564-565
2532.	संश्लिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद	Synthetic Drugs Factory, Hyderabad	565

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2533.	राजस्थान में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	Major Irrigation Schemes in Rajasthan	565
2534.	राजस्थान की पेय जल की योजनायें	Drinking Water Schemes of Rajasthan	566
2535.	राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई	Irrigation in Drought affected Areas of Rajasthan	566
2536.	महाराष्ट्र के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	Flood Control Schemes for Maharashtra	566-567
2537.	लुधियाना की फर्मों द्वारा सेना को ऊनी कपड़ों की सप्लाई	Supply of Woollen Garments to Army by Ludhiana Firms	567
2538.	अमरीका से सोयाबीन के तेल का आयात	Imports of Soyabean Oil from USA	567
2539.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	567-568
2540.	सरकारी क्षेत्र में गतिरोध	Bottlenecks in Public Sector	568
2541.	दिल्ली में रैन-बसेरे	Night Shelters in Delhi	568
2542.	आदिवासियों के बीच शिक्षा का प्रसार	Dissemination of Education among Tribals	568-569
2543.	कोयना भूकम्प	Koyna Earthquake	569
2544.	प्रधान मंत्री द्वारा सम्पत्ति कर का भुगतान	Payment of Wealth Tax by Prime Minister	569-570
2545.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission on Public Undertakings	570
2546.	बराक नदी बहु प्रयोजनीय परियोजना	Barak River Multi Purpose Project	570
2547.	विदेशों में लगी भारतीय पूंजी	Indian Capital invested abroad	570-571
2548.	कोयना नगर में भूकम्प	Earthquake in Koyna Nagar	571-572
2549.	दिल्ली में आबकारी अधिकारियों का मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Excise Officers in Delhi	572
2550.	एग्रीकलचरल एसोसियेशन लिमिटेड को अमरीकी ऋण	US Loans to Agricultural Association Ltd.	572-573

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2551.	विषाक्त भोजन के मामले	Food-Poisoning Cases	573
2552.	शोधित स्प्रिट	Rectified Spirit	573-574
2553.	गणतंत्र-दिवस के अवसर पर सरकारी इमारतों पर रोशनी	Illuminations of Government Buildings on Eve of Republic Day	574
2554.	सरकार द्वारा कृषकों को ऋण	Loans to Agriculturists by Government	574-575
2555.	गणतंत्र-दिवस के अवसर पर संसद्-भवन में की कई रोशनी पर खर्च	Expenditure on Illumination of Parliament House on Eve of Republic Day	575
2556.	दैवी विपत्तियों से पीड़ित राज्यों को सहायता	Assistance to Calamities affected States	575
2557.	शीरे का उत्पादन	Production of Molasses	575-576
2558.	शीरे का उपयोग	Utilisation of Molasses	576-577
2559.	कुछ राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to certain States	577
2560.	तेल के निर्यात से आय	Earnings from Oil Export	577
2561.	दिल्ली में विदेशी शराब की बिक्री	Sale of foreign liquor in Delhi	577-578
2562.	नई दिल्ली नगर पालिका	New Delhi Municipal Committee	578
2563.	दिल्ली पोलिटेक्निक का फार्मेसी का डिप्लोमा	Diploma in Pharmacy of Delhi Polytechnic	578-579
2564.	हल्दिया क्षेत्र का विकास	Development of Haldia Region	579
2565.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा	Higher Education of Scheduled Tribes Students in M. P.	579
2566.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Tribal Students of Madhya Pradesh	579-580
2567.	उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant	580
2568	पश्चिमी जर्मनी से सहायता	Aid from West Germany	580-581
2569.	भारत और बुलगारिया के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग	Indo-Bulgaria Economic and Technical Corporation	581

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2570. राजस्थान में राक फॉस्फेट के निक्षेप	Rock Phosphate Deposits in Rajasthan	581-582
2571. रद्दी कागज को नष्ट करना	Disposal of Waste Paper	582
2572. दिल्ली में शराब की दुकानो के लाइसेंसों को रद्द करना	Cancellation of licences of liquor shops in Delhi	582
2573. मद्रास में तापीय बिजली घरों द्वारा पैदा की गई बिजली की लागत	Cost of power produced at Thermal stations in Madras	582-583
2574. तरल तेल में आत्म-निर्भरता	Selfsufficiency in lubricating oil	583
2575. कालाकोट उषमीय विद्युत केन्द्र	Kalakot power thermal station	583
2576. मंत्रियों के बंगलों को सुसज्जित तथा नवीकरण करने पर खर्च	Expenditure on Renovation and furnishing of Minister's Bungalows	583-584
2577. अलेग्जेंडरा प्लेस, नई दिल्ली में विश्वायतन योगाश्रम को एक चेमरी का दिया जाना	Allotment of a Chummery in Alexendra Place, New Delhi to Vish wayation Yoga Ashram	584
2578. भारत के रिजर्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम में कम्प्यूटरों का लगाया जाना	Installation of Computers in R. B. I and L. I. C.	584
2579. आदिम जातीय खण्ड	Tribal Blocks	584-585
2580. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए छात्रवृत्तियाँ	Scholarships for S. C. and S.T.	585
2581. सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा पकड़ा गया चोरी का माल	Smuggled Goods seized by Border Security Police	585
2582. बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली का विकास	Development of Basti Nizamuddin (New Delhi)	585-486
2583. बेयर्ड रोड मार्केट, नई दिल्ली में पटरी पर बैठने वाले लोग	Squatters of Baird Road Market, New Delhi	586
2584. ग्रामीण क्षेत्र से संसाधन जुटाना	Raising of Resources from Rural Sector	586-587

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
2585.	राजनयिक मिशनों के डाक के थैले	Postal Bags of Diplomatic Missons	587
2587.	विकासातिरिक्त व्यय	Non-Development Expenditure	587-588
2588.	भूतपूर्व कांग्रेस प्रधान, श्री कामराज के आयकर का निर्धारण	Assessment of Income Tax of Former Congress President Shri Kamraj	588
2589.	तस्कर व्यापार में लगे पत्तन कर्मचारी	Port Employees involved in Smuggling	588-589
2590.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना	Central Government Health Service Scheme	589
2591.	समस्त देशीय चिकित्सा प्रणालियों के लिये केन्द्रीय परिषद्	Central Council for all Indigenous System of Medicine	589
2592.	ब्रिटिश पौण्ड का अवमूल्यन	Devaluation of British Pound	589-590
2593.	मध्यम दर्जे के उर्वरक कारखाने	Medium sized Fertilizer Plants	590
2594.	बम्बई में पकड़ा गया सोना	Gold Seized in Bombay	590-591
2595.	दिल्ली में अस्पताल	Hospitals in Delhi	591
2596.	कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Granting of Loans by Banks for Agriculture Purposes	591
2597.	मंत्रियों के पास बिजली का सामान	Electrical Appliances with Ministers	591-592
2598.	सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर टाइप के क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Higher Type of Accommodation to Government Employees	592-593
2599.	खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in the Gulf of Cambay	593
2600.	केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दिये गये गृह-निर्माण ऋणों का उपयोग	Utilisation of housing loans granted by Central Government through Co-operative Socities	593-594

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2601.	आय-कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	594
2602.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मकानों की सुविधाएं	Housing facilties for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	594-595
2603.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का उत्थान	Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	595
2604.	ठेके की दरों का पुनरीक्षण	Revision of rates of contracts	595-596
2605.	मुद्रा का प्रचलन	Circulation of currency	596
2606.	राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	Subsidised Industrial Housing Scheme	596-597
2607.	राजकीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सलाहकार बोर्ड	State Health and Medical Advisory Boards	597
2608.	पैट्रोलियम उत्पादों के राजस्व	Revenue from Petroleum Products	597-598
2609.	तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल	Working Group on Oil Prices	598-599
2610.	सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by General Insurance Companies	599
2611.	विदेशीय बैंकों तथा विदेशी नियंत्रण वाले बैंकों की आयातित पूंजी	Imported Capital of Foreign and Foreign Controlled Banks	600
2612.	ट्राम्बे उर्वरक परियोजना	Trombay Project	600
2613.	उर्वरक कारखानों के लिये पूर्वी यूरोप की कम्पनियों के साथ सहयोग	Collobaration with East European Companies for Fertiliser Plants	600-601
2614.	कैम्बे की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in Gulf of Cambay	601
2615.	साहू जैन फर्म समूह के कारखाने	Factories owned by Sahu Jain Group of firms	601-602
2616.	विदेशी बैंकों और विदेशी लोगों के नियंत्रणाधीन बैंकों में जमा राशि	Deposits of Foreign and Foreign controlled Banks	602

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2617.	बरेली में पकड़ा गया सोना	Gold seized at Bareilly	602-603
2618.	बम्बई में पकड़ा गया सोना	Gold Siezed in Bombay	603
2619.	इंडियन मेडिकल काउंसिल का सम्मेलन	I, M. C. Conference	603-604
2620.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	604-605
2621.	स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम	School Health Programmes	605-606
2622.	बैंकिंग (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Bank Employees against Banking (Amendment) Bill	606
2623.	क्षय रोग	T. B.	606-608
2624.	दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि के पट्टेदार	Leessees of DDA Land	608
2625.	दिल्ली के अस्पतालों के कर्मचारी	Staff in Delhi Hospitals	608-609
2626.	दक्षिण दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ	Co-operative Housing Socities in South Delhi	609-610
2627.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और पिछड़े वर्गों के विधायकों का सम्मेलन	All India Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes Legislators' Conference	610-611
2628.	पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य	Prices of Petrolum Products	611
2629.	कोचीन कस्टम हाउस	Cochin Customs House	611-612
2630.	हिन्दी में अभ्यावेदन	Represen tation in Hindi	612
2631.	उर्वरक कारखानों के लिये एमोनिया का आयात	Import of Ammonia for Fertilizer Plants	612-613
2632.	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	613
2633.	इरविन अस्पताल के सामने भूमिगत मार्ग	Sub-way opposite Irwin Hospital, New Delhi	613-614
2634.	अन्दमान लोक-निर्माण विभाग की परियोजनाओं की लागत	Costs of Projects worked by PWD, Andaman	614-615
2635.	आदिम जातियों के लिये कल्याण-कार्य	Tribal Welfare Works	615

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2636.	चिकित्सा कालेजों के अध्यापकों द्वारा निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय	Private Practice by Teachers of Medical Colleges	615-616
2637.	राष्ट्रीय आय	National Income	616
2638.	ब्रिटिश इण्डियन डेवेलपमेंट लिमिटेड, लन्दन द्वारा उर्वरक कारखाने की पेशकश	Offer for Fertilizer Plants by British Indian Development Ltd., London	616-617
2639.	भारतीय तेल निगम के दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारी	Employees of Indian Oil Corporation Delhi Region	617
2640.	जीवन बीमा निगम के फ्लैट	L. I. C. owned flats	617-618
2641.	कुछ कम्पनियों के परिसरों पर छापा	Raids on Premises of certain companies	618
2642.	पूर्वी यूरोप के देशों के साथ ऋण करार	Credit Agreements with East European Countries	618-619
2643.	उत्पादनों की लाभेयता	Profitability of Products	619-620
2644.	मद्रास में तेल संस्थान	Oil Installations at Madras	620
2645.	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारी समिति की बैठक	Meeting of Executive Committee of Central Council of Health	620-621
2646.	आयकर निर्धारण के लिये पति और पत्नी की आय को जोड़ना	Aggregation of Husband and Wife's Income for Assessing Income-tax.	621
2647.	मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई	M/s. Khimji Poonja and Co. Bombay	621-622
2648.	आसाम में विदेशी नागरिक	Foreign Nationals in Assam	622-623
2649.	नकली दवाइयाँ तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट	Spurious Drugs and Adulteration of food stuffs	623
2650.	उप-प्रधान मंत्री के निवास-स्थान की देख भाल	Maintenance of Deputy Prime Minister's Residence	623
2651.	कोचीन के समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के निर्यातक	Sea Food Exporters of Cochin	623-624
2652.	तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रेषण	Foreign Exchange Remittance by Oil Companies	624-625

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2653.	तेल कम्पनियों द्वारा की गई अधि-वसूलियाँ	Over recoveries made by Oil Companies	625
2654.	मैसर्स खिमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई	M/s. Khimji Poonja and Co. Bombay	625-626
2655.	मैसर्स प्रमोद फिल्मस, बम्बई	M/s Promode Films, Bombay	626
2656.	कलकत्ता में पट्टा से टोलाह तक पानी की सप्लाई वाली मुख्य लाइन की मरम्मत	Repair of Water Supply, Main from Patta to Tollah (Calcutta)	626
2657.	अमरीका का निर्यात-आयात बैंक	Export-Import Bank of USA	626-627
2659.	मैसर्स केशोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Keshoram Industries and Cotton Mills Ltd., Calcutta	627
2660.	अरब देशों से तेल का आयात	Import of Oil from Arab Countries	627
2661.	गाँधी तथा नेताजी के सिक्के जारी किये जाना	Circulation of Gandhi and Netaji coins	628
2662.	कर अपवंचकों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना	Forfeiture of Property of Tax Evaders	628
2663.	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गृह-निर्माण योजना	Housing Scheme for Rural Areas in Orissa	628-629
2664.	महानदी घाटी में तेल के निक्षेप	Oil Deposits in Mahanadi Valley	629
2665.	बम्बई और पश्चिमी तट पर छापे	Raids in Bombay and West Coast	629-630
2666.	मंत्रियों के बंगलों की सजा-वट पर व्यय	Expenditure on Decoration of Ministers Bungalows	630
2667.	बम्बई के निकट एक जहाज में पकड़ा गया तस्करी का माल	Smuggled Goods Siezed from a Ship near Bombay	630-631
2668.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइ-वेट) लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	631
2669.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	631

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2670.	नई दिल्ली में जहाँगीर रोड और मिंटो रोड क्षेत्र में खाली क्वार्टर	Vacant Quarters in Minto Road and Jehangir Road Area (New Delhi)	631-632
2671.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, मध्य प्रदेश	Central Excise Department, Madhya Pradesh	632
2672.	पूंजी जारी करने के लिये कम्पनियों की मंजूरी दी जानी	Companies, authorised to raise capital	632-633
2673.	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	633
2674.	चंडीगढ़ में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकर भत्ता	City Compenesatory Allowance to Central Government Employees Stationed at Chandigarh	633-634
2675.	चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Central Government Employees at Chandigarh	634
2676.	चंडीगढ़ के प्लाटों के मालिकों को गृह-निर्माण ऋण	Housing building loans to plot-holders in Chandigarh.	634-635
2677.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission	635-636
2678.	वेश्या वृत्ति	Prostitution	636
2679.	सघन खेती के लिये पर्याप्त जल की व्यवस्था	Supply of adequate waters for intensive cultivations	636
2681.	लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड	Laxmi Commercial Bank, Ltd.	636-637
2682.	संतति-निग्रह के तरीके	Birth Control Devices	637
2683.	समाज कल्याण कार्यक्रम	Social Welfare Programmes	637-638
2684.	आयकर की अधिक वसूल की गई राशि को लौटाना	Refund of Excess Income Tax Recovery	638
2685.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to A. I. I. M. Students	638-639
2686.	भारत में भेषजीय उत्पादों का परीक्षण	Testing of pharmaceutical products in India	639-640
2687.	तेल उत्पादनों से राजस्व	Revenues from Oil Products	640
2688.	तेल मूल्य सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिश	Recommendation of Working Group on oil Prices	640-641

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2689.	नंगल उर्वरक कारखाने को दी गई बिजली की दरें	Rates of Electricity supplied to Nangal Fertilizer Factory	641
2690.	पंजाब में विद्युत परियोजनायें	Power Projects in Punjab	641-642
2691.	अल्प बचत	Small Savings	642
2692.	गैस का उत्पादन	Production of Gas	642
2693.	व्यास नियंत्रण बोर्ड	Beas control Board	643
2694.	व्यास बाँध के कारण निष्कासित व्यक्ति संघ	Beas Dam Oustees Union	643-644
2695.	ग्राम्य जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes	644
2696.	फरक्का बाँध	Farakka Barrage	644-645
2697.	भारत में कराधान	Taxation in India	645
2698.	रूस के सहयोग से तेल के लिये ड्रिलिंग	Drilling of Oil with Russian Collaboration	645-646
2699.	विदेश स्थित भारतीय सप्लाई मिशन	Indian supply Missions abroad	646
2700.	भारत सरकार के मुद्रणालय	Government of India Presses	647
2701.	वर्ष 1968-69 में पंजाब के लिये योजना में नियत राशि	Plan Allocation for Punjab during 1968-69	647-648
2702.	उर्वरक कारखाना, कांडला	Fertilizer Plant at Kandla	648
2703.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against C. G. H. S.	648-649
2704.	फालतू पानी के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय नीति	National Policy for Utilization of Surplus Water	649
2705.	भारतीय उर्वरक निगम	Fertilizer Corporation of India	649
2706.	भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों की पदच्युति	Dismissal of employees of fertilizer corporation of India	649-650
2707.	सामाजिक संगठनों के कार्यालयों के लिये स्थान	Office accommodation for social Organisations	650
2708.	अधिकारियों का दौरा कार्यक्रम	Tour programme of officers	650-651

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
2709.	कोयना भूकम्प	Koyana Earthquake	651
2710.	पोंग बाँध क्षेत्र के विस्थापित हुए लोग	Oustees of Pong Dam Area	651-652
2711.	गैस के मूल्य संबंधी पंचाट	Award on Gas price	652
2712.	पंजाब में जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L. I. C. loans in Punjab	652-653
2713.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	UNCTAD	653-654
2714.	राष्ट्रीय बिजली ग्रिड	National Grid for Electricity	654-655
2715.	विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ वित्त मंत्री की वार्ता	Finance Minister's talks with World Bank President	655-656
2716.	दिल्ली में यात्रा अभिकरणों के कार्यालयों पर छापा	Raid on offices of the Travelling agencies in Delhi.	656
2717.	प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Priority Industries	656-657
2718.	प्रसूति अवकाश	Maternity Leave	657
2719.	ब्यूरो आफ पब्लिक एंटर-प्राइसिस	Bureau of Public Enterprises	657
2720.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुरक्षा अधिकारी	Security Officers in Public Undertakings	657
2721.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिये भूमि	Land for S. C. and S. T.	658
2722.	दक्षिण दिल्ली में नृत्य प्रशिक्षण स्कूल	Dancing School in South Delhi	658
2723.	दिल्ली में भूमि सम्बन्धी योजना	Land Policy in Delhi	658-659
2724	कृष्णा गोदावारी जल विवाद के लिये न्यायाधिकरण	Krishna Godavari Water Dispute Tribunal	659
2725.	तवा परियोजना	Tawa Project	659
2726.	संसद्-भवन की डिस्पेंसरी में में आयुर्वेदिक औषधियां	Ayurvedic Medicines in Parliament House Dispansary	660

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2727.	आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली का विकास	Promotion of Ayurvedic System of Medicine	660
2728.	माधव अन्ध आश्रम	Madhav Andhra Ashram	660
2729.	आयकर निर्धारण तथा वसूली की व्यवसायवार योजना	Functional Scheme of Assessment and Collection of Income Tax.	660-661
2730.	उत्तर प्रदेश में उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Excise officials in Uttar Pradesh	661
2731.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	Messrs. Bird & Co.	661-662
2732.	भारत सहायता सार्थ समूह से नई परियोजना से भिन्न सहायता	New projects aid from aid India Consortium.	662
2733.	सरकारी उपक्रमों के उत्पादनों के लिये उपभोक्ता सलाहकार परिषद्	Consumer consultative council for products of Public undertaking	662-663
2734.	दिल्ली में अनधिकृत झोंपड़ियाँ	Unauthorised huts in Delhi	663
2735.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	663
2736.	जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of LIC	663-664
2737.	आदिवासी विकास खण्ड	Tribal Development Blocks	664
2738.	मध्य प्रदेश में राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	Subsidised Industrial House Building Scheme in Madhya Pradesh	664
3739.	मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ऋण	Loan Advanced by State Bank in Madhya Pradesh	664-665
2740.	बच्चों में मानसिक दुर्बलता तथा अंधापन	Mental Retardation and Blindness among Children	665
2741.	ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद	Ishwar Sharan Ashram, Allahabad	665-666
2742.	नानक सागर बाँध	Nanak Sagar Dam	666-667
2743.	गोरखपुर उर्वरक कारखाना	Gorakhpur Feritilizer Factory	667

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
2744.	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	667
2745.	स्टेट बैंक में पदालियाँ	Cadres Existing in State Bank	667-668
2746.	चलचित्र व्यवसाय में लोगों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Film People	668
2747.	कराधान के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Taxation	668
2748.	पोषक आहार कार्यक्रम	Nutritional Programmes	668-669
2749.	उड़ीसा में सोलंकी मध्यम सिंचाई योजना	Salonki Medium Irrigation Project in Orissa	669
2750.	उड़ीसा में एक्सप्रैसवे	Expressway in Orissa	669
2751.	सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory	669-670
2752.	माही परियोजना	Mahi Project	670-671
2753.	केन्द्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध	Fiscal Relations of Centre and States	671
2754.	पोचमपाद परियोजना	Pochampad Project	671
2755.	आन्ध्र प्रदेश में सहायता कार्यों के लिए सहायता की मांग	Assistance sought for Relief measures in Andhra Pradesh	671-672
2756.	आदिवासियों को ऋण	Loans to Adivasis	672
2757.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पुनरीक्षित सूची	Revised List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	672-673
2758.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सलाहकार समिति	Advisory Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	673
2759.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा किराया खरीद आधार पर मकान	Houses on Hire-Purchase Basis by DDA	673
2760.	आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Andhra Pradesh	673-674
2761.	सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Co-operative Societies	674

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
2762.	सहकारी गृह-निर्माण समितियों की सदस्यता	Membership for co-operative Housing Societies	674-675
2763.	रूई की बिक्री पर ऋण प्रतिबन्ध	Credit Curbs on cotton Marketing	675
2764.	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	675-676
2765.	दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री	Sale of Illicit Liquor in Delhi	676
2766.	गिरि पन-बिजली परियोजना	Giri Hydro Electric Project	676
2767.	दिल्ली की यमुना पार अनधिकृत बस्तियों का विनियमन	Regularisation of trans Jamuna unauthorised colonies of Delhi	676-677
2768.	शान्ति वन के निकट यमुना नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over **Jamuna** near Shanti Vana	677
2769.	केरल राज्य समाज-कल्याण बोर्ड	Kerala State social welfare Board	677
2770.	उड़ीसा में आय कर की बकाया राशि	Income tax arrears in Orissa	677-678
2771	उर्वरक कारखानों में विदेशी पूंजी	Foreign Investment in Fertilizers	678
2772.	हरिजनों का कल्याण	Welfare of Harijans	678
2773.	मकानों के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of Land for construction of Houses	679
2774.	नासिक के सिक्योरिटी प्रेस मुद्रणालय से नोटों की चोरी	Current notes stolen from Security Press Nasik	679
2775.	उर्वरक उद्योग के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी	Trained Personnel for Fertilizer Industry	679-680
2776.	दिल्ली में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन किया जाना	Allotment of plots to Scheduled **Castes** in Delhi.	680
2777.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन किया जाना	Allotment of plots to scheduled castes	680
2778.	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	680-681

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2779.	दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene oil in Delhi	681
2780.	तेल के लिए नये कुएं	New Oil-Wells	681
2781.	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन	Haldia Barauni Pipe Line	681-682
2782.	फिल्मी कलाकारों द्वारा देय करों को बकाया राशि	Tax Arrears Due from Film Stars	682
2784.	उत्तर प्रदेश के लिये प्रति व्यक्ति व्यय	Per capita Expenditure of U.P.	683
2785.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of C.W. and P.C. office	683
2786.	विदेशी एयरलाइनों द्वारा भारतीय कानूनों का उल्लंघन	Violation of Indian Laws by Foreign Airlines	683-684
2787.	बिहार सरकार को दिए गए ऋणों पर ब्याज की छूट	Remission of interest on Loans to Bihar Government	684-685
2788.	बिहार के गाँवों में बिजली लगाना	Electrification of Bihar Villages	685
2789.	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Refinery	685
2790.	इम्फाल नगरपालिका, इम्फाल	Imphal Municipality, Imphal	685-686
2791.	मनीपुर में सुनारों को सहायता	Assistance to Goldsmiths in Manipur	686
2792.	मनीपुर के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Medical Seats for Manipur Students	686-687
2793.	अमरीकी ऋण	US Debt	687-688
2794.	पार्श्व नायकों, संगीत निर्देशकों और गीतकारों की ओर आयकर तथा धन कर की बकाया राशि	Income tax and Wealth Tax due from Playback singers, Music directors and song writers	688
2795.	पायलट ग्रामीण बिजली सहकारी समितियाँ	Pilot Rural Electric Co-operatives	689
2796.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatened strikes by L.I.C. Employees	689-690

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2797. दिल्ली में दुकानों आदि को गिराया जाना	Demolitions in Delhi	690
2799. हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये अनुदान	Housing Grants for Harijans	690-691
2800. इंडियन आयल वर्क्स यूनियन	Indian Oil Workers' Union	691
2802. परियोजनाओं के लिये वित्तीय-सहायता के लिये राजस्थान से अभ्यावेदन	Representation from Rajasthan for Financial Aid for Projects	691-692
2803. मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil	692
2804. अस्पृश्यता के मामले	Cases of Untochability	692-693
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	693
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	693-694
जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Registration of Births and Deaths Bill as passed by Rajya Sabha	694
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	694
बैंक दर में कमी के बारे में वक्तव्य श्री मोरारजी देसाई	Statement Re. Reduction in Bank Rate Shri Morarji Desai	694-695
कच्चटिवू द्वीप के बारे में	Re. Statement on Kuchehtivu	695
कच्छ न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में	Re. Award of Kutch Tribunal	695-699
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	Railway Budget — General Discussion	699-713
श्री ब० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	
श्री विमल कान्ति घोष	Shri Bimal Kanti Ghosh	
श्री चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	
श्री सोनावने	Shri Sonavane	
श्री गार्डिलिंगन गौड	Shri Gadilingana Gowd	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	
श्री विद्याधर बाजपेयी	Shri Vidya Dar Bajpayee	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	
भारतीय द्वीप पर श्रीलंका के कब्जे के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Occupation of an Indian Island by Ceylon	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	
लैफ्टिनेन्ट जनरल कौल द्वारा लिखित 'अन्टोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re. 'Untold Story' by Lt. Gen. Kaul.	714-716
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Laf Gupta	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
श्री लोबो प्रभु	Shri Labo Prabhu	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 4 मार्च, 1968/ 14 फाल्गुन, 1889 (शक)

Monday, March 4, 1968/ Phalguna 14, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री शामनाथ की दुखद मृत्यु का समाचार देना है। बम्बई में 2 मार्च, 1968 को 59 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री शामनाथ 1962–67 के दौरान तृतीय लोक-सभा के सदस्य थे। वह सभापतियों की तालिका के सदस्य थे। बाद में वह सूचना तथा प्रसारण और फिर रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री बन गए। श्री शामनाथ दिल्ली के एक प्रसिद्ध नागरिक थे और वह दिल्ली नगरपालिका के प्रधान और दिल्ली के महापौर रह चुके थे।

इस मित्र के निधन पर हमें गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि संतृप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): श्री शामनाथ की असामयिक तथा अकस्मात मृत्यु पर आपने जो खेद व्यक्त किया है मैं उसमें शरीक होती हूँ।

श्री शामनाथ हममें बहुत सारों के एक पुराने और अच्छे साथी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख भाग लिया। जैसा कि आपने उल्लेख किया वह इस सभा तथा सरकार के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे।

वह दिल्ली के एक पुराने परिवार से थे और इस शहर के सार्वजनिक जीवन में वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह दिल्ली के महापौर थे और उन्होंने इस पद के कार्य को बड़ी योग्यता से चलाया। इस नगर के सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे विश्वास है वह हम सबको याद आयेंगे।

मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप संतप्त परिवार को हमारी गहरी सहानुभूति तथा संवेदना भेजें।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : अपने दल की ओर से मैं संवेदना प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं श्री शामनाथ के गुणों से अवगत नहीं हूँ। किन्तु मुझे इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने देश के कार्य में बड़ा योगदान दिया और लोग उनको याद करते रहेंगे।

Shri Balraj Madhoke (South Delhi) : Sir, Shri Sahm Nath was an outstanding figure in the public life of Delhi. He might be a Congressman, but before coming to the Congress fold he was a citizen of Delhi and his contribution to the soical and economic life of Delhi was notable. His greatest quality was that whenever he talked with anybody, he never gave the impression that he belonged to a particular party. He was cosmopolitan in his outlook and in the capacities of Mayor of Delhi, Member of Parliament and Deputy Minister Railways, he rendered invaluble service to the nation.The public life of Delhi in particular and the country in general have greatly suffered in his loss.

On behalf of my party I express my deepest sympathies to the bereaved family.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं संसद में साम्यवादी दल की ओर से, श्री शामनाथ के निधन पर व्यक्त किए गए शोक में शामिल होता हूँ।

वह तृतीय लोक सभा के सदस्य थे और सूचना तथा प्रसारण और रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री थे।

श्री कन्डप्पन (मेटूर) : द्रावड़ मुनेत्र कषगम दल की ओर से मैं श्री शामनाथ की मृत्यु पर व्यक्त किए गए भावों में शामिल होता हूँ। हमने एक अच्छा संसद् विज्ञ और एक मित्र खो दिया है।

Shri Rabi Rai (Puri) : Sir, I associate myself with the feelings expressed here on the death of Shri Sham Nath. He was a national leader and had played a prominent part in freedom struggle.

श्री हेम बरुआ : मैं अपने दल की ओर से, श्री शामनाथ के निधन पर व्यक्त किए गए शोक में शरीक होता हूँ। श्री शामनाथ मेरे एक व्यक्तिगत मित्र भी थे। उन्होंने अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व से हमें बड़ा प्रभावित किया।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। उनकी मृत्यु का समाचार सुन-कर हमें वास्तव में बड़ा दुख पहुँचा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपने दल की ओर से श्री शामनाथ की मृत्यु पर प्रकट किए गए शोक में शरीक होता हूँ। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, किन्तु वह सर्वोपरि व्यक्ति थे। स्वभावतः उनके निधन से देश को बड़ी हानि पहुँची है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, there are very few people who rise above party considerations in taking vital decisions and Shri Sham Nath was one of them. We had seen him working as Deputy Minister in the Ministries of Information and Broadcasting and Railways and his decision bore the imprint of that quality. He had simplicity and gentlemanliness in his demeanour. His passing away will be a great loss not only to Delhi but also the country at large.

On behalf of my colleagues and myself I pay my tributes to the departed soul.

इसके बाद सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों का आयात

*391. ***श्री दीवीकन :** **श्री अबेचेजियान :**
श्री रामभद्रन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में उर्वरकों के मूल्य बड़े प्रतियोगी होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अन्य देशों से उर्वरक खरीदने की अपनी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो खरीदारी की प्रक्रिया में इस परिवर्तन से भारत को क्या लाभ हुआ है, और

(घ) सरकार की वर्तमान उर्वरक उत्पादन योजना को देखते हुए कुल कितना उर्वरक आयात करने की आवश्यकता है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। खरीद करने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है, और अब जहाँ भी संभव हो, पूर्तिकर्त्ताओं से बातचीत की जाती है। भावी माँगों को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन ठेके भी किए जाते हैं।

(ग) निर्धारित वितरणों के लिए प्रतियोगी दरों पर अपेक्षित किस्म के उर्वरक अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किए जा सके हैं।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है, जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में उर्वरकों आदि के लक्ष्य और अनुमान बता दिए गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 299/68]

श्री दीवीकन :** क्या सरकार पुनः उर्वरक को राज्य सहायता देना चाहती है?

श्री इकबाल सिंह : प्रश्न उर्वरकों की खरीद के बारे में है राज-सहायता का इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

श्री दीवीकन :** क्या मद्रास राज्य में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : इस मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणीग्रही : एक चीज समझ में नहीं आती। विवरण के अनुसार उर्वरक कारखानों में हमारा विनियोजन बढ़ता जा रहा है और हमारा आयात भी प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही कारखानों में हमारा उत्पादन घटता जा रहा है। क्या उर्वरकों के मामले में 1970-71 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई लक्ष्य रखा गया है?

श्री इकबाल सिंह : उर्वरकों की खरीद के बारे में हमने कृषि मंत्रालय को माँग का अनुमान लगाने को लिये कहा है। उन्होंने ऐसा किया है और मैंने विवरण सभापटल पर रख दिया है। इसमें उस कमी को बताया गया है जिसका हमें आयात करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि उर्वरकों का आयात बढ़ता जा रहा है। 1970-71 तक यह लगभग 34 करोड़ डालर का हो जायेगा। जहाँ तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का सम्बन्ध है। देश में उर्वरकों का उत्पादन पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का काम है। इस मंत्रालय का काम केवल अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी से कमी की मात्रा को खरीदना है।

डा० रानेन सेन : विदेशी सहयोग से इस देश में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के सम्बध मे सरकार ने दो वर्ष पूर्व कुछ रियायतों की घोषणा की थी। उन रियायतों का क्या बना? क्या यह सच है कि कुछ विदेशी कम्पनियों ने इसलिये सहयोग देने से इन्कार कर दिया कि सरकार ने उनकी शर्तों को मंजूर नहीं किया?

श्री इकबाल सिंह : 1966-67 में माँग 10 लाख टन थी; 1970-71 में 24 लाख टन हो जायेगी। परन्तु उत्पादन भी 3 लाख टन से 15 लाख टन हो जायेगा। अतः माँग और उत्पादन दोनों बढ़ गए हैं और जो कमी रहेगी उसे हमें आयात करना होगा। जहाँ तक विदेशी कम्पनियों के सहयोग का सम्बन्ध है इस बारे में माननीय सदस्य पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से प्रश्न करें।

**तमिल में प्रश्न का हिन्दी अनुवाद

**Hindi translation of the question in Tamil.

श्री राणा : क्या सरकार को पता है कि स्थानीय रूप से बने हुए उर्वरक अब भारत में उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री इकबाल सिंह : मुझे इसका पता नहीं है।

Shri Maharaj Singh Bharati : What is the value of the Amonium Di Phosphate to be imported under the long term agreement or the establishment of the Factory for the manufacture of Phosphate amonium ? Secondly, what quantity of phosphates is proposed to be purchased in addition to the one to be puchased under the long-term agreement ? Have any long-term agreements been concluded or not ? Have the licences of the nitrogenous fertiliser been permitted to import uria by the time the factories go into production to make markets for them ?

Shri Iqbal Singh : We have not allowed anybody to imort uria form outside, because the imported uria is of the same kind as that manufactured here. As regard Diamonium we purchase from where it is comparatively cheaper. Peviously we used to purchase by inviting tenders, but later we found that it costs less through negotiations and therefore we adopted this policy.

Shri Maharaj Singh Bharati: I wanted to know the quantity of uria to be imported under the agreement concluded by the I.C.I. Factory, Kanpur ? Similarly there is an agreement for the import of Di-amonia.

Shri Iqbal Singh : The question regarding the permission given to I.C.I. should be addressed to the Ministry of Petroleum and Chemicals. As regards the permission given for the import of Di-amonium phosphate under long range agreement, according to my information, this permission has not been given.

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी : उर्वरकों के सम्बन्ध में संसार की मण्डियों में अधिक प्रतिस्पर्धा का ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपने अभिकरणों से सम्पूर्ण आयात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और निजी क्षेत्र के लोगों से इस क्षेत्र में आने देगी ताकि वे भी आयात कर सकें ?

Shri Iqbal Singh : Last year we purchased cheap fertiliser through negotiations from the international market and at present there is no proposal to allow private sector to come into this field.

श्री चेंगलराया नायडू : कहा जाता है कि लंका एक ऐसे उर्वरक का प्रयोग कर रहा है जिससे फसल थोड़े समय में तैयार हो जाती है। क्या सरकार का विचार ऐसे उर्वरक को आयात करने का है ?

श्री इकबाल सिंह : हमें किस प्रकार के उर्वरक खरीदने चाहिये, इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय हमें अपनी माँग देता है। हम उन्हें संसार की मण्डियों से खरीदते हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरकों की कीमतें गिर रही हैं, क्या राज्य व्यापार निगम ने इसे महसूस किया और यदि हाँ, तो मूल्य किस हद तक गिरे हैं ? यदि उसको मूल्यों के गिरने का पता था तो उसने किन मूल्यों पर उर्वरक आयात करने का करार किया ?

श्री इकबाल सिंह : पहले हमने इसे 81 डालर प्रति टन की दर से खरीदा था, अब 62 डालर प्रति टन की दर से खरीदा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : संसार की मण्डियों में क्या मूल्य है ?

श्री इकबाल सिंह : संसार की मण्डियों में मूल्य इससे ऊँचा है। जैसा कि मैंने बताया यह मूल्य सबसे कम है। सारे यूरोप में हमने नाइट्रेट के एकाधिकार को तोड़ दिया है।

श्री लकप्पा : उर्वरकों के मूल्यों के घटने-बढ़ने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के पास उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम है?

श्री इकबाल सिंह : हमने बहुत सारे उद्यमकर्ताओं को देश में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये कहा है और इस सम्बन्ध में एक निश्चित कार्यक्रम है।

श्री लकप्पा : वह कार्यक्रम क्या है?

श्री इकबाल सिंह : कुछ समय पूर्व सरकार ने उर्वरक नीति में परिवर्तन किया था। आरम्भ से ही 7 वर्ष हमने उनको दिए हैं जो नए कारखाने स्थापित करना चाहते हैं और उनको कुछ रियायतें दी हैं। 10 लाख टन से 24 लाख टन क्षमता बढ़ाने के लिये एक कार्यक्रम है। अवधि के अन्त तक क्षमता 30 लाख टन हो जायेगी।

Shri D. N. Tiwari: The prices of fertilizers are coming down in the world market. How will it affect the profitability of Indian fertilizer factories ?

Shri Iqbal Singh : I can say this much that we take advantage of that while purchasing fertilizers from abroad. As regards its effect on fertilizer production in our country, a separate question should be asked from the Ministry of Petroleum and Chemicals.

श्री बलराज मधोक : सभा पटल पर रखे गए विवरण से पता चलता है कि 3000 लाख डालर का उर्वरक इस वर्ष और अगले वर्ष के लिये मंगाया जायेगा। यह राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक है। हमारे पास उर्वरक के लिये कच्चे माल की बहुतायत, सिन्दरी में तकनीकी जानकारी के विकास तथा राँची में उर्वरक बनाने वाली मशीनों को बनाने की परियोजना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का अपने देश में अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विचार है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो और कच्चे माल की बर्बादी न हो?

श्री इकबाल सिंह : यह तर्क करने की बात नहीं, बल्कि आज की आवश्यकता की बात है। आज हमें उर्वरक की आवश्यकता है इसलिये हमें उसका आयात करना पड़ता है।

श्री किरुतिनन : क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्य मूल्यांकन संगठन ने कृषि उत्पादन में उर्वरक और खाद का योगदान सम्बन्धी प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि उर्वरक का लक्ष्य और वितरण वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये? संगठन ने अन्य क्या सुझाव दिए है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है

श्री इकबाल सिंह : मुझ ऐसे किसी प्रतिवेदन का पता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार विदेशों से उर्वरक निविदा के आधार पर खरीदती है या कोई अन्य तरीका अपनाती है? यह देखने के लिये कि उर्वरक की किस्म ठीक बनी रहे सरकार क्या तरीका अपनाती है? क्या सरकार ने अमरीका की उर्वरक उत्पादन करने वाली सहकारी संस्थाओं से इस बारे में बातचीत की है ?

श्री इकबाल सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम से तथा अमरीका और कनाडा से खरीदे जाने वाले उर्वरक को छोड़कर शेष उर्वरक समझौतों के आधार पर खरीदा

जाता है, तथा जहाँ हमें सस्ता मिलता है वहाँ से हम खरीदते हैं। हमारा सम्पूर्ण कार्यक्रम समन्वित होता है। जहाँ तक किस्म नियंत्रण का सम्बन्ध है सप्लाई मिशन के माध्यम से यह व्यवस्था की जाती है।

Capital From Developed Countries

*392. ***Shri Prakash Vir Shastri** : **Dr. Surya Prakash Puri**: **Shri Ramji Ram** : **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Y. S. Kushwah**: **Shri Ram Avtar Sharma**:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it a fact that Government have formulated a policy in which they have emphasised the need for peaceful and planned transfer of capital from the developed countries;

(b) whether Government have urged other countries for the adoption of this policy ; and

(c) if so, what is their response ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c) : Government have always emphasised the need for peaceful and planned transfer of capital resources from developed to developing countries, to support the economic development of the latter. Government have supported this policy in forums such as the U. N. and the UNCTAD where it has been discussed. The General Assembly of United Nations adopted a resolution in 1960 expressing "the hope that the flow of international assistance and capital should be increased substantially so as to reach as soon as possible approximately one percent of the combined national incomes of ecnomically advanced countries". The hope expressed in the resolution has not so far been fulfilled. But theneed for peaceful and planned transfers capital from the developed countries is generally recognised.

Shri Prakash Vir Shastri: The Minister has told that the resolution was passed in 1960 and the developed countries accepted the same in principle. I would like to know whether Government have ever tried to know the reasons of non-implementation of the said resolution.

Shri Morarji Desai : People and organisations often pass good resolutions but their implementation is always delayed. I hope that if they have started to pass such resolutions, they will begin sooner or later to implement them fully.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the names of those countries which were prepared to implemnt the resolution in part or full at the same time ?

Shri Morarji Desai : All countries are prepared for it. All are contributing for it more or less. This process slowed down during last three or four years on account of political developments in the countries concerned. I hope progress will be made in this direction.

Shri Shiv Kumar Shastri : If the desired policy of the Government is implemented, how will it affect our economic situation ?

Shri Morarji Desai : Our economc siutation will ease.

Shri Y. S. Kushwah : Inspite of the foreign aid, our plans have not been successful. Moreover, the burden of debt on our country is increasing. May I know the steps Government is considering to check it ?

Shri Morarji Desai : It is not a fact that our plans have not been successful. It may, however, be said that our plans have not fully been successful. As far as the burden of debt is concerned, if we want to make more development, the indebtedness will futher increase. But it will be repaid out of development advantages.

Shri Chandra Jeet Yadav : As far as I know all the developing countries favour this policy. But inspite of it no definite progress has been made in this respect. May I know whether Government have taken any steps to contact those developled countries which are individually prepared to help in this matter ?

Shri Morarji Desai : Both things are going on. But unless developed countries are prepared for it, developing countries can do nothing.

Shri Rabi Ray: Raw materials from India are sent to foreign countries and they send finished goods to us. Thus India is being exploited by developed countries in an imperialistic manner. In this what percentage of foreign aid we receive?

Shri Morarji Desai : The percentage varies from country to country. The details o the same, if desired, can be laid on the table of the House. But it is not correct to say that we are being exploited. We sell and purchase our goods on our own accord.

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने माना कि विदेशों में मशीन निर्माण की क्षमता बहुत अधिक है, और वे उन्हें बेचने के लिये अधिक इच्छुक हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि भविष्य में सशर्त सहायता स्वीकार नहीं की जायेगी तथा भारत में विदेशी विनियोजन को नहीं रोका जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : सशर्त सहायता न लेने का निर्णय करना हमारे देश के लिये हानि-कारक होगा।

श्री लोबो प्रभु : मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपनी भीख माँगने की नीति में परिवर्तन करने के लिये तैयार है ? हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक वे स्वयं अपना सामान बेचने हमारे पास न आयें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस विचार का खंडन करता हूँ कि हम भीख माँगते हैं। हम आत्म सम्मान तथा समान शर्तों पर समझौते करने का प्रयास करते हैं। यदि समझौता सम्पन्न होता है, तो होता है, अन्यथा नहीं। यदि सदस्य महोदय यह समझते हैं कि जो हम चाहते हैं, सौदा करने पर हमारी शर्तों के अनुसार वही मिल जाये, तो यह गलत है।

Shri Tulshidas Jhadav: May I know whether India receives as much aid or loan from foreign countries as we want ; if not, what is the reason therefor ? Is it the reason for it that the return or output of the same is not enough ?

Shri Morarji Deasai : This is not the reason.

श्री हेम बरुआ : यह समाचार मिला है कि अंकटाड की जो बैठक दिल्ली में हो रही है, वह विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अन्तर समाप्त करने में विफल रही है। यदि यह ठीक है तो इसका भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या भारत ने सरकार विक-सित और विकासशील देशों के बीच विद्यमान खाई को पाटने के लिये कोई प्रयास शुरू किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : जहाँ तक विकसित और विकासशील देशों के बीच के अन्तर को समाप्त करने का सम्बन्ध है, इसी के लिये विचार-विमर्श किया जा रहा है। चूंकि यह मामला आसान नहीं है, इसलिये इस सम्बन्ध में समझौता होने में समय लग रहा है। परन्तु मैं आशा करता हूँ कि इस चर्चा के अन्ततः अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्री हेम बरुआ : विकसित और विकासशील देशों में अन्तर कम न होने से भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह हो सकता है कि इसका प्रभाव भारत को मिलने वाली विदेशी सहायता पर पड़ेगा। परन्तु प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं होगा।

Shri Sitaram Kesri: May I know the name of the country which hesitates in implementing the resolution regarding one per cent of income of developed nations to be given to developing nations in form of aid for their development ?

Shri Morarji Desai : It is not good to compare the countries on these lines. So I do not want to go into such details.

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी : अमरीका और पश्चिमी देशों के रवैये में अब बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। अब वे उतनी भी सहायता देने के पक्ष में नहीं हैं जितनी वे पहले देते थे। इस विकास सहायता के घटने से हमारे संधारण आयात (मेन्टीनेन्स इम्पोर्ट) तथा चालू परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि अपेक्षित मात्रा में हमें सहायता न मिली तो इसका संधारण आयात पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा और हमारे सामने कठिनाइयाँ आयेंगी। परन्तु इन कठिनाइयों से हम ऐसे साधन खोजेंगे जिससे आयात की आवश्यकता ही समाप्त हो जायेगी।

1968-69 के लिये योजना परिव्यय

*393 ***श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : **श्री अब्राहम** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के लिये योजना आयोग द्वारा मंजूर प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना का कुल परिव्यय कितना-कितना है ;

(ख) उक्त अवधि के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के लिये प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना के परिव्यय में यदि कोई कटौती की गई है तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द पंत) : (क) राज्यों की 1968-69 की वार्षिक आयोजनाओं का पूंजी परिव्यय अभी अन्तिम रूप से निधारित नहीं किया गया है।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें कुल 615 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता में से 590 करोड़ रुपए का वितरण दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 300/68]** 25 करोड़ रुपए की शेष रकम का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : 615 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता में से राज्यों को लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान ब्याज आदि के रूप में करना पड़ता है। क्या सरकार राज्यों के इस भार को हलका करने के लिये राज्यों द्वारा किए जाने वाले इस भुगतान का पुनर्विलोकन करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैंने बताया, राज्यों को 590 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। 25 करोड़ रुपए नदी घाटी योजनाओं के लिये नियत कर दी गई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या सरकार इस समस्या पर पुनर्विचार करेगी, कि राज्य सरकारों को 400 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं जबकि उन्हें केन्द्र से केवल 615 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस 615 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय संसाधनों का राज्यों में स्थायी रूप से वितरण किया जाता है। राज्यों के कुछ अपने भी आय के साधन होते हैं। इसलिये राज्य इन सब में से कर्ज को चुकाते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल कितनी राशि नियत की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने लघु सिंचाई तथा गाँवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता-प्राप्त कार्यक्रम घोषित किए हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों के संसाधनों को किस हद तक बढ़ाया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहले प्रश्न के उत्तर के लिये पृथक रूप से सूचना दी जानी चाहिये। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है केन्द्रीय सहायता के आँकड़े निर्धारित करते समय उस पर विचार किया गया था।

श्री अब्राहम : क्या किसी राज्य सरकार ने परिव्यय कम किए जाने के बारे में शिकायत की है? यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं? क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन रही हैं, राज्यों के परिव्यय में कटौती की गई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक संतुष्टि की बात है, किसी भी राज्य को पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सरकारों में इस सम्बन्ध में कोई भेद-भाव किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के मन में यह धारणा बन गई है कि केन्द्रीय सहायता नियत करते समय जाने या अनजाने में भेदभाव बरता जाता है क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा प्रयास करेगी जिससे उनका यह भय दूर हो और भविष्य में राशि-नियतन के मामले में कोई भेद-भाव न किया जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता नियत करने के लिये कुछ सिद्धान्त होते हैं। कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी राज्यों को सहायता नियत करते समय वे सिद्धान्त समान रूप से लागू किए जाते हैं।

श्री क० नारायण राव : सूची के देखने से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली योजना सहायता की राशियाँ समान नहीं हैं। अतः मैं पूछना चाहता हूँ कि सहायता राशि नियत करते समय क्या आधार अपनाया जाता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय योजना आयोग ने सब राज्यों को बतलाया था कि केन्द्रीय सहायता की कुल राशि म उनका कितना-

कितना अनुपाती भाग है। मोटे तौर से, यह आनुपातिक अंश है जिसपर पिछले दो वर्षों में ध्यान दिया गया है। अब इस संदर्भ में जो सिद्धान्त केन्द्र का मार्ग-दर्शन करते हैं वे हैं सारे देश की जनसंख्या में राज्यों के अंश, पिछली योजनावधि से जारी स्वीकृति निर्माण-योजनाओं की आवश्यकता तथा विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों आदि के लिये धनराशि की आवश्यकता।

श्री रंगा: अभी मंत्री महोदय ने उन तीन भागों का वर्णन किया है जो विभिन्न राज्यों में धनराशि के वितरण-सिद्धान्तों को नियंत्रित करते हैं। थोड़े ही समय पूर्व वित्त आयोग के नियुक्त हो जाने को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस आयोग से कहेंगे कि वह ये बताये कि ये सिद्धान्त किस प्रकार क्रियान्वित होंगे और क्या वे इन सिद्धान्तों अथवा मापदण्डों से संतुष्ट होंगे या क्या वे किन्हीं अन्य मापदण्डों का सुझाव देंगे और क्या इन नये मापदण्डों को निश्चित करने से पूर्व राज्यों के मुख्य व वित्त मंत्रियों से मंत्रणा करने के इच्छुक होंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे विश्वास है कि वित्त-आयोग मापदण्डों की खोज करेगा तथा राज्यों के मुख्य व वित्त मंत्रियों से बातचीत करेगा।

श्री कन्डप्पन : गैर-काँग्रेसी व काँग्रेसी राज्यों की ओर से प्राय: यह शिकायत रहती है कि उनको केन्द्र से समुचित सहायता नहीं मिलती। यह बात सर्वमान्य है कि राज्यों की आय-स्रोत स्थिति संतोषजनक नहीं है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की नियुक्ति की है। मैं यह जानना चाहूँगा कि आयोग का विचारार्थ विषय निश्चित करने से पूर्व क्या केन्द्र सरकार राज्यों से इस विशेष बिन्दु पर विचार-विमर्श करने को तैयार है ?

उप-प्रधान मंत्री व वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वे पहले ही निश्चित हो चुके हैं। विचार-विमर्श का प्रश्न ही नहीं है। इस विषय में राज्यों से विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं है।

श्री कन्डप्पन : तब यदि राज्य सहयोग नहीं करें.......... **(व्यवधान)**

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : There have been more or less developments in some States. Some States utilise the funds provided by the Centre, for this purpose in general way. Whether the Centre will arrange to ensure that the States rightly utilise the funds given to them for development purposes and there might be an equality of development in all the States.

Shri K. C. Pant : We always try for it.

Shri Onkar Lal Berwa: With regard to the assistance given to Rajasthan, the Chief Minister of Rajasthan thas complained that the aid given for Rajasthan Canal is insufficient. I want to know whether the Government has found some source to provide additional grant ?

Shri Morarji Desai : Every State feels that whatever is provided to it is insufficient, but we should think about the Centre also for which we all are here, that when we do not have enough for us, then wherefrom can we give to others ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह ठीक है कि हमारी तीनों योजनावधियों में ऐसा भी हुआ कि जब कि केन्द्रीय परियोजनाओं को राज्य योजनाओं से बाहर आरम्भ किया गया और सम्बन्धित राज्यों को लाभ हुए जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा प्रादेशिक असुन्तलन पैदा हो गया; यदि हाँ, तो क्या विभिन्न राज्यों के योजना-परिव्यय नियत करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये धनराशि की आवश्यकता ही हमारा मापदण्ड है।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, I want to know as to have much amount has been earmarked for Bihar, by the Central Government for 1968-69, and the proper arrangements for the projects like Gandak Project, Eastern -Kosi Project and the work of constructing a bridge over the Ganges have been done ?

Shri K. C. Pant : If Hon. Member wants to go through the statement, the figures are given there........46.8 crores of rupees.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

*394. **श्री देवेन सेन** : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संगठन के एशिया और सुदूर पूर्व देशों के 24 विकास कार्यक्रमों के लिये सहायता देने के निर्णय में भारत भी सम्मिलित है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत के लिए कौनसी विकास परियोजना चुनी गई है और उसमें कुल कितनी पूंजी लगेगी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) जनवरी, 1968 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संगठन की शासी परिषद् ने इन तीन भारतीय प्रायोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये 38.9 लाख डालर की रकम निर्धारित की है ताकि विशेषज्ञों, विदेशों में प्रशिक्षण सुविधाओं और उपकणों पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके :—

1. बिजली मापक उपकरणों के डिजाइन तैयार करने का केन्द्र;
2. कृषि-सम्बन्धी नाभिकीय गवेषणा;
3. आठ राज्यों में भेड़ों की नस्ल और ऊन की किस्म सुधारने का काम।

इन प्रायोजनाओं पर रुपयों में होने वाला लगभग 4.4 करोड़ रुपए का खर्च केन्द्र से सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जायगा।

Shri Deven Sen: Will the Hon. Minister be pleased to state the procedure for controlling the aided projects, i.e. up to what extent will there be Indian Control ?

Also the amount so far received from the United Nations Development Fund and the amount that has been spent so far?

Shri Morarji Desai :We have our own control on what we receive and whatever we do with this amount.

By now, we have received an aid of 39.33 million Dollars for 39 projects.

Shri Deven Sen : What aid did Pakistan get as compared with India?

Shri Morarji Desai : I do not know it.

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न निर्माण योजनायें नियत करने के लिये क्या कसौटी रखी जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इन निर्माण-योजनाओं के बारे में ?

श्री विक्रम चन्द महाजन : जी हाँ।

श्री मोरारजी देसाई : ये निर्माण योजनायें विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित हैं अतः वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार रखी जायेंगी।

भारत से माल के निर्यात के सम्बन्ध में विश्व बैंक की टीम की रिपोर्ट

*395 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की टीम ने भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात का पूरा सर्वेक्षण करने के बाद इस संबंध में गहरी निराशा व्यक्त की है;

(ख) क्या इस टीम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख) और (ग) : विश्व बैंक के दलों को रिपोर्टें बैंक के अध्यक्ष के पास भेजी जाती हैं और उन्हें बैंक के गोपनीय कागजात समझा जाता है। खेद है कि उनमें दी गयी बातों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह सत्य है कि विश्व बैंक ने संकेत दिया है कि हमारे निर्यात का नवीनीकरण होना चाहिए ताकि हमारे ऋण-दाता देश इस निर्यात का अधिकतर भाग प्राप्त कर सकें, यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने उन सुझावों की ओर ध्यान दिया है तथा क्या वह कोई ऐसे ठोस कदम उठा रही है ताकि हमारा निर्यात रुपये में भुगतान करने वाले देशों की बजाय डॉलर और स्टर्लिंग देने वाले देशों की ओर मुड़े।

श्री मोरारजी देसाई : प्रश्न प्रतिवेदन से सम्बन्धित है। मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या मैं जान सकता हूँ कि जब श्री वुड्स भारत आये तो उन्होंने निर्यात के नवीनीकरण तथा इससे सम्बन्धित ऋणों की पुनर्परिगणना सहित इन मामलों पर वित्त मंत्रालय से बातचीत की थी; यदि ऐसा हुआ है, तो वे सुझाव कैसे थे, क्या थे तथा क्या सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित रूप दिया गया ?

श्री मोरारजी देसाई : जब हम पीछे मिले तो निर्यात सम्बन्धी कोई सुझाव नहीं दिये गये।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं इससे सम्बन्धित ऋणों की पुनर्परिगणना के बारे में पूछ रहा था।

श्री मोरारजी देसाई : ऋणों की पुनर्परिगणना के बारे में वह तथा अन्य देश विचार कर रहे थे। मुझे तो उन्होंने केवल यह बताया कि क्या हो रहा है। मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यही मुझे बताया गया था।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या वित्त मंत्री महोदय ने प्रतिवेदन देखा है ? यदि उन्होंने देखा है तो क्या वह इसके ऐसा गोपनीय होने का दावा करेंगे कि सदन को भी प्रकट न किया जाये जबकि इसका सम्बन्ध वाणिज्य और वित्त सम्बन्धी मामलों से है ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

श्री रंगा : क्या उन्होंने प्रतिवेदन भी पढ़ा है?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा, तो यह उनका अपना विचार है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस तथ्य के विचार से कि वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के प्रतिवेदन को गोपनीय बताया है, क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकती हूँ कि क्या श्री वुड्स ने, जब कि वह संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेने यहाँ आये थे, तो उन्होंने ऋणों की पुनर्परिगणना तथा निर्यात के बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था और क्या उन्होंने वित्त मंत्री महोदय से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की थी, यदि हाँ, तो उन्होंने क्या सुझाव उनको दिये ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने अभी-अभी कहा है कि विशेषकर निर्यात के बारे में कोई विशिष्ट वाद-विवाद नहीं हुए परन्तु यह वह निश्चय ही चाहते थे कि यहाँ से निर्यात अधिक होना चाहिए ताकि इस देश की स्थिति सुधरे। यही वाद-विवाद हममें हुए थे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं इसे स्पष्ट करूँ ? श्री वुड्स ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया था.......

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रश्न को भली प्रकार समझ चुके हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं केवल इसीलिए स्पष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि वित्त मंत्री मेरे प्रश्न को नहीं समझे हैं।

श्री वुड्स ने अधिमान्य शुल्कदर के बारे में भी विशेष रूप से कहा था। अधिमान्य शुल्कदर का निर्यात के साथ बहुत सम्बन्ध है। भारत एक विकासशील देश है और वह अधिमान्य शुल्कदर की माँग करता आ रहा है परन्तु उसे उस प्रयत्न में सफलता नहीं मिली है। क्या मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जान सकती हूँ कि क्या इस प्रश्न पर श्री वुड्स से उनकी बातचीत हुई या यह प्रश्न पूर्णतया विकासशील और विकसित देशों में परस्पर समझौते पर छोड़ दिया गया ?

श्री मोरारजी देसाई : वास्तव में ही यह वही प्रश्न है जिस पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा उसने ही इसको तय करना है न कि श्री वुड्स ने अथवा मैंने। उन्होंने भी यह चाहा है और मैंने भी। इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री नाथ पाई : प्रतिवेदन चाहे गुप्त हो अथवा गोपनीय परन्तु इसकी विषय-वस्तु गुप्त अथवा गोपनीय नहीं रही है क्योंकि जैसा कि वित्त मंत्री भली प्रकार जानते हैं, वह सारे विश्व में वित्त-पत्रिकाओं में प्रसारित हो चुकी है। जैसा कि पत्र-पत्रिकाओं ने उद्घाटन किया है, क्या यह सत्य है कि इस प्रतिवेदन में भारत की आर्थिक स्थिति पर निराशा प्रकट की गई है, तथा क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या विश्व बैंक ने भारत को सहायता के संदर्भ में एक टिप्पणी यह भी की है कि भारत का विकास-व्यय बहुत ही घटाया जाना चाहिये ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के इस मस्तिष्क-व्यायाम में सहयोगी नहीं हो सकता जैसा कि वह कह रहे हैं कि प्रतिवेदन तो गोपनीय है परन्तु उसकी विषय-वस्तु गोपनीय नहीं रही है। क्योंकि कोई व्यक्ति चालाकी से इसका पता लगाकर प्रकाशित करना चाहता है तो मैं इस बात की पुष्टि करते हुए अथवा इसे अस्वीकार करते हुए, कोई शर्त लगाने वाला नहीं बन सकता।

मद्य निषेध

*396 **श्री सेझियान** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मद्य निषेध करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) देश में मद्य-निषेध योजना के विस्तार तथा उसको जोरदार ढंग से चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने 1968-69 के लिये क्या योजना बनाई है तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क), (ख) तथा (ग) : मद्य-निषेध राज्य विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों को निर्देश करने अथवा वहाँ मद्य-निषेध को लागू करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संघ सरकार पर नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी नीति चलाने का अधिकार है। विभिन्न राज्यों में मद्य-निषेध को लागू करने के लिए कोई योजनाएं बनाना तथा कोई लक्ष्य निश्चित करना संघ सरकार के क्षेत्र से बाहर है। संघ सरकार संविधान में निर्धारित नीति का पालन कर रही है तथा मद्य-निषेध सम्बन्धी शैक्षिक-कार्य के निमित्त अनुदान देने के लिए 2 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

श्री सेझियान : संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत शासन पर मद्य-निषेध लागू करने का कर्तव्य रखा गया है। संविधान के अन्तर्गत रखी गई इस जिम्मेदारी से माननीय मंत्री बच नहीं सकते हैं। अतः मद्य निषेध में सुधार करने के लिए तथा राज्य में काँग्रेस सरकारों को मद्यनिषेध हटाने से रोकने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मद्यनिषेध का विषय राज्य सरकारों का है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से बहुत शिकायतें मिली हैं कि कुछ महीनों में टेलीफोन के बिल औसत से बहुत अधिक राशि के आए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन शिकायतों की कोई जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) बिलों में अधिक रकम लगा दिये जाने के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जहाँ जरूरी हो, बिलों को ठीक कर दिया जाता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : टेलीफोन विभाग, डाक व तार विभाग, रेलवे आदि विभागों के कार्य से यह स्पष्ट है कि सरकार की समाजवादी नीति के बावजूद इन सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट आ रही है । बिलों में अधिक राशि दिखाने के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में औसत तौर पर प्रति मास कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों की पड़ताल करने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है ? मीटरों में अधिक संख्या दिखाये जाने की जाँच करने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कार्य में गिरावट आ रही है । हम लगभग 6 लाख बिल जारी करते हैं । दिल्ली में ही भाड़ा बिलों की संख्या प्रति मास लगभग 22,000 हो जाती है । शिकायतों की संख्या प्रति हजार 4 से 5 होती है और संसद् सदस्यों से 2 से 3 होती है । पिछले 3 या 4 महीनों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

Shri Prem Chand Verma : Do Government propose to give rebate to the subscribers for the timely payment of the rental bills, if so, at what rate and when this scheme is going to be announced ?

Dr. Ram Subhag Singh : For the first time now we are introducing a scheme from the Ist April under which a rebate of Rs 4 per bill will be given.

Shri Kanwar Lal Gupta : Some three, four months back the General Manager Telephones had made certain commitments in the telephone directory. Is it a fact that most of them are yet to be fulfilled and if so, what are the unfulfilled assurances, what are the reasons for their non-fulfilment and by what time are they likely to be fulfilled?

Dr. Ram Subhag Singh : There was a time-schedule for the implementation of those things. If anything has not been done within the stipuated time, the hon. Member may please inform us about that.

Shri Hukam Chand Kachwai : By what time the directories will be printed in Hindi ?

Dr. Ram Subhag Singh: Hindi directories have already been brought out by Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and Uttar Pradesh. Hindi directory is being published in Delhi also.

Shri Ram Sewak Yadav : Why the printing of Hindi directory has been delayed in Uttar Pradesh ?

Dr. Ram Subhag Singh :The delay was due to the agitations there. Hindi directory there is coming shortly.

Shri Sheo Narain : What steps are being taken to reduce the inordinately long time taken in getting the line for Lucknow? Secondly, have any steps been taken to check the erratic meter readings ?

Dr. Ram Subhag Singh : I promise that such delays will not recur in future. Secondly, I will get his telephone bill corrected and he will not have to pay the extra money.

Shri Ram Charan: The brass telephone wire in Khurja is cut in the evening and in its place iron wire is put in the morning with the result that trunk call line does not operate after evening. In view of this do Government propose to replace the brass wire with aluminium wire to prevent such dislocations in future?

Dr. Ram Subhag Singh : I would request the hon. Member to prevail upon the people of his area and foster among them the desire to be more law-abiding to prevent such cutting of telephone wire. The Government is also exercising an added degree of vigliance in this regard and efforts are under way to introduce the iron wire with a brass coating.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली स्थित टेलीफोन केन्द्र की अकार्यकुशलता और अयोग्यता के कारण लोग अब काल बुक नहीं करा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आय घटती जा रही है और आय की कमी को पूरा करने के लिए बिलों में मनगढ़न्त कालें शामिल की जा रही हैं और अधिक पैसा लिया जा रहा है ?

डा० रामसुभग सिंह : आय में कमी नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष कठिनाई का अनुभव हुआ है, तो हम उसकी जाँच करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे।

Shri Meetha Lal Meena: In reply to one of my qustions the hon. Minister had stated that in the years 1966-67 and 1967-68 there had been the theft of telephone wires between Bayana and Agra of the order of Rs. 5000/- and Rs. 6,000, but no thief has so far been apprehended. Do Government propose to take some effective steps in this regard ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is the responsiblity of the State Government to apprehend the thieves. Our duty is to put the telephone wire. We have written to the State Governments to make the police more vigilant and we are also makng efforts in that direction.

श्री सोनावने : ट्रंककालों के बिलों को तैयार करने में बहुत विलम्ब होता है। इस विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि हमने एक नया तरीका हाल ही में चालू किया है।

दो प्रकार के बिल हैं। प्रत्येक मास की ग्यारह तारीख को ग्राहक अपना ट्रंक-कॉल बिल प्राप्त करता है। यह वह प्रपत्र है जिसमें नया बिल परिचित कराया गया है। हर तीसरे मास की 11 तारीख को ग्राहक एक दूसरा बिल प्राप्त करता है। इसमें किराये तथा सामान्य कॉलों आदि का ब्यौरा होता है। इन बिलों में ग्राहक का समस्त देय-धन बताया होता है। हमने वहाँ टेलीफोन नम्बर भी दिया है तथा कहा है कि यदि उन्हें कोई अनियमितता दिखाई दे तो वे उस विशिष्ट नम्बर पर टेलीफोन करें। अब शिकायतें बहुत कम हो गई हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूँ कि एक यह भी सुझाव है कि जो ग्राहक समय पर अपने बिल का भुगतान कर देंगे उनको कुछ छूट दी जायेगी ? परिषद् की पिछली बैठक में यह सुझाव था। क्या मैं जान सकता हूँ कि उस सुझाव का क्या हुआ ?

डा० राम सुभग सिंह : श्री प्रेमचन्द जी वर्मा को उत्तर देते समय मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम पहली अप्रैल से हर बिल पर चार रुपये की छूट देने जा रहे हैं।

Shri Y. D. Sharma : As the Hon. Minister knows, Telephone is today's most essential facility. So. is there any plan with the Telephone Department to make immediate efforts to connect the country's distant and separated areas wth the rest without any consideration of profit ?

Dr. Ram Subhag Singh : Certainly there is a plan and I know that there is some inconvenience in Hon. Member's area. But this Telephone System is to connect those places which

are at least Tahsils and have a population of more than four to five thousand each. If the people there are ready to have telephones we shall certainly try to provide them with this facility. There is a difficulty that so much co-axial is not produced here as we need. Therefore we have to import it. Copper-wire is also necessary to be imported. Wherever we need an import, we come across a difficulty. Therefore we, will shortly execute a co-ordinated policy consisting of both connecting the distant places as well as reducing imports.

श्री हेम बरुआ : सरकार के सब विभागों में डाक व तार विभाग सब से असमर्थ विभाग है तथा टेलीफोन विभाग तो सर्वाधिक अव्यवस्थित विभाग है। एक दिन, महोदय, मैं, गोहाटी, आसाम के लिए एक ट्रंक-कॉल पंजीकृत कराने के लिए विनिमय-घर गया। प्रचालक ने मुझे बताया कि आसाम भारत का भाग नहीं है। इस संदर्भ में, क्या मैं जान सकता हूँ कि (क) क्या सरकार प्रचालकों को भूगोल की शिक्षा देने जा रही है तथा (ख) क्या सरकार उनकी कमियों को पा लेने तथा उन्हें जनता की सेवा में लगाने की बात पर विशेष ध्यान दे रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे क्षमा किया जाये यदि मैं यह कहूँ कि अपनी अनुभव-हीनता के कारण टेलीफोन विभाग के 6 लाख से भी अधिक लोगों को बदनाम करने की मेरे माननीय मित्र को आदत पड़ गई है। सारी संसद् को कोई अनुचित नहीं कह सकता यदि श्री बरुआ को कोई बात समझ नहीं आती। इसी प्रकार, केवल एक आदमी के अनुभव के आधार पर कोई भी सारे विभाग को अयोग्य नहीं कह सकता जैसे कि वह कह रहे हैं। हमारे देश में कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें समझ नहीं हो, परन्तु मैं बड़े उत्साह से कह सकता हूँ कि डाक विभाग में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे ये काम दिया गया हो और उसे यह नहीं मालूम कि आसाम कहाँ है।

श्री हेम बरुआ : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बहुत ही व्यक्तिगत होने का प्रयत्न किया है। क्या वे समझते हैं कि यह कहकर कि यहाँ के टेलीफोन प्रचारक को यह नहीं मालूम था कि आसाम कहाँ है, मैंने आपसे झूठ बोला है ?

डा० राम सुभग सिंह : वह बड़ी सुगमता से मुझे इस बारे में लिख सकते थे और इस बात की मैं जाँच करा लेता। परन्तु वह अपनी प्राथमिक जिम्मेवारियों को अनुभव नहीं करते।

श्री दामानी : वहाँ अनेक ऐसे अनुभाग है जहाँ यदि काल पंजीकृत हो जाती है तो हमें सदा यही सूचना दी जाती है कि व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो गया है। कितने ही दिनों तक व्यवस्था ठीक नहीं होती। क्या मैं जान सकता हूँ कि मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है तथा ऐसे क्या उपाय किये गए हैं कि इस व्यवस्था में सुधार हो तथा यह काम करे ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सत्य है, क्योंकि कई जगहों पर जहाँ तार कट जाते हैं या चुरा लिये जाते हैं वहाँ ऐसी कठिनाई अवश्य उत्पन्न हो जाती है। श्रीनगर, जम्मू, जोरहाट, तिन्सुकिया, इम्फाल, कोहिमा आदि जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों को सूक्ष्म-तरंग कड़ियों से जोड़ा जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी हम समाक्ष कड़ियों से जोड़ रहे हैं। बम्बई में हम एक स्वयं-संचालित ट्रंक-केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर अधिकतर महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्ध जोड़ा जायेगा। इन उपायों से, मैं समझता हूँ, कठिनाइयाँ काफी घट जायेंगी।

Shri Raghubir Singh Shastri : I want to know from the Hon. Minister whether he is aware that the applications from villages for the Telephone connections are not attended to

properly. If so, will the Hon. Mnister give an assurance to remove this growing ignorance towards villages?

Dr. Ram Sughag Singh: It is the country of villages and we shall always fulfil our responsibilities towards villages. If Mr. Shastri cites any example from villages, we shall immediately examine it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : जबकि यह सत्य है कि जब से आप लेखा-मशीन लाये हैं, बिलों में अशुद्धियाँ बहुत होने लगी हैं--आप बिलों को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, तो क्या आप हमें बतायेंगे कि आपने कितने स्थानों पर ये लेखा-मशीनें टेलीफोन बिल तैयार करने के लिए स्थापित की हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में, जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते होंगे, कि यह केवल कलकत्ता में ही है। हम से यहाँ भी लगाना चाहते थे। कलकत्ता में कम्प्यूटर व्यवस्था के आ जाने से स्थिति सुधर गई है। यहाँ भी तनिक अधिक ध्यान देने से स्थिति सुधर रही है। इस सम्बन्ध में यहाँ दिल्ली में काम करने वाले अपने आदमियों की मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। उनके कार्यकलापों में सुधार हुआ है। मुझे विश्वास है कि अल्प समय में ही उल्लेखनीय सुधार होगा मैं यह भी कहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य किसी भी क्षेत्र से कोई शिकायत हमारे ज्ञान में लायें तो उस पर शीघ्रता से ध्यान दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब से आप कलकत्ता में लेखा-मशीन लाये हैं तब से बिलों की राशि बहुत बढ़ने लगी है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इसकी जाँच करेंगे।

Shri O.P. Tyagi: Has the attention of the Government been drawn towards it that instead of considering the merit of the applications for telephone, the officials of the Telephones Department are giving Telephone connection on receiving bribe ? Have you received any complaint from Moradabad, in particular ? If received has any inquiry been made in this matter ? If done, what are the results ?

Dr. Ram Subhag Singh : If there is any such complaint, then instead of generalising it, the Hon. Member may please tell us, we shall examine it. But I don't admit that if some wrong has happened in Moradabad, it has happened in whole India. Hon. Member has said it in such a way. If he tells us about what happened in Moradabad, we will investigate it and action will be taken against the culprit.

Shri Shiv Chandika Prasad: I want to know whether it is fact that during last election those candidates who deposited their security for getting telephone lines, their money has not been refunded even one year hence ?

Dr. Ram Subhag Singh : If the Hon. Member Shri Shiv Chandika Prasad has not reen refunded his money, he may send his aplication and I shall get it refunded immedately. But we don't know, whether his application has reached us or not.

Shri Mahant Digvijai Nath : I want to tell the Hon. Minister that trunk call bills have been sent to those persons also who never did trunk-calls. For instance, Hon. Member Shri Atam Das has received a bill for Rs.35 but he never did even one trunk-call.

Dr. Ram Subhag Singh : I agree with the Hon' Mahant. If such a bill has been sent, I shall get it back. But I cite my own example that I am out of my house thorughout the day, but many such guests or some other poeple come to my house who do trunk-calls. None is there to ask them to pay for. So, the bills reach us and we have to pay the money.

श्री पीलू मोदी : मेरे माननीय मित्र श्री हेम बरुआ ने बड़े नाटकीय ढंग से कहा कि प्रचालक यह नहीं जानता कि आसाम कहाँ है। इस विशेष मामले में ऐसा हुआ होगा, परन्तु मेरे और मेरे मित्रों के साथ अनेकों बार ऐसा हुआ है कि प्रचालक को यह नहीं पता कि अमुक स्थान कहाँ है तथा वे स सीमा तक जाते हैं कि आप ही से पूछते हैं किस विनिमय-दर से यह कॉल क्रियान्वित होगी। अतः मंत्री महोदय को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि वह प्रचालकों को किसी प्रकार का भौगोलिक प्रशिक्षण दें, कम से कम टेलीफोन व्यवस्था के भूगोल का, ताकि इस प्रकार की शिकायतें दूर हों।

अध्यक्ष महोदय : यह एक उत्तम सुझाव है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोका कोला की बोतलों में शराब

*397. **श्री अनिरुद्धन** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री रमानी :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1968 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में होटलों और जलपान-गृहों में कोका कोला की बोतलों में शराब दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले, और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) : जी, हाँ।

(ग) जाँच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 301/68**] चूककर्ता लाइसेंसधारियों के सम्बन्ध में समितिकी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं।

मध्य प्रदेश में हरिजन

*398. **श्री अदिचन** : **श्री रा० बरुआ** :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, विशेषकर ग्वालियर क्षेत्र में, हरिजनों पर बहुत अत्याचार किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन समाचारों की जाँच-पड़ताल की है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में हरिजनों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले की मुंगेली तहसील के कुछ गाँवों में सुवर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों में लड़ाइयाँ होने की रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) से (घ) : भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अधीन मामले पंजीकृत किए गए हैं तथा उनकी जाँच हो रही है । राज्य सरकार ने भी इन घटनाओं की न्यायिक जाँच करने का आदेश दिया है ।

पारादीप पत्तन तक सम्पर्क-सड़क

*399. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ से पारादीप पत्तन तक एक सम्पर्क-सड़क बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि वर्तमान प्रान्तीय सड़क की देखरेख का काम ले लिया जाये तथा उसका निर्माण पुनः किया जाये तो अन्य स्थानों की तुलना में इस परियोजना पर बहुत कम धन व्यय होगा ; और

(ग) इस मामले पर निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत) : (क) पारादीप बन्दरगाह उस क्षेत्र के राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 के साथ, कटक-कुजाँग-पारादीप राज्यीय सड़क के जरिये पहले ही से मिला हुआ है । निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे के यातायात को देखते हुए, राज्य की इस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में ले लेने के एक प्रस्ताव पर, भारत सरकार ने विचार किया है ।

(ख) और (ग) : यह बात मालूम हो चुकी है कि दायतारी-पारादीप के उस एक्सप्रेस पथ को पूरा करने का खर्च जिस पर से कच्चे लोहे की ढुलाई की जा सकेगी, कटक-पारादीप सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के दर्जे की सड़क बनाने के खर्च के मुकाबले बहुत ही कम होगा ।

कपड़ा मिलों से उत्पादन-शुल्क की वसूली

*400 **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों ने कपड़ा मिलों को कपड़े की ऐसी नियंत्रित किस्मों के लिए, जिनका उत्पादन वस्त्रायुक्त के विचलन आदेश (डेविएशन आर्डर) के अन्तर्गत किया जा रहा है, पूरे दर पर उत्पादन-शुल्क वसूल करने के नोटिस दिये हैं;

(ख) क्या मिलें अपने व्यापारियों अथवा उपभोक्ताओं से नियंत्रित कपड़े पर लागू रियायती दरों पर उत्पादन-शुल्क वसूल करती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों ने मिलों को सूचना दी है कि वस्त्रायुक्त द्वारा जारी किये गये विचलन आदेश विधिमान्य नहीं हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) टेक्सटाइल कमिश्नर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विचलन आदेशों के बारे में कानूनी स्थिति की सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जाँच की जा रही है ।

पंजाब के मुख्य मंत्री को भुगतान

*401. **श्री कृ० मा० कौशिक:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री पहले लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार थे ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग चार वर्ष पहले उन्हें नई दिल्ली के मोतीबाग में अनेक मकान बनाने का ठेका दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका 2,65,000 रुपये की रकम रोक ली गई थी क्योंकि निर्माण-कार्य ठीक नहीं पाया गया था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके पंजाब के मुख्य मंत्री बनने के कुछ दिन बाद 30 नवम्बर, 1967 को सरकार ने पहले की गई आपत्तियों को रद्द करके सारी राशि मंजूर कर दी थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं, किन्तु 1969 में इन्हें रामकृष्णपुरम में 200 क्वार्टर बनाने का ठेका दिया गया था ।

(ग) निर्माण के दौरान सिवाय मामूली त्रुटियों के कार्य में कोई त्रुटि नहीं पाई गई तथा कोई भुगतान नहीं रोका गया ।

(घ) जी नहीं । कोई आपत्ति नहीं थी अतएव किसी भी आपत्ति को अस्वीकार करने का कोई अवसर ही नहीं आया ।

Cracks in Nanak Sagar Dam

*402. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Prakash Vir Shastri : Dr. Surya Prakash Puri : Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the enquiry leading to cracks in the Nanak Sagar Dam has been concluded;

(b) if so, the result thereof ; and

(b) the action taken thereon as also the nature of action against the officials found guilty ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Not yet, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

तेल की उत्पादन लागत

*403. **श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के तीन तेल शोधक कारखानों में तेल की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोध कारखानों में उत्पादन लागत की तुलना 1966-67 की उत्पादन लागत से की जा सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को तेल विशेषज्ञों की समिति को सौंपने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) उत्पादन लागत में कमी इस प्रकार की जा रही है :—

(1) उत्पादन को निर्धारित क्षमता तक बढ़ाना ;

(2) परिचालनों के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाले रसायनों की लागत में कमी;

(3) वस्तु-सूचियों में कमी ;

(4) फालतू स्टाफ की छंटनी ; और

(5) खर्च की सभी मदों पर बजट सम्बन्धी दृढ़ नियन्त्रण ;

(ख) जी हाँ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बचत अभियान

*404. **श्री लीलाधर कटकी : श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने आय-व्ययक भाषण के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रों में मित-व्ययता करने का जो वचन दिया गया था, उसे पूरा करने के लिये उन्होंने क्या उपाय किये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या सरकार ने आगामी वर्ष के लिये कोई योजना तैयार की है, जिसके अनुसार व्यय में पर्याप्त बचत की जा सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) एक विशेष बजटोत्तर समीक्षा की गई जिसके कारण 23 करोड़ रुपये की बचतों का पता लगा । यात्रा-भत्तों, आकस्मिकताओं आदि के अन्तर्गत प्रशासनिक खर्च पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ अन्य उपाय काम में लाये गये, तथा पहले से लागू किए गए बचत के उपाय भी जारी रखे गये । इन उपायों के अपनाए जाने के कारण बचत का जो समग्र चित्र सामने आया है उसकी झलक हमें सदन की मेज पर प्रस्तुत किये गये सन् 1967-68 के संशोधित अनुमानों में मिलती

हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण यह बचत व्यवस्था बहुत हद तक प्रतिसंतुलित हो गई है ।

(ख) और (ग) : सदन की मेज पर रखे 1968-69 वर्ष के बजट अनुमान बचत के सभी संभाव्य क्षेत्रों की सूक्ष्म जाँच-पड़ताल के बाद तैयार किये गये हैं । तथापि, बचत के उपाय एक सतत प्रक्रिया के रूप में जारी रहेंगे तथा आगे भी संभावित बचत के क्षेत्रों की खोज चालू रहेगी ।

बी० ओ० ए० सी० विमान से पकड़ा गया सोना

*405. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री जुगल मंडल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मधु लिमये :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1967 में बी० ओ० ए० सी० के एक विमान से जो लगभग 32 मन सोना पकड़ा गया गया था, क्या उसे लौटाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन आधारों पर निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) से (ग) : पकड़ा गया 1218.6 किलोग्राम सोना सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नई दिल्ली के समाहर्ता द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया है। तदापि इस बात पर विचार करते हुए कि सोना भारत से बाहर जा रहा था और किसी अन्य देश के लिए था, समाहर्ता ने वैध मालिकों द्वारा भारत के रिजर्व बैंक से प्राप्त लिखित अनुमति दिखाने पर तथा 25,25,000 रुपए का जुर्माना जप्ती के ऐवज में देने पर सोना छोड़ देने की अनुमति दे दी है।

बिहार में वित्तीय संकट

*406. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऋण की कुल कितनी राशि वापस की जानी है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उसने केन्द्रीय सरकार से ऋण वापस करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है तथा अभी अदायगी से छूट दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :

(क) : लगभग 43 करोड़ रुपया।

(ख) और (ग) : पिछले साल जून के महीने में, बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि

उनकी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए, उन्हें अर्थोपाय अग्रिम दिए जाँय, ताकि वे अक्तूबर, 1967 तक केन्द्र को दिए ऋणों की वापसी और ब्याज की अदायगी कर सकें। परन्तु यह बात मानी नहीं गयी, क्योंकि व्यवहार में ऐसा करने का अर्थ यह होता कि केन्द्र द्वारा ली जाने वाली रकमों की वापसी विलम्ब से की जाय।

पेट्रोल का मूल्य

*407. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल का मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या विदेशी तेल कम्पनियाँ मूल्य कम करने के लिए सहमत नहीं हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) तेल कम्पनियों के संग्रह केन्द्रों पर पेट्रोल और दूसरे प्रचुर शोधित पेट्रोल पदार्थों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों का आयात साम्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है; जो इस सूत्र (फारमूले) का विवरण भारत सरकार के संकल्प संख्या 101(26)/65-पी पी० डी०- दिनांक 1 फरवरी, 1966 में दिया गया है। उक्त सूत्र 31-12-1968 तथा ऐसी आगामी अवधि या अवधियों तक जिनका सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा; लागू रहेगा। इस मूल्य सूत्र के लागू रहने तक पेट्रोल के मूल्य को कम करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके प्रतिकूल अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के लगने से उपभोक्ता के मूल्य में वृद्धि हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि तेल कम्पनियों को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये धन का नियतन

*408. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** :

क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 836 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस आधार पर सरकारी क्षेत्र के नए और पुराने उपक्रमों के लिये अतिरिक्त धन नियत किया जाता है, क्या सरकार ने उसी आधार को युक्तिसंगत बनाने के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) और (ख) : सरकारी उद्यमों आदि से सम्बन्धित ऋण/सामान्य हिस्सा पूंजी के अनुपात, नकद ऋण देने की व्यवस्था और गारण्टी के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। इस बीच, सरकारी उद्यमों के लिए पूंजी देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कुछ उपाय किए गए हैं।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गए ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज की रियायती दर

*409. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिज़र्व बैंक ने निर्णय किया है कि उन वाणिज्यिक बैंकों से रियायती दर पर ब्याज लिया जाये, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे वाणिज्यिक बैंकों तथा व्यक्तियों को कितनी राहत मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :

(क) जी हाँ।

(ख) जिस नयी योजना की घोषणा 29 जनवरी 1968 को की गयी है, उसके अनुसार, रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को, उनके द्वारा, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों अर्थात् निर्यात के लिए (जहाज पर माल लादने से पहले और उसके बाद भी) खेती के काम आने वाली चीजों (रासायनिक-खाद और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं) के लिए तथा ऋण गारण्टी संगठन द्वारा गारण्टी शुदा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए, दिए जाने वाले अग्रिमों में एक आधारभूत अवधि की अपेक्षा की गयी वृद्धि के सम्बन्ध में 4½ प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त देगा।

(ग) रियायती दर पर दिए जाने वाले पुनर्वित्त से, वाणिज्यिक बैंकों के साधनों की वृद्धि होगी और साथ ही इस तरह के ऋण का खर्च घटेगा और इससे वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को रकमें उधार देने के लिए और बढ़ावा मिलेगा। बैंक, इस बात पर राजी हो गए हैं कि वे धातुकर्मक और इंजीनियरी सम्बन्धी वस्तुओं के लिए दिए जाने वाले पैकिंग ऋणों को छोड़कर, जिसपर 6 प्रतिशत की मौजूदा अधिकतम सीमा लागू रहेगी, निर्यात के लिए दिए जाने वाले सभी ऋणों पर, 7½ प्रतिशत की वार्षिक दर से अधिक ब्याज नहीं लेंगे। राज्य बैंक का विचार है कि वह पहली मार्च, 1968 से उस पैकिंग ऋण पर, केवल 7 प्रतिशत ब्याज लेगा, जो वह इंजीनियरी सम्बन्धी और धातुकर्मक वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के निर्यातकों को देगा। ऋणों के सस्ता होने और साधनों के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने से उधार लेने वालों को फायदा होने की संभावना है।

Barauni Oil Refinery

*410. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Oil Refinery at Barauni is located at such a place where there would always remain the danager of floods and earthquakes ;

(b) if so, the extent of loss caused by the floods so far ; and

(c) the safety measures being adopted for the future ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (**Shri Asoka Metha**):

(a) No, Sir

(b) Loss incurred due to flooding caused by unprecedented rains in October 1962 are as under :

(i) Loss due to the setting of cement bags	.. ..	Rs. 1,69,300
(ii) Loss due to desctruction of working drawings of Kerosene treating unit.		Rs. 24,074

There has been no such loss in subsequent years.

(c) (i) The refinery area was raised to provide for the gravitational flow of water and to avoid the flooding of the site during heavy rains; and

(ii) As regards the possibility of floods from the Ganga river, the bund built up by the State Government of Bihar has been strengthened.

मिट्टी के तेल की आवश्यकता

*411. **श्री रवि राय** : **श्री कं० हाल्दर** :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी : **श्री कृ० मा० कौशिक** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मिट्टी के तेल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये अन्य देशों से कितना मिट्टी का तेल मंगाया जा रहा है; और

(ग) तात्कालिक कमी को पूरा करने तथा मिट्टी के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) 1968 के दौरान मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान 2.64 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) कुल अनुमानित आवश्यकता के लगभग 15 प्रतिशत को आयात द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ग) देश में शोधन क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है और यह अनुमान है कि 1971 तक मिट्टी के तेल का देशीय उत्पादन देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा।

हल्दिया उर्वरक कारखाना

*412. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और पोलैंड की फर्मों ने हल्दिया में उर्वरक का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : पोलेंड के मैसर्स पोलीमैक्स तथा फ्रांस के एनसा ने हल्दिया में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में दिलचस्पी प्रकट की है। विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसर्स स्ट्रेचलोन (प्राइवेट) लिमिटेड

†413. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 679 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स स्ट्रेचलोन (प्राइवेट) लिमिटेड के मामलों की जाँच इस बीच पूरी कर ली है ?

(ख) यदि हाँ, तो उस जाँच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या फर्म द्वारा देय आयकर का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न अभी नहीं उठते।

उर्वरक कारखाने

*414. **श्री रमानी** : **श्री गणेश घोष** :
श्री भगवान दास : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रियायतों के अन्तर्गत उर्वरक कारखाने स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कब तक उर्वरकों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने की सम्भावना है तथा वर्ष 1968–69 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) 21 दिसम्बर, 1967 के उत्तर में वर्णित उर्वरक परियोजनाओं के अतिरिक्त, महाराष्ट्र में स्थापित की जाने वाली एक और परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) यदि निर्माणाधीन, अनुमोदित तथा विचाराधीन परियोजनायें कार्यक्रम के अनुसार पूरे हो गए तो लगभग 1974 तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है। वर्ष 1968–69 में निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन के क्रमश: 894.000 मीटरी टन और 650,000 मीटरी टन नाइट्रोजन हो जाने की आशा है। वर्ष के दौरान 1,700,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की मांग होने का अनुमान है।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना

*415. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1554 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने पश्चिम कोसी नहर की सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह रिपोर्ट नेपाल सरकार को भेज दी गई है और उसका उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) : पश्चिमी कोसी नहर रेखांकन की जाँच हो चुकी है किन्तु पम्प कैनाल जैसे आनुषंगिक कार्यों के प्राक्कलन की जाँच हो रही है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक अधिकारी को इस पर बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ विचार करने और प्रस्तावों को तय करने के लिए परियोजना स्थल पर भेजा गया है।

बच्चों में कुपोषण

*416. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में अत्यधिक कुपोषण है ;

(ख) क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की है; और

(ग) इसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :

(क) देश के विभिन्न भागों में किए कए सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि देश के 50 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार के कुपोषण अथवा अल्पपोषण से पीड़ित हैं।

(ख) देश में कुपोषण का मुख्य कारण मात्रा तथा गुण दोनों दृष्टि से भोजन की अपर्याप्तता है और संक्रमण दूषण तथा अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने में, उपलब्ध सस्ते भोजन के समुचित उपयोग के बारे में माता-पिता की अज्ञानता जैसे तथ्य इस कुपोषण के अन्य कारण हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 302/68]**

उर्वरक कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता

*417. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उर्वरक कारखाने पूरी क्षमता पर उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वर्ष 1967-68 के प्रथम 9 महीनों में इनमें से प्रत्येक कारखाने में कितनी क्षमता बेकार पड़ी रही ;

(ख) पूरी क्षमता तक उर्वरकों का उत्पादन करने में सरकारी क्षेत्र की असफलता के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) विशेषकर सरकारी क्षेत्र के सभी कारखानों में तथा सामान्य तथा उर्वरक उद्योग में पूरी क्षमता पर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों की क्षमता और वास्तविक उत्पादन तथा प्रत्येक कारखाने में कम उत्पादन के कारणों का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 303/68]

(ग) सिन्दरी के बारे में यह फैसला किया गया है कि प्राकृतिक जिप्सम के स्थान पर उत्पाद जिप्सम का प्रयोग किया जाए जो युक्तिकरण योजना का भाग है। उक्त योजना के पूरे होने तक नई जिप्सम खानों की खुदाई के लिए कार्यवाही की गई है ताकि संयंत्र के लिए बढ़िया किस्म का जिप्सम यथासम्भव मात्रा तक प्राप्त किया जा सके। एक तकनीकी समिति ने ट्राम्बे यूनिट के कार्यचालन की जाँच की है और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। अल्वाय पर स्थित यूनिट के कार्य चालन का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है। हाल ही में रूरकेला में कोक भट्टी गैस की सप्लाई में कुछ सुधार हुआ है और यह आशा की जाती है कि ज्योंही नेफ्था गैसीकरण यूनिट का निर्माण कार्य पूरा होगा, त्योंही उत्पादन में सुधार होगा। एक अध्ययन दल ने नयवेली उर्वरक कारखाने के कार्यचालन की जाँच की है और दल की सिफारिशों पर कार्यवाही शुरू की गई है। इस यूनिट के उत्पादन में सुधार हो रहा है।

जहाँ तक सामान्य उर्वरक का उद्योग का सम्बन्ध है; उदारयुक्त आयात नीति के द्वारा गंधक एवं चट्टान फास्फेट जैसे कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये गए हैं।

तेल की कीमतें

*418. **डा० रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की कीमतों सम्बन्धी कार्यकारी दल के अनुसार कीमत व्यवस्था 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सराकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(ग) क्या कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोल के अन्य उत्पादों समेत देशीय और आयातित पेट्रोलियम के लिये एक उचित मूल्य सूत्र निश्चित करने के प्रश्न की जाँच करने के लिये सरकार का विचार सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त तेल विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : मूल्य व्यवस्था, जो तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर कुछ तरमीमों के साथ 1 फरवरी, 1966 से लागू की गई थीं; जिनका विवरण सरकारी संकल्प संख्या 101 /26/165-पी० पी० डी० दिनांक 1 फरवरी, 1966 में किया गया है। अब उन्हीं शर्तों पर एक साल की और अवधि के लिये 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक लागू की गई है।

(ग) जी नहीं।

तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना

*419. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री देवराव पाटिल :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना करने की अनुमति देने के अपने पहले निर्णय में परिवर्तन करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अपने पहले निर्णय में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गैर-सरकारी पक्षों से उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये जिनके लिये तरल अमोनिया का आयात करना पड़ेगा, कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : जैसा कि 20-2-1968 को सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में बताया गया था, चयनात्मक आधार एवं मामले के गुणों पर अमोनिया के आयात की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) दो विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।

(घ) एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और पार्टी को एक आशय-पत्र भेज दिया है। दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भण्डारों में माल

*420. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भण्डारों में मार्च, 1963 में 16 करोड़ रुपए का माल था जो 1966 में बढ़कर 34 करोड़ रुपए का हो गया और उनकी लगभग 50 महीने की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बड़ी मात्रा में ऐसा माल जमा किया गया था जिसकी आवश्यकता नहीं थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) से (ग) : वस्तु-सूची की आखरी प्रत्यक्ष जाँच और स्टाक में विभिन्न मदों के सही वर्गीकरण के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास 1 अप्रैल, 1966 को स्टोर्स और फालतू पुर्जों का स्टाक 21.57 करोड़ रुपए का था। इसे अधिक नहीं समझा जाता है क्योंकि ये आयोग की लगभग 18 महीने की आवश्यकता है। इस स्टाक में 3.3 करोड़ रुपए का फालतू

स्टोर शामिल हैं। ये फालतू स्टाक विदेशी विशेषज्ञों की सलाह पर आयोग की निर्माण व्यवस्था के दौरान में किए गए आयात के परिणामस्वरूप हैं। व्यघन कार्यक्रम और व्यघन नीति में परिवर्तन, जो बाद में आवश्यक समझा गया था, भी फालतू स्टाक के इकट्ठा होने के कारण हैं। फालतू स्टोर्स का शीघ्रता से निपटान का काम हाथ में है।

हिन्दुस्तान हार्उसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली

2503. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली में मजदूरों की कुछ गड़बड़ी हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच विवादास्पद प्रश्नों को न्याय निर्णय बोर्ड को सौंपा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड में मंहगाई भत्ता दिए जाने के मामले पर जनवरी, 1967 के महीने में 'काम न करो' हड़ताल (टूल्ज डाउन स्ट्राइक) हुई थी।

(ख) जी हाँ। विवाद को दिल्ली प्रशासन द्वारा न्यायनिर्णय के लिए 'इण्डस्ट्रियल ट्रिबुनल" के पास भेज दिया गया था।

(ग) 5 फरवरी, 1968 को इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने 7 फरवरी, 1968 से 6 रुपए प्रति माह की अन्तरिम सहायता का पंचाट (अवार्ड) दिया था। पंचाट की अन्तिम कार्यवाही जारी है।

दिल्ली में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अंतर्गत क्वार्टर

2504. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री अनिरुद्धन :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 और 1965 में दिल्ली में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के क्वार्टरों में रहने वाले कितने कर्मचारियों से 'इकानामिक' किराया लिया गया;

(ख) उक्त अवधि में कितने कर्मचारियों से 'इकानामिक' किराया लिया गया जबकि सम्बन्धित कर्मचारी बीमारी की छुट्टी पर थे;

(ग) कितने मामलों में कर्मचारियों से 'इकनामिक' किराया लिया गया जबकि सहायक श्रम आयुक्त उनसे कम किराया (सबसीडाइज्ड रेंट) लेने के लिये सहमत हो गया था; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) 354।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या 7 थी। उनमें से 2 जो कि संक्रामक रोगों से पीड़ित थे,

उनकी छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए सहायता प्राप्त किराया वसूल किया गया था। शेष पाँच से दिल्ली सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना (मकानों का आवंटन) नियमावली, 1963 के अनुसार पहिले छः महीनों के लिये सहायता प्राप्त तथा शेष अवधि के लिये लाभकर (एकोनोमिक) किराया वसूल किया गया।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

2505. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने उर्वरक कारखाने किन-किन स्थानों पर हैं, इन कारखानों तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं और उनके विदेशी सहयोग उत्पादों, उनकी मात्रा का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कारखाने में कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है; और

(ख) प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रति वर्ष अपेक्षित विदेशी रसायनों, उनकी मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) गैर सरकारी क्षेत्र में कुल मिला कर 30 उवर्रक कारखाने हैं। इन 30 कारखानों में मैसर्स कोरोमण्डल फर्टीलाइसर्स का केवल एक कारखाना है जिसमें तकनीकी और वित्तीय सहयोग है और सहयोगियों के नाम निम्न प्रकार हैं:--

(1) दो केलीफोरनिया केमिकल कं० (यू० एस० ए०)

(2) इंटरनेशनल मिनरल एण्ड कैमिकल कारपोरेशन (यू० एस० ए०)

सभी कारखानों से सम्बन्धित अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 304/68**)

रंग-रोगन में आत्मनिर्भरता

2506. **श्री नितिराज सिंह चौधरी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंग-रोगन उद्योगों को कब संरक्षण दिया गया था;

(ख) रंग-रोगन की वार्षिक घरेलू माँग, अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक वार्षिक उत्पादन कुल कितना-कितना है; और

(ग) रंग-रोगन में देश के कब तक तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया)

(क) रंग-रोगन उद्योगों को 1955 में संरक्षण दिया गया था।

(ख) रंग-रोगनों की वार्षिक घरेलू माँग का अनुमान 12,500 मीटरी टन है। संगिठित क्षेत्र की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 12,640 मीटरी टन है। 1967 में दोनों संगठित एवं छोटे पैमाने के क्षेत्रों से 11,400 मीटरी टन का संरक्षण था।

(ग) 1970-71 तक देश के बहुत से रंग-रोगनों में आत्मनिर्भर होने की संभावना है। विशिष्ट रंग-रोगनों का थोड़ी मात्रा में आयात जारी रहेगा क्योंकि देश में उनका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न हो।

परक्का बांध परियोजना के लिये मशीनें

2507. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरक्का बाँध परियोजना में प्रयोग के लिये अब तक कितनी और किस्म-किस्म की मशीनें आयात की गई;

(ख) उन मशीनों की देखभाल करने के लिये कितने तथा किन-किन श्रेणियों के कर्मचारी नियुक्त किये गये; और

(ग) कितनी मशीनें ठेकेदारों को दी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 305/68]

हृदय का प्रतिरोपण आप्रेशन

2508. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अफ्रीका के केपटाउन अस्पताल में डा० फिलिप ब्लैबर्ग का हृदय-प्रतिरोपण संबंधी सफल आपरेशन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय अस्पतालों में इसी प्रकार का अध्ययन और प्रशिक्षण आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय डाक्टर प्रयोगात्मक आधार पर हृदय-प्रतिरोपण आपरेशन कर रहे हैं। भारत में मानव हृदयरोपण संबंधी पहला आपरेशन हाल ही में के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई में किया गया।

Life Insurance Corporation

2509. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had stated in the Third Lok Sabha in regard to Recommendation No. 31 of the Fourth Report of the Committee on Public Undertakings regarding the Life Insurance Corporation that the recommendations of the Committee would be kept in view at the time of altering the strength of the Life Insurance Corporation officials ; and

(b) if so, the reasons for not taking action thereon so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**):

(a) and (b) : The sanctioned strength in the different cadres is determined by the Corporation itself. The Corporation will keep these recommendations in mind whenever reviewing the strength which, in a way, is a continuing process.

विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के सदस्यों द्वारा तस्करी किया जाना

2510. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के किसी सदस्य को विदेशी माल की तस्करी में पकड़ लिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं; और पकड़े गये माल का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) विभिन्न सीमा शुल्क गृहों के रेकार्डों से ऐसे किसी मामले का पता नहीं चलता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

Shortage of Drinking Water in Maharashtra

2511. **Shri Deorao Patil** :Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in Maharashtra especially in Yeotmal and Darha cities in Yeotmal district ;

(b) if so, whether Maharashtra Government have sought assistance from the Central Government in this connection ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (**Shri B. S. Murthy**):

(a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Upgradation of Nagpur City

2512. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memoranda recently for upgrading the city of Nagpur ;

(b) if so, the action taken thereo ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (**Shri Morarji Desai**):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise

मध्य प्रदेश में पीने का पानी

2513. **श्री नितिराज सिंह चौधरी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल सप्लाई तथा स्वच्छता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये मध्य प्रदेश को 1964 से 1967 तक की अवधि में कितनी धनराशि दी गई थी;

(ख) यह राशि किन-किन योजनाओं के लिये दी गई थी; और

(ग) कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति):

(क) 1966-67 तक जो कार्य प्रणाली अपनायी गई थी, उसके अनुसार समस्त 'स्वास्थ्य' योजनाओं के लिये जिनमें देहाती जलपूर्ति योजनाएँ भी सम्मिलित हैं, राज्यों को केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता एक मुश्त नियत की गई अथवा दी गई थी। अतः किसी खास केन्द्र सहाय्यित योजना के लिये किसी राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई यह बतलाना संभव नहीं है। सभी 'स्वास्थ्य' योजनाओं के लिये जिनमें देहाती जलपूर्ति योजनाएँ भी सम्मिलित हैं 1964 से 1967 तक की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार को जो धन दिया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	रुपये (लाखों में)
1964-65	136.06
1965-66	172.82
1966-67	60.92

जहाँ तक 'शहरी जलपूर्ति योजनाओं' का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश सरकार को 1964 से 1967 की अवधि में जो केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी गई थी उसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	रुपये (लाखों में)
1964-65	69.50
1965-66	125.50
1966-67	106.62

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता किसी योजना विशेष के लिये नहीं दी जाती है बल्कि वह तो राज्य सरकारों को एकमुश्त दी जाती है। ये योजनाएँ स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

2514. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 14 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 216 लाख एकड़ सिंचित भूमि में से कितनी भूमि मध्य प्रदेश में है; और

(ख) इस क्षेत्र में कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें हैं और प्रत्येक योजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) मध्य प्रदेश में 1967–68 के अन्त तक बृहत् तथा मध्यम परियोजनाओं से लगभग 9 लाख एकड़ की शक्यता उत्पन्न होने की संभावना है।

(ख) विवरण संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 306/68)**

उड़ीसा में बौडा सिंचाई परियोजना

2515. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में गंजम जिले में बौडा सिंचाई परियोजना धन की कमी के कारण काफी समय से अधूरी पड़ी हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की जा चुकी है; और

(ग) इसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) प्रश्न शायद बहुदा परियोजना चरण-1: के बारे में किया गया है। इस परियोजना पर कार्य चल रहा है। इसे 57 लाख रुपये की अनुमति लागत पर स्वीकार किया गया था। इस परियोजना की अध्यतन अनुमति लागत 159 लाख रुपये है। मार्च 1967 के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 60 लाख रुपये व्यय हुए थे और 1967–68 के दौरान लगभग 12 लाख पये व्यय होने की संभावना है।

(ग) परियोजना के चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2516. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of **Finance** the pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3277 on the 7th December, 1967 and state :

(a) the details of the losses shown by Messrs. Oriental Timber Trading Corporation to Government for the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(b) whether Government proposes to hold inquiry to ascertain that the losses shown were genuine and that the purpose behind was not to evade income-tax; and

(c) the causes of sustaining losses during the above period as stated by the Corporation?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The profit and losses returned by M/s Oriental Timber Trading Corporation for various years are as under :

Assessment year	Profit or loss	
1964-65	Rs.7,14,596	loss
1965-66	Rs.37,124	profits, subject to set-off of loss in earlier year.
1966-67	Rs.22,390	profit, subject to set-off of loss of 1964-65.
1967-68	Rs.3,36,048	loss

(b) The books of accounts are being examined to ascertain whether the losses claimed are genuine or not. This is done in the ordinary course of assessment in every case to ascertain that there is no tax evasion.

(c) The first assessment year of business for the assessee is 1964-65. The loss returned for this year has been arrived at after debiting Rs.10,82,000 for depreciation and development rebate.

M/s. Mckanzies Ltd.

2517. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 3277 on the 7th December, 1967 and state :

(a) the amounts of the income-tax assessed by Government on M/s Mackanzies Ltd. for years 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68;

(b) the amount of Income-tax which still remains to be realised ; and

(c) the action which Government propose to take to realise the arrears of Income-tax?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai):

(a) Regular assessments for all these years are pending. The tax payable by way of Advance Tax and Provisional Tax for assessment years 1963-64 to 1967-68 is as under :

Assessment year	Tax payable
	Rs.
1963-64	2,86,877
1964-65	2,54,893
1965-66	3,50,358
1966-67	3,50,359
1967-68	4,14,707

(b) Rs.31,489 in respect of provisional demand for assessment year 1965-66.

(c) This amount has been kept pending owing to certain rectifications.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2518. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3277 on the 7th December, 1967 and state :

(a) the number of paper manufacturing machines imported by M/s. Oriental Timber Trading Corporation ;

(b) the amount of foreign exchange made available by Government for this purpose ; and

(c) the date on which those machines were received in India and the nature of guarantee given for them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Deasi):

(a) One.

(b) The foreign exchange involved was about Rs.8,42,767.

(c) The machinery arrived in two parts in June, 1961 and again in August, 1961. It has been explained by the assessee that no guarantee of any type is involved in the transaction.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आय-कर दाता

2519. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आय-कर दाताओं के बारे में सूचना इस बीच में प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जी, हाँ। आवश्यक सूचना इकट्ठी कर ली गई है और आश्वासन की पूर्ति में एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 307/68**]

वाराणसी के कारखानों पर आय-कर की बकाया राशि

2520. **श्री जुगल मंडल :** क्या वित्त मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के कारखानों पर आय-कर की बकाया राशि के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 308/68**]

मेसर्स साहू जैन पर आय-कर की बकाया राशि

2521. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साहू-जैन पर आय-कर की बकाया राशि के सम्बन्ध में सूचना इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हाँ।

(ख) मैसर्स साहू जैन कम्पनी समूह से आयकर की बकाया की पूरी वसूली नहीं हुई है। किन्तु नवम्बर, 1967 तक, 2.66 लाख रुपये की रकम वसूल की गयी थी। 290 लाख रुपये की बकाया माँग अपील के फलस्वरूप नवम्बर, 1967 तक 38.03 लाख रुपये कम कर दी गयी।

माँग की 249.31 लाख रुपये की बकाया में से 33.27 लाख रुपये की वसूली सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित कर दी गई है। अपीलीय अधिकारियों के समक्ष चल रही कुछ कार्यवाहियों के कारण आयकर अधिकारी ने 136.67 लाख रुपये की और रकम की वसूली अभी रोक दी है।

जहाँ तक बकाया रकम का सवाल है प्रत्येक मामले के गुण दोष तथा परिस्थितियों के अनुसार सभी उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें दण्ड लगाना भी शामिल है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चलचित्र व्यवसाय के लोगों द्वारा आय-कर का अपवंचन

2522. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या वित्त मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन संगीत निर्देशकों तथा पार्श्व गायिकों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है, जिसकी आय पिछले पाँच वर्षों में पचास हजार रुपये से अधिक रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनसे आयकर की वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हाँ।

(ख) जहाँ कहीं आवश्यक होता है वसूली के लिए कानून की व्यवस्थाओं के मुताबिक सब कार्यवाही की जाती है।

स्थायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन

2523. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी हाँ।

(ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के बारे में 16 फरवरी, 1968 को संसद्-कार्य मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे विवरण-पत्र के परिशिष्ट-8 में ब्यौरे दे दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी समिति

2524. **श्री प्र० रं० ठाकुर;** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग ने अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति के कर्मचारियों को समिति और उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति और जानकारी के बिना ही नौकरी से निकालने के नोटिस हाल में जारी किये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) समिति के उन अस्थायी कर्मचारियों को, जिनके नामों का सुझाव अध्यक्ष ने दिया था, नौकरी समाप्त करने के नोटिस जारी कर दिए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष

2525. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष के लिये सरकारी तौर पर स्थान की व्यवस्था नहीं की गयी और उन्हें अपने काम के लिये होटल के एक कमरे में ठहरने के लिये निजी तौर पर व्यवस्था करनी पड़ी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) : इस समिति को अप्रैल, 1965 में 6 महीनों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान दिया गया था। अध्यक्ष के लिए रहने के स्थान के लिए न कोई माँग की गई थी और न ही आवश्यकता ही थी, क्योंकि वह पहले ही संसद् सदस्य था और उस कारण से उसके पास उपयुक्त स्थान था। यह स्थिति मई, 1967 तक रही जब कि संसद सदस्य न रहने के कारण अध्यक्ष को अपना रहने का मकान छोड़ना पड़ा था। उस समय समिति की बढ़ाई गई अवधि 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाली थी। उसके बाद अध्यक्ष को वेस्टर्न कोर्ट तथा विठ्ठलभाई पटेल हाउस में स्थान देने का प्रस्ताव किया गया था, पर वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अन्त में अध्यक्ष को यात्रा तथा दैनिक भत्ते के अतिरिक्त जेब खर्च के लिए 8,000 रुपए की कुल अदायगी का प्रस्ताव किया गया था। अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया था तथा उसे 4,000 रुपए की रकम दी जा चुकी है।

अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति

2526. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता निवारण संबंधी समिति के अध्यक्ष के लिये अपने विभिन्न कामों और दौरा कार्यक्रमों के बारे में मंत्री की पूर्व स्वीकृति/मंजूरी लेनी अपेक्षित थी ;

(ख) क्या वह समिति अंदमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करना चाहती थी परन्तु मंत्री महोदय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) वित्तीय नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार केवल हवाई यात्राओं के लिए विभाग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था।

(ख) और (ग) समिति के मंत्री की एक टिप्पणी में हवाई यात्रा के लिये मंजूरी मांगी गई थी। इस प्रकार की मंजूरी देना जन हित में नहीं था क्योंकि अडंमान तथा निकोबार द्वीपों में कोई अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं।

अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति

2527. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति कब नियुक्त की गई थी ;

(ख) समिति का सही-सही स्वरूप तथा दर्जा क्या है;

(ग) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं और क्या वे अपेक्षित जाँच कार्य के आकार के आधार पर निर्धारित किये गये थे;

(घ) क्या वही सुविधाएँ और कार्य तथा कार्यक्रमों सम्बन्धी स्वतंत्रता जो ऐसी अन्य समितियों को दी जाती हैं इस समिति को भी दी गई थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) यह समिति 27 अप्रैल, 1965 को नियुक्त की गई थी।

(ख) तथा (ग) उस संकल्प की एक प्रति जिसके अधीन समिति गठित की गई थी, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 309/68]**

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) जैसा इस प्रकार की समितियों के सम्बन्ध में होता है, काम का ढंग समिति के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त

2528. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को सूचना देने से लगातार इन्कार करने और सरकार के इस उत्तर के उनके ध्यान में इन्कार का कोई मामला नहीं आया है के सम्बन्ध में 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये उत्तर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा अपने विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनों के बार-बार प्रकट किये गये तथ्यों की तुलना में कहाँ तक ठीक है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) सरकार के ध्यान में इन्कार का कोई मामला नहीं आया है; परन्तु सूचना भेजने में कभी-कभी विलम्ब हुआ है।

(ख) इस विषय पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था और उन्होंने सूचना भेजने में सहयोग देना स्वीकार किया है। उन्होंने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किए जाने वाली प्रमुख बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता भी बताई, जिससे उपयोगी सूचना एकत्रित करने तथा भेजने मे सुविधा हो।

स्वर्णकारों को दी गई सहायता

2529. श्री स० मो० बनर्जी : श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'स्वर्ण नियंत्रण आदेश' के लागू होने के बाद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने स्वर्णकारों को ऋण तथा अनुदान के रूप में वर्ष-वार और राज्य-बार कितनी राशि दी हैं;

(ख) वर्ष 1968-69 में सरकार का विचार कितनी राशि वितरित करने का हैं; और

(ग) अब तक कितने प्रतिशत पीड़ित स्वर्णकारों के लिये रोजगार की व्यवस्था की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) साथ में एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों संघीय राज्य क्षेत्र सरकारों के स्वर्णकारों को ऋण देने तथा पुनर्वास सहायता योजना के लिये सहायक अनुदानों के लिये दी गयी पेशगी रकमें दिखाई गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 310/68**] राज्य सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथार्थ रूप में बाँटी गयी रकमों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिये ऋणों और सहायक अनुदानों के लिये 97.25 लाख रुपयों की बजट में व्यवस्था की गयी है।

(ग) राज्य सरकार/संघीय राज्य क्षेत्र सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पोचमपाद परियोजना

2530. श्री नारायण रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की पोचमपाद परियोजना के मूल नक्शों तथा डिजायनों के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने क्या आपत्तियाँ उठाई थीं;

(ख) इन आपत्तियों का किस स्तर पर विचार तथा निपटारा किया गया था; और

(ग) इन आपत्तियों पर अन्तिम निर्णय क्या और कब किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) नवम्बर, 1959 में बम्बई की सरकार ने, जोकि अब महाराष्ट्र सरकार है, योजना आयोग को लिखा था और उनसे प्रार्थना की थी कि वे पोचमपाद पर सम्भावी परियोजना के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार को तब तक कोई वचन न दें जब तक कि बम्बई सरकार को इस बात पर विचार करने के लिये कोई पुरा अवसर नहीं दिया जाता कि उससे उनके अपने हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बम्बई सरकार ने निम्नलिखित रूप से कहा था:—

(1) किसी बड़ी परियोजना को हाथ में लेने से पूर्व जल उपलब्धता को पूर्ण रूप से आँक लिया जाए; और

(2) चूंकि पोचमपाद का वाह्यक्षेत्र अधिकतर बम्बई राज्य में ही है, इसलिये पोचमपाद से, जिसमें नदी प्रवाह के एक बड़े भाग को प्रयोग में लाना परिकल्पित है, महाराष्ट्र सरकार द्वारापरिकल्पित तृतीय पंच वर्षीय योजना में शामिल परियोजनाओं को और

दूसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल मुला और पुर्णा परियोजनाओं पर कुप्रभाव पड़ेगा।

2. इस मामले पर आन्ध्र प्रदेश और बम्बई की सरकारों के बीच दिसम्बर, 1959 और जनवरी, 1960 में विचार-विमर्श हुआ था और यह फैसला किया गया था कि गोदावरी नदी के जल-विज्ञान सम्बन्धी संयुक्त अध्ययन किए जायें। बम्बई के जन-कार्य विभाग के मंत्री तथा आन्ध्र प्रदेश के सिंचाई व बिजली मंत्री के बीच 7 अप्रैल, 1960 को एक और बैठक हुई थी पर राज्य सरकारें किसी भी फैसले पर न पहुँच सकीं।

3. सितम्बर, 1960 में यह फैसला किया गय था कि पोचमपाद के लिये जल की उपलब्यता के प्रश्न की सिंचाई व बिजली मंत्रालय के सलाहकारों के एक दल को निर्दिष्ट किया जाए। इसके शीघ्र ही पश्चात्, कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के विभाजन पर विचार करने के लिये 26 और 27 सितम्बर, 1960 को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया पर बिना किसी समझौते पर पहुँचे यह खत्म हो गया। बाद में हुई बातों को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों को यह कहा गया कि वे पोचमपाद परियोजना सम्बन्धी जाँच बन्द कर दें।

4. इन दो नदियों में पानी की उपलब्धता की जाँच के सम्बन्ध में मई, 1961 में कृष्णा-गोदावरी आयोग स्थापित किया गया था। इस आयोग द्वारा किए गये अध्ययनों के आधार पर सिंचाई व बिजली मंत्री ने मार्च, 1963 में लोक सभा में एक विवरण रखा था। इस विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि आन्ध्र प्रदेश सरकार भी, "यदि आवश्यक हो, बाद में संचय धारिता को बढ़ाने के प्रबन्ध के साथ 66 अरब घन फुट को प्रयोग में लाने के लिये संचय परियोजना के रूप में संशोधित गोदावरी पर पोचमपाद परियोजना को आरम्भ कर सकते हैं"। अतः अगस्त, 1964 में पोचमपाद परियोजना को 66 अरब घन फुट के प्रयोग के लिये स्वीकार कर लिया गया।

संश्लिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद

2531. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संश्लिष्ट औषध कारखाना हैदराबाद में कुछ रूसी व्यक्ति भी काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है, वे क्या तथा कितनी अवधि से काम कर रहे हैं और उनके मासिक वेतन क्या हैं;

(ग) इस समय विभिन्न वर्गों में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस फैक्ट्री में आँध्र प्रदेश राज्य के कुल कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया)

(क) जी हाँ।

(ख) इस समय संश्लिष्ट औषध परियोजना में 29 रूसी विशेषज्ञ अर्थात् चीफ टैक्नोलोजिस्ट, चीफ मकैनिकल इंजीनियर, सीनियर टैक्नोलोजिस्ट, सीनियर इंस्ट्रूमेन्टेशन इंजीयिनर सीनियर मकैनिकल इंजीनियर, इंजीनियर्स, टैक्नोलोजिस्ट्स तथा फोरमैन और 4 दुभाषिये काम कर रहे हैं। उनका मासिक वेतन 349 से 638 रूबल तक है और उनकी नौकरी की अवधि 6 से 25 महीनों तक है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1967 को कर्मचारियों के तमाम वर्गों की संख्या 2412 थी।

(घ) 94 प्रतिशत कर्मचारी आँध्र प्रदेश से हैं।

संश्लिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद

2532. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संश्लिष्ट औषधि कारखाना हैदराबाद में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) क्या औषधियों के निर्माण में यह कारखाना अपनी पूरी निर्धारित क्षमता का उपयोग कर सकता है ;

(ग) इस समय इस कारखाने में कौन-कौन सी विभिन्न औषधियाँ तैयार की जाती हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों में वर्ष-वार उसे कितना लाभ तथा हानि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) ब्याज और चालन व्यय को शामिल करते हुए अब तक लगाई गई पूंजी 2215 लाख पये है।

(ख) यह उत्तरोत्तर चालू की जा रही है और यह आशा है कि इसकी सम्पूर्ण क्षमता कुछ दवाइयाँ को छोड़ कर इस्तेमाल की जायेगी।

(ग) फेनासटीन, सल्फानिलैमाइड और सल्फाग्वानिडीन का व्यापारिक उत्पादन हो रहा है। सल्फाडामिडीन सीडियम सल्फाएसिल, एंन्लजिन और ऐमाइडोपयराइन का भी परीक्षण उत्पादन हो रहा है। विटामिन बी०, बी 2 और फोलिक एसिड के विभिन्न मध्यवर्ती पदार्थों को तैयार किया जा रहा है और अन्तिम उत्पाद शीघ्र ही उपलब्ध होंगे।

(घ) पिछले दो सालों में यूनिट के लाभ और हानि लेखा के आंकड़ों का एक विवरण पत्र संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 311/68] कारखाने ने अभी व्यापारिक उत्पादन शुरू किया है।

Major Irrigation Schemes in Rajasthan

2533. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Major Irrigation Schemes in Rajasthan which are being administered or assisted by the Central Government at present ; and

(b) the names of irrigation Schemes for which assistance is likely to be given in future ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) : The following major irrigation projects in Rajasthan are receiving 100 % ear-marked loan assistance from the Government of India :

1. Rajasthan Canal.
2. Beas.
3. Chambal.

Gurgaon Canal Project will also receive ear-marked Central assistance from 1967-68 onwards.

(b) Mahi-Banswara Project.

Drinking Water Schemes of Rajasthan

2534. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Health, Family Planning** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the schemes formulated by Government for drinking water and tubewells in the drought-affected areas of Rajasthan ;

(b) the amount sanctioned for the implementation of these schemes ; and

(c) when these schemes are likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Developement

(a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Irrigation in Drought-Affected Areas of Rajasthan

2535. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the schemes formulated by Government for irrigation in the drought-affected areas of Rajasthan ;

(b) the amounts sanctioned for the implementation of these schemes ; and

(c) when these schemes are likely to be implemented ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) to (c) : 35 major and medium irrigation schemes, estimated to cost Rs. 223 crores, are under execution in Rajasthan. The total expenditure on these projects upto the end of March, 1967 was Rs. 133 crores. These projects on completion will benefit an area of 33 lakh acres. The potential created by these projects upto the end of March, 1967 was about 16 lakh acres, of which the utilisation was about 12 lakh acres. These projects are likely to be substantially completed during the Fourth Plan .

As regards mainor irrigation schemes, expenditure incurred by the Government of Rajasthan during 1965-66 and 1966-67 was about Rs.8 crores. The outlay approved for 1967-68 is Rs. 2.87 crores. The Rajasthan Government have also undertakn a scheme of drilling 250 tubewells in the scarcity areas. Of these, about 196 tubewells have been successfully drilled so far.

Flood Control Schemes for Maharashtra

2536. **Shri Devrao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any amount has been allocated for flood control, water drainage and for checking water logging in Maharashtra during 1967-68;

(b) whether any long-term schemes have been drawn up and approved by the Central Government for complete control of floods in Panganga river; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) An amount of Rs.2 lakhs has been allocated as Central loan assistance to Maharashtra during 1967-68 or financing approved flood control schemes, including drainage and anti-waterlogging schemes.

(b) and (c) No long-term scheme for the control of floods in Panganga river has so far been received from the Government of Maharashtra.

लुधियाना की फर्मों द्वारा सेना को ऊनी कपड़ों की सप्लाई

2537. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना के हौजरी तथा ऊनी कपड़ों के निर्माताओं ने, जिन्होंने चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के समय 1962–63 में सेना को 12 करोड़ रुपए के मूल्य के ऊनी कपड़े सप्लाई किए थे, उनके बिलों का अभी तक भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि का भुगतान किया जाना अभी बाकी है और इसका भुगतान कब किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निकट भविष्य में हौजरी के बड़े-बड़े संयंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

Import of Soyabean Oil From U .S. A

2538. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. S. Government have requested that the price of Soyabean oil imported from U. S. A. be paid in U. S. dollars ;

(b) whether it is also as fact that Government has expressed its inability to do so; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Moraji Desai) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) : Does not arise.

उर्वरकों का आयात

2539. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री एस्थोस :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नायनार :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व उर्वरक बाजार में हाल में जो होड़ चली है उसका पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये क्या सरकार उर्वरकों की खरीद के सम्बन्ध में दीर्घकालीन करार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वे करार कब तक अन्तिम रूप से किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या ये करार उर्वरक उत्पादकों के साथ सीधी बातचीत करके किए जायेंगे अथवा सार्वभौमिक टेन्डर मंगा कर?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) पूर्तिकर्त्ताओं से बातचीत चल रही है।

(ग) इन ठेकों को बातचीत के आधार पर तय करने का विचार है।

सरकारी क्षेत्र में गतिरोध

2540. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्री अशोक मेहता द्वारा "इंजीनियरिंग टाइम्स" के सम्पादक को हाल ही में व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत हैं कि मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप सरकारी क्षेत्र में गतिरोध का एक कारण है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : इस पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार श्री अशोक मेहता ने यह विचार व्यक्त किए थे कि सरकारी उद्यमों की मुख्य कठिनाई अच्छे प्रबन्धकों का न होना है। उन्होंने, अलग से यह कहा था कि मंत्रियों और संसद् सदस्यों में निगमों के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने उन कारणों को दूर करने के लिये जो सरकारी उद्यमों के कुशलता-पूर्वक कार्य करने में बाधक होते हैं, बहुत-सी सिफारिशें की हैं और इन पर सरकार विचार कर रही है।

Night Shelters in Delhi

2541. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sanitation and lighting arrangements in the night shelters in Delhi are not satisfactory and the people do not like to sleep there during night ;

(b) if so, the action Government propose to take in this connection ; and

(c) whether some rent is also charged from the persons who stay in these night shelters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No. There are adequate arrangements for sanitation and lighting in the night shelters.

(b) Does not arise..

(c) The persons who stay in the 14 night shelters run by the Municipal Corporation of Delhi, and 3 night shelters, which are run by the Social Workers Council Lions Club and Missionaries of Charity respectively do not pay any charges. A charge of 10 paise per night is, however, made in the case of 4 shelters run by the Bharat Sewak Samaj, for meeting the expenditure on the maitenance of those shelters.

Dissemination of Education Among Tribals

2542. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government give any financial assistance to the State Governments for the dissemination of education among the tribals ;

(b) if so, the amount given to the various States annually ; and

(c) the prcentage of literate among the tribals ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr.(Smt.)Phulrenu Guha) :

(a) Yes, Sir.

(b) An amount of Rs.658.17 lakhs was made available for educational programmes in the States during the year 1966-67.

(c) 8.54 per cent.

कोयना भूकम्प

2543. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए कोयना भूकम्प के बारे में भारत के एक प्रमुख भूतत्ववेत्ता ने यह विश्वास प्रकट किया था कि बाँध में भारी मात्रा में एकत्र किये गये जल के कारण भूकम्प हो सकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस सिद्धान्त की जाँच करने तथा भारत में अन्य क्षेत्रों को, जहाँ बाँधों के निर्माण के कारण इससे भी अधिक मात्रा में पानी एकत्र किया गया है, सुरक्षा करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जैसा कि समाचार पत्रों में रिपोर्ट दी गई है एवं भू-वैज्ञानिक ने यह सम्भावना प्रकट की है कि 11 दिसम्बर, 1967 को कोयना में आए भूकम्प का कारण कोयना बाँध में भारी मात्रा में पानी का एकत्रण हो सकता है किन्तु भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अपना फैसला दिया है कि कोयना जलाशय इस भूकम्प का कारण नहीं और कि इसका कारण विवर्तनिक है जो कि बपालटी तह के नीचे की आधारभूत चट्टान के सम्भावी भ्रंश का परिणाम है।

प्रधान मंत्री द्वारा सम्पत्ति कर का भुगतान

2544. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री शारदा नन्द :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा सम्पत्ति कर के भुगतान के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) लगाये गये आरोप नीचे दिये जाते हैं :—

(i) धन-कर निर्धारणों के लिए पिछले कई वर्षों से "आनन्द भवन" के मूल्य का निम्न-निर्धारण किया जा रहा है ।

(ii) प्राप्य स्वत्वाधिकार का धन-कर निर्धारण के लिए सही अनुमान नहीं लगाया गया है ।

उपर्युक्त (i) में लगाया गया आरोप निराधार पाया गया है। उपर्युक्त (ii) के सम्बन्ध में, स्वत्वाधिकारों के मूल्य का निर्धारण करने में ग्रस्त कानूनी मसलों पर विधि मंत्रालय के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2545. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया : श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या इस पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में जो कई सिफारिशें की हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है ।

बराक नदी बहुप्रयोजनीय परियोजना

2546 **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बराक नदी बहुप्रयोजनीय परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर असम सरकार विचार कर रही है । सिंचाई व बिजली मंत्रालय के सलाहकारों के विचार, जिनके पास परियोजना रिपोर्ट भेजी गई थी, प्राप्त हो चुके हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

राज्य द्वारा परियोजना के चलाये जाने, योजना आयोग द्वारा इसको स्वीकार करने, योजना में इसको शामिल करने और राज्यों की वार्षिक योजनाओं में निर्धारित आवश्यक धन का प्रबन्ध करने के बाद ही इस पर कार्य आरम्भ किया जा सकता है ।

विदेशों में लगी भारतीय पूंजी

2547. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में लगी भारतीय पूंजी पर औसत लाभ दर भारत की तुलना में अधिक है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक देश में जहाँ भारतीय पूंजी लगी हुई है यह दर कितनी अधिक है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : इस सम्बन्ध में लोक-सभा के 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5329 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। अधिकतर प्रायोजनाएं हाल में ही मंजूर की गयी हैं और वे क्रियान्वित किये जाने के विभिन्न दौरों में हैं। चूंकि ये प्रायोजनाएँ अभी ऐसे दौर में नहीं पहुँची हैं कि लाभ अर्जित कर सकें, इसलिए विदेशों में लगी भारतीय पूंजी से अर्जित लाभ की दरों की उसी तरह के क्षेत्रों में भारत में लगायी गई पूंजी से प्राप्त होने वाले लाभ की दरों से तुलना करने के लिए आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कोयना नगर में भूकम्प

2548. **श्री अंबचेजियान :** **श्री राम भद्रन :**
श्री दीवीकन : **श्री मायावन :**
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को का चार सदस्यों का एक शिष्ट मंडल कोयना नगर में दिसम्बर, 1967 में आये भूकम्प के प्रभावों का अध्ययन करने तथा सुरक्षा के उपायों का सुझाव देने के लिए जनवरी, 1968 में भारत आया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत ने यूनेस्को से ऐसा शिष्ट मंडल भेजने के लिए प्रार्थना की थी ;

(ग) क्या उन्होंने अध्ययन पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी मख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) आशा है कि विशेषज्ञ समिति जिसमें यूनेस्को के विशेषज्ञ भी शामिल हैं अपनी रिपोर्ट जून, 1968 तक प्रस्तुत कर देगी। बहरहाल, इस समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है

(घ) इस प्रारंभिक रिपोर्ट में दिये गए सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(1) पश्चिमी भारत के कुछ भागों की हवाई फोटोग्राफी और तलरेखीय तथा भू-पृष्ठीय अध्ययनों के लिए प्रथम श्रेणी का बार-बार त्रिभुजीय तथा लेवल सर्वेक्षण किया जाए

(2) लावा के प्रवाह के भू-विज्ञान सम्बन्धी नक्शे बनाए जाएं और पश्चिमी तट के साथ साथ के गर्म चश्मों की शृंखला के ताप और प्रवाह का आवधिक अध्ययन किया जाए।

(3) भूकम्प विषयक वक्रीभाव के अध्ययन को जारी रखा जाए और ये अध्ययन पश्चिमी तट से लेकर दक्कन क्षेत्र के पूर्वी किनारे तक की भूमि के सम्बन्ध में भी किये जाएँ।

(4) जापान में किये जा रहे अध्ययनों के आधार पर भू-चुम्बकीय अध्ययन किये जाएं।

(5) भूतकाल में आए भूकम्पों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक आँकड़े एकत्रित किये जाएँ।

(6) ज्वार की परिमाणी मात्रा का निरीक्षण किया जाए।

(7) अतिरिक्त झुकाव मीटर और अत्यधिक शक्तिशाली भूकम्प-लेखी संयंत्र लगाए जाएँ।

(8) जापान में टोकियो की औद्योगिक विज्ञानशाला में प्रारूप अध्ययन किये जाएँ।

(9) पूना में स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्थल पर किये जा रहे आभियन्त्रिक अध्ययन को जारी रखा जाए और तेज कर दिया जाय।

(10) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ग्रौटिंग और ऐंकरिंग के कार्य में जो कुशल इंजीनियर हैं, उनसे बाँध की मरम्मतों के बारे में सलाह ली जाए। इस उद्देश्य के लिए यूनेस्को के जरिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की जा रही हैं।

दिल्ली में आबकारी अधिकारियों का मुअत्तिल किया जाना

2549. **श्री गाडिलिंगन गौड़ : श्री जे० मुहम्मद इमाम**

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में नये वर्ष की पूर्व संध्या की घटनाओं के सम्बन्ध में कर्त्तव्य के प्रति अवहेलना करने के कारण कई आबकारी अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सम्बन्धित अधिकारियों को दंड देने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण-विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) जी, हाँ।

(ख) दो निरीक्षकों तथा तीन उत्पादन-शुल्क कांस्टबलों को निलम्बित कर किया गया है तथा नियमों के अधीन उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

एग्रीकल्चरल एसोसियेशन लिमिटेड को अमरीकी ऋण

2550. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजों के उत्पादन के लिए पी० एल०–480 निधियों में अमरीका द्वारा एग्रीकल्चरल एसोसिएशन लिमिटेड को कितनी राशि का ऋण दिया गया तथा किस तिथि को ;

(ख) क्या सरकार ने उस ऋण की राशि की गारंटी दी है और यदि हाँ, तो किन कारणों से प्रेरित होकर ;

(ग) अमरीका द्वारा जिन अन्य भारतीय फर्मों या व्यक्तियों को पी० एल०–480 निधियों से ऐसे ऋण दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या भारतीय फर्मों को ऐसे ऋण दिये जाने से पहले अमरीका को भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू० एस० ए० आई० डी०) ने नयी दिल्ली की एग्रीकल्चरल एसोसियेशन लिमिटेड के लिए 27 दिसम्बर, 1967 को पी०एल०-480 कूले संशोधन निधि में से 28 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बीजों के उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पी० एल०-480 निधि से किसी और फर्म या व्यक्ति को ऋण नहीं दिया गया है।

(घ) जी हां।

विषाक्त भोजन के मामले

2551. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में देश के विभिन्न भागों से विषाक्त भोजन के बहुत से मामलों के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जाँच करवाई गई है कि किये मामले खाद्य पदार्थों में विभिन्न स्तरों पर की गई मिलावट के कारण हुए हैं और यदि हां तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो क्या सरकार का विचार इन मामलों की जाँच कराने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं। मैसूर राज्य के अन्तर्गत भाण्डया जिले के मड्डूर तालुक में मल्लानेकन्हाल्लि गांव के एक होटल से 22-8-1967 को विषाक्त भोजन के केवल एक मामले का समाचार मिला था जिसमें 22 व्यक्ति प्रभावित हुए थे और उनमें 16 की मृत्यु हो गयी थी।

(ख) और (ग) मैसूर सरकार ने इस मामले की जाँच की थी और खाद्य पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण तथा शवों की आँतों आदि की जाँच करने पर यह पाया गया कि चावलों के पीठे तथा दोसा बनाने में इस्तेमाल किये गये तेल में नाइट्रोफैनोल व्युत्पन्न कोई चीज थी जो सम्भवतः एक ऐसा कीटनाशक हो सकता है जिसमें आर्गेनोफास्फोरस कम्पाउण्ड रहा हो। यह घटना पूर्णतः आकस्मिक ही पायी गई, खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण नहीं।

शोधित स्प्रिट

2552. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक गैलन शोधित स्प्रिट तैयार करने में कितना खर्च आता है ;

(ख) भारतीय मानक संस्थान की एल्कोहलिक ड्रिन्क्स सेक्शनल कमेटी ने जिस पदार्थ को "सेकरिन मेटीरियल्स" का नाम दिया है, उसमें क्या-क्या मिला हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी उत्पादन लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज–कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) 211.00 रुपये प्रति लिटर मद्यशाला पर; जैसा कि अक्तूबर, 1965 में अल्कोहल के अधिकतम मूल्यों के पुनरीक्षण पर टैरिफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में परिकलित किया है।

(ख) भारतीय मानक संस्थान की "एल्कोहलिक ड्रिन्क्स सेक्शनल्" समिति ने, जो कि बड़े-बड़े निर्माण-कर्त्ताओं, प्रोद्योग-विज्ञों और बड़े-बड़े खरीदारों की एक विशेषज्ञ समिति है, हाल में ही अपने दो मानकों में, सेकरीन वस्तुओं का, भिन्न-भिन्न प्रकार की व्हिस्कियों और ब्राण्डियों के लिए, निदेश किया है। इसने सेकरीन वस्तुओं के मसालों का निर्धारण नहीं किया है।

(ग) सेकरीन वस्तुएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं जिनके निर्माण व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है।

Illuminations of Government Buildings on Eve of Republic Day

2553. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contract worth Rs.22 lakhs for the entire illuminations only at buildings on the eve of this year's Republic Day was awarded to one individual only ;

(b) whether Government had invited tenders therefore; and

(c) if not, the reasons therefor and the propriety of giving contract to one individual only ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) No. (The total expenditure incurred on the entire illuminations was Rs. 1,36,787 only).

(b) Yes. Work was allotted to four different contractors after calling for tenders.

(c) Does not arise.

सरकार द्वारा कृषकों को ऋण

2554. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले ऋण ही कम हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिलवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) यह ठीक है कि अब तक सहकारी संस्थाएँ ही कृषि-क्षेत्र की ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक अभिकरणों के रूप में काम करती रही हैं और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों ने अपेक्षाकृत कम भाग लिया है।

(ख) हाल में वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि-क्षेत्र में अधिक पूंजी लगाने का निश्चय किया है। रिजर्व बैंक ने भी उसके द्वारा उत्पादन, विपणन और विकास के लिए कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। 29 जनवरी, 1968 को रिजर्व बैंक ने यह घोषणा भी की थी कि वाणिज्यिक बैंक कृषि के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं (रासायनिक खाद और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं) के वित्त

प्रबन्ध के लिए जो अग्रिम देते हैं उनमें वे, एक आधारभूत अवधि की अपेक्षा जो वृद्धि करेंगे उसके लिए वह उन्हें $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की रियायती दर से पुनर्वित्त देगा।

गणतंत्र-दिवस के अवसर पर संसद्-भवन में की गई रोशनी पर खर्च

2555. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण**, **आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गणतंत्र-दिवस के अवसर पर संसद्-भवन में सजावट तथा रोशनी पर कितना खर्च आया था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): 12,716.40 रुपये।

Assistance to calamities affected States :

2556. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government propose to start centrally administered schemes in States like Uttar Pradesh and Bihar to provide relief to them for natural calamities like floods and water-logging etc; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) There is no such proposal.

(b) Planning and execution of flood control, drainage and anti-waterlogging schemes are the responsiblity of State Governments. The Central Government, however, gives loan assistance for the implementation of approved schemes and also provides technical assistance as and when necessary at the request of the State Governments.

शीरे का उत्पादन

2557. **श्री जार्ज फरनेन्डीज: क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में देश में कितनी मात्रा में शीरे का उत्पादन पैदा किया गया ; और

(ख) उक्त शीरे की कितनी मात्रा का अल्कोहल के उत्पादन में उपयोग किया गया और शेष मात्रा को किस काम में लाया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :--

वर्ष (मौसम पर आधार--दिसम्बर--नवम्बर)	मात्रा (लाख मीटरी टन)
1962-63	7.49
1963-64	9.64
1964-65	13.44
1965-66	15.30
1966-67	8.38
कुल :	54.25

(ख) अल्कोहल के उत्पादन आँकड़ों को आधार मानते हुए शीरे की निम्नलिखित मात्राओं का प्रयोग हुआ :

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन)
1963	5.2
1964	7.2
1965	8.3
1966	8.6
1967	6.0
कुल :	35.3

शीरा अन्य विविध कामों अर्थात् चारा-दाना, ढलाई-खाना, तम्बाकू बनाने आदि में भी प्रयोग किया जाता है किन्तु इन कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली इसकी सही मात्राओं का पता नहीं है ।

शीरे का उपयोग

2558. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में भारत में कितनी शराब का उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी शराब का आयात किया गया तथा वह कितने मूल्य की थी ; और

(ग) भारत में शीरे का पूर्णत: उपयोग करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

अल्कोहल का उत्पादन (मिलियन गैलन में)

1963	1964	1965	1966	1967
25.59	36.00	41.5	43.0	30.00

(ख) पौलिसी के तौर पर, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए असामान्य परिस्थितियों के सिवाय अल्कोहल के आयात की अनुमति नहीं दी जाती। 1963-66 वर्षों के दौरान, अलकोहल की बहुत मामूली सी मात्राएँ आयात की गईं। वर्ष 1967 के दौरान खराब खांड-मौसम के कारण देश में हुई नितान्त कमी को पूरा करने के लिए लगभग 386 लाख रुपयों के मूल्य के 11.3 मिलियन गैलन ईथाइल अल्कोहल (इंडस्ट्रीयल ग्रेड) का आयात किया गया ।

(ग) शीरा खांड उद्योग का उपोत्पाद है । खांड के उत्पादन में कमी हो जाने पर शीरे की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप देश में मद्यशालाओं की काफी क्षमता खाली

रही। कई राज्यों में लागू सेन्ट्रल मोलैसिज कन्ट्रोल आर्डर, 1961 और दूसरे राज्यों में लागू मोलैसिज कन्ट्रोल ऐक्ट्स के अन्तर्गत शीरों के उत्पादन, वितरण और मूल्यों का नियन्त्रण किया जाता है। राज्य सरकारों के परामर्श से शीरों के वितरण के लिए कई अग्रताएँ निर्धारित की गई हैं। शीरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लगाया गया है। अल्कोहल उद्योग के लिए लाइसेन्स की अब जरूरत नहीं है और राज्य सरकारें शीरों के भली भांति तथा पूर्ण उपयोग के लिए मद्यशालों की स्थापना की, जब कभी भी जरूरत हो, अनुमति दे सकती है।

कुछ राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

2559. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में योजना और गैर-योजना परियोजनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा महाराष्ट्र को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राज्यों को कितनी धनराशि दी गई थी ; और

(ग) राज्यवार यह राशि क्रमशः कितने प्रतिशत बैठती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

तेल के निर्यात से आय

2560. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 1965–66, 1966–67 तथा 1967–68 के लिए तेल के निर्यात से कोई विदेशी मुद्रा कमाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ।

(ख)

	मात्रा (000 मीटरी टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1965	344.7	391.64
1966	729.7	875.63
1967	1027.1	1404.40

दिल्ली में विदेशी शराब की बिक्री

2561. **श्री रामचरण** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है, जो कनाट प्लेस के 8 शराब विक्रेताओं द्वारा, जिन पर नववर्ष

की पूर्व-संध्या को नियमों का उल्लंघन करके विदेशी शराब बेचने का आरोप लगाया गया है प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण की जाँच करेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति की उपपत्तियाँ क्या हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जाँच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 312/68] चूककर्ता लाइसेंसधारियों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ।

नई दिल्ली नगरपालिका

2562. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने कुछ अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये अधिकारी गत 15 वर्षों से नई दिल्ली नगरपालिका में काम कर रहे थे ;

(ग) यदि हाँ तो उनकी सेवाएँ समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जाँच कराएगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप अथवा पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत एक महीने का नोटिस देकर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। नगरपालिका दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर ऐसी कार्यवाही इस सम्बन्ध में बने कानून और नियमों के अनुसार करती है ।

(ख) और (ग) यदि कोई विशेष मामले ध्यान में लाये जायें तो सूचना एकत्र की जा सकती है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पोलिटेक्निक का फार्मेसी का डिप्लोमा

2593. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फार्मेसी परिषद् द्वारा दिल्ली पोलिटेक्निक के फार्मेसी के डिप्लोमे की मान्यता के सम्बन्ध में बताई गई कमियाँ दूर की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस डिप्लोमे को कब तक मान्यता दी जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय फार्मेसी परिषद् की अगली बैठक में इस विषय पर विचार किया जायेगा।

हल्दिया क्षेत्र का विकास

2564. **श्री देवेन सेन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए धन नियत किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) इस समय प्रस्तावित योजना किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) हल्दिया क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने का काम एक केन्द्र पुरस्कृत योजना के रूप में शुरू कर दिया गया है जिसके लिए केन्द्र द्वारा राज्य को निर्धारित सीमा तक शत प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) विभिन्न केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष जितना धन दिया जाता है उसमें से राज्य सरकार किसी विशेष परियोजना पर जितनी चाहे उतनी रकम खर्च कर सकती है। इस कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1966-67 और 1967-68 में कुल क्रमशः 5.25 लाख रुपये तथा 8 लाख रुपये नियत किये गये हैं।

(ग) जमीन के उपयोग, फसलों की किस्म तथा रोजगार की स्थिति आदि के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। प्रस्तावित हल्दिया नगर क्षेत्र के फील्ड ग्राफिक्स और मास्टर मैप तैयार किय जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा

2565. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये चौथी योजना में कितनी राशि नियत की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

चौथी योजना अब तक नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में 1966-67 में अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियाँ देने पर 6.94 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ

2566. **श्री गं० च० दीक्षित:** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की आदिम जातीय संस्थाओं के विकास के लिये तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये चौथी योजना अवधि में कितनी राशि विशेष अनुदान देने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

चौथी योजना को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा योजना के लिए 1966–67 तथा 1967-68 में निम्नलिखित विनिधान किए गए हैं:--

(रुपये लाख की राशियों में)

	1966–67	1967–68
राज्य क्षेत्र	43.04	56.93 (अस्थायी)
केन्द्रीय क्षेत्र	10.68	9.91 (अस्थायी)
जोड़	53.72	66.84

उर्वरक कारखाना

2567. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विदेशी फर्म ने परिवहन पर होने वाले व्यय को बचाने के लिये उर्वरकों के लिये मूल उत्पादों का एक स्थान पर और बचे हुए माल के उत्पादों का किसी अन्य स्थान पर उत्पादन करने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या प्रस्ताव की छानबीन की गई; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिमी जर्मनी से सहायता

2568. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री अंब्रेचेजियान :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी सरकार ने सुचित किया है कि वह 1968-69 में 1967-68 के समान भारत को पूंजी सहायता नहीं दे सकेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार को पश्चिमी जर्मनी को ऋण के वापिस भुगतान तथा ब्याज के भुगतान के रूप में जर्मनी के ऋण का 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान करना है; और

(घ) यदि हाँ, तो भारत को ऋण की तथा ब्याज में कितनी राशि देनी है कितनी किस्तों में ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं पर विभिन्न देशों द्वारा भारत सहायता संघ की बैठकों में विचार किया जाता है। चूंकि जर्मनी, भारत सहायता संघ का सदस्य है इसलिए अनुमान है कि वह हमेशा की तरह सहायता संघ की बैठक में, दूसरे सदस्यों के साथ, सहायता के सम्बन्ध में अपने वचन की घोषणा करेगा चूंकि इस काम के लिए संघ की बैठक अभी होनी है, इसलिए जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार द्वारा 1968-69 में दी जाने वाली सहायता के परिमाण के बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) जर्मन संघीय गणराज्य से पहले के वर्षों में लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में 1968-69 में मूलधन के रूप में 20.72 रुपये की वापसी और व्याज के रूप में 17.85 रुपये की अदायगी की जानी है। ऋणों की शर्तें समय-समय पर बदलती रही हैं। आम तौर से, मूल रकम की वापसी और व्याज को अदायगी दोनों ही, छमाही किस्तों में की जाती हैं। लेकिन अदायगी की वास्तविक तारीखें अलग-अलग ऋणों के लिए अलग-अलग होती हैं।

भारत और बुलगारिया के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग

2569. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक तकनीकी सहयोग के लिए बुलगारिया और भारत के बीच हाल में एक करार हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बुलगारिया ने केरल में कुछ उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया है और यदि हाँ, तो ऐसे उद्योग कौन-कौन से हैं।

उप-प्रधान मंत्री तथा वितमंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) और (ख) जनवादी बुल्गारिया गणतंत्र की सरकार के साथ, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में 11.25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए 2 मई, 1967 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस ऋण से बुल्गारिया से मंगाये जाने वाले उपकरणों और मशीनों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 85 प्रतिशत भाग की वित्त-व्यवस्था की जायगी और इस पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। यह ऋण बराबर-बराबर की 11 वार्षिक किस्तों में चुकाया जायगा और पहली किस्त संयंत्र चालू करने के लिये आवश्यक उपकरणों के अन्तिम लदान की तारीख के एक वर्ष बाद देय होगी। ब्याज की अदायगी और मूलधन की वापसी से प्राप्त रकम से भारतीय माल खरीदा जायगा ऋण करार की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है।

(ग) केरल में बुल्गारिया की सहायता से उद्योग शुरू करने के बारे में केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

Rock Phosphate Deposits in Rajasthan

2570. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large deposits of rock phosphate have been discovered in Rajasthan and Uttar Pradesh and if so, the steps taken for their exploitation ;

(b) whether any project has been prepared to set up factories for manufacturing chemical fertilizers and phosphorus near the aforesaid mines and if so, the outline thereof; and

(c) whether it is also a fact that the present requirements of rock phosphate are met through imports and if the aforesaid mines are exploited the imports would not be necessary in that case ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) Rock phosphate deposits have been located in extensive areas in Rajasthan and Uttar Pradesh. These are still under investigation and firm estimates of quality and quantity would be known only after the investigations are completed. Thereafter only can steps be taken up for their exploitation and for formulating proposals for their utilisation.

(b) Does not arise.

(c) The entire requirements of rock phosphate are at present met from imports. It is premature to predicit that the imports would not be necessary, if and when the aforesaid mines are exploited.

Disposal of Waste Paper

2571. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements exist in Central Government offices for burning the waste paper ; and

(b) if so, the arangements made by Government for checking the waste papers before they are burnt ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Cancellation of Licences of Liquor Shops in Delhi

2572. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to cancel the licences of six liquor shops of Connaught place, New Delhi ;

(b) whether it is a fact that said dealers violated the rules of Excise Department ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) They were suspected to have served liquor in the hotels and restaurants owned by the licensees.

मद्रास में तापीय बिजली घर द्वारा पैदा की गई बिजली की लागत

2573. **श्री सम्बन्धन** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली के तापीय बिजली घरों में बिजली की उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) मद्रास राज्य में अन्य तापीय बिजली घैरों में बिजली की उत्पादन लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) सूचना मिली है कि नेवेली ताप केन्द्र में बिजली उत्पादन की लागत वर्तमान 400 मैगावाट की अवस्था में 8.73 पैसे प्रति यूनिट है।

(ख) मद्रास में चल रहे अन्य ताप बिजली केन्द्रों पर बिजली उत्पादन की लागत निम्नलिखित सूचित की गयी थी :—

(1) बेसिनब्रिज 9.0 पैसे प्रति यूनिट (1965-66)

(2) मदुराई 10.38 पैसे प्रति यूनिट (1964-65)

तरल तेल में आत्म-निर्भरता

2574. **श्री हिम्मतसिंहका**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तरल तेल की वार्षिक माँग और स्थानीय सप्लाई के बीच कितना अन्तर है;

(ख) देश को किस हद तक आयात पर निर्भर करना पड़ता है; और

(ग) इस दिशा में आत्म-निर्भर होने के लिये क्या योजनाएँ बनायी गयी हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) और (ख) 1967 में 4.22 लाख मीटरी टन तरल की कुल खपत में से 0.64 लाख मीटर टन स्थानीय उत्पादन था और शेष 3.58 लाख मीटरी टन आयातित था।

(ग) तरल तेल सन्यत्र बम्बई, मद्रास और हल्दिया (कलकत्ता से समीप) में स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान यूनिटों के साथ इनसे 1971 तक तरल तेलों की लागत 650,000 मीटरी टन की कुल क्षमता स्थापित करने की आशा है; जो उस समय के अनुमानित माँग के लगभग बराबर होगी।

Kalakot Power Thermal Station

2575. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that a section of Thermal Power Station at Kalakot in Jammu has been destroyed in a fire ;

(b) if so, the extent of loss caused thereby ;

(b) whether it is also a fact that an enquiry alleging it to be an act of subversion has been demanded ; and

(d) if so, whether Government propose to conduct an enquity into the matter ?

The Minister of Irrigation and power (Dr. K. L. Rao) :

(a) One of the cooling towers in the Kalakote Thermal Station was reported to have been damaged as a result of recent fire. The power station was inspected by an officer of the CW & PC when it was found that the wood-fill of the colling tower had caught fire resulting in some damages.

(b) The extent of loss is estimated at approximately Rs.60,000.

(c) and (d) The State authorities are coonducting an enquiry into the matter.

मंत्रियों के बंगलों को सुसज्जित तथा नवीकरण करने पर खर्च

2576. **श्री नम्बियार** : **श्री रमानी** :
श्री नायनार :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1967 से अब तक मंत्रियों के बंगलों को सुसज्जित करने तथा उनका नवीकरण करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) प्रत्येक मंत्री के बंगले पर अलग-अलग खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अलेग्जेंडरा प्लेस, नई दिल्ली में विश्वायतन योगाश्रम को एक चेमरी का दिया जाना

2577. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलेग्जेन्डरा प्लेस, नई दिल्ली का चेमरी ब्लाक संख्या 1 'विश्वायतन योग आश्रम' को अलाट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्लाट का बाजार भाव क्या है और इसका कितना किराया लिया जा रहा है; और

(घ) क्या इसके अलाटमेंट के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ, चेमरी ब्लाक के अधीन 1.866 एकड़ भूमि (473 एकड़ होस्टल के लिए तथा 1.393 एकड़ कार्यालय, पुस्तकालय, कक्षाओं आदि के लिए) योग आश्रम को आवंटित कर दी गयी है।

(ख) योग आश्रम समुदाय के लाभ के लिए शारीरिक क्षेत्र में बड़ी सेवा कर रहा है।

(ग) इस क्षेत्र की भूमि का बाजार भाव रिहायशी प्रयोजन के लिए 100 रुपये प्रति गज तथा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए 200 रुपए प्रति गज है।

योग आश्रम से 1,199.65 रुपए प्रति वर्ष भूमि किराया लिया जाएगा।

(घ) जी हां। उन पर विचार किया गया तथा अस्वीकृत कर दिया गया।

भारत के रिजर्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम में कम्प्यूटरों का लाया जाना

2578. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पयूटर लगाये जाने के परिणामस्वरूप भारत के रिजर्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम के कितने कर्मचारी बेकार हो जायेंगे; और

(ख) उनको पुनः रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) कोई नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आदिम जातीय खंड

2579. **श्री गार्डलिंगन गौड़ :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिम जातीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से आदिम जातीय क्षेत्रों में कितने खण्ड खोले जा चुके हैं;

(ख) उपर्युक्त खण्डों में कितने प्रतिशत आदिम जातीय लोग आते हैं;

(ग) क्या आदिम जातीय क्षेत्रों में नये खण्ड खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो 1968 में कितने खण्ड खोले जायेंगे ?

समाज–कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) 489

(ख) इन खण्डों में वे क्षेत्र आते हैं, जिनमें आदिम जातीय जनसंख्या 66 % है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

2580. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several Members of Parliament in one of the recent meetings of the Formal Consultative Committee of the Social Welfare Department raised the point that large number of scholarships should be sought for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates under foreign aid and scholarships programmes ; and

(b) if so, the steps taken by Government to implement it ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Suggestions were made in the meeting of the Informal Consultative Committee of this Department for an increase in the number of overseas scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Due to the difficulties of foreign exchange, need for economy in expenditure, and the growth in indigenous educational facilities, it has not been possible to increase the number of overseas scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) Does not arise.

Smuggled Goods Seized by Border Security Police

2581. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the value of smuggled goods in terms of Rupees recovered by the Border Security Police in Assam, West Bengal, Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar during the last four years ;

(b) the State-wise and year-wise details regarding the number of persons arrested in this connection, the number of those against whom cases were registered, the number of those awarded punishment and the number of cases which are still subjudice ;

(c) the international value of the goods and opium recovered ;

(d) whether officers and Jawans have been given awards in this connection ; and

(e) if so, the number thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली का विकास

2582. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विकास करने का है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसके परिणामस्वरूप वहाँ से बहुत से व्यक्तियों को उजाड़ा जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो उन लोगों को बसाने के लिये और क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बनाये गए एक क्षेत्रीय योजना के मसौदे के अनुसार निजामुद्दीन ग्राम का पुनर्विकास होना है। तथापि यह योजना अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है और यह बताना संभव नहीं है कि इस क्षेत्र के पुनर्विकास के फलस्वरूप कोई बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाएगा।

बेयर्ड रोड मार्केट, नई दिल्ली में पटरी पर बैठने वाले लोग

2583. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेयर्ड रोड मार्केट, नई दिल्ली के बरामदों में अनधिकृत रूप से बैठने वाले व्यक्तियों को समीप में बनाई जा रही मार्केट में नियमित दुकानें आबंटित की जा रही हैं ;

(ख) क्या पटरी पर बैठने वाले सभी पुराने लोगों को नियमित दुकानें आवंटित करने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सिद्धान्तः यह मान लिया है कि वेयर्ड रोड मार्केट के बरामदों तथा अन्य क्षेत्रों में म्युनिसिपल मार्केट के खाली स्थानों (स्टालों) में काम करने वाले दर्जियों को उचित किराये पर स्टाल/ दुकानें दे दी जायें। यह भी निश्चय किया गया कि वेयर्ड रोड के शापिंग सेण्टर के किनारे वाली जगह पर एक 'टेलर्स कार्नर' बनाया जाय। इसलिए इस स्थान पर नौ दुकानें बना दी गई हैं। इन दुकानों को देने का काम एक उप-समिति को सौंपा गया है जो उन आवेदन-कर्त्ताओं के दावों की जाँच कर रही है जिन्होंने इनके लिये आवेदन किया है।

(ख) इस प्रकार बैठे हुए अन्य पुराने लोगों को दुकानें आदि देने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा तब नियमित दुकानें / खोरो/थड़े बना लिये जायेंगे और इस योजना की व्यावहारिकता की जाँच कर ली जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र से संसाधन जुटाना

2584. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री र० बरुआ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० डी० आर० गाडगिल ने ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य, ग्रामीण क्षेत्र से करों तथा बकाया राशियों को एकत्र करने और राज सहायता वापिस लेने के लिये मुख्य रूप से सहमत हो गये हैं; और

(घ) करों तथा बकाया राशियों की वसूली से कितनी धन राशि एकत्र होने की सम्भावना है तथा राज सहायता वापस लेने से प्रतिवर्ष कितनी राशि की बचत होने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) सरकार विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के सम्बन्ध में सभी उपयुक्त: उपायों का स्वागत करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त साधन जुटाने और राज सहायता सामाप्त कर देने या घटा देने के पक्ष में साधारणतया मतैक्य था। राज्य सरकारें जो उपाय अपनाना चाहती हैं उनका और उनसे होने वाली सम्भावित प्राप्ति का पता तभी चलेगा जब सभी राज्यों के बजट पेश हो चुकेंगे।

राजनियक मिशनों के डाक के थैले

2585. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री बेदब्रत बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशन भारतीय मुद्रा अपने डाक थैलों के द्वारा विदेश भेजते हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसे कितने मामलों का हाल में पता लगा है; और

(ग) क्या सरकार को राजनियिक मिशनों के डाक के थैलों की जाँच करने का अधिकार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कंवेन्शन, 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी एक है और उसके अनुसार राजनयिक मिशनों का सरकारी पत्र व्यवहार का प्रतिक्रमण नहीं किया जाता है और राजनयिक थैले को खोला अथवा रोका नहीं जायगा। इस कंवेन्शन के अनुसार भारत में विदेशी मिशनों के राजनयिक थैले स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की जाँच से मुक्त हैं।

Non-Development Expenditure

2587. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of increase in the development during the last three Plan periods and for the years 1966-67 and 1967-68 ;

(b) whether the expenditure on development scheme is proportionately less than the expenditure in curred on non-developmental Schemes during the above period ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) A statement showing the develomental and 'other expenditure' incurred by the Central Government

n1950-51 ; 1955-56, 1960-61 and 1965-66 (i.e. the years immediately preceding the commencement of the first Four Plans). and in 1966-67 and 1967-68 is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT—313/68]**

(b) and (c) The 'Developmental expenditure' in the current year is eleven times the 'Developmental expenditure' in 1950-51. On the other hand 'Other expenditure' in the current year is six times the 'Other expenditure' in 1950-51. No doubt the 'Other expenditure' has increased a great deal since 1960-61 but this is mainly because of the requirements of defence, which have gone up from Rs.281 coroes in 1960-61 to Rs.970 crores in 1967-68 and of interest charges, which have gone up from Rs.193 corres in 1960-61 to Rs.508 corres in 1967-68. However, every effort is being made to keep the non-developmental expenditure to the minimum and to provide, subject to the availability of reso urces, more funds for developmental schemes.

Assessment of Income Tax of Former Congress President, Shri Kamraj

2588. **Shri Kanwar Lal Gupta: Shri N. S. Sharma : Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint with regard to the non-payment of Income-tax by Shri Kamraj, the former President of the Congress Party, for the assessment years from 1964-65 to 1967-68; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minster of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) Yes, Sir. It was complained that :

(i) Shri Kamraj had neither filed returns o income voluntarily for the assessment years 1964-65 to 1967-68 nor was he called upon to furnish the returns ;

(ii) Shri Kamraj had been provided with rent free bungalow and a car by the All India Congress Party. He was also receiving a monthly allowance of about Rs. 1,500 from the Congress Party for meeting his personal expenses. The monthly allowance received and the value of perquisites was liable to income-tax.

2. The complaint was examined by the Government. It was ascertained that Shri Kamraj was not in receipt of taxable income after he ceased to be the Chief Minister of Madras from 2-10-1962. He was, therefore not bound to file the returns for the assessment years 1964-65 to 1967-68 nor could he be called upon to file the returns.

3. Government have been advised that the value of perquisites which are not convertiable into money, like rent-free accommodation and free use of car is not taxable unless the person receiving the perquisite is an employee (Section17 of Income-tax Act, 1961)or the perquisites arise from business or exercise of profession (Section 28(iv) of the Income-tax Act, 1961). As Shri Kamraj was neither an employee nor did the he carry on any business or profession, the value of such perquitites was not taxable in his hands.

5. As regards the alleged monthly allowance paid to Shri Kamraj, it was ascertained that no such allowance was given to him. Hence the question of taxing the allowance did not arise.

Port Employees Inovlved in Smuggling

2589. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri R.S. Vidyarthi : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Miniter of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received any reports regarding the complicity of Port employees with smugglers during 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना

2590. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **स्वास्थ्य,** परिवार **नियोजन तथा** नगरीय **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना इस समय किन-किन नगरों में चल रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को उन अन्य नगरों में भी लागू करने का है जहाँ काफी संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं; और

(ग) क्या कोचीन और त्रिवेन्द्रम नगरों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना दिल्ली और बम्बई में चल रही है।

(ख) यदि धन, उपयुक्त जगह आदि की व्यवस्था हो गई तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे कुछ स्थानों में भी चलाने का विचार है।

(ग) फिलहाल कोचीन और त्रिवेन्द्रम में यह योजना चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Central Council for all Indigenous Systems of Medicine

2591. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute a Central Council for all indigneous systems of medicine ; and

(b) if so, the functions and personnel of the Council ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (**Shri B.S. Murthy**):

(a) and (b) A Committe is examining the details of legislation for setting up a Central Council of Indian Systems of Medicine including Homeopathy on the pattern of the Medical Council of India.

ब्रिटिश पौण्ड का अवमूल्यन

2592. **श्री देवेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश पौण्ड के अवमूल्यन और उसके परिणामस्वरूप भारतीय पौण्ड पावना में हानि की आशंका में कुछ भारतीय अधिकारियों ने उस समय अन्य देशों को मूल्यवान विदेशी मुद्रा हस्तान्तरित करनी आरम्भ कर दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का प्रबंध भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हमेशा अधिकारियों के जरिये देश के अधिक से अधिक हित की दृष्टि से किया जाता है। जिस प्रसंग का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उसमें भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जो देश के अधिक से अधिक हित में नहीं थी।

मध्यम दर्जे के उर्वरक कारखाने

2593. **श्री अंबचेजियान** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी फर्मों ने मध्यम दर्जे के उर्वक कारखानों की स्थापना के लिये नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जाँच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई में पकड़ा गया सोना

2594. **श्री अंबचेजियान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 फरवरी 1968 को भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो द्वारा बम्बई में 62 लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें किन्हीं भारतीय लोगों तथा विदेशियों का हाथ था;

(ग) जनवरी तथा फरवरी 1968 में कुल कितना सोना पकड़ा गया और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) इस सोने को किस उपयोग में लाया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) बम्बई के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा 6 फरवरी 1968 को एक जीप के साथ, जिसमें सामान ले जाया जा रहा था, लगभग 327 किलोग्राम सोना 2850 हाथ घड़ियां और करीब 30,86,000 रुपये के मूल्य के विदेश में बने गन मेटल स्टोन्स पकड़े गए।

(ख) इसमें शामिल व्यक्तियों की शिनाख्त तो नहीं हो पाई क्योंकि जीप का ड्राइवर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया।

(ग) समूचे भारत में 1.1.1968 से 15.2.1968 तक लगभग 574 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था। प्रशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारी इन मामलों की अभी जांच कर रहे हैं और जांच पूरी हो जाने पर विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) पकड़ा गया सारा सोना प्रशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सुरक्षा में रखा जाता है। जब मात्रा काफी अधिक होती है तो उसे बैंको, सरकारी कोषों तथा टकसालों में रखते हैं।

Hospitals in Delhi

2595. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ramji Ram : Shri Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of patients is gradually increasing in the Government Hospitals of Delhi ;

(b) if so, whether this is one of the reasons for deterioration in these hospitals; and

(c) if so, the measures being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Murthy) :

(a) Yes.

(b) and (c) A Committee to review the working of the Central Government Haspitals in New Delhi has set up with a view to improving the existing facilities for medical, surgical and specialist care. The Committee is likely to submit its report shortly.

Granting of Loans by Banks for Agriculture Purposes

2596. **Shri Ram Avtar Sharma: Shri Prakash Vir Shastri: Shri R. Barua :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 1487 on the 23rd November, 1967 and state :

(a) whether the Indian Banks Association has finalised the scheme for granting loans for agricultural purposes ;

(b) if so, whether the scheme has been examined by Government ; and

(c) if so, when this scheme will be implemented ?

The Deputy Prime Minster and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (c) The final scheme has not yet been submitted to Government by the Indian Banks' Association.

मंत्रियों के पास बिजली का सामान

2597. **श्री ना० स्व० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्री / उप-मंत्री 38500/22500 रु० तक की निःशुल्क अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य का फर्नीचर, बिजली के उपकरण, एयर कंडीशनर और रेफ्रीजिटर आदि रखे हुये है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिक सामान के लिये उनसे लिये जा रहे किराये की दरें क्या हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बिजली के इन उपकरणों के किराये की दरें वही हैं जो फर्नीचर के किराये की हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) उनसे वही दर ली जाती है जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। सामान की मुख्य कीमत पर 13.75 प्रतिशत तथा इसके साथ 17.50 प्रतिशत विभागीय प्रभार अर्थात् मुख्य कीमत पर 16.20 प्रतिशत प्रति वर्ष, अथवा 1.35 प्रतिशत प्रति माह वर्तमान दर है।

(ग) जी हाँ।

सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर टाइप के क्वार्टरों का आवंटन

2598. **श्री ना० स्व० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में कुछ सरकारी कर्मचारियों को जिस टाइप के क्वार्टरों के लिये वे हकदार थे, उससे ऊँचे टाइप के क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार आवंटित किये गये क्वार्टरों की संख्या क्या है ; और

(ग) ये क्वार्टर किनको तथा किन नियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) जी हाँ ।

(ख) पाँच ।

(ग) अधिक ऊँचे टाइप में निम्नांकितों को आवंटन दिया गया है :—

क्रम संख्या	नाम तथा पदनाम	टाइप जिसके पात्र थे	आवंटित किया गया टाइप
1.	श्री विक्रम शाह, चीफ आफ प्रोटोकल	VII	VIII
2.	श्रीमती आर० सी० असरानी' स्टाफ आर्टिस्ट, आल इंडिया रेडियो	IV	V
3.	कुमारी लीना चक्रवर्ती, यू० डी० सी०, ए० जी०, सी० डब्ल्यू० एण्ड एम०	II	III
4.	श्रीमती कमला चंगरानी, इन्सट्रक्टर, नेशनल फिटनेस कोर, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन	I	II
5.	श्रीमती स्वर्णलता शर्मा' इन्सट्रक्टर, नेशनल फिटनेस कोर, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन	I	II

श्री विक्रम शाह को उनकी प्रोटोकोल की विशेष ड्यूटी के कारण तथा विशेष रूप से इसलिये क्योंकि प्रश्नाधीन बंगला सदैव प्रोटोकोल के चीफ के पास रहा है। अन्य मामलों में जो कि महिला अधिकारी हैं, तथा उन्हें ऊँची श्रेणी आवंटित कर दी गई है उसका आधार स्वास्थ्य तथा सहानुभूति, जैसे भाई अथवा पति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु है। ये आवंटन सरकार ने आवंटन नियमावली

के पूरक नियम 317–बी–25 के अन्तर्गत अधिकारों तथा मूल नियम 45–ए के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा के निर्देशनों का उपयोग करते हुए किए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं :––

अनुपूरक नियम 317-बी-25

सरकार इस प्रभाग के किसी भी अधिकारी अथवा निवासस्थान अथवा अधिकारियों के वर्ग अथवा निवासस्थान के टाइप के मामलों में लिखित रूप में कारण पंजीकृत करके सभी नियमों अथवा किसी भी उपधारा को शिथिल कर सकती है।

मूल नियम 45-ए के अंतर्गत लेखापरिक्षा के निर्देशन

"किसी सरकारी कर्मचारी के स्वयं अपने अनुरोध पर, जिस वर्ग का वह पात्र है उससे ऊपर के वर्ग का, केन्द्रीय सरकार के द्वारा स्वामित्व अथवा पट्टे का निवासस्थान दिया जाता है जब कि उसके वर्ग का मकान उपलब्ध है तो उससे निवासस्थान के लिए निर्धारित पूरा मानक किराया वसूल किया जाए तथा मूल नियमावली 45–ए तथा 45–बी की धारा IV (बी) द्वारा प्रदान की गई रियायत 10 प्रतिशत का लाभ न दिया जाए।"

सभी मामलों में बंगले मूल नियम 45–ए के अन्तर्गत बंगले का पूर्ण मानक किराया वसूल किया जा रहा है न कि सरकारी कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत अथवा 7½ प्रतिशत जैसा कि सामान्यतः उनको ग्राह्य है।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज

2599. **श्री अनिरुद्धन** : **श्री चक्रपाणि** : **श्री राममूर्ति** :

क्या **पैट्रोलियन और रसायन** मंत्री खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के बारे में 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5187 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियन और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) 1 मार्च, 1968 को संसद्-कार्य राज्य मंत्री द्वारा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बन्धित सभा-पटल पर रखे गये विवरण पत्र में अपेक्षित सूचना दे दी गई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दिये गए गृह-निर्माण ऋणों का उपयोग

2600. **श्री अनिरुद्धन** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों को दिये गये गृह निर्माण ऋणों की राशि के उपयोग के सम्बन्ध में राज्यवार जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) से (ग) भाग (क) में माँगी गई सूचना अधिकांश राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से एकत्रित कर ली गई है तथा संलग्न विवरण में दे दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी** 314/68] शेष राज्यों/संघ क्षेत्रों से संपूर्ण सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

2. जहाँ तक भाग (ख) और (ग) का सम्बन्ध है, कोई विशेष प्रतिशत निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र की सरकारों को अनुमति दे दी गई है कि वे आवास के लिए अपने वार्षिक नियतन का 20 से 40 प्रतिशत तक अपने विवेकानुसार हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को निर्धारित कर सकते हैं।

आय-कर की बकाया राशि

2601. **श्री अनिरुद्धन : श्री उमानाथ : श्री एस्थोस :**

क्या **वित्त** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1967 तक केन्द्रीय करों की कुल बकाया राशि के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सूचना कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सूचना इकट्ठी की जा चुकी है।

(ख) जैसा कि अनुबन्ध में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 315/68]

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए मकानों की सुविधाएँ

2602 **श्री द० रा० परमार** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को मकान की सुविधाएँ देने के लिए इस समय कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितना ऋण और कितनी राज-सहायता दी जा रही है ;

(ग) क्या ऐसी सहायता और सुविधाएँ केन्द्रीय सरकार के माध्यम से दी जा रही हैं या राज्य सरकारों के माध्यम से ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के लिए गुजरात सरकार के लिये कितना धन नियत किया गया और उसे कितना धन दिया जा चुका है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) दो योजनाएँ चल रही हैं :--(1) राज्य योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा मकान बनवाए जाने के लिए उपदान ; तथा (2) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन भंगियों तथा मेहतरों के आवास के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायक अनुदानें। यह निर्माण तथा आवास मंत्रालय की कम आय वर्ग आवास योजना तथा गंदी बस्तियाँ उन्मूलन योजना के अनुपूरक हैं।

(ख) इन योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों द्वारा ऋण दिए जाते हैं ; मकान बनवाने पर लगी लागत का 75% उपदान के रूप में दिया जाता है।

(ग) इन योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के जरिए दी जाती है।

(घ) (रुपये लाख की राशियों में)

1964-65	विनिधान	8.19
	खर्च	7.60
1965-66	विनिधान	5.57
	खर्च	5.02
1966-67	विनिधान	8.40
	खर्च	3.67

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का उत्थान

2603. **श्री द० रा० परमार** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के उत्थाम के लिये इस समय कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक योजना के लिए बजट में कितनी-कितनी राशि रखी गई थी और योजनावार कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में गुजरात राज्य में इन योजनाओं पर कितना धन खर्च किया गया ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 316/68]

(ग) 216.01 लाख रुपए।

ठेके की दरों का पुनरीक्षण

2604. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान के मूल्यों में वृद्धि और मजूरी में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप ठेके की दरों में कितनी बार पुनरीक्षण किया गया;

(ख) 1967 में दरों में औसतन वृद्धि कितनी हुई

(ग) क्या सरकार को पता है कि दरों में इस प्रकार हुए पुनरीक्षण के कारण मजूरी और मूल्यों में हुई अस्थायी वृद्धि पक्की हो गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) से (घ) ठेकों में स्वीकृत हुई दरें पुनरीक्षित न होतीं।

संभवत: प्रश्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत अनुमान तथा टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी के लिए उपयोग में आने वाली दरों की अनुसूची के सम्बन्ध में है। बाजार मूल्य तथा मजूरी के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अनुसूची समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है। ठेकेदारों के कुटेशनों का आधार बाजार की स्थिति होती है। आजकल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कुटेशन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुमानों से अधिक होते हैं। चालू अनुसूची 1 अगस्त, 1964 से लागू है। 1967 की दरों के आधार पर अनुसूची शीघ्र पुनरीक्षित की जाएगी। अनुसूची का पुनरीक्षण अनिवार्य है क्योंकि चढ़ी हुई कीमतें कार्य को अव्यवहारिक तथा अक्रियात्मक बना देती हैं।

मुद्रा का प्रचलन

2605. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रति व्यक्ति कितनी मुद्रा का प्रचलन है ;

(ख) श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमरीका की मुद्रा के मुकाबले में डालर जैसी किसी समान मुद्रा की तुलना में यह कितना कम या अधिक है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मुद्रा का परिमाण बढ़ाने का है, जिससे कि यह मुद्रा अन्य मुद्राओं का मुकाबला कर सके ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जून, 1967 के अन्त में उपलब्ध तुलनात्मक आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति 64 रुपये की मुद्रा प्रचलन में थी। अमरीकी डालर के हिसाब से प्रति व्यक्ति मुद्रा का प्रचलन भारत में 8.6 डालर, श्रीलंका में 13.3 डालर, पाकिस्तान में 11.1 डालर, ब्रिटेन में 118.6 डालर और अमरीका में 202.7 डालर था।

(ग) जी, नहीं। इस बात का निर्णय कि किसी देश में जितनी मुद्रा प्रचलन में है, वह वहाँ के लिये पर्याप्त है या नहीं, उस देश की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। यह आवश्यकता राष्ट्रीय आय के स्तर, व्याज की दरों के ढांचे, अर्थ व्यवस्था में मुद्रीकरण के परिमाण, समाज की मुद्रा और बैंक सम्बन्धी आदतों तथा मूल्यों के विद्यमान स्तर जैसे तथ्यों के अनुसार अलग-अलग देश में अलग-अलग होती हैं।

राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

2606. **श्री लोबो प्रभु** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना सफल नहीं रही

है क्योंकि मालिकों को अपनी लगी पूंजी के अनुपात में किराया प्राप्त नहीं होता है और श्रमिक में सेवा निवृत्ति के बाद मकानों का स्वामी बनने के लिए या उनमें किराये पर रहते रहने के लिए उत्साह नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मालिकों तथा श्रमिकों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना पूर्ण सफल रही है। इस योजना के अन्तर्गत उसके आरंभ, सितम्बर 1952 से 68.88 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,86705 मकान स्वीकृत हुए तथा 1,59,871 मकान तैयार हुए हैं। क्योंकि योजना को कम वेतन मिलने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है अतएव विनि-योग के अनुरूप किराया वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

योजना के अन्तर्गत बने मकानों को यदि सेवानिवृत्ति के बाद स्वामित्व अथवा किराये के आधार पर कर्मचारियों को अपने पास बनाए रखने की अनुमति दे दी गई तो पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले कुल मकानों की संख्या (स्टाक) में उसी के अनुसार कमी हो जायगी।

अतएव इस योजना के अन्तर्गत बने मकानों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने पास बना रखने की अनुमति का प्रस्ताव नहीं है। मकान के स्वामी बनने की इच्छा वाले कर्मचारी निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं।

राजकीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सलाहकार बोर्ड

2607. **श्री रा० रा० सिंह देव: श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन बोर्डों के काम तथा गठन का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) स्वास्थ्य पर्यवेक्षण एवं आयोजना समिति की एक सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारिणी ने राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड को गठित करने का सुझाव दिया है और इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

पैट्रोलियम उत्पादों के राजस्व

2608. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसूल न होने योग्य कितने शुल्क सरकार द्वारा वास्तव में प्रतिवर्ष वसूल किये गये, जिनकी सिफारिश (1) वर्ष 1958 से 1961 तक की अवधि के सम्बन्ध में, मुख्य लागत लेखा

अधिकारी, (2) अक्तूबर 1961 से सितम्बर, 1965 तक की अवधि के सम्बन्ध में तेल मूल्य जाँच समिति और (3) अक्तूबर, 1965 से अक्तूबर 1967 तक की अवधि के सम्बन्ध में तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गई थी; और

(ख) 1 अप्रैल 1967 से 31 मार्च, 1968 तक इस साधन से अनुमानत: कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) मुख्य लागत लेखा अधिकारी की रिपोर्ट पर लागू की गई मूल्य व्यवस्था 30-9-1961 तक रही, तेल मूल्य जाँच समिति की सिफारिशें 1-10-1961 से कार्यान्वित की गई और 31-1-1966 तक लागू रही, तथा तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट कुछ तरमीमों के साथ 1 फरवरी 1966 से लागू की गई जिसका भारत सरकार के संकल्प संख्या 101 (26)/65-पी पी डी दिनांक 1-2-1966 में विवरण दिया गया है और इस समय यह 31-12-1968 तक लागू है।

खनिज उत्पाद (उत्पादन तथा सीमाशुल्क के अतिरिक्त कर) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत की गई अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क की वास्तविक वसूलियों की उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

अवधि	वास्तविक वसूलियां (करोड़ रुपयों में)
20-5-58 से 30-9-61 तक	29.92
1-10-61 से 31-1-66 तक	131.65
1-2-66 से 31-10-67 तक	106.79

इसमें 20-5-1958 से 31-3-59 तक और 1-4-1959 से 31-10-1959 तक की अवधि में अतिरिक्त सीमा शुल्क की उपलब्धियाँ; जिसकी अपेक्षित सूचना तुरन्त प्राप्त नहीं है ; शामिल नहीं हैं।

(ख) सारे साल का अनुमान (लगभग) 69.00 करोड़ रुपये है; जबकि 1-4-67 से 31-10-67 की अवधि में 40.62 करोड़ रुपयों की वास्तविक वसूली हुई।

तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल

2609. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने भारत में तथा ईरान में विद्यमान मूल्यों में बड़े अन्तर को ध्यान में रखा था, जिसकी सलाह तेहरान स्थित हमारे दूतावास ने दी थी ;

(ख) कार्यकारी दल ने किन बातों से प्रभावित होकर अशोधित तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में छूट देने की सिफारिश की थी, जो हमारे पड़ोसी देशों में विद्यमान कीमतों से भी काफी कम थीं और जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में हमार देश से बाहर चली जाती थी ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) तेल मूल्यों सम्बन्धी कार्यकाही दल की रिपोर्ट में पैट्रोलियम उत्पादों के ईरान में मूल्यों का, जो हमारे तेहरान स्थित दूतावास ने दी थी, कोई जिकर नहीं है। परन्तु इस विषय में यह कहना है कि दोनों देशों के पैट्रोलियम उत्पादों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों की निरर्थक तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों सरकारों की अपनी-अपनी वित्तीय नीतियों के कारण शुल्कों एवं कर में भिन्नता होती है।

(ख) कार्यकारी दल ने जिन बातों से प्रभावित होकर अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में छूट देने की सिफारिश की थी, उनको विस्तार रूप से अपनी रिपोर्ट में दिया है; जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन करते समय छूट (डिसकाऊन्ट) का उचित ध्यान रखा जाता है; जो सरकार की सही सूचना के अनुसार प्राप्त हो सकता है।

सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2610. **श्री उमानाथ :** **श्री नायनार :**
श्री अब्राहम :

क्या वित्त मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बम्बई द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के बारे में इस बीच जाँच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका निष्कर्ष क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) जाँच के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि भारत सरकार की एक से अधिक एजेंसियों द्वारा जाँच की जा रही थी अतएव प्रवर्तन निदेशालय को सभी सम्बद्ध दस्तावेज सहज रूप से सुलभ नहीं हो सके। पूछ-ताछ शीघ्रता से निबटाने के उद्देश्य से, सम्बद्ध दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियाँ प्राप्त की गई हैं। पूछताछ को जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। तदपि ठीक-ठीक यह कहना सम्भव नहीं है कि पूछताछ कब तक पूरी हो जायेगी।

विदेशी बैंकों तथा विदेशी नियंत्रण वाले बैंकों की आयातित पूंजी

2611. श्री उमानाथ : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1967 को भारत में विदेशी बैंकों और विदेशी नियन्त्रण वाले बैंकों की कुल आयातित पूंजी कितनी थी ;

(ख) 1966 में कुल कितना मुनाफा हुआ तथा मुनाफे के अलावा कितनी धनराशि विदेशों में भेजी गई ;

(ग) इन बैंकों में ऐसी कौन-सी सेवायें उपलब्ध हैं जो भारत भर के बैंक नहीं कर सकते हैं ; और

(घ) 1966 में भारतीय बैंकों द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा के सारे व्यापार की तुलना में इन बैंकों द्वारा किये गए विदेशी मुद्रा के व्यापार का अनुपात कितना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

ट्राम्बे उर्वरक परियोजना

2612. श्री उमानाथ : श्री प० गोपालन :
श्री अब्राहम :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के विस्तार में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि ट्राम्बे परियोजना के विस्तार के लिये कुछ अमरीकी फर्मों को ठेका दिया गया है ;

(ग) क्या कुछ भारतीय डिजाइनरों और इंजीनियरी फर्मों ने विस्तार कार्य के लिए ठेका देने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय फर्मों को ठेका न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारतीय फर्मों को ठेका देने से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) स्कीम यू० एस० एड (U. S. AID) सहायता के लिये रख दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक कारखानों के लिए पूर्वी यूरोप की कम्पनियों के साथ सहयोग

2613. श्री सीताराम केसरी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों से सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) से (ग) एक पोलिश फर्म ने एक फ्रांस की फर्म के सहयोग से उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है। विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

कैम्बे की खाड़ी में तेल की खोज

2614. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री सत्य नारायण सिंह** : **श्री रमानी** : **श्री धीरेश्वर कलिता** : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैम्बे की खाड़ी में तेल की खोज करने के लिये किसी अमरीकी तेल कम्पनी के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और छिद्रण कार्य के कब आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या उक्त खोज के लिये अन्य फर्मों या देशों से भी कोई पेशकशें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) और (ख) जी नहीं। बातचीत अभी जारी है।

(ग) जी हाँ। वे भी सरकार के विचाराधीन हैं।

साहू-जैन फर्म समूह के कारखाने

2615. **श्री प० गोपालन** : **श्री एस्थोस** : **श्री भगवान दास** : **श्री जु० कि० मंडल**:

क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साहू-जैन ग्रुप आफ फर्म्स के कारखानों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) अपेक्षित सूचना अंशतः इकट्ठी की जा चुकी है।

(ख) अब तक इकट्ठी की गयी सूचना के आधार पर साहू-जैन फर्म समूह के कारखानों के नाम निम्न प्रकार हैं :

(i) रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ii) न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लिमिटेड

(iii) अशोक सीमेंट लिमिटेड

(iv) एस० के० जी० सुगर लिमिटेड

(v) एस बियन प्लाईवुड लिमिटेड

(vi) सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लिमिटेड

(vii) हिन्दुस्तान व्हिकल प्रा० लिमिटेड

(viii) जयपुर उद्योग लिमिटेड

पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न फर्मों को दी गयी तथा उनके द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रहीं है। इस समूह की सभी फर्मों ने पूरा आयकर अभी नहीं चुकाया है जिन फर्मों से कर की रकमें बकाया हैं उनके नाम तथा कर की बकाया रकम अनुबन्ध में दी गयी हैं। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 317/68]** इन मामलों में कर की बकाया की वसूली के लिये प्रत्येक मामले के गुण दोषों तथा परिस्थितियों के आधार पर कानून में दी गयी सभी उचित कार्यवाही की जा रही है।

विदेशी बैंकों और विदेशी लोगों के नियंत्रणाधीन बैंकों में जमा राशि

2616. **श्री प० गोपालन : श्री चक्रपाणि :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1967 को विदेशी बैंकों और विदेशी लोगों के नियंत्रणाधीन बैंकों में भारत में कुल कितनी राशि जमा थी;

(ख) मुख्यतः गैर-सरकारी मालिकों के भारतीय बैंकों में जमा राशि की तुलना में इस राशि का अनुपात कितना है;

(ग) 1966 में कर लगाने से पहले कुल कितना लाभ हुआ; और

(घ) उसमें से कितनी धनराशि उनके अपने देशों को भेजने की अनुमति दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज़ पर रख दिया जायगा।

बरेली में पकड़ा गया सोना

2617. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग के निरोधक दल ने 31 जनवरी, 1968 को बरेली में एक लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध विदेशी सोना पकड़ा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई विदेशी अथवा भारतीय लोग गिरफ्तार किये गये थे ;

(ग) क्या इस मामले में किसी फर्म का भी हाथ था; और

(घ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 31 जनवरी, 1968 को बरेली में ऐसा कोई सोना नहीं पकड़ा गया। किन्तु 24 जनवरी 1968 को इलाहाबाद के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय के निरोधक कर्मचारियों ने बरेली रेल्वे स्टेशन पर दो व्यक्तियों के पास विदेशी मार्कों का 450 तोले सोना पकड़ा, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 44,298 रुपये होता है।

(ख) दोनों व्यक्ति भारतीय हैं, और उनको गिरफ्तार किया गया था तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से एक की जवाहिरात की दुकान है तथा दूसरे की बिसाती की दुकान है। इस मामले में किसी अन्य फर्म के ग्रस्त होने का सन्देह नहीं है।

(घ) मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

बम्बई में पकड़ा गया सोना

2618. श्री चेंगलराया नायडू : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 18 फरवरी, 1968 को बम्बई में 75,000 रुपये के मूल्य का सोना और आभूषण पकड़े थे;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) बम्बई में, जहाँ पर विदेशी लोग सोनें के तस्कर व्यापार में सक्रिय हैं, और अधिक सोना पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की जा रहीं है; और

(घ) जनवरी और फरवरी, 1968 में कितने छापे मारे गये ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) 18 फरवरी, 1968 को इस प्रकार की कोई वस्तुएँ नहीं पकड़ी गईं। बम्बई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों ने 13 फरवरी 1968 को बम्बई में एक लाकर में से लगभग 50,000 रुपये मूल्य का सोना पकड़ा। इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं वे इस प्रकार हैं; गुप्त सूचना इकट्ठी करना और उस पर आगे की कार्यवाही करना; गुप्त सूचना देने वाले विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त करना; भारतीय तथा विदेशी संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना; विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना; तथा संदिग्ध स्थानों पर छापे मारना।

(घ) 1 जनवरी, 1968 से 26 फरवरी 1968 की अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में अवैधरूप से रखे गये सोने का पता लगाने के लिए 18 छापे मारे।

इंडियन मेडिकल काउंसिल का सम्मेलन

2619. श्री चेंगलराया नायडू : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन मेडिकल काउंसिल के तेंतालीसवें सम्मेलन में दिये गये अध्यक्षीय भाषण की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० कृ० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष ने संघ के 43 वें अधिवेशन में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों पर भी प्रकाश डाला है :—

(1) देश में चिकित्सीय देख-रेख कार्यक्रम।

(2) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक ढंग से चलाना और उसका उत्थान।

(3) जल-पूर्ति एवं सफाई।

(4) स्कूल स्वास्थ्य।

(5) शिक्षा का माध्यम।

(6) सुयोग्य व्यक्तियों का विदेश गमन।

(7) व्यावसायिक पारिश्रमिक।

(8) भेषज्य उद्योग।

(9) पोषण।

(10) मिथ्या चिकित्सा

(11) चिकित्सा व्यवसाय के सदस्यों का बीमा संबंधी तथा वन संरक्षण।

(12) आयकर और उत्पादन शुल्क।

(13) कर्मचारी राज्य बीमा योजना।

(ग) भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्षीय भाषण में उल्लिखित "भारत की रोगी जनसंख्या" के विषय में सूचना पहले ही 19 फरवरी, 1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1001 के उत्तर में दी जा चुकी है। इस भाषण के शेष भाग सरकार जाँच कर रही है।

राजस्थान नहर

2620. **श्री श्रीगोपाल साबू : श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर की कुल अनुमानित लम्बाई कितनी है और इसे कितने चरणों में पूरा किया जा रहा है; और

(ख) इस नहर द्वारा सींची जाने वाली भूमि से कुल कितना अतिरिक्त अनाज उपलब्ध होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) राजस्थान नहर परियोजना को दो चरणों में पूर्ण करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 134 मील लम्बी राजस्थान फीडर और वितरण प्रणाली सहित 122वें मील तक राजस्थान नहर का निर्माण किया जाना है। इस चरण में मुख्य नहर को वितरण प्रणाली सहित 70वें मील तक पूरा

करने की योजना है और यह बाकी कार्यों से पहले किया जायगा। दूसरे चरण में समस्त वितरण प्रणाली सहित 296 वें मील तक शेष राजस्थान नहर का निर्माण कार्य किया जायगा।

(ख) सिंचाई शक्यता के पूर्ण विकास पर प्रथम चरण में लगभग 14 लाख टन्स और दूसरे चरण में लगभग 27 टनस अतिरिक्त अन्न पैदा होने की सम्भावना है।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

2621. **श्री श्र गोपाल साबू :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि कुछ वर्षों से स्कूलों में स्कूल चिकित्सा परीक्षण प्रणाली चालू है फिर भी संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में इस समय चिकित्सा की सुविधाएं सन्तोषजनक उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या स्कूल स्वास्थ्य सेवा को सामान्य स्वास्थ्य सेवा का एक अंग बनाये जाने की योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस संबंध में जो कार्यवाही करने का विचार है, उसका ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही

(1) राज्य सरकारों से यह सिफारश की गई है कि स्कूलों में बच्चों के लिये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें देश की सामान्य समाज स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग बना लिया जाए। इस प्रकार गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरों में अस्पतालों और औषधालयों में काम करने वाले कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेवार होंगे।

(2) राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के अनुसार सरकार राज्य स्तर पर स्कूल स्वास्थ्य परिषदों की स्थापना के लिए कार्यवाही कर रही है। यह आशा की जाती है कि परिषदें राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने की स्थिति में होगी और अमल में लाने वाली कार्यवाही को हाथ में ले सकेंगी।

(3) राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद् की इस सिफारिश को मूर्त रूप देने का भी प्रस्ताव है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों और कुछ गैर-सरकारी सदस्यों का एक छोटा दल उन राज्यों में रुचि और उत्साह बढ़ाने के लिए जाए जो इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं।

(4) राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद् ने सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक केन्द्रीय समर्थित योजना होनी चाहिए। इस पर विचार किया जा रहा है।

(5) शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से ऐसी योजनाएँ तैयार की गई हैं जिनके अन्तर्गत अध्यापकों को उनके सेवाकाल में अल्प-कालीन ओरियन्टेशन प्रशिक्षण दिया जाएगा और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य और पोषण के विषयों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों इस सम्बन्ध में बात-चीत की जा रही है।

(6) स्कूलों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है और उसे राज्यों और संघीय क्षेत्रों को कार्यक्रम देने के लिए भेज दिया गया है।

(7) स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है; और यह स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक दूसरा पहलू है। स्कूलों में लगभग 91 लाख बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का और आगे विस्तार करने की योजना बनाई है।

बैंकिग (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

2622. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री गणेश घोष :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसियेशन ने सभी बैंक कर्मचारियों को प्रस्तावित बैंकिग (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध 28 फरवरी, 1968 को सांकेतिक हड़ताल करने को कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि यह हड़ताल मालिकों और कर्मचारियों के बीच किसी झगड़े के कारण नहीं बल्कि बैंक विनियम अधिनियम, 1949 में सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों के विरुद्ध की गई थी, इसलिए इसके बारे में कोई बात-चीत नहीं हुई।

क्षय रोग

2623. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग भारत में एक गम्भीर समस्या बना हुआ है, हालाँकि सरकार इस रोग के उन्मूलन के लिये उपाय भी कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस रोग को समाप्त करने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) सारे देश में क्षय रोग के आतंक से छुटकारा पाने के लिये सरकार ने पहले से ही एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ कर रखा है तथा उसको हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:——

(१) जिला टी० बी० क्लीनिक की देख-रेख में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और ग्राम डिस्पैन्सीरियों के माध्यम से ग्रामीण जन संख्या को नैदानिक तथा उपचार की सुविधाएं देने के लिये जिला क्षय रोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। संक्रामक मामलों के निदान पर आर्थिक जोर दिया गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को कम किया जा सके?

(2) प्रत्येक जिले में क्षय रोग क्लिनिकों की स्थापना। इस समय कार्य कर रहे 502 टी० बी० क्लीनिकों में से 155 पूर्णतया सुसज्जित हैं तथा इनमें प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ है और ये जिलेवार टी० बी० कार्यक्रम चला रहे हैं।

(3) टी० बी० सेवाओं का सभी स्वास्थ्य सेवाओं में मिला दिया जाएगा ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और डिस्पेन्सरियों में सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण से रोगियों का पता लगाया/निदान किया जा सके।

(4) प्रमुख राज्यों के मुख्यालयों में 15 क्षय रोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों का कार्य संबंधित क्षेत्र के लिये जिला क्षय रोग प्रदर्शन कार्यक्रमों का संचालन तथा राज्यों में क्षय रोग कार्यक्रम के लिये अपेक्षित प्राथमिक स्वर के कार्यकताओं को प्रशिक्षण देना है। जिला टी० बी० क्लीनिकों के मुख्य कर्मचारियों के लिए तथा समुचित क्षय रोग नियंत्रण और मूल्यांकन तरीकों के विकास के लिये प्रशिक्षण राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर में दिया जाता है। अब तक हुए 16 कोर्सों से ऐसे 1500 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(5) यह सिद्ध हो चुका है कि आधुनिक टी० बी० निरोधक औषधियों द्वारा गृहोपचार उतना ही प्रभावकारी है जितना कि उन्हीं औषधियों से किसी सेनेटोरियम में उपचार किया जाता है। इस लिये गृहोपचार पर बल दिया जाता है और इसके लिये टी० बी० क्लीनिकों को चाहे वे सरकार द्वारा चलाये जा रहे हों अथवा ऐच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हों, टी० बी० निरोधक औषधियां मुफ्त दी जाती हैं।

(6) संक्रमक, वास्तविक रूप में बीमार तथा ऐसे गंभीर रोगियों, जिन्हें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो, के लिए विभिन्न संस्थाओं में पृथक एवं उपचार पलंगों की भी व्यवस्था की गई है। देश में ऐसे पलंगों की कल संख्या 35,000 है तथा 5,000 पलंग और बढ़ाने का विचार है।

(7) राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या के चुने हुए वर्गों में महाभारी अनुसन्धान कार्यों और रोगियों का पता लगाने की सुविधाएँ देने के लिए राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्रों को चलत-फिरते एक्स-रे एकक दिये गए हैं। देश भर में ऐसे 36 एकक पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(8) सीधा बी० सी० जी० का टीका लगाना भी आरंभ कर दिया गया है तथा प्रसूति अस्पतालों और शिशु कल्याण केन्द्रों में नवजात शिशुओं को टीका लगाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके स्कूल जाने वाले बच्चों को भी टीका किया जा रहा है ताकि छोटी आयु

के ग्रुप को क्षय रोग से बचाया जा सके। इस समय देश में 216 बी० सी० जी० दल कार्य कर रहे हैं और अभी तक कुल 24.40 करोड़ व्यक्तियों की ट्युबरकुलिन परीक्षा की जा चुकी है और करीब 10.80 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान की घर-घर टीका अभियान के रूप में बदल दिया गया है और बी० सी० जी० दलों को धीरे-धीरे जिला टी० बी० केन्द्रों में मिलाया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि के पट्टेदार

2624. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि के, 12,000 पट्टेदार हैं और इनके 'डीड़' को भाषा अस्पष्ट होने के परिणामस्वरूप पट्टेदारों के सामने असंख्य समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 3,000 से अधिक पट्टों के नवीकरण में कई वर्षों का विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या सैंकड़ों मामलों में भूमि के किराये का पुनरीक्षण नहीं किया गया है;

(घ) क्या नजूल भूमि के मामले में जो 38 बस्तियों में लगभग 7,000 एकड़ है, सम्पत्ति रजिस्टर अधूरे हैं और सैकड़ों रिकार्ड नहीं मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के पास 12,000 से अधिक अल्पावधि और दीर्घविधि पट्टे हैं परन्तु यह बताना संभव नहीं है कि इनमें से किसी भी धारा की भाषा अस्पष्ट है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये सभी पट्टे सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित फार्मों पर ही लिखे गए हैं।

(ख) जिन पट्टों का समय-समय पर नवीकरण उपेक्षित होता है उनका विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं/पुनर्विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण किया जाता है। इन योजनाओं को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब होने के फलस्वरूप कुछ मामलों में पट्टों के नवीकरण का रुक जाना अपरिहार्य है।

(ग) कुछ प्रकार के पट्टों के भूमि के किरायों के संशोधन में कुछ देर हो गई क्योंकि उन स्थानों का किराया जिसके आधार पर भूमि का किराया पुनः तय होना था, निश्चित नहीं हो पाया था। तथापि इन किरायों में अब संशोधन कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पतालों के कर्मचारी

2625. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कुछ अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) नई दिल्ली के अस्पतालों के लिये आवश्यक कर्मचारियों को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन अस्पतालों में प्रतिदिन एक डाक्टर औसतन कितने रोगियों का निरीक्षण करता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) सभी सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है तथा वे अच्छी प्रकार सुसज्जित हैं।

(ख) अस्पतालों की आवश्यकताओं का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा और जब कभी आवश्यकता समझी जाती है तब कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की जाती है।

(ग) डाक्टरों की ड्यूटियों में भिन्नता के कारण यह सही-सही बतलाना कठिन है कि प्रतिदिन एक डाक्टर ने औसतन कितने रोगयों को देखा। यद्यपि प्रत्येक अस्पताल में डाक्टरों की संख्या, पलंगों को संख्या, बहिरंग रोगी विभागों में रोगियों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :—

अस्पताल / संस्था का नाम	पलंगों की संख्या	डाक्टरों की कुल संख्या		वहिरंग रोगी विभाग में उपचार किए गए नये और पुराने रोगियों की संख्या (1-1-67 से 31-12-67)
1. सफदरगंज अस्पताल	1148	171 120	(हाउस सर्जन)	**बहिरंग रोगी विभाग में दैनिक औसत 1189
2. विलिंगडन अस्पताल	600	120 34	(हाउस सर्जन)	5,42,466
3. इर्विन अस्पताल	1068	119 84	(हाउस सर्जन)	7,26,456
4. गोविन्दवल्लभ पंत अस्पताल	258	28 22	(हाउस सर्जन)	5,363
5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व अस्पताल।	567	91 48	(हाउस सर्जन)	1,34,652

दक्षिण दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ

2626. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी सहकारी गृह-निर्माण समितियों को दक्षिण दिल्ली में भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) प्रत्येक समिति को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है और उनमें सरकारी कर्मचारियों सहित कितने व्यक्ति हैं तथा सहकारी कर्मचारी कितने हैं; और

(ग) किन-किन समितियों ने भूमि का विकास पूरा कर लिया है और रजिस्ट्री सम्बन्धी कागज भी पूर्ण कर लिये हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति):

(क) 33

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न 'क' और 'ख' विवरणों में दी गई है। [पुस्तकालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 318/68] विवरण 'क' के क्रमांक 6.8 और 18 पर वर्णित सोसाइटियां केवल सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाई गई हैं। विवरण 'क' में अंकित शेष सोसाइटियों के सदस्यों में तथा विवरण 'ख' में वर्णित समस्त सोसाइटियों के सदस्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) विवरण 'क' में वर्णित 26 सोसाइटियों में से निम्नलिखित 12 सोसाइटियों ने भूमि का विकास पूरा कर लिया है:—

1. महारानी बाग सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी।
2. डिप्लोमेटिक एन्कलेव एक्सटेंशन सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी।
3. चिराग सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
4. साधना सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
5. पंचशील सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
6. सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
7. आनन्द निकेतन सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
8. सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
9. गुरु नानक सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
10. कश्मीरी सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
11. कोस्मोपोलिटन सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी
12. आनन्द लोक सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी

उपर्युक्त क्रमांक 1 से 8 तक वर्णित सोसाइटियों के नाम जमीन की रजिस्ट्रियों का काम पूरा हो चुका है।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और पिछड़े वर्गों के विधायकों का सम्मेलन

2627. **श्री चक्रपाणि : श्री भगवान दास : श्री मोलहू प्रसाद :**

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 और 24 दिसम्बर, 1967 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय अनुसूचित

जातियों तथा आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के विधायकों के सम्मेलन में सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित था; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन में किए गए निर्णय के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

2628. **श्री चक्रपाणि : श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड के टैंक वैगनों को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिससे तेल कम्पनियों के लिये भाड़े की दरें कम हो जायेंगी, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कम करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना मूल्य कम करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड के साथ ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन कस्टम हाउस

2629. **श्री चक्रपाणि : श्री गणेश घोष : श्री अ० क० गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन : श्री एस्थोस**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से बाहर जाने वाला कोई यात्री भारत के रिजर्व बैंक से परमिट लिये बिना कितने मूल्य की कला की विलक्षण वस्तुएँ तथा हस्तशिल्प की वस्तुएँ अपने साथ सामान के रूप में ले जा सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोचीन सीमा शुल्क का एक सहायक कलेक्टर रिजर्व बैंक का परमिट दिखाने की छूट तथा एक यात्री के साथ सामान के रूप में 20,000 रुपये की कला की विलक्षण वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दे सकता है ;

(ग) क्या पिछले 6 महीनों में कोचीन के सीमा शुल्क के असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही का कोई मामला उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जब देश से बाहर जाने वाले किसी यात्री के व्यक्तिगत सामान के यथार्थ भाग के रूप में कला वस्तुएँ तथा हस्तशिल्प की वस्तुएँ होती हैं और यदि उनके मामले में एन्टी-क्यूटीज (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्ध लागू नहीं होते हैं तो इस प्रकार की मूल्य सीमा का प्रतिबन्ध रखे बिना ऐसी वस्तुओं की निर्यात की परवानगी सीमा-शुल्क के सहायक समाहार्ता (निरोधक) के द्वारा दे दी जाती है। जहाँ तक कोई वस्तु मूल्यतः अथवा पूर्णतः सोने की बनी नहीं होती है, भारत में रिजर्व बैंक से परवानगी लेने की जरूरत नहीं होती है। जिन मामलों में वस्तुओं पर निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1962, के अन्तर्गत नियंत्रण लागू होता है उनके लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों की परवानगी की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) जिस एक मामले में कोचीन में सीमाशुल्क के एक सहायक समाहार्ता ने 20,000 रुपये मूल्य की कलावस्तुएँ तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के व्यक्तिगत असबाब के रूप में निर्यात की परवानगी दी उसको बोर्ड के ध्यान में लाया गया है और मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी में अभ्यावेदन

2630. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का कोई कर्मचारी जब हिन्दी भाषा में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो उससे कहा जाता है कि हिन्दी में अभ्यावेदन देने के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक कारखानों के लिए एमोनिया का आयात

2631. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमोनिया पर आधारित स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखानों में उपयोग में लाने के लिये एमोनिया के आयात के लिए प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ख) ऐसे उर्वरक कारखाने जिनमें देश में मिलने वाला नेफ्था प्रयोग में लाया जा सके स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) मेसर्स धरामसी मोरारजी केमीकल्स कम्पनी लि० की योजना में, जो ही आयातित एमोनिया के आधार पर अब तक प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है, तरल एमोनिया के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा का मूल्य प्रति वर्ष लगभग 3.5 करोड़ रुपये है।

(ख) इस मामले में एमोनिया के आयात की अनुमति देने के निम्न कारण हैं :—

(i) यह आशा है कि मेसर्स धरामसी मोरारजी केमीकल्स कम्पनी लि० की योजना नेफ्था पर आधारित योजना के मुकाबले में लगभग 1½ साल पहले देश में उर्वरक तैयार करने लगेगी। इसका स्वागत करना है क्योंकि कई दूसरे प्रस्तावों के पूरे होने में हुई देरी और असफलता से, देखा जा रहा है कि आम उर्वरकों और विशेष रूप में फास्फेटिक उर्वरकों के देशीय उत्पादन और उनकी 1970–71 तक की माँग के बीच अन्तर बढ़ जायेगा और इस कारण अधिक आयात की आवश्यकता होगी।

(ii) देश में नेफ्था की सप्लाई के संतुलन और नेफ्था तथा दूसरे कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में रुख का ध्यानपूर्वक पुनः मूल्यांकन करने पर उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल की अनेकता और आयातित अमोनिया के चयनात्मक प्रयोग को इष्टकर (या कार्यसाधक) समझा गया है।

(iii) गन्धक के मुख्य पारस्परिक उत्पादकों ने भारत जैसे देशों को सप्लाई में कटौती की घोषणा की है और कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इस स्थिति में गन्धक की नियमित सप्लाई, जो इस प्रस्ताव में एमोनिया के आयात से सम्बन्धित है, तुलनात्मक मूल्यों पर उचित समय के लिए लाभप्रद है।

Rajasthan Canal Project

2632. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount which had been allocated for the second phase of the construction work of Rajasthan Canal, has been reduced; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao):

(a)and(b) At present, the work on the Rajasthan Canal Project is in progress in Stage I which contemplates completion of Rajasthan Canal together with this distribution system up to mile 122. During the current year, a provision of Rs.7 crores was made for this project. However, since the Rajasthan Government were able to provide only Rs.3 corres in their State Plan, the Central assistance was accordingly restricted to this amount.

इरविन अस्पताल के सामने भूमिगत मार्ग

2633. **श्री मोहन स्वरूप : श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इरविन अस्पताल के सामने भूमिगत मार्ग दिसम्बर, 1967 में तैयार हो गया था परन्तु इसको यातायात के लिये जनवरी, 1968 में भी नहीं खोला जा सका था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूमिगत मार्ग पर आने वाली लागत का अनुमान 1,26,000 रुपये लगाया गया था परन्तु इस पर वस्तुतः 3,26,000 रु० की लागत आई ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) और (ख) जी नहीं। इसे औपचारिक रूप में तभी खोला गया था जब यह सब तरह से पूरा हो गया।

(ग) और (घ) इस कार्य के मूल प्राक्कलन 1955 की अनुसूची के दरों पर तैयार किये गये थे और इसकी लागत 1.61 लाख रुपये आँकी गई थी। वास्तविक लागत का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित कारणों से वास्तविक लागत मूल्य अनुमान से बढ़ जाने की आशा है :—

(1) विज्ञापन प्रदर्शन केस लगाने के लिए भूमिगत मार्ग की चौड़ाई 10 फुट से बढ़ाकर 14 फुट करना ताकि इस योजना को लाभदायक बनाया जा सके।

(2) खुदाई के दौरान यह देखा गया कि जमीन में एकरूपता नहीं थी इसलिये ऊँचे-नीचे स्तर को समतल करने के लिये द्रोणिकाकार नींव के स्थान पर जैसा कि मूल अनुमानों में सोचा गया था पैढ़ी नींव रखी गई।

(3) 1966–67 में जब काम आरम्भ किया गया तो भाव काफी बढ़ गये थे।

(4) मूल अनुमानों में मुख्य जल नालियाँ सीवर इत्यादि को बदलने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं पाई गई क्योंकि कार्यान्विति के समय अतिरिक्त सेवाओं में भी अदला-बदली करनी पड़ी।

अन्दमान लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की लागत

2634. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री नम्बियार :**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं की लागत के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) जी हाँ।

(ख) पोर्ट ब्लेअर पर निर्माण कार्यों की लागत गैर-रिहायशी इमारतों के लिए 21 रुपए तथा रिहायशी इमारतों के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग फुट है। अन्य द्वीपों पर निर्माण की लागत बढ़

जाती है क्योंकि उन स्थानों पर भवन-सामग्री को पोर्ट ब्लेअर से ले जाना होता है। सामान्यतः अन्दमन में जो विशिष्ट संरचना अपनाई जाती है उसकी मुख्य भूमि पर निर्माण करने की लागत मूल्य-सूचकांक पर निर्भर करती है जो कि विभिन्न स्थान पर विभिन्न होता है। वर्तमान मूल्य-सूचकांक के अनुसार, कलकत्ता तथा दिल्ली में इसके अनुरूप निर्माण कार्य की लागत गैर-रिहायशी इमारतों के लिए 26.45 रुपए तथा 14.50 रुपए प्रति वर्ग फुट तथा रिहायशी इमारतों के लिए 25.85 रुपए तथा 12.60 रुपए प्रति वर्ग फुट आती है।

अन्दमान में निर्माण लागत के अधिक होने के निम्नांकित कारण हैं :--

(क) सिवाय लकड़ी, पत्थर (स्टोन एग्रीगेट) तथा रेत के और सभी भवन-सामग्री को मुख्य भूमि से मंगाना पड़ता है।

(ख) क्योंकि न तो ईंटें स्थानीय तौर पर बनती हैं और न यहाँ मिलती हैं, अतएव कंक्रीट अथवा लकड़ी की दीवारें बनानी पड़ती हैं।

(ग) निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों के अभाव में विभाग द्वारा निर्माण करना होता है जिसके लिए मजदूरों को भी मुख्य भूमि से मंगाना होता है। इससे उनके ट्रांसपोर्ट तथा द्वीप पर रहने तथा डाक्टरी सहायता, अर्जित छुट्टियों आदि की सुविधाओं को देने का अतिरिक्त व्यय पड़ता है।

आदिम जातियों के लिए कल्याण कार्य

2635. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री पी० राममूर्ति : श्री अब्राहम :**

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातियों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) से (ग) 294 लाख रुपए के अतिरिक्त विनिधान के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति ले ली गई है। उसमें से 45 लाख रुपये अनुसूचित आदिम जातियों के लिए तथा शेष अनुसूचित जातियों के लिए रखे गए हैं।

चिकित्सा कालेजों के अध्यापकों द्वारा निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय

2536. **श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विभिन्न चिकित्सा कालेजों के चिकित्सा, शल्यक्रिया आदि विषयों के अध्यापकों को निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति प्राप्त है, परन्तु शरीर रचना-विज्ञान और फिजिओलोजी के अध्यापकों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, योजना तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) देश के अधिकतर चिकित्सा कालेज राज्य सरकारों द्वारा अनुशासित हैं जो कि विभिन्न श्रेणी के चिकित्सा विषयों के अध्यापकों द्वारा निजी तौर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के बारे में नियमों का निश्चय करती हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था है।

लाक्षणिक विषयों, जैसे दवायें, शल्यक्रिया आदि के अध्यापकों को निजी तौर पर व्यवसाय करने की अनुमति देने के जो कारण कुछ राज्य सरकारों ने बताये हैं, वे निम्न प्रकार हैं :--

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पैसा देने वाली जनता के हेतु तथा चिकित्सालयों में भारी भीड़ को रोकने के लिए लाक्षणिक विषयों के अध्यापकों को अनुमति दी है। जहाँ तक अलाक्षणिक विषयों के अध्यापकों का सम्बन्ध है, यह वांछित समझा गया है कि वे सारा समय आधारभूत चिकित्सा-विज्ञानों को पढ़ाने में लगायें।

केरल सरकार का विचार है कि लाक्षणिक विभागों के अध्यापकों द्वारा परामर्श देने का अभ्यास उनकी विज्ञ-सेवाओं के उपयोग के लिए आवश्यक है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अध्यापकों को निजी तौर पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के समस्त अधिकारियों को निश्चित दरों पर व्यवसाय-बंदी भत्ता दिया जाता है।

National Income

2637. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the national income of India during the year 1966-67 is Rs. 2,41,57,00,00,000 and accordingly per capita average annual income comes to Rs. 313.1 ; and

(b) the per capita average annual income of various categories of persons viz. landless persons, land-owners, labourers and middle class group separately on that basis?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) According to the quick estimate of National Income for 1966-67 prepared by the Central Statistical Organisation, national income at current prices is placed at Rs. 24157 crores and per capita income at current prices at Rs. 481.5 At 1960-61 prices, these are estimated at Rs.15,706 crores and Rs. 313.1 respectively.

(b) Information is not available.

ब्रिटिश इंडियन डिवेलपमेंट लिमिटेड, लन्दन द्वारा उर्वरक कारखाने की पेशकश

2638. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इंडियन डिवेलपमेंट लिमिटेड, लन्दन ने भारत में तीन उर्वरक कारखाने, जिनमें भारत सरकार के 51 प्रतिशत शेयर हों, स्थापित करने के प्रस्ताव पिछले वर्ष प्रस्तुत किये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) मार्च 1967 में एक मिस्टर थामस गैस्ट ने, जिन्हें ब्रिटिश इंडियन

डिवेलपमेंट लिमिटेड, लन्दन का निदेशक बताया जाता है, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को एक सामान्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया था कि जर्मन, डच और ब्रिटिश फर्मों को एक कान्सार्टिम भारत सरकार के सहयोग से उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का इच्छुक है। प्रस्ताव में पूंजी ढांचा और ब्रिटिश इंडियन डिवेलपमेंट लि० की संस्था, कान्सार्टिम के सारे दूसरे सदस्यों के नाम, विदेशी मुद्रा आदि के सम्भाव्य साधन जैसे विषयों का ब्यौरा नहीं था। मिस्टर गैस्ट से इस ब्यौरों को माँगा गया था और उनकी अभी तक प्रतीक्षा है।

भारतीय तेल निगम के दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारी

2639. **श्री सत्य नारायण सिंह : श्री भगवान दास : श्री अब्राहम :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों ने 31 जनवरी, 1968 को निगम के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हाँ।

(ख) मार्किटिंग प्रभाग के दो कर्मचारियों का, जिनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, पुनः स्थापन।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन के स्थानीय अधिकारियों तथा बम्बई-स्थित मुख्यालय के अधिकारियों ने पेट्रोलियम वर्कज यूनियन के प्रतिनिधियों से इस मामले में विस्तृत रूप से बात-चीत की। यह बताया गया कि दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के कारण उन्हें पुनः नियुक्त करना संभव नहीं है।

जीवन बीमा निगम के फ्लैट

2640. **श्री सत्य नारायण सिंह : श्री नम्बियार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के फ्लेटों और भवनों को किराये पर देने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम के पास रिहायशी फ्लैट और दफ्तरी इमारतें हैं। रिहायशी फ्लैट मुख्यतया निगम के कर्मचारियों के लिए हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उप-क्षेत्रों के कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी पार्टियों को भी कुछ फ्लैट दिये गये हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को तरजीह दी

गयी है। दफ्तरी जगहों के मामले में, सरकारी विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को तरजीह दी जाती है। यदि निगम के पास ऐसी कोई प्रार्थना नहीं आती है, तो दफ्तरी स्थान अच्छी हैसियत वाली व्यापारी फर्मों को पट्टे पर दे दिये जाते हैं। फ्लैटों तथा दफ्तरी स्थानों दोनों का ही आबंटन विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा क्षेत्रीय समितियों की स्थानीय समितियों की सलाह पर, जिनमें निगम कार्यालय भी शामिल है, किया जाता है।

(ख) तथा (ग) जब विश्वसनीय पार्टियों से जगह के लिए माँग नहीं आती तो केवल कार्यालय के आवास के बारे में ही समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं। रिहायशी फ्लैटों के लिए कोई विज्ञापन देना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि ये मुख्यतया निगम के कर्मचारियों के लिये होते हैं।

Raids on Premises of certain Companies

2641. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Enforcement Directorate and the customs Department raided the premises of May and Baker, Kant and Co., Tulsidas Jeevraj and Goverdhan Dass (Calcutta) and three other firms in 1967-68.

(b) if so, the cash, documents and other things recovered from them ; and

(c) the action taken against these firms ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):(a) During the financial year 1967-68 the officials of the Enforcement Directorate and the Customs Department at major Centres of Bombay, Calcutta, Madras and Delhi have not searched the premises of May and Baker, Kant and Co., Tulsidas Jeevraj and Goverdhan Dass (Calcutta).

However, the premises of one firm, namely Messrs. Gordhandas Jeerambhai, Calcutta were raided by the officers of the Ccalutta Custom House in August, 1967.

A number of other firms have been searched by the officials of the Enforcement Directorate and Customs Department during the year 1967-68. In the absence of any particulars of the three other firms mentioned in the question, it is not possible to state whether they were raided or not.

(b) and (c) From the premises of Messrs. Gordhandas Jeerambhai, incriminating documents were seized, on scrutiny of which the Customs authorities in Calcutta have found *prima facie* evidence in support of the allegation that this firm has been exporting goods in contravention of the provisions of the Customs Act, 1962, and the Foreign exchange Regulation Act, 1947. Show-cause notice for the alleged contravention has been issued to the firm and the case is under adjudication.

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ ऋण करार

2642. **श्री मधु लिमये**: क्या वित्त मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये गये ऋण करारों को रुपये में भुगतान के करार कहने का क्या औचित्य है, यदि "रुपये में भुगतान वाले क्षेत्रों" के साथ किये गये करारों में रुपये की सोने से समता की शर्त है और यह भी शर्त है कि शेष राशि का अवमूल्यन के बाद पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा ;

(ख) क्या इन करारोंको "रुपये में भुगतान वाले करार" में श्रेणीकरण के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नाम को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये जाने वाले ऋण-करारों को ऐसे करारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनकी अदायगी विदेशी मुद्रा या कुछ मामलों में माल के निर्यात द्वारा की जाती है लेकिन न करारों को रुपयों में की जाने वाली अदायगी के करारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के भाग (ख) के सम्बन्ध में 23 नवम्बर, 1967 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। जहाँ कहीं "रुपया अदायगी" शब्द का प्रयोग भी किया गया है, वहाँ लेनदेन के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के स्वरूप के पूरे परिणामों को मान्यता दी जाती है और उपयुक्त तरीके अपनाये जाते हैं।

उत्पादों की लाभेयता

2643. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न-संख्या 374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम उत्पाद-वार मुनाफा निर्धारित नहीं करते हैं ;

(ख) क्या अन्य सरकारी उपक्रमों गैर-सरकारी फर्मों में भी यह प्रथा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रबन्धक यह निर्णय कैसे करते हैं कि क्या विशेष उत्पाद का उत्पादन जारी रखा जाये / जारी न रखा जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) इस मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित सरकारी उपक्रम (अण्डरटेकिंग्ज) उत्पाद-वार तथा सम्पूर्ण परियोजना का मुनाफा निर्धारित करती हैं :—

(1) इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारम्यूसिटिकल्ज लि०

(2) हिन्दुस्तान ऑर्गनिक केमीकल्स लि०

(3) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०

(4) हिन्दुस्तान इन्सैकटीसाइडज लि०

इण्डियन आयल कारपोरेशन की शोधन शालाएँ अपने उत्पाद नमूने का फैसला, शोधनशाला डिजाइन द्वारा लगाई गई सीमाओं, प्रोसैसिंग के लिए उपलब्ध कच्चे तेल की किस्में और मार्किटिंग आवश्यकताओं, करते समय उत्पाद-वार लाभेयता को ध्यान में रखती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में मार्किटिंग प्रभाग ने एक व्यय अध्ययन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिसके अनुसार, भविष्य में सरकार के मूल्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्किटिंग के उपलब्ध अन्तरों (मार्जिनस) को ध्यान में रखते हुए, मुख्य उत्पादों के मार्किटिंग खर्चों का सही मूल्यांकन हो सकेगा। 30 नवम्बर, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 374 के उत्तर में, बताया गया था कि मार्किटिंग प्रभाग में वित्तीय वर्ष 1966–67 तक लाभेयता का किस प्रकार निर्धारण किया जाता रहा है। इस मंत्रालय के

अधीन दूसरे सरकारी उपक्रमों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) विस्तृत सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) किसी उत्पादन की लाइन का निर्णय करते समय कई तथ्यों में से उत्पाद-वार लाभेयत एक तथ्य है ।

मद्रास में तेल संस्थान

2644. **श्री दीवीकन :** **श्री रवि राय :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गैर-सरकारी तेल समवायों को मद्रास स्थित अपने संस्थान, इंडियन आयल कम्पनी को बेच देने के लिये मनाने में असफल रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत असफल रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इंडियन आयल कम्पनी को मद्रास में अपने संस्थान स्थापित करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हाँ, अभी तक । लेकिन संयुक्त रूप से तीन कम्पनियों से अपने कुछ संस्थानों को बेचने के लिए एक सशर्त पेशकश अभी प्राप्त हुई है ।

(ख) सरकार के सुझाव को स्वीकार करने में तेल कम्पनियों की अनिच्छा ।

(ग) सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन को हिदायत कर दी है कि वे अपने मद्रास स्थित वर्तमान संस्थानों में उतना विस्तार कर लें जितना मद्रास शोधनशाला के उत्पादों के नियंत्रण के लिए आवश्यक हो ।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन अभी तक अपेक्षित सुविधाओं और उनकी लागत से सम्बन्धित ब्यौरे तैयार कर रही है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारी समिति की बैठक

2645. **श्री दीवीकन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक हाल ही में लखनऊ में हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) जी हाँ ।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(1) बिगड़े हुए औजारों की मरम्मत के लिए प्रादेशिक वर्कशापों का नियत्न ।

(2) जीवन-बीमा निगम को शव-परीक्षा रिपोर्टें देना ।

(3) अशिक्षित चिकित्सा-व्यावसायकों द्वारा डाक्टरी की प्रैक्टिस ।

(4) मेडिकल कालेजों के डीनों / प्रधानाचार्यों के अगस्त, 1967 में हुए तीसरे अधिवेशन के सुझाव ।

(5) जल-पूर्ति एवं सफाई तथा मलेरिया, फाइलेरिया, चेचक आदि के उन्मूलन के लिए कतिपय मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी समस्याओं पर बहस करने के लिए स्वायत्त शासनों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलाना ।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पंचायतों और स्वायत्त शासन के बजाय राज्य स्वास्थ्य निदेशकों के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के अधीन लाने की वांछनीयता ।

(7) भारतीय चिकित्सा सेवा ।

(8) नगरपालिकाओं और नगर निगमों के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण अथवा केन्द्रीयकरण और उन्हें प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में सम्मिलित करना ।

(9) राज्य स्वास्थ्य बोर्डों का गठन ।

(10) दिसम्बर, 1967 में हुई होम्योपैथिक सलाहकार समिति की बैठक की सिफारिशें ।

(ग) कार्यकारी समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

आयकर निर्धारण के लिए पति और पत्नी की आय को जोड़ना

2646. **श्री दीवीकन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि पति और पत्नी की दोनों की आय को आयकर निर्धारण के लिए जोड़ना चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) प्रत्यक्ष करों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स खीमजी पूंजी एण्ड कम्पनी, बम्बई

2647. **श्री रमानी : श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मंत्री 31 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5394 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स खीमजी पूंजी एण्ड कम्पनी, बम्बई की कर देयता के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हाँ।

(ख) 1946–47 से लेकर 1956–57 वर्षों तक के कर-निर्धारण वर्षों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

कर-निर्धारण वर्ष	वास्तव में निर्धारित आय	
1946–47	7,18,043	जिन पुनर्निर्धारणों के बारे में अपील की गई थी वह रद्द कर दी गई है। नए सिरे से निर्धारण करने बाकी हैं।
1947–48	4,80,173	
1948–49	4,48,408	
1949–50	1,96,785	
1950–51	1,67,679	पुनः निर्धारण बाकी रहता है।
1951–52	79,222	
1952–53	1,80,746	
1953–54	4,11,746	
1954–55	5,44,268	
1955–56	2,62,932	
1956–57	5,25,373	

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में विदेशी नागरिक

2648. **श्री गणेश घोष:** **श्री नायनार :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1968 के दैनिक "पैट्रिएट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि एक विदेशी नागरिक अमरीकी पारपत्र से आसाम में रह रहा है और उसका विदेशी बैंक में खाता है और वह उस बैंक को धन भेजता रहता है;

(ख) यदि हाँ, तो विदेशी नागरिक का नाम क्या है और बैंक तथा उस देश का नाम क्या है;

(ग) क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने धन भेजने की आज्ञा दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इसपर क्या कार्यवाही की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख): जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है वह श्री एम० डब्ल्यू० चैपमैन हैं जो ब्रिटिश नागरिक हैं। वर्तमान विनियमों (रेगूलेशन) के अधीन, भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक को अपनी विदेशी मुद्रा का हिसाब दे। इसलिए श्री चैपमैन के विदेशी खातों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) श्री एम० डब्ल्यू० चैपमैन को पिछले पाँच वर्षों में विदेशों में धन भेजने की कोई सुविधा नहीं दी गई है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नकली दवाइयां तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट

2649. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1967 तक की अवधि में नकली दवाइयों के कितने मामलों का पता लगाया गया था :

(ख) उसी अवधि में ऐसे कितने मामले पकड़े गये जिनमें शिशु-आहार (बेबी फूड) में मिलावट की गई थी;

(ग) खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मामले पकड़े गये; और

(घ) इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 319/68]**

उप-प्रधान मंत्री के निवास स्थान की देखभाल

2650. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप-प्रधान मंत्री के अपने वर्तमान निवास-गृह में जाने के बाद उसकी सजावट, मरम्मत तथा देखभाल पर आज तक कुल कितना खर्च आया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री इकबाल सिंह):

देखभाल और मरम्मत पर 24,277 रुपए तथा परिवर्तन / परिवर्द्धन पर 16,669 रुपए। सजावट पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

कोचीन के समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के निर्यातक

2651. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री एस्थोस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन के समुद्र से प्राप्त खाद्य पदार्थों के कुछ निर्यातकों को कभी-कभी उपकरण और विलास की वस्तुएँ भी मिलती रहती हैं; जिन्हें मुफ्त उपहार के अन्तर्गत भेजा जाता है, वस्तुतः अमरीका में उनके बिक्री एजेन्ट जमा हुई मुद्रा में से उक्त वस्तुएँ खरीदते हैं, जिनकी जानकारी सीमा शुल्क विभाग को है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1952 में कोचीन सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक ऐसी विलास वाली वातानुकूलित स्टेशन वेगन गाड़ी को ले जाने की अनुमति दी; जो मछली और समुद्र से

प्राप्त जमाये हुए खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिए बनाई गई एक प्रशीतित मोटरगाड़ी के एक लाइसेंस पर मुफ्त उपहार के रूप में दी गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई भी मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है।

(ख) आयात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा "वातानुकूलन प्रशीतन उपकरण सहित 1962 शेवरोलेट स्टेशन वेगन' के लिए सीमाशुल्क कर की अदायगी करने पर 14-6-1962 को वातानुकूलन संयंत्र सहित 1962 की शेवरोलेट स्टेशन वेगन सीमाशुल्क निकासी परमिट द्वारा छोड़ दी गयी थी। नियात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ऐसे मामले में अपनायी गई कार्य प्रणाली के अनुसार सीमा शुल्क-निकासी परमिट जारी करते समय विदेशी मुद्रा के रूप में अदायगी के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी।

(ग) इस मामले में अनियमितता के प्रश्न की छानबीन की जा रही है।

तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रेषण

2652. **श्री जी० मो० विश्वास :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा वर्ष 1960 से 1970 तक की अवधि में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वर्ष वार कितना लाभ कमाया गया, कितनी राशि कर के रूप में दी गई और कितनी विदेशी मुद्रा का प्रेषण किया गया:—

(1) बर्मा शैल मार्केटिंग कम्पनी;
(2) बर्मा शैल रिफाइनिंग कम्पनी;
(3) एस्सो मार्केटिंग कम्पनी;
(4) एस्सो रिफाइनिंग कम्पनी;
(5) काल्टेक्स मार्केटिंग कम्पनी;
(6) काल्टेक्स रिफाइनिंग कम्पनी;
(7) इन्डोबर्मा पेट्रोलियम कम्पनी;
(8) बी० ओ० सी० (आई० टी०) लिमिटेड;
(9) आसाम आयल कम्पनी;
(10) आयल (इन्डिया) लिमिटेड;
(11) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी);
(12) हिन्दुस्तान आरगेनाइजर्ज लिमिटेड?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) ब्याज और करों से पूर्व लाभ, और (ख) तेल कम्पनियों द्वारा भेजी गई रकम के

बारे में यथासंभव उपलब्ध सूचना को बताने वाले दो विवरण-पत्र (विवरण पत्र–1, तथा विवरण-पत्र–11) संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 320/68]

अदा किये करों आदि के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही वह प्राप्त होगी, सभा-पटल पर रखी जायेगी।

तेल कम्पनियों द्वारा की गई अधि-वसूलियां

2653. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्टूबर, 1961 से 30 जुलाई 1965 तक की अवधि में तैल कम्पनियों द्वारा की गई अधि-वसूलियों की राशि को वस्तुतः वसूल कर लिया गया है जैसा कि तेल मूल्य जाँच समिति ने सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन तेल कम्पनियों से वसूल की गई राशियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हाँ।

(ख) खनिज उत्पाद (उत्पादन तथा सीमाशुल्क के अतिरिक्त कर) अधिनियम 1958 (1958 की संख्या 27) के अन्तर्गत उत्पादन तथा सीमाशुल्क के अतिरिक्त करों की उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं :—

अवधि	वास्तविक उपलब्धियां (करोड़ रुपये में)
1-10-61 से 31-3-62	12.56
1-4-62 से 31-3-63	24.03
1-4--63 से 31-3-64	23.92
1-4-64 से 31-3-65	36.87
1-4-65 से 31-3-66	39.56
1-4-66 से 31-3-67	60.88
1-4-67 से 31-10-67	40.62

मैसर्स खिमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई

2654. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स खिमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई पर लगाये गये कर-अपवंचन संबंधी आरोपों के बारे में जाँच इस बीच पुरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई

2655. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री 7 दिसम्बर' 1967 के अतारांकित प्रश्न 3262 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई के विरुद्ध जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मालिक के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है;

(ग) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे छापे किन-किन व्यक्तियों के यहाँ और कितने छापे मारे गये और प्रत्येक छापे में कितनी नकदी, मूल्यवान तथा अन्य वस्तुयें प्राप्त हुई; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) मैसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई के मामले की जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है और जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने पर सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जायगी।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

कलकत्ता में पट्टा से टोलाह तक पानी की सप्लाई वाली मुख्य लाइन की मरम्मत

2656. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम नें पट्टा से टोलाह तक 60 इंच वाली पानी की सप्लाई की मुख्य लाइन की मरम्मत की योजना के अनुमोदन के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 60" व्यास के पल्टा-तल्ला वाटर मैन के पुनर्निर्माण के लिये कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन द्वारा तैयार की गई एक योजना भेजी है। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ने इस योजना की जाँच कर ली है और चीफ इंजीनियर से कह दिया गया है कि वह तकनीकी टिप्पणियों के आधार पर इस योजना में संशोधन करें और इस संशोधित योजना को आगे कार्यवाही के लिये भेज दें।

अमरीका का निर्यात-आयात बैंक

2657. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीका के निर्यात-आयात बैंक से अब तक लगभग साढ़े चार करोड डालर के ऋण मिल चुके हैं;

(ख) यह ऋण की राशि किन-किन कार्यों के लिये निर्धारित की गई है; और

(ग) माल खरीदने के लिये सरकार ने किन-किन फर्मों की गारंटी दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक ने भारत को अब तक 4197.8 लाख डालर के ऋण दिये हैं, जिनका ब्यौरा साथ के विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 321/68]

(ग) भारत सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों को दिये जाने वाले ऋणों का जिम्मा नहीं लेती।

मैसर्स केशोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता

2659. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2444 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स केशोराम इंडस्ट्रीज और काटन मिल्स लिमिटेड कलकत्ता, द्वारा रद्द करने के संबंध में की गई अपील के संबंध में इस बीच निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) 1961-62, 1963-64 तथा 1964-65 कर-निर्धारण वर्षों के लिए कंपनी की आय के कर-निर्धारण के संबंध में वेतन की घटौती नामंजूर कर दी गई थी। कंपनी ने ना-मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की और अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्त ने 1963-64 और 1964-65 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए ना-मंजूरी खारिज कर दी। 1961-62 वर्ष के लिए की गई अपील का अभी फैसला नहीं हुआ है। विभाग ने अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा 1963-64 वर्ष के लिये दिये गये आदेशों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के यहाँ एक अपील दायर की है जिस पर फैसला होना बाकी है। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा 1964-65 के कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में दिये गए आदेशों के विरुद्ध अपील करने का प्रश्न विचाराधीन है।

अरब देशों से तेल का आयात

2660. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसरायल और अरब संघर्ष के दौरान अरब देशों के सामने अपने तेल की बिक्री की समस्या खड़ी हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत ने अरब देशों से तेल का आयात करने के प्रयत्न किये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। हमें उस अवधि में कुवैत और सौऊदी अरब के कच्चे तेल का सामान्य आयात बराबर होता रहा।

गांधी तथा नेताजी के सिक्के जारी किए जाना

2661. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाँधी शताब्दी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अधीन स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की रजत जयन्ती इस वर्ष होने वाली है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इन अवसरों पर गाँधी जी तथा नेताजी की मूर्ति वाले सिक्के जारी करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) और (ख) 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शती के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करने के बारे में विचार किया जा रहा है। नेताजी की मूर्ति वाला स्मारक सिक्का जारी करने के बारे में सरकार के पास अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया और न ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

कर अपवंचकों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना

2662. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर-अपवंचकों की सम्पत्ति को जब्त करने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी हाँ।

(ख) वित्त विधेयक 1968 के खण्ड 19 और 32 द्वारा क्रमशः आय-कर अधिनियम 1961 और धन-कर अधिनियम 1957 में इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध रखने का विचार है। आय अथवा धन को छिपाने के कारण लगने वाला जो दण्ड (उस व्यक्ति द्वारा देय आय-कर अथवा धन-कर के अतिरिक्त) लगाया जाता है, उसकी सीमा को बढ़ाकर छिपाई गई आय अथवा धन का, जैसा भी मामला हो, न्यूनतम 100 प्रतिशत और अधिकतम 200 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके सभी मामलों में, छिपाई गई सम्पूर्ण आय अथवा धन की जब्ती की व्यवस्था हो जायगी।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गृह-निर्माण योजना

2663. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई गृह-निर्माण योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा के कितने तथा कौन-कौन से गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया है ;

(ग) क्या कृषि मजदूरों के लिये कोई गृह-निर्माण योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये 1967-68 और 1968-69 में कितनी धनराशि नियत की गई थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) इस मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने मार्च, 1964 तक राज्य को आवंटित 240 ग्रामों में से 181 ग्रामों में योजना का क्रियान्वितीकरण आरंभ किया है। योजना को क्रियान्वित करने के लिये ग्रामों का चयन राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है तथा चुने गए ग्रामों का नाम केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत अन्य ग्रामीणों की ही भाँति कृषि मजदूर भी निर्माण/अपने मकानों के निर्माण/सुधार के लिए ऋण के पात्र हैं।

योजना में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान के स्थानों के आवंटन की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान देती है। उड़ीसा सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम को आरंभ नहीं किया है।

(ङ) राज्य सरकार के द्वारा अपने वार्षिक प्लान तथा बजट में की गई व्यवस्था के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्भर करती है। ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 1967-68 में 3 लाख रुपए की व्यवस्था की तथा 1968-69 में इस प्रयोजन के लिए उन्होंने 3 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है।

महानदी घाटी में तेल के निक्षेप

2664. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल-निक्षेपों का पता लगाने के लिये उड़ीसा में महानदी घाटी तथा चिलका झील क्षेत्रों के भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या सर्वेक्षण के बाद की कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी नहीं। भूमीक्षण गुरुत्व तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण अभी किये जा रहे हैं।

(ख) महानदी थाला में अब तक किये गये सर्वेक्षणों से एक अच्छी अवसादीय स्थूलता और दक्षिण-पूर्व की ओर अवसादों के धीरे-धीरे स्थूल होने का पता चलता है।

(ग) गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण, जो अब हो रहे हैं, के बाद भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जायेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई और पश्चिमी तट पर छापे

2665. **श्री विश्नाथ मेनन :** **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या वित्त मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा पश्चिमी तट पर मारे गये छापों की संख्या, पकड़े गये सोने की कुल मात्रा, सोना कहाँ से आया, तस्कर व्यापारियों तथा बीच के लोगों की कार्य-प्रणाली, गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या तथा दण्डित लोगों की संख्या के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) माँगी गई सूचना नीचे दी है:

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने बम्बई सहित पश्चिमी समुद्रतट पर दिनांक 1-1-1967 से 15-11-1967 तक के बीच विभिन्न स्थानों में 229 छापे मारे और इन छापों में 455 किलोग्राम सोना बरामद किया। इन आँकड़ों में वह सोना शामिल नहीं है जो मोटर-गाड़ियों, व्यक्तियों आदि को रोक कर पकड़ा गया था।

पकड़े गये सोने पर ब्रिटेन तथा फ्रांस के मार्के थे। तस्कर व्यपारियों तथा बिचौलियों द्वारा सामान्यतः यह कार्य-प्रणाली अपनाई जाती है। जलयानों अथवा अरबी नौकाओं द्वारा सोना समुद्र तट पर लाकर डाल दिया जाता है, जहाँ से यह सोना बाद में मोटर-गाड़ियों द्वारा एक स्थान से देश के भीतर के स्थान पर खुद ही छिपा कर अथवा पार्सल के जरिये आगे ले जाया जाता है।

इस सम्बन्ध में 64 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी गई है क्योंकि इन मुकदमों में सुनवाई अभी चल रही है। कुछ मामलों में अभी मुकदमें चलाये जाने हैं।

Expenditure on Decoration of Ministers' Bungalows

2666. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount incurred by Government on the decoration of bungalows of each of the Union Ministers since January, 1968 so far ;

(b) the esrimated expenditure proposed to be incurred thereon upto the end of 1968-69 ; and

(b) whether Government propose to reduce the expenditure of their decoration and maintenance.

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) to (c) No expenditure as such, on decoration is incurred or is proposed to be incurred.

Smuggled Goods Seized from a Ship near Bombay

2667. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the officials of Central Excise and Customs Department searched a ship 'Putli' at Dharmtar, at a distance of 25 miles from Bombay during the second half of January, 1968 as a result of which smuggled watches and silver worth about Rs.35 lakhs was recovered;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the steps taken to check such smuggling ; and

(c) whether the ship was Indian or foreign ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**) :

(a) Yes, Sir. On 23-1-1968 officers of Bombay Central Excise and Customs Deppartment intercepted the sailing vessel, "Putali" in Dharamtar Creek, and recovered wrist watches, coral and silver valued approximately at Rs.35 lakhs.

(b) 9 persons on board the vessel were arrested.

The following measures are adopted to check such smuggling :

(i) systematic rummaging of suspected vessels and aircrafts ;

(ii) regular as well as surprise patrolling of vulnerable sections of coast line and land borders;

(iii) systematic collection of information and follow-up action ;

(iv) imposition of heavy penalties under the Customs Act including confiscation of contraband and the conveyance ; and

(v) prosecution in proper cases.

(c) Indian.

M/S. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

2668. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of share-holders of M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.,

(b) the amount of Income-tax assessed for payment by the share-holders of the said firm during the last five years ;

(c) the amount of the Income-Tax paid by them during the above period; and

(d) the amount of the Income-tax outstanding against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) 16.

(b) to (d) The information which relates to 80 assessments is not readily available.

M/S. Oriental Timber Trading Corporation (P)Ltd.

2669. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the share-holders of M/S. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., are the members of the same family ;

(b) the names of other firms in which they are holding shares; and

(c) the amount paid by those firms to Government as Income-tax during the last five years ?

The Dpeuty Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes Sir.

(b) and (c) The shareholders own shares in a number of companies both private and public, which are assessed at different palces. The details are not readily available.

नई दिल्ली में जहांगीर रोड और मिंटो रोड क्षेत्र में खाली क्वार्टर

2670. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री राम रा० सिंह देव :**

श्री देवव्रत बरुवा :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि क्वार्टरों के आबंटन के लिए हजारों सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं, मण्टो रोड और जहाँगीर रोड, दिल्ली में 500 से भी अधिक क्वार्टर 5 से अधिक वर्षों से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितनी हानि हो रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जबकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्वार्टरों को गिरा दिया गया है, नये क्वार्टरों का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) मिन्टो रोड तथा जहाँगीर रोड पर केवल छः निवास स्थान पाँच वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े हैं। उनको गिराये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन क्वार्टरों को या तो खतरनाक घोषित होने अथवा पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत आ जाने के कारण खाली कराया गया था।

(ग) जी हाँ।

(घ) मिन्टो रोड तथा जहाँगीर रोड पर क्वार्टरों के गिराये जाने से खाली हुई भूमि पर निर्माण के लिए अनुमान 1963-64 में स्वीकृत हो गए थे किन्तु कार्य इसलिए आरंभ नहीं किया जा सका क्योंकि नगर निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए गए ले-आउट प्लान को इस आधार पर अनुमोदित नहीं किया कि इस क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जोनल प्लान को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जोनल प्लान अब अनुमोदित हो चुका है तथा संशोधित अनुमान तैयार कर लिया गया है।

Central Excise Department, Madhya Pradesh

2671. **Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Bharmanandji :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the headquarters of the Central Excise Department covering Madhya Pradesh and Vidharbha region are located in Nagpur ;

(b) whether it is also a fact that most of the industrial units having concern with the said Department are in Bhopal, Indore and Gwalior ;

(c) if so, whether Government propose to shift the said headquarters to Bhopal or to some Central place for the convenience of persons living in distant places; and

(d) if not, the reasons thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir

(b) Yes, Sir.

(c) Not for the present.

(d) As a shift of headquarters is likely to involve capital outlay in the shape of buildings for office and residence, the consideration of such proposals has to wait, in view of the need for economy.

पूंजी जारी करने के लिये कम्पनियों को मंजूरी दी जाना

2672. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सात कम्पनियों, अर्थात् लालजी भाई, जीवराम प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, ईगल लिथोग्राफिंग कंपनी (पी०) लिमिटेड, कलकत्ता, नेशनल सीरियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड सोलन, क्यूअरी (शिमला), आयुर्वेद सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर, इंडिया फिल्टर्स मैन्युफैक्चर्स (पी०) लिमिटेड, मद्रास, एसोसियेटिड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, बम्बई, माइको फार्म केमिकल्स लिमिटेड, मद्रास को पूंजी जारी रखने की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जी, हां; इसका ब्यौरा और कारण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 322/68]

Rajasthan Canal Project

2673. **Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the further progress made in the Rajasthan Canal Project; and

(b) when the project is likely to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The entire 134 miles length of the Rajasthan Feeder and the first 48.6 miles length of the Rajasthan Main Canal have been completed. Work is in progress between mile 48.6 and mile 70.

Naurangdesar, Rawatsar, Zorawarpura and Khetwali distributaries are complete. The Suratgarh Branch system is also almost complete. Work is in progress on Sardarpura, Chuli and Jessabhati distributaries and on the Anupgarh Branch distribution system.

(b) The project was comtemplated to be completed in two stages as follows :

Stage I comprising Rajasthan Feeder, Rajasthan Main Canal up to mile 122 alongwith all the branches and distributaries taking off from the Canal in this reach	1970-71
Stage II Rajasthan Main Canal upto mile 292 together with all the branches and distributary system.	1977-78

Due to constraint of sources, these target dates will have to be revised.

चंडीगढ़ में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकर भत्ता

2674. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने नगर प्रतिकर भत्ता मांगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जो पंजाब और हरियाणा राज्य की सेवा में हैं और चंडीगढ़ में रह रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि चंडीगढ़ में रहने वाले अधिकतर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल उपलब्धियां उन कर्मचारियों की उपलब्धियों से कम हैं जो पंजाब और हरियाणा राज्य की सेवा में हैं और चंडीगढ़ में रह रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 1964 से जो चण्डीगढ़ नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता बन्द कर दिया गया था उसको फिर से चालू कराने के सिलसिले में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं

(ख) जी हाँ। ये पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के चण्डीगढ़ स्थित कर्मचारियों को चण्डीगढ़ नगर निवास प्रति पूर्ति भत्ता दिया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल परिलब्धियाँ पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के उसी श्रेणी के कर्मचारियों से सामान्यत: अधिक हैं लेकिन खास-खास मामलों में सदैव ऐसा नहीं होता।

(घ) कोई विशेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते एक समान पद्धति से विनयमित नहीं होते।

चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2675. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने विशेष रूप से निम्न आय वाले कर्मचारियों के लिये, क्वार्टरों के निर्माण के लिये सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) आरम्भ में टाइप ii, iii तथा iv के 132 क्वार्टर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है।

चण्डीगढ़ के प्लाटों के मालिकों को गृह-निर्माण ऋण

2676. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) वर्ष 1966-67 में चंडीगढ़ में प्लाटों के मालिकों को गृह-निर्माण के लिए ऋण देने हेतु चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र ने कितनी राशि माँगी थी;

(ख) गृह-निर्माण ऋण देने के लिये सरकार ने चंडीगढ़ संघ राज्य को कितनी राशि दी; और

(ग) भूमि के विकास पर खर्च हुई भारी राशि को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को इस ऋण की पूरी राशि शीघ्र देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) 1966-67 में 80.00 लाख रुपए और 1967-68 में 100.00 लाख रुपए।

(ख) और (ग) चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र को 1 अक्तूबर, 1966 से बनाया गया था इसी कारण इस क्षेत्र को 1966-67 के दौरान कोई निश्चित निधि आवंटित नहीं की गई फिर भी, उस वर्ष में अन्य संघीय क्षेत्रों को दी गई निधि में से पुर्विनियोजन द्वारा उन्हें प्लान फण्ड से 5.00 लाख रुपए की राशि मध्य और निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण वितरित किए जाने के लिये दी गई। 1967-68 के लिए योजना आयोग के स्वीकृत संपूर्ण व्यय में यह संभव नहीं था कि इस वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए कोई प्लान फण्ड्ज़ की व्यवस्था की जाए। फिरभी, 1967-68 के संशोधित बजट अनुमान में इस क्षेत्र को 5.00 लाख रुपए की गैर योजना निधि (नान प्लान फण्ड) से व्यवस्था की जा चुकी है जिसे शीघ्र ही देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, चण्डीगढ़, प्रशासन के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने मकान बनाने के लिये मकान बनाने के अग्रिम धन के नियमों के अंतर्गत ऋण भी प्राप्त हो सकता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

2677. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर वर्ष 1966-67 और 1967-68 में वर्षवार अनुमानित वार्षिक व्यय कितना हुआ; और

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पिछले दो वर्षों में तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने में कितनी सफलता मिली है और उसका मूल्य क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) 1966-67 और 1967-68 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित व्यय किया:

	(रुपए लाखों में)	
1966-67	3979.93*	(वास्तविक)
1967-68	4595.79*	(संशोधित अनुमान)

*हाइड्रोकार्बन्ज को दिए ऋण शामिल हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ निष्पादन निम्न प्रकार हैं:—

अन्वेषण और व्यधन .

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जम्मू-काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, गुजरात के राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में गहन अन्वेषी सर्वेक्षण किए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1966-67 के दौराम 80 गहरे कुओं और 1967-68

(जनवरी, 1968 तक) 58 कुओं का व्यधन किया और धोलका एवं काडी (गुजरात में) तेल तथा राजस्थान में कुछ गैस का पता लगाया।

कच्चे तेल और गैस का उत्पादन :

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाया तथा रुद्रसागर (असम) और कालोल, नवागाँव तथा कोस्मबा (गुजरात) से परीक्षण उत्पादन शुरू किया। 1967 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में गुजरात उर्वरकों तथा बड़ौदा के कुछ उद्योगों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई शुरू की। 1966-67 में गैस और तेल की बिक्री से 25.51 करोड़ रुपए और 1967-68 के दौरान (दिसम्बर, 1967 तक) 23.82 करोड़ रुपए की आय हुई।

Prostitution

2678. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased **to state :**

(a) the States where prositutition is being carried on at present ;

(b) the total number of prostitutes in India according to the census conducted in 1961 ;

(c) whether Government propose to amend the Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 to make it more effective ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :

(a) Prostitution is prevalent in varying degree in all States.

(b) The census figures did not include an enumeration of prostitutes.

(c) No such proposal is under consideration at present.

Supply of Adequate Water for Intensive Cultivation

2679. **Shri Inder J. Malhotrs :** **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the action taken by the Central Government for the implementation of its newly formulated policy to supply adequate water for the crops instead of protecting the crops from drought ; and

(b) whether adequate water is available for intensive cultivation in the old commanded areas of tube-wells and canals or the Central Government have directed the State Governments to curtail the commanded area ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) Supply of adequate water for crops is not a new policy. Irrigation water is supplied according to the crop needs except in a few cases.

(b) Yes, in most of the irrigated areas adequate water is available for intensive cultivation. Suggestions have been made to curtail the command of some tube-wells which are unable to serve the entire command as envisaged at the time of their construction.

लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड

2681. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड में कुछ अधिकारियों ने

जाली नाम से धन जमा कर रखा है और वे जाली नाम से धन निकालते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ग) किन व्यक्तियों या कम्पनियों के नाम में ये जाली प्रविष्टियाँ की गई;

(घ) क्या इस कार्य के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गए हैं; और

(ङ) इस बैंक के कुछ खातों में आय-कर अधिकारियों द्वारा की गई जाँच का परिणाम क्या निकला है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ङ) जैसा कि 15 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 और २३ नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की किसी अनियमितता का पता नहीं चला है। लेकिन बैंक में जमा कुछ रकमों के सम्बन्ध में आयकर विभाग जाँच कर रहा है।

संतति निग्रह के तरीके

2682. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संतति निग्रह तथा परिवार नियोजन कार्यों को तेज़ करने के प्रयोजनार्थ लूप के प्रयोग को प्रोत्साहन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिये अब कौन से तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ग) क्या संतति निग्रह गोलियाँ भी समान रूप से कारगर सिद्ध हुई हैं।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) लूप के प्रयोग को निरुत्साहित नहीं किया जा रहा है और इसका पहले ही की तरह उत्साहपूर्वक प्रचार किया जा रहा है। ऐसी नारियों को जो किसी भी कारण से इसे स्वीकार नहीं करती हैं, परिवार नियोजन के अन्य तरीके प्रदान किए जा रहे हैं।

(ख) "कैफेटेरिया" सिद्धान्त चालू है और परिवार नियोजन के सभी तरीकों और साधनों के लिये परिवार नियोजन केन्द्र मुफ्त अथवा विशेष रियायतों पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिन दम्पतियों के 2 या 3 बच्चे हैं उन्हें परिवार को सीमित करने के लिये नसबन्दी कराने के लिये जोर डाला जाता है और जिनके दो या कम बच्चे हैं उन्हें एक बच्चे के बाद समय का अन्तर देने के लिये लूप और अन्य गर्भनिरोधकों के प्रयोग के लिए सलाह दी जाती है।

(ग) यदि निर्धारित तरीकों के अनुसार प्रयोग किया जाए तो खाने वाली गोलियाँ काफी प्रभावशाली समझी जाती हैं।

समाज-कल्याण कार्यक्रम

2683. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज-कल्याण कार्यक्रम के कार्य का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कोई ऐसा केन्द्रीय अभिकरण है, जो इस बात पर नजर रखे कि राज्यों में यह कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहा है और उसकी रिपोर्ट समाज-कल्याण बोर्ड को करे ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस समय क्या कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और वर्ष 1967-68 में राज्यों को राज्यवार कितनी राशि दी गई ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) निधियों की कमी के कारण, वर्तमान समाज-कल्याण कार्यक्रमों के कार्य को बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ है ।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की निगरानी समाज-कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की प्रगति की निगरानी राज्य समाज-कल्याण बोर्ड करते हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं :--

1. बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम ।
2. सामाजिक रक्षा कार्यक्रम ।
3. विकलाँग व्यक्तियों का पुनर्वास ।
4. समाज-कल्याण कार्य में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता ।
5. प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रशासन ।
6. व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त राज्यों में केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के जरिए परिवार तथा बाल-कल्याण कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं ।

आयकर की अधिक वसूल की गई राशि को लौटाना

2684. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में आयकर की अधिक राशि वसूल की गई थी और इस समय आय-कर के रूप में अधिक वसूल की गई राशि कितनी है ।

(ख) इस अधिक वसूल की गई राशि को शीघ्र लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) किसी एक मामले में अधिक से अधिक कितनी राशि अधिक वसूली की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के छात्रों को छात्रवृत्तियां

2685. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री विश्वम्भरन :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के स्नातकोत्तर छात्रों ने अपनी छात्र-वृत्ति की राशि में वृद्धि किये जाने के लिए सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

भारत में भेषजीय उत्पादों का परीक्षण

2686. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका के भेषजीय उत्पादों के विख्यात निर्माताओं जैसे चर्ल्स फाइजर एण्ड कम्पनी, अमरीकन साइनामाइड कम्पनी और ब्रिस्टल मेयरस कम्पनी को निम्न स्तर और अप्रभावी औषधि बनाने का दोषी पाया गया है ;

(ख) इन कम्पनियों के भारत में निर्मित तथा / अथवा भारत में बिकने वाले उत्पादों पर क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिनसे उनकी विशुद्धता का पता चलता रहे ;

(ग) क्या सरकार का कोई विभाग है जो इन सब औषधियों को समय-समय पर परीक्षण करता है और इनकी विशुद्धता और किस्म का पता लगाता है, और

(घ) यदि हाँ, तो उस विभाग का क्या नाम है, वह कहाँ पर स्थित है, उसके कृत्य क्या हैं तथा उसने अब तक कितने भेषजीय उत्पादों का परीक्षण किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विशिष्ट फर्में नामतः चर्ल्स फाइजर एण्ड कम्पनी, अमरीकन साइनामाइड कम्पनी तथा ब्रिस्टल मेसर्स कम्पनी भारत में किसी औषधि का निर्माण नहीं कर रहीं । तथापि औषधि निर्माण करने वाली फर्में अर्थात् बम्बई स्थित फाइजर लिमिटेड, तथा अतुल स्थित साइनामाइड इंडिया लिमिटेड, चर्ल्स फाइजर एण्ड कम्पनी तथा अमरीकन साइनामाइड कम्पनी के साथ क्रमशः संबद्ध हैं । देश में मेसर्स ब्रिस्टल मेयरस कम्पनी से कोई फर्म सम्बद्ध नहीं है ।

जहाँ तक आयात का संबंध है आयात केन्द्रों नामतः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली और कोचीन में नियुक्त केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के अधिकारी आयातित माल पर गुणात्मक नियंत्रण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात की गई औषधियाँ औषधि एवं अंग-राग अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विहित मानकों के अनुसार हों। देश में बनने तथा बिकने वाली औषधियों पर गुणात्मक नियंत्रण रखने के लिए लाइसेंस देने की और निरीक्षण करने की एक विस्तृत और कठोर योजना की व्यवस्था की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये औषधियाँ औषधि एवं अंगराग अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये

गये नियमों में विहित उन मानकों के अनुसार हैं, जिन्हें राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन लागू करते हैं।

(ग) यद्यपि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा आयातित औषधियों के नमूनों की जाँच की जाती है तथापि प्रत्येक राज्य की या तो अपनी ही विश्लेषण प्रयोगशालाएँ हैं अथवा वह औषधियों का विश्लेषण कराने के लिए दूसरे राज्यों या केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता की सहायता प्राप्त करता है।

(घ) दो विवरण, जिनमें सूचना दी गई है, संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 323/68]**

तेल उत्पादों से राजस्व

2687. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के आय-व्ययक प्रस्तावों में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा पैट्रोलियम उत्पादों से कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि आय-व्ययक में इन स्रोतों से जितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था, उतनी राशि वस्तुतः वसूल नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में राजस्व में कितनी कमी हुई है, और उसके क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) 1966-67 तथा 1967-68 के लिए, पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क के राजस्व अनुमान, क्रमशः 441.00 करोड़ रुपये तथा 424.99 करोड़ रुपये थे।

(ख) और (ग) 1966-67 में वास्तविक वसूलियाँ बजट अनुमानों की अपेक्षा 48.03 करोड़ रुपये कम हो गयीं। इसका कारण यह था कि कोचीन के तेल शोधक कारखाने के चालू होने में विलम्ब हुआ तथा रुपये के अवमूल्यन के कारण 6-6-1966 से पैट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क की दरों में कमी हो गई। 1967-68 में हुई वास्तविक वसूलियों की सूचना मार्च 1968 के समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होगी।

तेल मूल्य सम्बन्धी दल की सिफारिश

2688. **डा० रानेन सेन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्य सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशें हर प्रकार पूरी तरह क्रियान्वित की जा चुकी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित करनी अभी बाकी हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) से (ग) तेज मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें कुछ तरमीमों के साथ 1 फरवरी, 1966 से लागू की गई थीं ; जिनका विवरण सरकारी संकल्प संख्या 101 26/65-पी० पी० डी० दिनांक, 1 फरवरी, 1966 में दिया गया है ;

रिपोर्ट की प्रतियाँ संकल्प की प्रतियों सहित 4-2-1966 को संसद लाइब्रेरी में रख दी थीं ।

संलग्न विवरण-पत्र के अनुसार लघु सिफारिशों पर यथासाध्य कार्यवाही की गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 324/68]**

नंगल उर्वरक कारखाने को दी गई बिजली की दरें

2689. **श्री गु० सि० ढिल्लों** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने नंगल उर्वरक कारखाने को दी जा रही बिजली की दरों में वृद्धि करने अथवा इस कारखाने को दी जाने वाली बिजली की मात्रा में कमी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) 1961 में नंगल उर्वरक कारखाने को 2.9 पाई (1.25 पैसे) प्रति यूनिट की दर से बिजली देना स्वीकार किया गया था । पंजाब सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस कारखाने को दी जाने वाली बिजली की दर को बढ़ा कर जनवरी, 1966 से 2.32 पैसे कर देना चाहिए। किन्तु कारखाने को दी जाने वाली बिजली की मात्रा में कटौती के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) बिजली की दरों में संशोधन से सम्बन्धित मामले पर भारतीय उर्वरक निगम से बात-चीत की जा रही है ।

पंजाब में विद्युत् परियोजनायें

2690. **श्री गु० सि० ढिल्लों** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भाखड़ा बिजलीघर के दायें किनारे पर (एक) 120-120 मेगावाट के दो एकक, (दो) यू० बी० डी० सी० बिजलीघर के 15-15 मेगावाट के 3 एकक, (तीन) जोगिंदर नगर बिजलीघर के विस्तार, तथा (चार) रोपड़ मुकेरिया पन बिजली परियोजना को नई जनित्र योजना तथा थेन बाँध बिजली परियोजना को चालू करने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनमें से कोई योजना स्वीकार की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 325/68]**

अल्प बचत

2691. **श्री हेम राज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 के दौरान अन्य बचतों से कितनी राशि एकत्र की गई है ;

(ख) 1967-68 में कितनी राशि एकत्र होने की संभावना है ; और

(ग) इस राशि में से शहरी क्षेत्रों से कितनी राशि एकत्र की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों से कितनी राशि एकत्र की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) 118.95 करोड़ रुपया (शुद्ध)।

(ख) 110 करोड़ रुपया (शुद्ध)।

(ग) देहाती और शहरी क्षेत्रों के आँकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

गैस का उत्पादन

2692. **श्री हेम राज :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के तेल क्षेत्रों में कितनी मात्रा में गैस का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) उक्त गैस की कितनी मात्रा वाणिज्यिक उपयोग में काम में लाई जाती है और कितनी मात्रा नष्ट हो रही है ; और

(ग) बेकार चली जाने वाली गैस को प्रयोग में लाने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) भारत के तेल क्षेत्रों में से उत्पादित की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा प्रतिदिन लगभग 3.60 मिलियन घन मीटर है।

(ख) प्रतिदिन प्रयुक्त गैस की मात्रा लगभग 1.3 मिलियन घन मीटर है और प्रतिदिन जलाई गई गैस की मात्रा 2.30 मिलियन घन मीटर है।

(ग) अंकलेश्वर के तेल क्षेत्रों से उपलब्ध फालतू गैस, ज्योंही उसके वितरण के लिए सुविधाएँ प्राप्त होंगी, बरौदा के उद्योगों और बरौदा नगर निगम को सप्लाई करने का प्रस्ताव है, नामरुप उर्वरक कारखाने के विस्तृत होने के बाद आयल इंडिया लि० के तेल क्षेत्रों में से गैस की अतिरिक्त मात्राओं को उक्त कारखाने को सप्लाई करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि अल्प दाब गैस को, जो इस समय जलाई जाती है, संपीड़ित (कम्प्रेस) किया जाए ; ताकि इसे उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाया जाए।

व्यास नियंत्रण बोर्ड

2693. **श्री हेम राज** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में व्यास नियंत्रण बोर्ड निदेशक की समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किस विषय पर चर्चा की गई तथा उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) व्यास नियंत्रण बोर्ड सम्बन्धी कोई भी निदेशन समिति नहीं है। बहरहाल, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 1967 से एक व्यास निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया है। इस बोर्ड की पहली बैठक, 16 दिसम्बर, 1967 को हुई थी।

(ख) विविध समितियों और उपसमितियों के निर्माण / उनको कायम रखने, दायित्व सौंपने जैसे प्रक्रियात्मक मामलों के अतिरिक्त इस बैठक में जिन और महत्वपूर्ण फैसलों पर पहुंचा गया उनमें से कुछ निम्नलिखित थे :—

(1) पंजाब सरकार द्वारा स्वीकृत आवर्दिप्त दरों पर व्यास परियोजना के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना; और

(2) व्यास परियोजना के महाप्रबन्धक से प्रार्थना की गई थी कि वे चालू दरों पर व्यास परियोजना के लिए नये प्राक्कलन तैयार करें।

व्यास बांध के कारण निष्कासित व्यक्ति संघ

2694. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में ही व्यास बाँध के कारण निष्कासित व्यक्ति संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँग क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) जी, हाँ।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण माँगें निम्नलिखित थीं :—

(1) पुनस्थापन स्थलों पर भूमि संहत खण्डों में दी जानी चाहिए।

(2) राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक विस्थापित को 15.625 एकड़ भूमि अलाट करें। निर्वाह सम्बन्धी सुविधाएँ विस्थापितों को दी जाएँ।

(3) विस्थापितों की सम्पत्ति का मूल्यांकन सहानुभूतिपूर्वक किया जाए।

(4) नौकरी में तरक्की, भत्तों की अदायगी, परिवाहन सम्बन्धी सुविधाओं और राशन की सप्लाई के सम्बन्ध में व्यास बाँध परियोजना पर लगे विस्थापितों के साथ अन्याय न किया जाए।

(ग) यह फैसला किया जा चुका है कि विस्थापितों को यथासम्भव संहत क्षेत्रों में ही बसाया जाएगा। राजस्थान सरकार पहले से ही विस्थापितों की नई बस्तियों में जीवन की आम सुविधाएँ जुटा रही है। भू-अर्जन स्टाफ द्वारा विस्थापितों की सम्पत्तियों का यथासंभव सही मूल्यांकन करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। जहाँ तक परियोजना पर नौकरी का सम्बन्ध है विस्था-

पितों को कुछ प्राथमिकताएँ दी जा रही हैं और नौकरी में तरक्की, परियोजना भत्तों की अदायगी, परिवाहन सुविधाओं, राशन की सप्लाई आदि के सम्बन्ध में उनसे कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने यह मान लिया है कि 78 से 110 प्रतिशत की राजस्थान की सिंचाई गहनता में प्रस्तावित वृद्धि के कारण व्यास के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आरम्भ में निर्णीत आरक्षित 3.25 लाख एकड़ के कुल क्षेत्र में वे कोई कटौती नहीं करेंगे।

ग्राम्य जल संभरण योजनाएं

2695. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य जल संभरण सम्बन्धी विशेष जाँच डिवीजन ने देश के किन-किन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और ये क्षेत्र किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लिए कोई योजनाएँ तैयार की गई है ; और उन पर कितना खर्च आएगा ; और

(ग) वर्ष 1968-69 के लिये उनके लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) केरल, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, मैसूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में ग्राम जल पूर्ति के विशेष जाँच प्रभागों ने प्रारम्भिक जाँच कार्य और सर्वेक्षण पूरे कर लिये हैं। आँध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा के राज्यों के विशेष जाँच प्रभागों ने भी अपने द्वारा पूरे किये गये प्रारम्भिक कार्यों की रिपोर्ट पेश कर दी है। वैसे इन रिपोर्टों में संशोधन करने की आवश्यकता है और इसके लिए इन राज्यों से अनुरोध कर दिया गया है। बिहार और जम्मू व काश्मीर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) विशेष जाँच प्रभागों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर देश के जलाभाव और जल की कठिनाई वाले क्षेत्रों के 215989 गाँवों में जिनकी आबादी 12,14,42,343 है, जल पूर्ति की व्यवस्था करने पर मोटे हिसाब से 716.87 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजनायें राज्य सरकारें बनायेंगी और उन्हें कार्यान्वित भी वही करेंगी।

(ग) चूंकि ये योजनाएँ राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के ग्रामीण पक्ष के एक अंग हैं अतः इनके लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया जाता। ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए 1968-69 में किये गये जाने वाले नियतन के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

फरक्का बांध

2696. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बाँध कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा और अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को 1970–71 तक काफी पूरा हो जाना है।

(ख) 1960 में 56.40 करोड़ रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 1962 में बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए, 68.59 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई थी। मजदूरी, माल की कीमत, पो० ओ० एल० आदि में वृद्धि, रेल भाड़े में वृद्धि, डिजाइनों में संशोधन आदि के कारण, परियोजना की लागत और भी बढ़ गई है। 156 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान पर विचार किया जा रहा है।

नदी के दोनों तटों से परियोजना पर कार्य अनुसूची के अनुसार ही प्रगति कर रहा है। 30 दरें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 36 पर कार्य-निर्माण की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है। बराज के ऊपर पुल के कुछ स्पैनों पर कार्य प्रगति कर रहा है। फीडर नहर के पूर्वार्द्ध का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

भारत में कराधान

2697. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कराधान चरम सीमा पर पहुँच गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो नई दिल्ली में होने वाले संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी आयोग के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने वाले विकसित तथा विकासशील देशों में करों की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर की दर क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कितना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर था और इस अवधि में उनकी वृद्धि की प्रतिशतता कितनी थी तथा चौथी योजना की अवधि के अनुमानित आंकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) "चरम सीमा" की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में कराधान उस सीमा तक पहुँच चुका है या नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने पहली तीन आयोजनाओं की अवधि में और उसके बाद के दो वर्षों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में जो वृद्धि की है, उसका विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 326/68**] चूंकि चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए उसके सम्बन्ध में अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रूस के सहयोग से तेल के लिये ड्रिलिंग

2698. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तटीय क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में तेल के लिए ड्रिलिंग करने के बारे में भारत ने रूस के साथ कोई प्रारूप करार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस सहयोग से कितना तेल मिलने का अनुमान है ; और

(ग) इस करार की यदि कोई शर्तें हैं तो क्या ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) अभी नहीं । परन्तु खम्भात की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में व्यधन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रूस से साज-सामान एवं विशेषज्ञ-सलाह की प्राप्ति के प्रश्न का सक्रिय अध्ययन कर रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेश स्थित भारतीय सप्लाई मिशन

2699. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों में भारतीय सप्लाई मिशन काम कर रहे हैं, और प्रत्येक मिशन में (एक) तकनीकी और (दो) गैर-तकनीकी कितने कर्मचारी हैं तथा प्रत्येक मिशन पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ;

(ख) सप्लाई मिशनों द्वारा 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में कितनी मात्रा में खरीद की गई और 1967-68 में कितनी मात्रा में खरीद किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) कितना माल अपेक्षित किस्म का पाया गया और कितने मामलों में विवाद चल रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) विदेशों में पूर्ति विभाग के दो पूर्ति मिशन हैं—भारत पूर्ति मिशन, लंदन और भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन, प्रत्येक मिशन की वर्तमान स्वीकृति कर्मचारी-संख्या निम्नलिखित है :—

	भारत पूर्ति मिशन, लंदन	भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन (मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय को छोड़कर)
(1) तकनीकी	43	12
(2) गैर-तकनीकी	200	100
	243	112

1967-68 के लिए भारत पूर्ति मिशन, लंदन और वाशिंगटन का अनुमानित खर्च क्रमश: 85,44,000 रुपये और 55,82,600 रुपये है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 327/68]

(ग) माल या तो समुचित निरीक्षण के पश्चात् स्वीकार किया जाता है या मानक वारंटी श्रेणी के अन्तर्गत ही । भारत पूर्ति मिशन, लंदन में लगभग 40 विवादास्पद मामले हैं । भारत पूर्ति मिशन वाशिंगटन में 1,91,500 डालर मूल्य का माल विवादास्पद है ।

भारत सरकार के मुद्रणालय

2700. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली, अलीगढ़, नासिक, शिमला और गंगटोक स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों में 1964-65 में स्थापित क्षमता का 28 प्रतिशत से लेकर 62 प्रतिशत तक कार्य हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1965-66 और 1966-67 में छपाई कार्य में कोई सुधार हुआ था और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) मुद्रणालयों के पास विभिन्न कार्य क्षमता वाली मशीनें हैं। यह कार्य क्षमता उनके निर्माण-वर्ष, मशीन की विशेषता, लिए गए कार्य के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। निर्माताओं ने प्रत्येक मशीन की स्थापित क्षमता नहीं दी है किन्तु कुछ मशीनों के मामले में आदर्श वातावरण में किसी विशेष मशीन का कार्य बताया है। विभिन्न मुद्रणालयों में मशीनों की स्थापित क्षमता तथा उसके वास्तविक उपयोग को एक समान तथा वैज्ञानिक तरीके से किया जाना निर्धारित करने के उद्देश्य से कुछ समय पूर्व एक अध्ययन किया गया था ताकि उनके कार्य करने पर पूर्ण नियंत्रण तथा उनकी क्षमता का उपयोग किया जा सके। एक सिद्धान्त (फार्मूला) निकाला गया, किन्तु यह पर्याप्त विस्तृत नहीं पाया गया। फिलहाल एक और सिद्धान्त अपनाया गया है और विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों में स्थित मशीनों की मशीनी क्षमता के साथ उसकी परीक्षा की जा रही है। इसी के साथ, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को एक मुद्रणालय के कार्य को बिल्कुल ठीक निर्धारित करने का काम सौंप दिया गया है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की रिपोर्ट मिल जाने के बाद अन्य मुद्रणालयों की स्थापित क्षमता इसी प्रकार निर्धारित की जाएगी।

(ग) और (घ) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 328/68]**

वर्ष 1968-69 में पंजाब के लिये योजना में नियत राशि

2701. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पंजाब के लिये योजना में नियत 44 करोड़ रुपए की राशि को घटाकर 29.53 करोड़ रुपए कर दिया है;

(ख) क्या इस कटौती का राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उसके लिये योजना में नियत राशि में कोई कटौती न की जाये;

(घ) क्या योजना आयोग ने इस राशि को घटाकर 29.53 करोड़ रुपए निर्धारित करने से पूर्व योजना के लिये धन नियतन के बारे में पंजाब सरकार से परामर्श किया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कटौती के क्या कारण हैं और पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए/ ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ङ) योजना आयोग ने राज्य सरकार से उसकी 1968-69 की वार्षिक आयोजना के सम्बन्ध में बातचीत की है। आयोजना पर खर्च की जाने वाली रकम के बारे में अन्तिम फैसला अभी किया जाना है। राज्य सरकार से उसकी वार्षिक आयोजना के आकार के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। आयोजना पर खर्च की जाने वाली रकम के बारे में अन्तिम फैसला करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जायगा।

उर्वरक कारखाना, कांडला

2702. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री भगवान दास :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कांडला में सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिये कुल कितना धन मंजूर किया गया है;

(ग) क्या सरकार को किसी देश से कोई सहायता मिल रही है;

(घ) यदि हाँ, तो कौन-सा देश अभिकरण सहायता दे रहा है;

(ङ) सहायता की शर्तें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) कांडला में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये आशय-पत्र जारी कर दिया है।

(ख) परियोजना के लिये अभी तक कोई भी धन मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था को अभी अन्तिम रूप देना है। परियोजना का वित्त-प्रबन्ध अमरीका से ऋण लेकर किए जाने की आशा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के विरुद्ध शिकायतें

2703. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के चिकित्सालयों और अस्पतालों के कार्य के बारे में पिछले एक वर्ष में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितने मामलों की जाँच की गई है;

(ग) कितने मामलों में शिकायतें सच्ची थीं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) 1967 के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्य के बारे में मिली शिकायतों की संख्या 168 थी ।

(ख) 166। चूंकि दो शिकायतें बिना नाम की थीं अतः उनकी छानबीन नहीं की गई।

(ग) 60 मामलों में शिकायतें पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सही पाई गईं।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों के विरुद्ध 50 मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है। शेष मामलों का सम्बन्ध कार्यविधि से उत्पन्न कठिनाइयों से था तथा किसी कर्मचारी विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि जिन कठिनाइयों का पता चला उनकी पुनरावृत्ति न होने देने के हेतु समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

फालतू पानी के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय नीति

2704. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के फालतू पानी का अधिक से अधिक उपयोग करने के बारे में राष्ट्रीय एकीकृत जल-नीति बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जी हाँ, प्रस्तावित अखिल भारतीय सिंचाई आयोग इस मामले पर भी विचार करेगा।

Fertilizer Corporation of India

2705. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of officials in the Fertilizer Corporation of India who are drawing more than Rs.500 per mensem as salary ;

(b) the number of retired Government employees among them ; and

(c) the rules governing the confirmation of the employees ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah):

(a) 1272

(b) 4

(c) Employees on their appointment and promotion to permanent posts are kept on probation for a period of six months in the first instance. This period can be further extended at the d-i cretion of the Management. After the satisfactory completion of the probationery period, an ems ployee is confirmed and a letter to this effect is issued to him.

Dismissal of Employees of Fertilizer Corporation of India

2706. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the Managing Directors or Chairman of the Fertilizer Corporation of India can dismiss the employees drawing more thn Rs.500 at any time and they cannot appeal against their orders ; and

(b) whether the employees come under the definition of Public Servants and whether article 311 of the Constitution is applicable to them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah):

(a) Yes Sir. However, all cases of discharge or dismissal of personnel drawing more than Rs.1000 per month as salary are reported by the Managing Director to the Board of Directors for information. There is no provision for any appeal by an employees against the orders of the Chairman and Managing Director.

(b) The employees of the Corporation are covered by the term Public Servant for the purpse of section 21 of the Indian Penal Code.But as they do not hold a civil post under the Government, Article 311 of the Constitution is not applicable to them.

Office Accommodation For Social Organisations

2707. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of private All India Social Organisations which had applied for accommodation for their office since January, 1967 till date in Delhi ;

(b) the number of organisations among them which have been allotted accommodation ;

(c) the number of organisations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which applied for office accommodation and the number of organisations among them which has been allotted accommodation ; and

(d) if the reply to part (c) above be in the negative the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) 15.

(b) None.

(c) One (Scheduled Caste Social Welfare Organisation of India). Their case is under consideration.

(d) Does not arise.

अधिकारियों का दौरा-कार्यक्रम

2708. **श्री राम चरण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो यात्रा-भत्ते के प्रयोजन के निमित्त प्र[illegible] अधिकारी रहे ही हैं और जो 31 जनवरी, 1968 को समाप्त होंने वाले गत् दो वर्षों में 10 दिन तक लगातार अपने मुख्य कार्यालय से बाहर रहे हैं;

(ख) क्या उन सबने अपने-अपने मंत्री/सचिव से मुख्य-कार्यालय से बाहर रहने की अनुमति ली थी; और

(ग) यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) जो अधिकारी स्वयं ही अपने नियंत्रक अधिकारी हैं उनके यात्रा-कार्यक्रमों के लिये नियमों के अधीन कार्यभारी मंत्री / मंत्रालय के सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

कोयना भूकम्प

2709. **श्री अगाड़ी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नवम्बर, 1967 में मैसूर राज्य के रायचूर जिला में तुंगभद्रा परियोजना कोप्पल तालुक के तटवर्ती ग्रामों भुद्रावाली और गोंडवल में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भूकम्प के झटके बार-बार आये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त घटनाओं के समाचार खण्ड विकास अधिकारी की मार्फत राज्य सरकार को तुरन्त भेज दिए गए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बात पर उन विशेषज्ञों ने छानबीन की है और यदि हाँ, तो उनकी क्या राय है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) और (ख) पूना तथा कोडायक-नल में लगाये गए अति शक्तिशाली भूकम्प-लेखी यंत्रों ने नवम्बर, 1967 के प्रथम सप्ताह में क्रमशः 12 और 7 भूकम्प/स्पन्दन रिकार्ड किए किन्तु मैसूर राज्य के रायचूर जिले में तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र कोप्पल तालुक में इनमें से किसी का भी उत्केन्द्र नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोंग बांध क्षेत्र से विस्थापित हुए लोग

2710. **श्री विक्रम चन्द्र महाजन**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के पोंग बाँध क्षेत्र से विस्थापित हुए लाखों लोगों के पुनर्वास के लिये मकानों, स्कूलों आदि के रूप में क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था हो जाने के बाद ही उन्हें वहाँ से हटाने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उन क्षेत्रों से निर्वाचित हुए विधान-सभा सदस्यों तथा लोक-सभा सदस्यों की कोई सलाहकार समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों को पुनर्वास के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ दी जा रही हैं/ देना मान लिया गया है:—

(1) रहने के लिये झोपड़ी अथवा अस्थाई आवास।

(2) प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिये 2000 रुपए का ऋण।

(3) पुनर्वास चकों में पीने के पानी की पक्की डिगियाँ।

(4) नई आबादियों में जहाँ आवश्यक समझा जाता है, डिस्पैन्सरियाँ, स्कूल, सम्पर्क-सड़कें आदि।

(5) राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार इंजीनियरी और डाक्टरी व्यवसाय सम्बन्धी तथा तकनीकी संस्थानों में विस्थापितों के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिज़र्व की जानी हैं।

(6) ऊँट/बैल, अच्छी किस्म के बीज खरीदने के लिए तथा ट्रैक्टरों को किराये पर देने में सहायता के लिए तकावी ऋण जैसी अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं।

(ख) जी, हाँ जहाँ तक सम्भव होगा।

(ग) जी, हाँ। अगस्त, 1963 में एक व्यास पुनर्स्थापन समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुछ दूसरों के साथ, हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र के संसद् सदस्य तथा विधान सभा सदस्य भी शामिल थे। किन्तु पंजाब के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए, व्यास निर्माण बोर्ड इस समिति के पुनर्गठन पर विचार कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस के मूल्य संबंधी पंचाट

2711. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के क्षेत्रों से मिलने वाले प्राकृतिक गैस के मूल्य के बारे में डा० वी० के० आर० वी० राव० ने क्या पंचाट दिया था;

(ख) यह पंचाट किस आधार पर दिया गया था;

(ग) क्या संबंधित पार्टियों से उपर्युक्त पंचाट के विरोध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) पंचाट के अन्तर्गत गैस का विक्रय मूल्य 59.36 रुपए प्रति 1000 घन मीटर निर्धारित किया गया है। इसमें 50.00 रुपए कूप-मुख (Well heads) मूल्य, 6.00 रुपए रायल्टी और 3.36 रुपए बिक्री टैक्स शामिल हैं। उपर्युक्त मूल्य में परिवहन व्यय, जिसे मध्यस्थ ने अलग से निर्धारित किया है, शामिल नहीं है।

(ख) लागत और लाभ-फार्मूला पंचाट का मुख्य आधार है।

(ग) और (घ) सरकार को पंचाट के विरोध में किसी सम्बन्धित पार्टी से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

पंजाब में जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

2712. **श्री मु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की लुधियाना, पटियाला, जालंधर और अमृतसर की शाखाओं ने बीमा पालिसियों पर गृह-निर्माण के लिये ऋण देने की योजना बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जिस "अपने मकान के मालिक बनो योजना" के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए ऋण दिए जाते हैं, वह लुधियाना, पटियाला, जालंधर तथा अमृतसर में अभी भी जारी है। लेकिन उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है कि रजिस्ट्री के कागज-पत्र या तो पंजाबी भाषा में होने चाहिये अथवा उनके साथ पंजाबी भाषा में अनुवाद पेश किया जाना चाहिये। जीवन बीमा निगम ने इस बंधन से मुक्ति के लिए पंजाब सरकार के यहाँ दरख्वास्त की है जिसका निपटारा अभी राज्य सरकार द्वारा होना है। कानूनी शब्दावली का पंजाबी में अनुवाद करने में होने वाली कठिनाई के अलावा ऐसे अनुवाद की लागत काफी ज्यादा होगी और वह पालिसीधारी को भोगनी होगी। जीवन बीमा निगम ने कहा है कि जैसे ही पंजाब सरकार इस प्रतिबन्ध को हटा लेगी, निगम ऋणों के भुगतान का काम फिर से शुरू कर देगा।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

2713. श्री मुहम्मद इमाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटर अमेरिकन डिवेलपमेंट बैंक के प्रधान ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन को बताया है कि विकासशील देशों की कठिनाइयों का कारण यह है कि विकसित देशों में ब्याज की दर लगातार बढ़ती रहती है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन ने इस विषय पर कोई निर्णय किया है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) अन्तर-अमरीकी विकास बैंक के अध्यक्ष श्री फिलिप हरेरा, विकसित देशों के पूंजी बाजारों में रकमें जुटाने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दे रहे थे; उनके वास्तविक शब्द ये थे:—

"हमारा संगठन भी विकसित देशों में ब्याज की दरों की लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति से चिन्तित है। सात और आठ प्रतिशत और कभी-कभी उससे भी ऊँची ब्याज की दरों को देखते हुए हमें सही विकास नीति को चलाना कठिन प्रतीत होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा, कि यह तकनीकी धारणा कि अधिक विकसित देशों के पूंजी बाजारों के निवेश के गैर-सरकारी साधनों के विकासोन्मुख क्षेत्रों में अन्तिरित करने के लिये इस्तेमाल कर लिया जायगा, उस तरह ठीक नहीं उतर रही है जैसा कुछ वर्ष पहले अनुमान लगाया गया था।"

(ख) भारतीय विकास के संदर्भ में सबसे अधिक महत्व एक सरकार से दूसरी सरकार को दी जाने वाली सहायता की शर्तों का है, जो बहुत से मामलों में दुनिया के विकसित बाजारों में प्रचलित शर्तों से भी नरम हैं। हमने इस बात पर भी बल दिया है, कि नरम शर्तों पर विकास सम्बन्धी सहायता दिया जाना आवश्यक है।

(ग) सम्मेलन की कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड

2714. **श्री गाडलिंगन गौड : श्री दामानी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बिजली ग्रिड बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और राज्यों को बिजली के मामले में एक दूसरे से जोड़ने के लिए कितनी राशि का नियंतन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) बिजली प्रणालियों को क्षेत्रीय आधार पर जोड़ने की धारणा को मान लिया गया हुआ है और अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली को बनाने के अन्तिम उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों के विकास की समन्वित योजना बनाने के लिये बाकायदा कोशिश की जा रही है; क्षेत्रीय ग्रिडों के सुविधापूर्वक विकास के लिए समस्त देश को निम्नलिखित पाँच क्षेत्रों में बाँट दिया गया है:—

उत्तरी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच एक 220 के० वी० अन्तर्राज्यीय सम्पर्क को 1966-67 में पूरा किया गया था। पंजाब और हरियाणा पहले से ही एक 220 के० वी० पारेषण पथ से जुड़े हुए हैं। हरियाणा और राजस्थान राज्य रतनगढ़ के रास्ते हिसार और जयपुर के बीच 132 के० वी० पथ से जुड़े हुए हैं जिसके द्वारा राजस्थान भाखड़ा नंगल प्रणाली से बिजली का अपना बहुत सा भाग लेता है। हरियाणा और राजस्थान के बीच खेतरी के रास्ते होता हुआ एक 220 के० वी० सम्पर्क 1968 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा, ऐसी संभावना है। हरियाणा और दिल्ली भी 220 के० वी० लाइन द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं जिसके द्वारा दिल्ली इस समय भाखड़ा नंगल प्रणाली से लगभग 80 मैगावाट बिजली लेता है। दिल्ली और हरियाणा में एक और 220 के० वी० सम्पर्क स्थापित हो जायगा जो कि दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर और वल्लभगढ़ (हरियाणा) के बीच होगा।

पठानकोट (पंजाब) और जम्मू (जम्मू और काश्मीर) के बीच एक 66 के० वी० सम्पर्क लगा हुआ है तथा इन जगहों के बीच एक और 132 के० वी० सम्पर्क पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और संघीय प्रदेश चंडीगढ़ आपस में पंजाब और हरियाणा की बिजली

प्रणालियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी बिजली की माँगों को अधिकतर भाखड़ा नंगल प्रणाली से पूरा किया जाता है।

पश्चिमी क्षेत्र: इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य शामिल हैं।

गुजरात बिजली प्रणाली और तारापोरे अणु शक्ति केन्द्र के बीच 220 के० वी० की एक लाइन 1967 में पूरी की गयी थी; तारापोरे बिजली केन्द्र को कल्वा (बम्बई) से मिलाने वाले 220 के० वी० सम्पर्क का निर्माण किया जा रहा है और इसके जून, 1968 तक पूरा होने की संभावना है तब इससे तारापोरे के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र के बीच अन्तर्राज्यीय सम्पर्क पूर्ण हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चाँदनी को महाराष्ट्र में भूसावल से मिलाने वाले एक 132 के० वी० सम्पर्क का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके 1968 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

दक्षिणी क्षेत्र: इस क्षेत्र में मद्रास, मैसूर, आन्ध्र-प्रदेश और केरल शामिल हैं।

मैसूर और मद्रास के बीच 1965 में एक 220 के० वी० सम्पर्क पूर्ण किया गया था। कसरगोडा (केरल) और मंगलौर (मैसूर) के बीच 110 के० वी० सम्पर्क 1966 में पूरा किया गया था। पम्बा (केरल) और मदुराय (मद्रास) के बीच एक 220 के० वी० सम्पर्क बन रहा है जिसके सितम्बर 1968 में पूर्ण होने की संभावना है। चितूर (आन्ध्र प्रदेश) और कटपदी (मद्रास) के बीच भी एक 220 के० वी० सम्पर्क बन रहा है और इसके 1969 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

पूर्वी क्षेत्र: इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य तथा दामोदर घाटी निगम की बिजली प्रणाली शामिल है।

यह सभी बिजली प्रणालियाँ पहले से ही 132 के० वी० लाइनों द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र: इस क्षेत्र में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड शामिल हैं।

असम से मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड को बिजली की सप्लाई देने के लिये प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार 1968-69 से अन्तर्राज्यीय परिषण पथों के निर्माण के लिये निर्धारित ऋण-सहायता देने का विचार रखती है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ वित्त मंत्री की वार्ता

2715. **श्री वी० चं० शर्मा : श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री शिव चन्द्र झा : श्री प० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में उनके तथा विश्व बैंक अध्यक्ष और विश्व बैंक के श्री पीटर गारगिल के बीच चालू वर्ष में भारत द्वारा देय ऋणों की अदायगी की शर्तों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) मैंने विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री जार्ज वुड्स और विश्व बैंक के एशिया विभाग के निदेशक श्री आई० पी० एम० कारगिल के साथ कई विषयों पर बातचीत की थी जिनमें भारत द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की वापसी के कार्यक्रम में फेर-बदल करना भी शामिल है। चूंकि बातचीत सामान्य ढंग की थी, इसलिए इसका उद्देश्य खास समस्याओं के हल ढूंढ़ना नहीं था।

दिल्ली में यात्रा अभिकरणों के कार्यालयों पर छापा

2716. **श्री दा० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल में दिल्ली में कई यात्रा अधिकरणों के परिसरों पर छापा मार कर उनकी तलाशी में विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जनवरी 1968 में दिल्ली में निम्नलिखित यात्रा अभिकरणों के स्थानों की तलाशियाँ लीं:—

(1) मेसर्स मरकरी ट्रेवल्ज (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड

(2) मेसर्स ट्रेवल कारपोरेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

(3) मेसर्स एवरेस्ट ट्रेवल सर्विस एण्ड एवरेस्ट स्टीमशिप कारपोरेशन

(4) मेसर्स सीता वर्ल्ड ट्रेवल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

(5) मेसर्स इण्डिया एयर ट्रेवल्ज लिमिटेड, तथा

(6) मेसर्स ट्रेवल वर्ल्ड इनकारपोरेटेड।

यद्यपि विदेशी मुद्रा कोई विशेष नहीं पकड़ी गई तथापि विदेशी मुद्रा में प्राथमिक तौर पर अवैध लेन-देनों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज़ पकड़े गए थे। इन दस्तावेज़ों की छान-बीन की जा रही है और आगे की जाँच-पड़ताल चल रही है; जिसके पूरा होने पर कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायगी।

प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को विदेशी मुद्रा

2717. **श्री दामानी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा नियत करने में आभार में परिवर्तन किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) विदेशी मुद्रा निर्धारित करने के आधार में परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में आयात-नीति की घोषणा की जाती है और वर्ष के दौरान उसकी लगातार समीक्षा की जाती है।

Maternity Leave

2718. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to discontinue the grant of maternity leave to lady employees after three children under the current family planning drive ;

(b) whether this decision would be applicable to the lady employees of both the Central and State Governments ; and

(c) its repercussions on the lady employees of Industrial Establishments and Co-operative Sector undertakings ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइसिस

2719. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइसिस को एक स्वायत्तशासी निकाय में परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुरक्षा अधिकारी

2720. **श्री नितिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री, 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सुरक्षा अधिकारियों और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का गठन करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, अधिकारियों सहित, लगभग 12,000 सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा कर्मचारी दल विधेयक पर संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस समय विधेयक संसद् के सम्मुख प्रस्तुत है।

Land For Scheduled Castes and Scheduled Tribes

2721. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Dhebar Commission and the Acharya Kaka Kalelkar Commission appointed by Government have laid special emphasis on the distribution of land to the Scheduled Castes, scheduled Tribes and Backward Communities for their uplift ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) The Dhebar Commission laid emphasis on the distribution of land to Scheduled Tribes as first priority in the Scheduled Areas and in the Areas predominantly inhabited by them ; the Backward Classes Commission recommended that available Government land should be distributed to the landless, and to persons with uneconomic holdings.

(b) Most states have adopted revised rules for the allotment of cultivable Government lands wherein provision has been made for :

(i) Reservation of 25 to 30% for distribution among landless scheduled Tribes and scheduled castes ;

(ii) preference in allotment to Scheduled Tribes and Scheduled Castes.

Dancing School in South Delhi

2722. **Shri Bramhanandji** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that immoral traffic in women is going on in a Dancing School in South Extension, New Delhi for some time past ;

(b) whether it is also a fact that Police organized a raid and arrested four accused from that place recently ;

(c) whether Government propose to hold inquiry in respect of such other music and dancing schools ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Deprtament of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) Complaints have been received in respect of a School in South Extension, Part I. Action has been initiated against the suspected offenders.

(b) Yes.

(c) and (d) The police has been alerted to be vigilant and take action as and when necessary.

दिल्ली में भूमि सम्बन्धी योजना

2723. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिल्ली में भूमि संबंधी नीति पर विचार करने के लिये दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और नगर आयोजन संगठन के प्रतिनिधियों की हाल ही में एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन विषयों पर विचार किया गया था; और उन पर क्या निर्णय किए गए थे?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद के लिये न्यायाधिकरण

2724. **श्री क० लकप्पा**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र तथा मैसूर से कोई प्रस्ताव मिला है कि कृष्णा तथा गोदावरी से कितना-कितना पानी उनको मिले इस सम्बन्ध में एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) और (ख) महाराष्ट्र और मैसूर सरकारों ने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि कृष्णा और गोदावरी के पानी के आवंटन का प्रश्न जल्दी ही तय नहीं हो जाता तो इसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद, अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत न्याय अधिकरण के पास भेज देना चाहिये। सरकार यह महसूस करती है कि इस विवाद को आपसी बातचीत से हल करने की कोशिश करनी चाहिए और इस विचार-विमर्श की रोशनी में न्यायाधिकरण की नियुक्ति के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाना चाहिए।

तवा परियोजना

2725. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री नाथू राम अहिरवार :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 7 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तवा परियोजना के लिये निश्चित शत प्रतिशत सहायता देने के लिए इस बीच निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1968-69 के दौरान कितनी राशि दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किया जायेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तवा परियोजना के लिये शत-प्रतिशत निर्धारित सहायता देने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। यह मामला पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलनों, जिसे राज्य सरकार से अभी प्राप्त किया जाना है, की स्वीकृति और इसके कार्यान्वित के लिये योजना में किए गए प्रबन्ध के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है।

Ayurvedic Medicines in Parliament House Dispensary

2726. **Shri Brahmanandji :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to provide Ayurvedic medicines also in the Dispensary in Parliament House ; and

(b) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) The dispensary in the Parliament House is in the nature of a first-aid post and not a regular dispensary. There is no proposal to provide Ayurvedic medicines there.

Promotion of Ayurvedic System of Medicine

2727. **Shri Y.S. Kushwah** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the schemes adopted and the steps taken by Government to promote Ayurvedic System of Medicines in the country ;

(b) the number of Ayurvedic Colleges in which education in Ayurvedic System of Medicine is only imparted as also of those in which mixed system of medicines is taught, among all the existing Ayurvedic Colleges in the country ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to increase the number of colleges where education in Ayurvedic System of medicine is only imparted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy):

(a) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. L. T. 329/68]**

(b) (i) Colleges in which education in Ayurvedic System of Medicine only is imported.... 58

(ii) Colleges in which a mixed system (concurrent) of medicine is taught 43

(c) Health is a State subject and it is for the State Governments to establish more colleges where education only in the Ayurvedic System of medicine is imparted.

Madhav Andh Ashram

2728. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to **state** :

(a) the aid given by the Central Gvernment to the Madhav Aandhashram, an association of the blind persons in Gwalior, Madhya Pradesh annually ; and

(b) the steps taken to set up industrial workshop for the blind persons in Indore and Gwalior, Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :

(a) No annual grant is given to the Madhav Andh Ashram.

(b) A grant of Rs.64, 750 has been sanctioned to the M. P. Welfare Association for the Blind for the construction of a building at Indore, for the establishment of an industrial workshop for the blind and the first instalment of Rs.20,000 is being released in the current financial year.

आयकर निर्धारण तथा वसूली की व्यवसायवार योजना

2729. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर निर्धारण तथा वसूली की व्यवसायवार योजना से शीघ्र वसूली करने में सहायता मिली है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुभव रहा है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) कार्यात्मक योजना जुलाई 1967 से लागू की गयी थी। जुलाई से नवम्बर तक की शुद्ध बजट वसूलियाँ निम्न प्रकार हैं:—

शुद्ध बजट वसूलियाँ	जुलाई--नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि
(००० रु०)	**1966**	**1967**	
कार्यात्मक एकक	149,74,76	145,06,11	–3%
गैर-कार्यात्मक एकक	66,23,24	62,78,89	–5%
अखिल भारतीय	215,98,00	207,85,00	–4%

तथापि, इस योजना के पूरे प्रभावों का इस समय मूल्यांकन करना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यह अभी भी कार्यान्वयन की प्राथमिक स्थिति में ही है। यह अवश्य है कि जिस प्रकार से योजना की धारणा की गई है उससे राजस्व संग्रह के कार्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलनी चाहिए।

Complaints Against Excise Officials in Uttar Pradesh

2730. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of complaints made by Members of Parliament, Legislators, Tobacco dealers and public against the officials of the Excise Department in Uttar Pradesh during the last three years ;

(b) the number of employees of the Excise Department in Uttar Pradesh who have been transferred to other States ; and

(c) the amount of excise duty received by the Central Government from the Excise Department in Uttar Pradesh during the above period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) The net receipts from the Union Excise Duties in Uttar Pradesh during the years 1964-65 to 1966-67 were as follows :

	(In thousands of rupees)
1964-65	5,73,683
1965-66	5,96,378
1966-67	7,67,320

M/s Bird & Co.

2731. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5359 on the 21st December, 1967 and state :

(a) whether the enquiry in regard to M/S Bird and Co. has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the number of firms of the said Company against whom Income-tax is outstanding and the period in repect of which it is outstanding ; and

(d) the steps taken to realize the outstanding Income-tax ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) It was stated in the reply given to Unstarred Question No. 5359 on the 21st December, 1967 that no documents were seized from M/S. Bird and Co. (P) Ltd., Calcutta during the year 1966-67 by the agencies under the Ministry of Finance. It was promised that the information regarding the extent of foreign exhange assistance given to M/S. Bird and Co. (P) Ltd,. Calcutta during the last five years and the details of the various subsidiary firms of the said Company would be furnished. This information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

(c) and (d) The information is being collected.

भारत सहायता सार्थ-समूह से गैर परियोजना सहायता

2732. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष में भारत सहायता सार्थ-समूह के देशों द्वारा परियोजना से भिन्न सहायता के लिये जो धनराशि दिए जाने का वचन दिया गया था उसमें कितनी कमी की गई है; और

(ख) सहायता में कमी होने के कारण योजनाबद्ध परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) चालू वर्ष में भारत सहायता संघ (एड इंडिया कंसार्शियम) से प्राप्त होने वाली गैर-प्रायोजना सहायता में कमी होने के कारण ये हैं:—(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों के पुनर्भरण में विलम्ब होना, और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता विनियोग अधिनियम (एड ऐप्रोप्रिएशन ऐक्ट) में विकास-सहायता की राशि का कम होना।

(ख) गैर-प्रायोजना सहायता से, उद्योगों और कृषि की रख-रखाव सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए हमारे अपने साधनों की अनुपूर्ति होती है। चालू वित्तीय वर्ष में कम गैर-प्रायोजना सहायता के वचन मिलने के कारण, 1968-69 में इन प्रायोजनों के लिए विदेशी-मुद्रा की उपलब्धि में कुल मिलाकर तब तक कमी होगी, जब तक कि उस अवधि के लिए शीघ्र उपयोग के लिये अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं किए जायेंगे।

सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के लिये उपभोक्ता सलाहकार परिषद्

2733. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री 31 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के लिये उपभोक्ता सलाहकार परिषद् नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में सरकारी प्रतिष्ठानों में तैयार की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ता सलाहकार समिति की नियुक्ति के बारे में जो सिफारिश की है, सरकार उस पर और आयोग की दूसरी सिफारिशों पर विचार कर रही है।

दिल्ली में अनधिकृत झोंपड़ियां

2734. **श्री रामचन्द्र उलाका:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री दिल्ली में अनधिकृत झोपड़ियों के बारे में 14 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 665 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्ययन दल की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) स्टैडी ग्रुप की सिफारिशों पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई 6 जनवरी, 1968 की बैठक में विचार किया गया था। बैठक में हुए निर्णयों के अनुसार झुग्गी तथा झोंपड़ी हटाने की योजना को क्रियान्वित करने से संबंधित कार्य को दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

अन्य निर्णय सरकार के विचाराधीन हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

2735. **श्री रामचन्द्र उलाका:** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के प्रतिवेदन पर बाद की कार्यवाही करने के लिये एक व्यापक समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्यों के मंत्रियों की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) यह सम्मेलन सलाहकारिक तथा समन्वेशी प्रकार का था। कोई विशिष्ट निर्णय नहीं किए गए थे।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

2736. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **वित्त** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

आदिवासी विकास खण्ड

2737. **श्री गं०च० दीक्षित** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खण्डों की संख्या कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह–निर्माण योजना

2738. **श्री गं०च० दीक्षित** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) मध्य प्रदेश के लिये अब तक कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या वर्ष 1968-69 में इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में और अधिक मकान बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) योजना के आरंभ होने से–सितम्बर, 1952 से, 30 सितम्बर, 1967 तक मध्य प्रदेश में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत 10,808 मकान बन चुके हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 तक 345.01 लाख रुपए दिए गए हैं और 1967-68 के बजट में उनके द्वारा 27.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना एक सतत् (कांटीन्युइंग) योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये परियोजनाएँ स्वीकृत करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। 1968–69 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के विस्तृत विवरण का पता तब लगेगा जब मध्य प्रदेश सरकार से इस अवधि की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ऋण

2739. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा 1962 से 1966 तक मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ख) उक्त अवधि में किन-किन फर्मों और उद्योगों को ऋण और प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया और उन पर किस दर पर ब्याज लिया गया;

(ग) ऋण की सुरक्षा के लिए प्रत्येक से ली गई जमानत का ब्यौरा क्या है;

(घ) कितनी राशि के और कितने ऋण बट्टे खाते डालने पड़ रहे हैं और ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ङ) ऋण वसूल करने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया ने क्या कार्यवाही की है तथा कर्जदारों के नाम सहित वसूल न हो सकने वाले ऋण की राशि कितनी है और अब तक कितनी हानि हुई है अथवा होने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जाएगा। चूंकि भारतीय राज्य बैंक अधिनियम 1955 की धारा 44 (1) के अधीन भारतीय राज्य बैंक को इस प्रकार की गोपनीय सूचना देने की मनाही है, इसलिए देनदारों के नाम बताना सम्भव न होगा।

बच्चों में मानसिक दुर्बलता तथा अंधापन

2740. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को मानसिक दुर्बलता और अंधेपन से बचाने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) जनसंख्या के रोगानुकूल वर्ग को कुपोषण के दुष्परिणामों से बचाने के लिये राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति एक योजना पर विचार कर रही है क्योंकि विशेषज्ञों का मत है कि कुपोषण से मानसिक दुर्बलता एवं अन्धापन हो जाता है।

Ishwar Sharan Ashram, Allahabad

2741. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state

(a) the amount of grant sanctioned annually by the Government of Uttar Pradesh from January, 1962 to December, 1967, to Ishwar Sharan Ashram, Allahabad, the amount spent out of that by them annually and the amount returned to Government annually ;

(b) whether it is a fact that the employees, teachers and lady teachers working in the said school belong to a particulars caste ;

(c) whether there is a provision for the reservation of posts for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the said School ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare(Dr. (Smt.)Phulrenu Guha):

(a) The Member's attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 5249 answered in the Lok Sabha on 21-12-1967, wherein information relating to the grants sanctioned by the Central Government has already been furnished. Details of grants given by the State Governments are not normally collected by the Central Government, and are not readily available.

(b) to (d) No control is exercised by Government over appointments made by private institutions of this type. The principle of reservation of posts applies to Central and State Government services, and not to posts in private institutions.

Nanak Sagar Dam

2742. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to the Government of Uttar Pradesh this year to meet the loss as a result of the floods and the breach caused in the Nanak Sagar Dam in that State :

(b) the amount given to other States, separately to meet the losses as a result of floods during the above period ;

(c) the acreage of land in Uttar Pradesh where the next Rabi Crop cannot be sown as a result of breach in the Nanak Sagar Dam ;

(d) whether Government have sanctioned any grant to the Government of Uttar Pradesh cr the reconstruction of this Dam or for making some other alteranative arrangements ; and

(e) if so, the amount thereof and when it is likely to be given ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) and (b) Government of India do not provide financial assistance to State Governments to meet any losses as a result of natural calamities. Finacial assistance is, however, provided under a prescribed pattern towards expenditure incurred on various relief measnures undertaken by the State Governments on account of natural calamities.

A Central Team which studied the siutation caused by the floods in 1967 in U. P. recommended the following ceilings for expenditure in the State on relief measures in 1967-68 ;

	Rs. in lakh
(1) Relief measuras inculding gratuitous relief and assistance for repairs to houses	63
(2) Loans for purchase of seeds	200
(3) Repairs to flood damaged embankments, roads, etc. including Rs.20 lakhs for restoration of damages to Nanak Sagar Dam.	108
(4) Loans to agriculturists ..	50
	421

The Ministry of Food and Agriculture have already released the loan for the purchase of seeds.

The release of assistance for other items will be considered by the Ministry of Finance as and when a request for such assistance is received from the State Government keeping in view the progress of actual expenditure and the ways and means position of the State Government. Information regarding financial assistance given to other State for flood relief etc is given in the statement attached. **[placed in Library . See L.T. 330/68]**

(c) Owing to favourable supply conditions in the Sarda river there has been no reduction in the areas irrigated during 1967-68 rabi by the Sarda Canal Svstem though the stored **waters of**

Nanak Sagar were not available. An area of 5000 acres below the dam was however affected by sand casting and could not be shown in rabi. The repairs to the Nanak Sagar Dam are expected to be completed this year.

(d) and (e) Answer given to parts (a) and (b) above may pelase be referred to.

Gorakhpur Fertilizer Factory

2743. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Uunstarred Question No. 1228 on the Ist June, 1967 regarding Scheduled castes employees in Gorakhpur Fertilizer Factory and state:

(a) the number of additional staff recruited during the period from th Ist June to 31st October, 1967 ;

(b) the number of persons among them belonging to eastern districts of Uttar pradesh; and

(c) the reasons for which the number of persons belonging to Eastern districts among the employees appointed against regular posts is less ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) 207

(b) 130

(c) The percentage of employees from Eastern U. P. during the period works out to 62.5 which is satisfactory considering that the bulk of the recruitment during the period in question was in technical ranks of operators/technicals/junior chemists. The number of persons applying from Eastern U. P. with the required qualifications and experience in chemical plants is rather limited.

Jawahar Jyoti

2744. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 7772 dated the 3rd August, 1967 and state how long the Jawahar Jyoti would be kept aflame ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): Permanently.

स्टेट बैंक में पदालियां

2745. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक में दो पदालियाँ हैं अर्थात इम्पीरियल बैंक पदालि और स्टेट बैंक पदालि और जिनके कर्तव्य तथा दायित्व समान हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय राज्य बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, इन दोनों पदालियों को कायम रखा जा रहा है। पहली पदाली में वे अधिकारी शामिल हैं जो इम्पीरियल बैंक में काम करते थे और जिन्हें भारतीय राज्य बैंक में उनके पुराने कार्यकाल, वेतन और शर्तों पर ले लिया गया।

था। दूसरी पदाली में राज्य बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी नये कर्मचारी शामिल हैं जिनके लिए नयी सेवा-नियमावली बनायी गयी थी।

चलचित्र-व्यवसाय के लोगों द्वारा कर अपवंचन

2746. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन के बारे में पूछी गयी सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) उक्त अवधि में चलचित्र-व्यवसाय के लोगों से कितने करों की वसूली की गई है; और

(ग) उनमें से किन-किन लोगों ने कर नहीं दिये और करों की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही और यथा-सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कराधान के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2747. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रविराय :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने अपने केन्द्रीय प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि आयकर निर्धारण प्रक्रिया को समपूर्णतः युक्तिसंगत किया जाये और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों का मोटा ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) ऐसा पता चला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों के प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट, आयोग के अध्यक्ष को पेश कर दी है। किन्तु इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पोषक आहार कार्यक्रम

2748. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण मंत्रणा समिति की दो दिन की बैठक में गरीब बच्चों में अत्यावश्यक विटामिनों की कमी, जिसके परिणामस्वरूप उनका मानसिक विकास रुक जाता है तथा वे अंधे हो जाते हैं, को दूर करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये तथा इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक बच्चों को लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1968-69 के लिये कितनी राशि की व्यवस्था करने का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) से (घ) नई दिल्ली में 8 और 9 फरवरी, 1968 को हुई राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति की 7वीं बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के पोषण एकक द्वारा तैयार की गई विस्तृत पोषण योजना पर विचार-विमर्श हुआ। राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति द्वारा गठित एक तदर्थ विशेषज्ञ दल इस योजना की जाँच कर रहा है।

उड़ीसा में सालोंकी मध्यम सिंचाई परियोजना

2749. **श्री अ० दीपा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सालों की मध्यम सिंचाई परियोजना में पुरानाकाटक तालसैर और धोलापुर क्षेत्र भी आते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) प्रश्न शायद साल की परियोजना के बारे में पूछा गया है जिसके अन्तर्गत पुरानाकाटक, ढोलापुर और तालेसर नहीं आते।

(ख) नदी के निरीक्षित निस्सार आंकड़ों के अनुसार सप्लाई की उपलब्धता तथा उपयोग सीमित रहा।

उड़ीसा में एक्सप्रेस-वे

2750. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एक्सप्रेस-वे को पूर्ण करने के लिये उड़ीसा सरकार को तीन करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने उस ऋण की शर्तों को मान लिया है

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

2751. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा जिप्सम के स्थान पर पाइराइट का प्रयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो पाइराइट का प्रयोग करने के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या ऐसा परिवर्तन इसलिये किया जा रहा है कि जिप्सम का सम्भरण अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो राजस्थान में उपलब्ध निक्षेपों का पूर्णतया उपयोग करने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) और (ख) गन्धकीय अम्ल के उत्पादन के लिए पाइराइट्स की सिन्दरी में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है, जोकि युक्तिकरण योजना का हिस्सा है। यह गन्धकीय अम्ल फास्फोरिक अम्ल और जिप्सम उपोत्पाद के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। फास्फोरिक अम्ल त्रिसुपरफास्फेट के उत्पादन और उपोत्पाद जिप्सम प्राकृतिक जिप्सम के स्थान पर अमोनिया सल्फेट के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किये जायेंगे। अतः सल्फेट मूलक (रेडीकल) दो बार इस्तेमाल होता है। इस प्रकार सिन्दरी, आयातित गन्धक को बिना इस्तेमाल किये, जल विलय फास्फेट युक्त फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन करेगा और इस क्षेत्र में ऐसे उर्वरकों की कमी को पूरा करेगा। केवल पाइराइट्स ही देश में गन्धक का ज्ञात स्रोत है और गन्धीकीय अम्ल के उत्पादन की योजना में उनका प्रयोग गन्धक के आयात में कमी करने में सहायता देगा।

(ग) और (घ) निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाइराइट्स को प्रयोग करने का फैसला किया गया है:—

(1) इस समय राजस्थान में खोदी गई खानों से उपलब्ध जिप्सम की घटिया किस्म।

(2) राजस्थान से जिप्सम के भाड़े की लागत में वृद्धि।

(3) पाइराइट्स के इस्तेमाल से कारखाना, आयातित गन्धक के बिना प्रयोग से फास्फेटिक उर्वरकों और समिश्र उर्वरकों का उत्पादन कर सकेगा और इच्छित शुद्धता का उपोत्पाद जिप्सम साथ ही साथ अमोनिया सल्फेट के लगातार उत्पादन के लिए प्राप्त होगा।

Mahi Project

2752. **Shri Dhuleshwar Meena:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foundation stone of the dam to be constructed under Mahi Project was laid by the Deputy Prime Minister in 1960 :

(b) if so, the reason for which the work on the dam has not been completed so far; and

(c) the total expenditure on the project ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) Yes.

(b) In the best interests of river development, it was considered necessary to change the

storage capacity of the reservoir to a much larger amount than proposed earlier. This change and the financial restraint are causing the delay.

(c) About Rs. one crore.

केन्द्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध

2753. **श्री दामानी**. क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने यह प्रार्थना की है कि केन्द्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों का पुनर्विलोकन किया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इसके सांवैधानिक पहलू पर विचार करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्ति करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) भारत सरकार को राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग केन्द्र और राज्यों के आपसी सम्बन्धों के सवाल के सभी पहलुओं की पहले से ही जाँच कर रहा है।

पोचमपाद परियोजना

2754. **श्री नारायण रेड्डी : श्री म० सुदर्शनम**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोचमपाद परियोजना के लिये अगस्त, 1966 में 18.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या अब तक इस परियोजना के लिये कुछ धन की व्यवस्था की गई है, जिससे इस को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके जो धन के अभाव में इस समय रुकी पड़ी हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1968-69 की वार्षिक योजना में इस परियोजना के लिये धन की पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हाँ, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना पर 18 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा था।

(ख) इस परियोजना पर दिसम्बर, 1967 तक 7.5 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

(ग) जी हाँ, लगभग 1.5 करोड़ रुपये।

आन्ध्र प्रदेश में सहायता कार्यों के लिए सहायता की मांग

2755. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1967 की अन्तिम तिमाही में गंभीर सूखे के कारण आन्ध्र प्रदेश में फसल की बरबादी और किसानों द्वारा उठाई गई लगभग 120 करोड़ रुपये की हानि की जानकारी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिए पर्याप्त धन के नियतन के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी; और

(ग) उक्त प्रयोजना के लिये कोई धनराशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) दिसम्बर 1967 में राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति होने की सूचना दी थी। फसल के नुकसान के सम्बन्ध में राज्य सरकार का प्रारम्भिक अनुमान 100 करोड़ रुपये का था। लेकिन उसने कहा था कि वह और विस्तृत सूचना भेजेंगे, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है

(ख) जी, हाँ।

(ग) जैसा कि ऐसे मामलों में साधारणतया किया जाता है, केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल को राज्य का दौरा करके सूखा-संबंधी सहायता की धन सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए वहाँ भेजने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार को सहायता देने के सवाल पर, दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

Loans to Adivasis

2756. **Shri Ram Singh Ayarwal : Shri A. S. Saigal :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh had submitted a scheme for advancing loans for non-productive purposes to the adivasis to save them from exploitation by the money-lenders ;

(b) if so, whether the scheme has been approved ; and

(c) whether the amount has been paid by the Central Government for the implementation thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) to (c) A pilot scheme for investigating the feasibility of providing credit for non-productive purposes was sanctioned and taken up by the State Government in the Bagicha and Gandhwani blocks of Raigarh and Dhar Districts respectively during the year 1966-67. The amount released for the scheme was Rs.2 lakhs.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पुनरीक्षित सूची

2757. **श्री गु० च० नायक :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पुनरीक्षित सूची तैयार करते समय संसद् में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों से परामर्श किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) उस समय के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के

सभी राज्य मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों को ऐसे परामर्शों के लिए आमंत्रित किया गया था। परामर्शों में भाग लेने वालों की एक सूची संलग्न है; **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 331/68]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सलाहकार समिति

2758. **श्री गु० च० नायक** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रस्तावित पुनरीक्षित सूची की जाँच पड़ताल सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) हाँ।

(ख) समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को तथा दिए गए और सुझावों को अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में शामिल कर लिया गया है

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा किराया-खरीद आधार पर मकान

2759. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने सफदरजंग क्षेत्र में बनाये गये मकानों को किराया-खरीद आधार पर बेचने की अपनी योजना को बदल कर नकद भुगतान पर बेचने का विचार किया है;

(ख) क्या नजफगढ़ क्षेत्र में बनाये गये मकान किराया-खरीद आधार पर दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी०एस० मूर्ति):

(क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकार ने यह निश्चय किया है कि कुछ मकानों / फ्लेटों को नकद भुगतान पर बेच दिया जाये। यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

2760. **श्री द० ब० राजू** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय चालू परिवार नियोजन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और चालू वर्ष में कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में पूर्व गोदावरी जिले में प्रकाशम नगर, राजमंड्री में हाल में एक परिवार नियोजन केन्द्र खोला गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो पहले परिवार नियोजन केन्द्र के निकट एक नया परिवार नियोजन केन्द्र खोलने के क्या कारण हैं और इस नये परिवार नियोजन केन्द्र पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी ०** 332/68]

(ग) जी हाँ ।

(घ) यह सूचना आन्ध्र प्रदेश सरकार से माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Allotment of Land to Co-operative Societies

2761. **Shri Ramji Ram :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration had accepted advance from tome of the category IV Co-operative Societies for alloting them land during June, 1966 bnt ashey have not been allotted land so far, while it was promised that the land would he llotted to them upto Septemher, 1966;

(b) if so, the reasons for the delay ;

(c) whether it is also a fact that the price of the land charged is two to four times more then the actual price of land ; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy):

(a) No.

(b) Question does not arise.

(c) No.

(d) Question does not arise.

Membership for Co-operative Housing Societies

2762. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has recently put restrictions on the enrolment o new members to Co-operative Housing Societies ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Yes.

(b) A number of complaints were received by the Delhi Administration that the co-operative house building societies had been enrolling new members, irrespective of the quantum of land

allotted and the number of residential plots carved out or proposed to be carved out thereof, thus depriving the members enrolled earlier from the allotment of residential plots on flimsy grounds. With a view to check the co-operative house building societies from indulging in such undesirable activities and to ensure that allotment of suitable residential plots to the members on the principle of 'first come, first served', provided the allottees fulfil all the prescribed conditions, the co-operative house building societies have been directed to obtain prior written permission of the Administration for enrolling new members for the purpose of allotment of plots under the scheme.

रुई की बिक्री पर ऋण प्रतिबन्ध

2763. **श्री दामानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने रुई की बिक्री पर ऋण प्रतिबन्ध के प्रभाव का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो रुई तथा कपास की बिक्री पर ऋण प्रतिबन्धों में कोई ढील देने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) रिजर्व बैंक व्यापारियों के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रुई और कपास के सम्बन्ध में मंजूर की गयी ऋण-सीमाओं की जाँच बराबर करता रहा है ताकि इस बात का सही अंदाजा लगाया जा सके कि कपास की मंडियों वाले क्षेत्रों में ये सीमाएं किस हद तक पूरी की गयी हैं। साधारणतः मौजूदा सीमाओं को, मौजूदा माँग की पूर्ति के लिए पर्याप्त पाया गया है। जहाँ कहीं बैंक अपनी सीमाओं तक पहले ही ऋण दे चुके हैं या निर्धारित सीमाओं तक पहुँचने ही वाले हैं या जिन मामलों में व्यापारियों के रास्ते में उत्पादकों को दिये गये वचनों को पूरा करने के लिए वास्तविक कठिनाइयों आने की आशंका है, उन मामलों में अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी दे दी गयी है। जहाँ तक कारखानों का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक भी बैंकों के लिए अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी दे रहा है ताकि वे ऋणों सम्बन्धी अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकें। मौजूदा स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ये उपाय काफी समझे गये हैं और इस समय रिजर्व बैंक की हिदायतों को सामान्य रूप से नरम बनाना जरूरी नहीं है। फिर भी स्थिति पर रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार, मुनासिब नरमी कर दी जायगी।

सरकारी उपक्रम

2764. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उद्योग-वार संगठन करने का है जैसी कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों को प्रशासनिक मंत्रालयों के पूर्णतः नियंत्रण में रखने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और उत्पादक प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए क्षेत्रीय-एवं-सांविधिक निगम स्थापित किए जायं और ये निगम सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन काम करें।

सरकार इस सिफारिश के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री

2765. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में कुछ बस्तियों में बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियाँ लगी हुई हैं और निश्चित घंटों पर खुलेआम अवैध शराब बेची जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कछ बस्तियों के निवासियों ने सामान्यतः दिल्ली पुलिस और विशेषकर उन बस्तियों में नियुक्त पुलिसवालों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण अपनी असुरक्षा की भावना के बारे में सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन बस्तियों के निवासियों के भय को दूर करने के लिए क्या प्रभावशाली कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) जी नहीं

(ख) समाज-कल्याण विभाग में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

गिरि पन-बिजली परियोजना

2766. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिरि पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी कार्य अब आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना से कितने क्षेत्र को लाभ पहुँचने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हाँ

(ख) परियोजना के 1971 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(ग) गिरी पन-बिजली परियोजना द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और फालतू बिजली उत्तरी ग्रिड को दे दी जाएगी। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इससे वाटा नदी के बाँये तट पर 8000 एकड़ के कुल क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएँ भी मिलेंगी ।

Regularisation of Trans-Jamuna un-authorised Colonies in Delhi

2767. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of all the trans-Jamuna un-authorised colonies of Delhi have requested for their regularisation ; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy):

(a) Yes. Representations from residents of different unauthorised colonies are being received from time to time.

(b) All cases of regularisation of unauthorised colonies are considered by Delhi Administration in accordance with the policy outlined in their Press Note dated the 19th July, 1961 and the statement issued by the Chief Executive Councillor in the Metropolitan Council on the 28th October 1966. A detailed survey of these unauthorised colonies has been carried out and it is reported that they do not qualify for regularisation.

Construction of Bridge Over Jamuna Near Shanti Vana

2768. **Shri Hardayal Devgun : Shri Bal Raj Madhok :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Municipal Corporation of Delhi has submitted a scheme for the construction of a permanent bridge on the river Jamuna near the Shanti Vana to remove the traffic difficulties being experienced by 6 lakh people living across the Jamuna ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Development Authority has rejected the scheme on the recommendation of the Shanti Vana Committee ;

(c) if so, whether Government have prepared any alternative scheme to remove the traffic difficulties of these people ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health , Family Planning and Urban Development (Shri B .S. Murthy) :

(a) and (b) No. The Municipal Corporation of Delhi is not concerned with planning and construction of bridges over the river Jamuna.

(c) and (d) The Master Plan of Delhi provides for the construction of a road-bridge over the Jamuna near Shanti Vana. The question of constructing a bridge in such a way so that it should merge with the overall development plan of Shanti Vana is under consideration.

केरल राज्य समाज-कल्याण बोर्ड

2769. **श्री नायनार :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल समाज-कल्याण मंत्री ने उस राज्य के समाज-कल्याण बोर्ड के ढांचे को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) केरल समाज-कल्याण मंत्री ने समाज-कल्याण राज्य मंत्री के साथ राज्य समाज-कल्याण सलाहकार बोर्ड के ढांचे के बारे में हुए अपने विचार-विमर्श के दौरान जबानी प्रस्ताव रखे थे।

(ख) यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार भारत सरकार को लिखित ठोस प्रस्ताव भेजे। प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उड़ीसा में आय-कर की बकाया राशि

2770. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की उन फर्मों या व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनसे आयकर अपवंचन के कारण या किसी और कारण से एक लाख रुपये से अधिक राशि लेनी बकाया है ;

(ख) क्या सरकार को सूचना आदि के रूप में जनता से कोई ऐसा सहयोग मिला है जिससे बकाया राशि को वसूल करने में सहायता मिल सकती हो ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

उर्वरक कारखानों में विदेशी पूंजी

2771. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान उर्वरक नीति विदेशी विनियोजकों को अधिक पूंजी लगाने के लिए आकर्षित नहीं कर सकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विदेशी विनियोजकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) यह कहना ठीक नहीं है कि दिसम्बर, 1965 में घोषित उर्वरक नीति ने विदेशी विनियोजकों को आकर्षित नहीं किया है क्योंकि विदेशी निवेश के लिये सात प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये गये हैं और वे कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Welfare of Harijans

2772. **Shri A. S. Saigal :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the basis on which Government give financial assistance to the various States for the welfare of harijans and tribals under the centrally sponsored programmes ;

(b) the amount of financial assistance given by Central Government to the State in 1967-68 Statewise ; and

(c) the amount proposed to be given in 1968-69 and the justification for the said aid in each case ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) On the basis of priorities fixed for various programmes from time to time.

(b) A statement showing ceilings for financial assistance under the Centrally sponsored programme during 1967-68 is attached. **[Placed in library. See No. L.T.—333/68.]**

(c) The final allocations for 1968-69 will be determined on the basis of budget estimates now before the House. The allotments are generally based on annual plan discussions programme finally approved for each State.

Allotment of Land for Constructton of Houses

2773. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state ;

(a) whether Government have drawn up any schemes for allotment of land for the construction of houses in villages and cities by landless farmers and labourers ; and

(b) If so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) and (b) Although no separate scheme has been formulated for allotment of land to landless farmers in villages and cities for constructing their houses, the Village Housing Projects Scheme of this Ministry, *inter alia*, provides for allotment of free house-sites to landless agricultural workers. The State Governments etc. may utilize up to 1/3rd of their allocation under the Scheme for this purpose. The entire expenditue under this programme is provided by the Central Government as outright grant. The workers like any other villagers are also eligible for loan-assistance under the Scheme for constructing their houses.

Currency Notes stolen from Security Press, Nasik

2774. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some hundred rupee notes have been stolen from the Security Press, Nasik, recently ;

(b) if so, the value thereof ;

(b) whether any legal action has been taken against the employees found guilty ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) Thirteen one hundred rupee notes suspected to have been stolen have been reported as missing from the Currency Note Press, Nasik Road.

(c) and (d) The matter has been reported to the Police and investigations by the C.I.D. are in progress. Meanwhile, two employees have been removed from service.

उर्वरक उद्योग के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी

7775. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उर्वरक उद्योगों के संचालन के निमित्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण उर्वरक कारखानों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :
(क) और (ख) उर्वरक उद्योग के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी की सूचना भारत

सरकार को नहीं मिली है। प्रशिक्षण की सुविधाएँ भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर और केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड में उपलब्ध हैं, जोकि दो बड़ी सरकारी क्षेत्र की उर्वरक उत्पादन की संस्थाएँ हैं। दोनों संस्थाएँ लगातार इन सुविधाओं पर पुनर्विचार करती रहती हैं ताकि इनको और उत्तम और विस्तृत बनाया जा सके जिससे उर्वरक कार्यक्रम की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

Allotment of Plots to Scheduled Castes in Delhi

2776. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Health, family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the facilities given to the Scheduled Castes and poor people for the purpose of plots for constructing houses in Delhi ;

(b) whether it is a fact that 1,000 Scheduled Caste employees of the Central Government have submitted their applications through the Scheduled Caste Uplift Union for the release of plots to them under the low-income group housing scheme ; and

(c) if so, the action taken or being taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy):

(a) and (c) The information is being collected form Delhi Administration and will be laid on the Table of the House.

Allotment of Plots to Scheduled Castes

2777. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation of Scheduled Castes has met the Minister and the Minister of Works, Housing and Supply recently and requested them to stop the auction of plots by the Delhi Development Authority and to allot those plots to the Scheduled Caste employees falling under low-income group ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) There is no record of any such delegation having met either the Minister of Home Affairs or the Minister of Works, Housing and Supply.

(b) Does not arise.

Rajasthan Canal Project

2778. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount required for the completion of the first phase of the Rajasthan Canal Project ; and

(b) the amount which Government propose to give to the State Government annually ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr K. L. Rao) :

(a) The first stage of works comprising Rajasthan Feeder, Rajasthan Main Canal upto

mile 122 along with all the branches and distributaries taking off from the canal in this reach is expected to cost Rs.74.73 crores as per project report prepared in 1963.

(b) Hundred percent earmeked central loan assistance, within the State Plan ceiling, is being given to the Government of Rajasthan for the construction of the Rajasthan Canal Project. During the current year, a sum of Rs.3 crores was given for this project. Provision for a similar amount has been made for the next year but may be increased.

दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी

2779. **श्री दी०चं० शर्मा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) हाल ही में कमी की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, किन्तु सप्लाई 1967 के दौरान हुई औसतन बिक्री के बराबर थी एवं अच्छी थी।

(ख) और (ग) निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने के लिये, दिल्ली प्रशासन ने राशन कार्डों पर मिट्टी के तेल को बिक्री करने के तत्कालिक कदम उठाये हैं।

तेल के लिए नये कुएं

2780. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये तेल के कुओं की संख्या क्या है ;

(ख) उन स्थानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहाँ पर तेल मिला है ; और

(ग) नये कुओं में तेल की अनुमानित मात्रा कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) 1967 में 67 कुओं का व्यधन किया गया जिसमें से 24 तेलयुक्त थे।

(ख) 1967 में अहमदाबाद, कादी और मेहसाना क्षेत्रों में तेल पाया गया।

(ग) कुएं-वार कच्चे तेल के संचयों का अनुमान नहीं लगाया जाता है।

हल्दिया-बरौनी पाइप-लाइन

2781. **श्री स० चं० सामान्त : श्री स० मो० बनर्जी**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया से महिषादल तक हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन की 12 मील लम्बी पट्टी चू रही है और इसके तामलुक तथा उसके परे तक फैल जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन चेतन्यपुर के निकट मरम्मत के

लिए दो मील तक खोदी गई है और मरम्मत पर 40 लाख रुपये तक व्यय होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह राशि विदेशी ठेकेदारों, यथा बेक्टेल्स कम्पनी से वसूल की जायेगी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय तेल निगम कितना व्यय वहन करेगा ; और

(ङ) इस त्रुटि को जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं। हाल ही में महिशादल और हल्दिया के बीच में चेतन्यपुर के निकट एक टपकन का पता लगा था। यह बताना सम्भव नहीं है कि टपकन तामलुक तथा उसके परे तक पाई गई पट्टी में फैल जाए।

(ख) पाइप लाइन चेतन्यपुर-सड़क पार के निकट लगभग एक मील तक खोदी गई है ताकि टपकन का आकार एवं मात्रा का निर्धारण किया जाए। इन अन्वेषण कार्यों के पूरा होने के बाद ही मरम्मत के खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ग) से (ङ) इटली के मेसर्स स्नाम सिप्पमज, (निर्माण के ठेकेदार) अपने खर्चे पर अन्वेषण / मरम्मत कार्यों के लिए, अपेक्षित विशेषज्ञ / श्रमिक, निर्माण-साज-सामान और आयातित रेशेदार काँच की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारतीय तेल निगम, जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा, जंग लगे पाइप के स्थान पर अच्छा पाइप और अपेक्षित लेप करने एवं लपेटने सम्बन्धी सामग्री की व्यवस्था करेगा।

फिल्मी कलाकारों द्वारा देय करों की बकाया राशि

2782. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या वित्त मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मी कलाकारों द्वारा देय करों की बकाया राशि के सम्बन्ध में माँगी गई सूचना अब प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, हाँ।

(ख) कुछ भारतीय फिल्म अभिनेताओं / अभिनेत्रियों की तरफ कर की बकाया रकमें लेनी बाकी निकली हैं। ऐसे फिल्म अभिनेताओं / अभिनेत्रियों के नामों और उनमें से प्रत्येक की तरफ कर की बकाया रकमें अनुबन्ध (क) में दी गई हैं। वसूली के लिए कानून में दी गई व्यवस्था के अनुसार, इन मामलों से प्रत्येक के तथ्यों और गुण-दोषों पर विचार करते हुए वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जिन फिल्म अभिनेताओं / अभिनेत्रियों के खिलाफ कर की चोरी करने की शिकायत मिली है उनके नाम और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना अनुबन्ध (ख) में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 334/68**]

उत्तर प्रदेश के लिये प्रति व्यक्ति व्यय

2784. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पहली तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में, उत्तर प्रदेश के लिए किया गया प्रति व्यक्ति खर्च सब से कम रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में धनराशि देते समय सरकार इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय का स्थानान्तरण

2785. **श्री राम चरण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (पी० डब्ल्यू०) के कार्यालय का शिमला से नई दिल्ली इस शर्त पर स्थानान्तरण किया गया था कि पी० डब्ल्यू० के लिए अपेक्षित स्थान दिल्ली के बाहर दिया जायेगा।

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (पी० डब्ल्यू०) के महत्वपूर्ण यूनिटों को नई दिल्ली में स्थान दिया गया और यू० टी० और ट्रान्समिशन निदेशालयों को मार्च, 1966 में फरीदाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में सरकार ने मंत्रिमंडल की सलाहकार समिति की स्वीकृति लिये बिना उपरोक्त यूनिटों को दिल्ली में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के बिजली स्कंध के निदेशालयों का शिमला से नई दिल्ली में स्थानान्तरण इस शर्त पर मंजूर किया था कि आयोग अपने कुछ निदेशालयों को फरीदाबाद में भेज कर नई दिल्ली में जल स्कंध की उतनी ही भूमि को खाली कर देगा।

(ख) बिजली स्कंध के संघीय प्रदेश और पारेषण निदेशालयों के कुछ अनभागों को भी जल स्कंध के कुछ कार्यालयों के साथ मार्च, 1966 में फरीदाबाद में भेज दिया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने दिल्ली और फरीदाबाद में अपने पास उपलब्ध कार्यालय स्थलों के उपयोग के लिए कुछ आन्तरिक समायोजन किये हैं और बिजली स्कंध के संघीय प्रदेश निदेशालय और परेषण निदेशालय को हाल ही में दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह कार्य के हित में और दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालय स्थल को माँगे बिना ही किया गया है।

विदेशी एयरलाइनों द्वारा भारतीय कानूनों का उल्लंघन

2786. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० ओ० ए० सी० को भारतीय कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दस वर्षों में किये गये उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) अन्य विदेशी एयरलाइनों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1958 से 1968 तक की अवधि में अब तक भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) पिछले दस वर्षों में केवल एक ही ऐसा मामला हुआ है जिसमें बी० ओ० ए० सी० को दोषी ठहराया गया है। यह मामला तारीख 14–9–1967 को पालम होकर ऐसे सोने को ले जाने का है जिसका माल-सूची में समुचित विवरण नहीं दिया गया था। समाहर्ता, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, दिल्ली, ने इस मामले में 40,25,000 रुपये का जुर्माना तथा दण्ड लगाया है।

(ग) और (घ) अब तक मेसर्स कैथे पैसिफिक एयरवेज लिमिटेड तथा मेसर्स थाई एयर-वेज इण्टरनेशनल को देश के सीमाशुल्क कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दण्डित किया जा चुका है। मेसर्स कैथे पैसिफिक एयरवेज लिमिटेड के खिलाफ 1967 में ऐसा एक मामला था; यह मामला लगभग 20,000 रुपये के मूल्य के ट्रांजिस्टर रेडियो तथा विविध उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में था। ये वस्तुएँ जब्त कर ली गई थीं और इस एयरलाइन कम्पनी पर 10,000 रुपये का दण्ड लगाया गया था। मेसर्स थाई एयरवेज इंटरनेशनल के विरुद्ध ये तीन मामले थे :

वर्ष	वस्तु-विवरण	मूल्य (लगभग)	की गई कार्यवाही
1962	सोना	90,000 रु०	माल पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया और हवाई जहाज के कमाण्डर पर 1,000 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया।
1963	कीमती नग	65,300 रु०	माल पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया और 1,000 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया।
1965	ट्रांजिस्टर रेडियो तथा विविध उप-भोक्ता वस्तुएँ	5,700 रु०	माल पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया और 1,000 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया।

बिहार सरकार को दिये गये ऋणों पर ब्याज की छूट

2787. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की भूतपूर्व सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऋणों पर ब्याज की छूट दी जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) पिछले साल जून के महीने में, बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि उनकी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए, उन्हें अर्थोपाय अग्रिम दिए जायं, ताकि वे अक्तूबर, 1967 तक केन्द्र को दिये गये ऋणों की वापसी और ब्याज की अदायगी कर सकें। परन्तु यह बात मानी नहीं गयी, क्योंकि व्यवहार में ऐसा करने का अर्थ यह होता कि केन्द्र द्वारा ली जाने वाली रकमों की वापसी विलम्ब से की जाय।

Electrification of Bihar Villages

2788. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give any financial assistance to the Government of Bihar for rural electrification during 1968-69 ; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) and (b) Earmarked Central assistance is provided to States including Bihar for implementing rural electrification schemes. Allocations of Central assistance for 1968-69 will be decided after the quantum overall Central assistance for the Bihar State Plan is finalised.

Barauni Refinery

2789. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to shift the Oil Refinery located at Barauni to some other place on the plea of paucity of land ;

(b) whether it is also a fact that there are differences between the Central Government and the Government of Bihar over the amount of compensation to be paid for acquiring land for the expansion of the Refinery ;

(c) if so, the compensation demanded by the Bihar Government and the amount offered by the Central Government for per acre of land ; and

(d) the reasons for not paying compensation at market rates ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

इम्फाल नगरपालिका, इम्फाल

2790. **श्री मेघ चन्द्र:** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में मनीपुर में इम्फाल नगरपालिका को नगरीय विकास के कार्यों को करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना अनुदान तथा ऋण दिया है ;

(ख) चालू वर्ष में उस नगरपालिका को कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया और 1968-69 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या नगरपालिका द्वारा ऋण की कुछ राशि लौटाई गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) पिछले पाँच वर्षों में नगर विकास के लिए इम्फाल नगरपालिका को कोई ऋण नहीं दिया गया।

इम्फाल नगरपालिका को निम्नलिखित सहाय्यानुदान दिए गए :—

62–63	5.00 लाख रुपये
63–64	2.65 लाख रुपये
64–65	6.15 लाख रुपये
65–66	4.79 लाख पये
66–67	1.69 लाख रुपये

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इम्फाल नगरपालिका को 4,08,640 रुपये का एक सहाय्यानुदान देने की मंजूरी दे दी गई है। नगरपालिका को सहाय्यानुदान देने के लिए 68–69 के बजट में 4.70 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मणिपुर प्रशासन के चालू वर्ष के बजट में इम्फाल नगरपालिका को कोई ऋण देने की व्यवस्था नहीं है। 68–69 के बजट अनुमानों में भी मणिपुर प्रशासन ने इम्फाल नगरपालिका को ऋण देने के लिये कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मनीपुर में सुनारों को सहायता

2791. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर मे सुनारों को अब तक कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है ;

(ख) मनीपुर में कितने सुनारों को ऋण अथवा अनुदान के रूप में सहायता दी गई है ;

(ग) मनीपुर के कितने सुनारों ने इस प्रकार की सहायता के लिये आवेदन किया था ; और

(घ) वर्ष 1968 के लिये सुनारों के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) मणिपुर सरकार ने सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों / संघराज्य क्षेत्र सरकारों के लिए वित्त वर्ष 1968-69 में 97.25 लाख रुपये की रकम पेशगी के रूप में (i) सुनारों को ऋण के रूप में तथा (ii) उनके पुनर्वास सहायता के सम्बन्ध में सहायक अनुदान के रूप में देने की बजट में व्यवस्था की गई है।

मनीपुर के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा कालेजों में स्थानों का आरक्षण

2792. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न चिकित्सा कालेजों में, मनीपुर के चिकित्सा विद्यार्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण करने की जिम्मेदारी मनीपुर सरकार पर डाल दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं जिनमें 1967–68 में स्थानों का आरक्षण किया गया था और इस प्रकार 1967–68 में कितने स्थान, जिनमें चिकित्सा शिक्षा से पूर्व वर्ष के स्थान भी शामिल हैं, सुरक्षित रखे गये,

(ग) क्या आरक्षण का उक्त कार्य आगामी वर्ष में भी मनीपुर सरकार के पास ही रहेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी नहीं।

जिन संघ क्षेत्रों के अपने मेडिकल कालेज नहीं हैं, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्थानों का आरक्षण करती है। संघ क्षेत्रों को (जिनमें मणिपुर भी सम्मिलित है) नियतित किये गये आरक्षित स्थानों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार छात्रों के चयन का ही अधिकार दिया गया है।

(ख) 1967–68 में इस संघ-क्षेत्र के लिए निम्नांकित मेडिकल कालेजों में 20 स्थानों का नियतन किया गया था :—

मेडिकल कालेज	एम० बी० बी० एस० के लिए स्थान	प्री-मेडिकल के लिए स्थान
असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़	5	2
पी० डब्ल्यू० मेडिकल कालेज, पटना	—	2
मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।	—	2
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर।	—	1
मेडिकल कालेज, मनीपाल।	—	3
आर० जी० कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता।	—	1
बी० एस० मेडिकल कालेज, बाँकुड़ा।	—	2
एच० पी० मेडिकल कालेज, शिमला।	2	—
	7	13

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अमरीकी ऋण

2793. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक अमरीका द्वारा सरकार को कुल कितनी धनराशि देनी थी; और

(ख) उसे वापिस लौटाने की शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक, अदा किए जाने वाले कर्ज की बकाया रकम 2653

करोड़ रुपया थे। इसमें से, 1359 करोड़ रुपए की बकाया मूल रकम डालरों में अदा की जानी है, और 1294 करोड़ रुपए की मूल रकम की अदायगी रुपयों में की जानी है।

(ख) अलग-अलग कर्जों की अदायगी की शर्तें अलग-अलग हैं। अधिकतर मामलों में अदायगी की अवधि चालीस वर्ष है। जिन ऋणों की अदायगी डालरों में की जानी है, उनमें से ज्यादातर कर्जों के ब्याज की दरें 2½ प्रतिशत या उससे कम, और रुपयों में अदा किए जाने वाले ऋणों के ब्याज की दरें 5 प्रतिशत या उससे कम हैं।

पार्श्व गायकों, संगीत निर्देशकों और गीतकारों की ओर आयकर तथा धन कर की बकाया राशि

2794. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित चलचित्र संगीत निर्देशक, पार्श्वगायक और गीतकार पिछले पाँच वर्षों से आयकर का अपवंचन कर रहे हैं;

(1) संगीत निर्देशक, शंकर जयकिशन

(2) आशा भोंसले

(3) मुकेश,

(4) किशोर कुमार

(5) लता मंगेशकर

(6) शारदा, पार्श्व गायक

(7) लक्ष्मी कान्त प्यारेलाल, संगीत निर्देशक

(8) रवि

(9) ओ० पी० नैयर, संगीत निर्देशक

(10) हसरत जयपुरी

(11) मजरूह सुल्तानपुरी

(12) आनन्द बक्शी, गीतकार

(13) राजेन्द्र कृष्ण, संवाद लेखक तथा गीतकार

(14) महेन्द्र कपूर, पार्श्व गायक

(15) शकील बादायुनी।

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में, वर्षवार इन्होंने कितना आयकर दिया तथा कितना आयकर उनसे वसूल किया गया;

(ग) क्या सरकार को पता है कि चलचित्र जगत के ये लोग चलचित्र निर्माताओं से कालेबाजार में 75 प्रतिशत धन लेते हैं; और

(घ) कर अपवंचकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पायलट ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां

2795. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाओं के कुछ विशेषज्ञों ने हमारे देश में कुछ पायलट ग्रामीण बिजली सहकारी समितियाँ स्थापित करने के लिये पिछले वर्ष हमारे देश में सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उपरोक्त विशेषज्ञ इस देश में अपेक्षित तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण बुलाये गए थे; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) से (ङ) लोक सभा में 25-5-1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के दिए गए उत्तर में कहा गया था कि भारत में ग्राम-बिजली सहकारिताओं की स्थापना के सम्बन्ध में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के तत्वावधान में अमरीका की राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाओं के विशेषज्ञों के एक दल के द्वारा हाथ में लिए जाने वाले अनुसंधान कार्यों के लिये अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेन्सी और भारत सरकार के बीच, मई 1967 में दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अनुसार विशेषज्ञों के इस दल ने सितम्बर से दिसम्बर, 1967 तक भारत का दौरा किया और गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसूर के राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण सहकारिताओं को स्थापित करने की संगठनात्मक और तकनीकी संभाव्यता से सम्बन्धित परियोजना के दूसरे और तीसरे चरणों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया। आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी शीघ्र ही इसी प्रकार के अध्ययन किए जाने हैं। मैसूर और महाराष्ट्र के राज्यों के सम्बन्ध में दूसरे और तीसरे चरण से सम्बन्धित अनुसंधान रिपोर्टें 21-12-1968 को प्राप्त हो चुकी हैं और इस समय उनपर विचार किया जा रहा है। गुजरात में हुए अध्ययनों से सम्बन्धित रिपोर्ट में प्रतीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों को सलाह के लिये आमन्त्रित किया गया था क्योंकि अमरीका की राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्था, जिन्होंने ये विशेषज्ञ भेजे, ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। 1967 में भारत सरकार द्वारा अनुसंधान-कर्ता विशेषज्ञों की स्थानीय लागत के सम्बन्ध में लगभग 11,000 रुपए व्यय किए गए।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

2796. श्री नंजा गोडर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के बीमा क्षेत्र कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने मार्च, 1968 में हड़ताल करने का फैसला किया है यदि जीवन बीमा निगम संघ के साथ किए गए अपने करार को कार्यान्वित नहीं करती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस करार को कार्यान्वित करने में देरी के क्या कारण हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) मार्च, 1968 में हड़ताल करने के बारे में जीवन बीमा निगम को श्रेणी-II महासंघ से कोई पत्र नहीं मिला है। निगम ने यह बताया है कि उसने महासंघ तथा जीवन बीमा निगम के बीच हुए करारों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं किया है।

दिल्ली में दुकानों आदि को गिराया जाना

2797. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 फरवरी, 1968 को सरकार ने रानी झांसी रोड पर दुकानों और वर्कशापों को गिरा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली में सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों के मार्केट के बाहर सरकारी भूमि पर बनी हुई दुकानें अब तक क्यों नहीं गिराई गई; और

(ग) क्या सरकारी भूमि पर किए गए इस कब्जे के कारण दिल्ली में यातायात में बाधा पैदा होती है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) अधिकांश अनधिवासियों के पास नगर निगम दिल्ली द्वारा दिए गए तहबाजारी लाइसेंस हैं। दिल्ली प्रशासन ने नगर निगम से कहा है कि वे अनाधिवासियों के उन तहबाजारी लाइसेंसों को रद्द कर दें जो कि जुलाई, 1960 के बाद दिए गए हैं ताकि प्रशासन अनधिवासियों को हटाने की कार्यवाही आरंभ कर सके, इसी बीच पात्र अनधिवासियों को वैकल्पिक वास देने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन के द्वारा विचार किया जा रहा है।

हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये अनुदान

2799. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिये दिए गए अनुदानों में से राज्यवार कितनी राशि नियत की गई थी, कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि व्यपगत हुई;

(ख) क्या व्यपगत हुई राशि काफी बड़ी है और यदि हाँ, तो अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र करने के लिये तत्संबंधी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई जनसंख्या और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गाँव में मकानों के लिये 5 एकड़ शामलात भूमि अलग रखने का है?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) से (ग) हरिजनों के लिए मकानों तथा मकानों की जमीनों की योजनाओं के लिए संयुक्त व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था, खर्च तथा प्रत्येक राज्य को 1966-67 में नियत

की गई राशियों के उपयोग की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 335/68]**। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए भूमि-अर्जन की कार्यवाहियों का शीघ्र निपटारा करने तथा अनुसूचित जातियों को मकानों की जमीनें देने के लिए गाँवों में सामान्य जमीनें अलग रखने जैसे प्रश्नों का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारों को करना है।

इंडियन आयल वर्कर्स यूनियन

2800. **श्री देवेन सेन**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयल इण्डिया लिमिटेड, धुलियाजन द्वारा इंडियन आयल वर्कर्स यूनियन के प्रधान, उप-प्रधानों मंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है जिसमें बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को बहाल करने, और यूनियन को मान्यता देने, मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने समेत 12 सूत्री माँग को स्वीकार करने की माँग की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हाँ।

(ख) 17, 18 और 19 जनवरी, 1968 को इंडियन आयल वर्कर्स यूनियन ने एक अवैध हड़ताल की जिस समय समझौते की बातचीत डिब्रूगढ़ के लेबर एनफोर्समेण्ट (सेन्ट्रल) तथा समझौते अधिकारी के सामने थी। इण्डियन आयल वर्कर्स यूनियन के 22 वर्कर्स को, जिसमें यूनियन के प्रधान, उप-प्रधान, संयुक्त सचिवों तथा कुछ दूसरे पदधारी शामिल थे, बर्खास्त किया गया था। क्योंकि वे दूसरों को अवैध हड़ताल करने में उकसाने, इच्छुक श्रमिकों को काम से रोकने तथा उन्हें डराने के कदाचार के दोषी पाये गए थे।

(ग) इंडियन आयल वर्कर्स यूनियन ने 27 जनवरी, 1968 को एक हड़ताल का नोटिस दिया था; जिसमें यह कहा गया था कि उनके 16 मागों की बाबत बातचीत की जाए। इन माँगों में परिवर्ती मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने; यूनियन की मान्यता और 22 कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र की वापसी शामिल थी।

(घ) 4 और 5 फरवरी, 1968 को गोहाटी के सहायक श्रम अधिकारी (केन्द्रीय) ने डिब्रूगढ़ में समझौते की कार्यवाही की थी। इण्डियन आयल वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों ने समझौते अधिकारी के सामने अपने विचार रखे हैं। समझौता-अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के लिये राजस्थान से अभ्यावेदन

2802. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार से अभ्यावेदन मिला है कि पर्याप्त संसाधन न होने के कारण राज्य की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनायें विशेषतः वे जो खाद्योत्पादन के लिये अत्यावश्यक हैं, क्रियान्वित नहीं हो पा रही है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान सरकार के लिये किस तरीके से धन की व्यवस्था करने का है जिससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में विलम्ब न हो ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) राज्य सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि साधनों की तंगी के कारण, उन्हें कुछ प्रायोजनाओं को क्रियान्वित करने की गति धीमी करनी पड़ी।

(ख) केन्द्र में उपलब्ध साधनों की सीमा में रहते हुए, और विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता के वितरण के सम्बन्ध में अपनाये गए सिद्धान्तों के आधार पर, जिनमें अन्न के उत्पादन के लिए अत्यावश्यक प्रायोजनाओं की जरूरतों पर विचार करने की बात भी शामिल है, राजस्थान को जो अधिकतम केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है उसके दिए जाने का आश्वासन उसे पहले ही दे दिया गया है। केन्द्र द्वारा किसी और तरीके से राज्य सरकार के लिए वित्त-व्यवस्था करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

मिट्टी के तेल की कमी

2803. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में इसका मूल्य बढ़ कर लगभग दुगना हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी उपलब्धता को सामान्य बनाने तथा इसके मूल्य को नीचे लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) सिवाय उन शिकायतों के जो वर्ष के अन्त में मिली, 1967 के दौरान मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक थी। सुनने में आया है कि कुछ तेल कम्पनियों ने अपने एजेन्टों को इसकी बिक्री के लिये प्रलोभन भी दिया है। उपलब्धी में और सुधार होने से, मिट्टी के तेल के राज्य-वार आवंटनों में 1-3-68 से कुछ उदारता बरती गयी है। इससे कमी दूर हो जानी चाहिये। अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को मिट्टी के तेल का फुटकर विक्रय मूल्य निर्धारित करने तथा अधिक मूल्य लेने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार है।

अस्पृश्यता के मामले

2804. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ख) इनके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) सुलभ सूचना संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 336/68**]

(ख) पुलिस मामलों की जाँच करती है तथा यदि जाँचों से प्रत्यक्षतया मामला प्रतीत हो, तो उसे न्यायालय में चलाया जाता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अशोक होटल, जनपथ होटल, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 296/68**]

(दो) अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 297/68**]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रति- वेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 298/68**]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूँ :-

"कि राज्य सभा ने अपनी 27 फरवरी, 1968 की बैठक में जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968 को पारित कर दिया है ।"

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा-पटल पर रखा गया

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968 को सभा-पटल पर रखता हूँ।

सदस्यों की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूँ कि मुझे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दिल्ली से दिनांक 2 मार्च, 1968 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री शशि भूषण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये निषेध-आदेश का उल्लंघन करने के कारण 2 मार्च, 1968 को अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा उन्हें सेन्ट्रल जेल तिहाड़, नई दिल्ली में रखा गया है।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से दिनांक 4 मार्च, 1968 के चार तद्रूप पत्र भी मुझे प्राप्त हुए हैं जिनमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य सर्वश्री राम स्वरूप विद्यार्थी, मनोहर लाल सोंधी, नारायण स्वरूप शर्मा और जगन्नाथ राव जोशी को थाना पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के विजय चौक में कच्छ सम्बन्धी पंचाट के विरुद्ध जलूस निकालने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेध-आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा 188 के अधीन 4 मार्च, 1968 को 10.10 बजे म० पू० पर गिरफ्तार किया गया है और आज विचारण के लिये पालियामेंट स्ट्रीट न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है।

बैंक दर में कमी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REDUCTION IN BANK RATE

माननीय सदस्यों ने रिजर्व बैंक की शनिवार 2 मार्च, 1968 की वह घोषणा देखी होगी जिसके द्वारा बैंक-दर 6 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी गयी है। यह निर्णय मुझसे सलाह लेकर किया गया है। इस अवसर पर मैं यह बताना चाहूँगा कि किस पृष्ठभूमि में यह निर्णय किया गया है।

2. माननीय सदस्यों को उन अनेक उपायों का पता है, जो रिजर्व बैंक द्वारा हाल में, समय-समय पर निर्यात और आर्थिक क्षेत्र के अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के चुने हुए मामलों में उधार की सुविधाओं के संबंध में और भी अधिक उदारता बरतने के लिए किये गये हैं। आर्थिक पुनरुज्जीवन

के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की समस्या हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। बैंक-दर मुद्रा सम्बन्धी नीति का एक लचीला साधन है, और इसे ऐसे स्तर पर रखना होता है जो एक निश्चित समय में विद्यमान आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। पिछले तीन वर्षों में हमने इस साधन का उपयोग नहीं किया; बैंक-दर में आखिरी फेर-बदल फरवरी 1965 में किया गया था। एक ऐसे समय में, हमें इस साधन का लचीले ढंग से इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए जब हमें इस बात की फिक्र हो कि खेती की वस्तुओं की भारी उपज और पहले की बनिस्बत ज्यादा निर्यात से आर्थिक क्षेत्र में जिस नई चेतना के आने की आशा है उसकी गति ऋणों के कारण कहीं अवरुद्ध न हो जाय।

बैंक-दर में कमी होने के साथ-साथ, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों के अग्रिमों से सम्बन्धित सीमा भी 10 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दी है। सभी प्रकार के निर्यात के सम्बन्ध में, ऋण के लिए 6 प्रतिशत की नयी अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। बहुत थोड़ी अवधि की, बैंकों की जमा रकमों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम दरें और एक वर्ष के लिए जमा करायी जाने वाली रकमों के संबंध में न्यूनतम दरें भी कम कर दी गयी हैं। 91 दिन की राजकोष हुण्डियों (ट्रेजरी बिल्स) की व्याज की दर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर देने का भी निश्चय किया गया है। हमें आशा है कि नयी बैंक दर के साथ ब्याज की दरों के ढांचे का मेल शीघ्र ही इस तरह बैठ जायगा कि उचित दिशाओं में पर्याप्त ऋण मिलने में आसानी हो।

सहकारी क्षेत्र को इस समय रियायती दरों पर रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्राप्त हैं। ये दरें बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक कम हैं। उसे नयी बैंक दर के सम्बन्ध में इस मात्रा में तरजीह मिलती रहेगी।

मुझे पूरी आशा है कि इन उपायों से उत्पादन के प्रयत्नों को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा। अन्ततः, उत्पादन बढ़ाकर ही हम मुद्राबाहुल्यकारी दबाव को रोक सकेंगे और अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार का दबाव फिर पैदा होने के खतरे का मुकाबला कर सकेंगे। रिजर्व बैंक, निःसन्देह खास-खास चीजों के बारे में आवश्यक सीमा तक ऋण नियन्त्रण करता रहेगा, ताकि ऋण-साधनों का उपयोग अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए न किया जाय।

कच्चाटिब् पर वक्तव्य के बारे में

Re: STATEMENT ON KUCHCHATBU

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री श्रीलंका के बारे में 12.30 म० पू० पर वक्तव्य देंगी। शायद इस समय वह राज्य-सभा में वक्तव्य दे रही हैं।

कच्छ न्यायाधिकरण के पंचाट के बारे में

RE:AWARD OF KUTCH TRIBUNAL

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I want to draw your attention to an important matter of procedure under Rule 377. The matter is whether Government is authorised to hold

negotiations for implementing the Kutch award without the approval of Parliament ? This House has not been able to discuss it so far, although some reference was made in No-confidence motion. The Government should, itself, have brought the motion on the subject in question and asked for clear verdict of the House.

It will not be in the interest of the domocracy to supress the feeling of the people by imposing section 144 and also not providing an opportunity in the House to discuss this matter.

We had demanded that amendment in the Constitution may be made before the award is implemented. If Government do not see eye to eye with our suggestion then it should consult the Supreme Court in the matter. But the Government intend to proceed rapidly in this matter without amending the Constitution and without consulting the Supreme Court.

I will urge upon you to impress upon the Government not to proceed with negotiation with Pakistan on this award until it is discussed in the House thread -bare.

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

Shri Rabi Ray (Puri) **:** Negotiations are going on. Mr. Speaker, you should do something in this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं न तो सरकार की ओर से और न ही आपकी ओर से कुछ कह सकता हूँ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : कच्छ पचांट के बारे में मैं माननीय मित्रों की चिन्ता से अवगत हूँ जिसको अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जोरदार शब्दों में व्यक्त किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव इस सभा द्वारा रद्द कर दिया गया था। परन्तु यदि यह कहा जाता है कि उस समय कच्छ पंचाट पर चर्चा नहीं की गई और इसको सभा की स्वीकृति नहीं दी गई थी तो मैं आपत्ति नहीं करूँगा। परन्तु जिस करार के अन्तर्गत हमने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा था वह इस सभा द्वारा पास किया गया था और उसमें यह खण्ड था कि पंचांट प्राप्त हो जाने के पश्चात् सरकार इसको तुरन्त लागू करेगी। इसी खण्ड के अनुसार सरकार अब कार्यवाही कर रही है। इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार सभा के अधिकार को चुनौती दे रही है। सरकार केवल अपने अधिकारों के अन्तर्गत, जो कि उसको इस सभा द्वारा दिये गये हैं, कार्यवाही कर रही है।

Shri Rabi Ray (Puri) : You provide an opportunity for discussion on this matter. Neogotiations with Pakistan should be stopped.

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले को जाँच करूँगा। अभी इस समय में कुछ नहीं कह सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are not satisfied with the reply given by the Deputy Prime Minister. We are staging a walk out in protest against the Government's policy in this matter.

इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये

At this stage few Hon. Members walked out of the House

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करने के लिये मुझे समय चाहिए।

Deputy Prime Minister and Finance Minister(Shri Morarji Desai): I would request the Hon. Members just to give ear to that clause of agreement under which we are holding negotiations with Pakistan which is as follows :

"The decision of the Tribunal referred to in (iii) above shall be binding on both Governments and shall not be questioned on any ground whatsoever. Both Governments undertake to implement the findings of the Tribunal in full as quickly as possible and shall refer to the Tribunal for decision of any difficulties which may arise between them in the implementation of these findings. For that purpose, the Tribunal shall remain in being until its findings have been implemented in full."

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Why don't you put it before the House for approval ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : It has already been ratified by the House.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): उप-प्रधान मंत्री ने करार का उल्लेख किया है। परन्तु वह करार सीमा निर्धारण के लिये था। हमारा आरोप यह है कि सीमा का हस्तान्तरण किया गया है। संसद् की मंजूरी के बिना सीमा का हस्तातंरण नहीं किया जा सकता।

श्री नाथपाई (राजापुर) : माननीय उप-मंत्री ने जिस करार का उल्लेख किया है हमने पहले भी उसका विरोध किया था और हमें अब भी उसका विरोध करने का अधिकार है। यह अच्छा होता यदि सरकार द्वारा इस करार को मूल प्रस्ताव के रूप में सभा के समक्ष चर्चा के लिए लाया जाता।

हमें इस पंचाट को अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने में प्रसन्नता होगी। आशा है अध्यक्ष महोदय इस पर अपनी सहमति देंगे। सरकार के सामने दो मार्ग हैं। एक तो यह कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय की राय ले अथवा सभा की मंजूरी ले। परन्तु सरकार ने दोनों में से कोई मार्ग भी नहीं अपनाया है। सरकार सभा के अधिकारों को प्रत्येक अवस्था पर चुनौती दे रही है जो कि उचित नहीं है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) जब हमने अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहा था तब संसद्-कार्य मंत्री ने इसका विरोध किया था। अतः उनकी ओर से कोई मूल प्रस्ताव नहीं लाया गया है अथवा चुनौती को मंजूर किया गया है। इन परिस्थितियों में इस सभा की प्रक्रिया के अनुसार क्या सरकार के लिये कोई प्रस्ताव लाना उचित नहीं था यद्यपि उनके अनुसार संसद् ने न्यायाधिकरण के पास जाने तथा उसके पंचाट को क्रियान्वित करने की शक्ति दे रक्खी है ? मेरे विचार में समूचे देश में विशेषकर गुजरात में लोगों की भावनाओं को देखते हुए, सरकार को सीधे संसद् से अनुमति लेनी चाहिए ताकि प्रक्रिया के बारे में कोई सन्देह ही न रहे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं महसूस करता हूँ कि इस मामले पर सरकार को एक मूल प्रस्ताव लाना चाहिए। मेरे विचार में इस संसद् को सरकार के निर्णय की जांच करने का अधिकार है। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध है उससे इस मामले के अतिरिक्त भी कई अन्य मामलों पर चर्चा की गई थी इसलिये यही उचित होगा यदि संसद् में इस मामले पर पूरी तरह चर्चा करने का अवसर दिया जाये। पिछले संसद् में क्या निर्णय लिये गये थे उनसे यह संसद् बाध्य नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में हूँ कि हमारे देश ने संसार में जो भी वचन दिये हों वह उनको पूरा करे परन्तु कुछ संसदीय प्रथायें होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है।

श्री पें० वेंक्टासुब्बया (नन्दपाल) : वित्त मंत्री के भाषण से में यह समझ सका हूँ कि इस संसद् ने सभी जटिलताओं तथा निर्देश पदों सहित इस मामले को न्यायाधिकरण के पास भेजने का अनुमोदन किया था। उस समय विरोधी दलों के अनेक सदस्यों द्वारा संशोधन भी प्रस्तुत किये गये थे जो कि रद्द हो गये थे। इसलिये अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इस मामले को पुनः संसद् के समक्ष चर्चा हेतु लाना चाहिए। मेरे विचार में ऐसा करना हमारी संसदीय प्रक्रिया के प्रतिकूल होगा।

Shri Rabi Ray : Even in the last Parliament we opposed this matter. Several other matters were raised during the no-confidence motion. No comprehensive discussion was held on this particular matter at that time. It has, therefore, become necessary for the Government to bring a susbstantive motion.

Shri Manubhai Patel : (Dabhoi) : The Agreement was approved by the Parliament by 269 to 28 votes. So it is not proper for us to raise this matter once again.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): There is a vast difference between the political set-up of India and Pakistan. (**Interruptons**)

Shri Onkar Lal Berwa : She has now come to India after defacing India in America. (**Interruptions**) :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं इस प्रकार की टिप्पणियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करती हूँ। माननीय सदस्यों को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए। यह उचित नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri: The No-confidence motion did not concern this particular matter. Kutch was not mentioned in the No-confidence motion at all. Eminent jurists of India such as Shri Chagla has said that the award of the tribunal is based on political considerations.

It is, therefore, essential for the Government to take approval of the Parliament.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah): It is ture that Kutch award was discussed during No-confidence motion. But rejection of htat motion does not mean that Parliament has given its approval to the Kutch award. This matter should be discussed separately.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री बाजपेयी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ। संसद् ने सरकार को इस पंचाट को क्रियान्वित करने की स्वीकारात्मक शक्ति नहीं दी है, मैं महसूस करता हूँ कि इस पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये सरकार को संसद् से स्वीकारात्मक अधिकार प्राप्त करना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : Let me point out a new point.

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह होगा कि मुझे सबको अनुमति देनी होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप मेरे दल की नीति से अवगत हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Even if I agree that we have to accept the award, it does not mean that the award should not be placed before the Parliament. Therefore Parliament shuld discuss the award.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): यह नहीं कहा जा सकता कि पंचाट सभा के सामने रखा नहीं गया क्योंकि पंचाट सभा-पटल पर रख दिया गया है। यह भी कहना

अनुचित है कि सरकार ने संसद् के प्राधिकार का अनादर किया है। जहाँ तक इस समझौते का विरोध करने का सम्बन्ध है, विरोधी पक्ष को उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। परन्तु संसद तथा संविधान द्वारा सरकार को जो अधिकार दिये गये हैं, उनका उपयोग करना सरकार का कर्तव्य है और यदि वह ऐसा नहीं करती तो सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करती। मैं यह नहीं चाहता कि इस मामले पर चर्चा न हो। परन्तु इस पंचाट का सभा से अनुसमर्थन करवाना सरकार के लिये न आवश्यक है और न ही उचित है।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल सभा के कार्य को व्यवस्थित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। कार्य बहुत है और समय कम है। आज 5 बजे प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगी और $5\frac{1}{2}$ बजे आधे घंटे की चर्चा होगी। अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy.Speaker in the Chair]

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : रेलवे बजट ने जनता और रेलवे विभाग को चेतावनी दी है। वर्ष 1950–51 से रेलवे ने सात बार किराये भाड़े में वृद्धि की है। मंत्री महोदय को अपने अधिकारियों पर निर्भर न करके स्वयं बजट की छानबीन करनी चाहिये थी। रेलवे के बजट की तुलना यदि पिछले वर्षों के बजट से की जाये तो पता चलेगा कि इस बजट के प्रस्ताव भ्रान्तिपूर्ण हैं। मंत्री महोदय को पिछले अनुभवों से सीखना चाहिये था कि बजट में यातायात में 60 से 70 लाख टन की प्रस्तावित वृद्धि कभी नहीं होगी और माल के यातायात से चालू वर्ष में 21 करोड़ रुपये की वृद्धि नहीं हो सकेगी। रेलवे की आय में वृद्धि किराये भाड़े में वृद्धि करने से नहीं बल्कि अधिक यात्रियों द्वारा यात्रा करने के कारण हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि यात्रियों को अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं और माल के यातायात में अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं तो उससे रेलवे की आय बढ़ेगी। इसके विपरीत किराये भाड़े में वृद्धि करके मंत्री महोदय सरकार के परिवहन बिल में वृद्धि करेंगे और मूल्यों को बढ़ाने में सहायक होंगे। जब सरकार मूल्यों की वृद्धि रोक नहीं सकी तो हम रेलवे कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते की माँग को अनुचित नहीं कह सकते। सरकार की इस असफलता के लिये जनता को तंग नहीं किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय मितव्ययता करके किराये की वृद्धि का अन्त कर सकते थे। उनका कहना है कि अलाभकारी रेलवे लाइनें बन्द

कर देंगे परन्तु यह एक कठिन कार्य है और यदि वह ऐसा करें भी तो उससे केवल 6 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होने की आशा है। वास्तव में यह कार्य वह ईंधन के खर्च में कमी करके, वैगनों की क्षमता बढ़ा कर, मार्ग के देख-भाल की लागत को कम करके, और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ा कर इस कार्य को कर सकते थे। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तीसरे दर्जे के स्लीपर के लिये चार रुपये शुल्क, भाड़े में वृद्धि और प्रस्तावित अधिकार सम्बन्धी प्रस्तावों को वापिस लिया जाये। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि तीसरे दर्जे के स्लीपर के डिब्बे बढ़ाये जाने चाहिये।

हम वर्ष 1948 से कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे परियोजना के विषय में सुन रहे हैं परन्तु मंत्री महोदय ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। पिछले 20 वर्षों से इस संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है। कई समितियों ने इस विषय पर विचार किया है और उन्होंने सर्कुलर रेलवे बनाने की सिफारिश की है। परन्तु मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार योजना आयोग ने सर्कुलर रेलवे के प्रश्न के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति बनायी थी। तकनीकी सलाह देने के लिये रेलवे बोर्ड का एक अधिकारी भी इस समिति में सम्मिलित थे। इस समिति ने हाल ही में प्राथमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अब यह प्रतिवेदन योजना आयोग भेजा जायेगा ताकि अपेक्षित साधनों का पता लगाया जा सके।

श्री बे० कृ० दास चौधरी: यह देखा गया है कि जब भी कभी हम रेलवे मंत्रालय को किसी परियोजना का सुझाव देते हैं वे कहते कि हमारे पास धन की कमी है। गत सितम्बर में "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि हमारे देश में एक नवयुवक वैज्ञानिक श्री अपूर्व कुमार चौधरी ने विद्युत् यंत्र का अविष्कार किया है जिससे रेलवे दुर्घटनाएँ रोकी जा सकती हैं। यदि भारतीय रेलवे इस यंत्र का उपयोग करे तो उस वैज्ञानिक के अनुसार रेलवे की आय में 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक की वृद्धि हो जायेगी। इस यंत्र का नाम एम एम० आर (मोडीफाइड मिनिएचर राडार) है। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो हानि भी बहुत कम होगी और इस प्रकार रेलवे की काफी बचत हो जायेगी। इस नवयुवक वैज्ञानिक ने अपनी योजना रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत कर दी है। परन्तु रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी का कथन है कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि कोई भारतीय किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार कर सकता है। ब्रिटेन के लोग जो आविष्कार करते हैं वही अन्तिम हैं और यदि आवश्यक हुआ तो वह उन्हीं से खरीदेंगे। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ। इन कारणों से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि रेलवे के किराये भाड़े में प्रत्येक वर्ष वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि उन्हें किराये कुछ कम करने चाहिये।

रेलवे के सभी विभागों में रेलवे अधिकारी कर्मचारियों को तंग करते हैं। हाल ही में एक व्यक्ति को नौकरी से अलग कर दिया है। मैं इस सम्बन्ध में अधिकारियों से कई बार मिल चुका हूँ परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस सभा को इस बजट को अस्वीकार कर देना चाहिये।

Shrimati Laxmi Bai (Medok) : I come form an area of Hyderabad which is backward one. There are still 4 districts in Hyderabad where there is no railway line. The Government acquired the Railway lines worth Rs.200 crores from Hyderabad and took Rs50 crores rupees in

cash also but there is no planning for laying railway lines there. There are certain head-quarters like Sangareddy, Karimnagar, Nəlganda where there is no railway line. I have been repeatedly drawing the attention of Ministry of Railways to this effect but all in vain. I do not know how the money earned by Railways has been utilised.

The speed of the train running from Zaheerabad to Beedar is very slow. Similarly I had requested to change the timings of the trains running from Beeder to Vikarabad *via* Zaheerabad but I have not received any reply. It has been observed that entire income of Railways is spent out and there is no saving. The expenditure of the Railway Board has been increased to the tune of Rs.5 lakhs during the last one year. It is observed from the budget figures that most of the income of Railways is from passengers travelling in III class but amenities given to them are not sufficient. The goods sent by railways are not safe. Property worth lakhs of rupees goes to dogs but nobody cares to see towards it. Moreover goods sent by railways do not reach the consignee in time. Fruits and vegatables perish in transit. Worthless food is served by Railtway in their dining car. I therefore request that efforts should be made to supply better food. It has also been seen that bulbs of the compartments are removed. In case bulbs canot be provided, some other arrangements of light should be made. I would request that special attention should be paid to ladies compartments. Their compartments should not be attached at the end. Nobody bothers whether arrangement of drinking water is there or not. The authorities should pay more attention towards sanitary conditions of the compartments. Bathrooms are often found to be very dirty.

The charges for sleeper berth has been raised to Rs.4 per night which has no justification. It is not proper to throw more burden on the passengers travelling in III class compartments. The charge for platform ticket should not be raised to 20 paise.

Shri George Fernandes (Bombay South) : The labourers working in the cities belong to far off places and the have to go there once or twice a year. The increase in the 3rd class fare and sleeping berth have directly affected them. The increase in the railway freight would enhance the cost of living.

Railway budget has shown a deficit of about Rs.27 crores. It has been due to the irrespon-sible and bureaucratic behavior of the officers of the railway. It was not necessary for the Govern-ment to place the burden of Rs.27 to 28 crores on the people.

The Railway Minister has told that they are trying to minimise the stores. The fact is that during the last year the Railway have got the stores of the value of Rs.139 crores whereas today its value is about Rs.146 crores. Its income has increased from Rs. 250 crores to Rs. 260 crores. Goods worth Rs.15 crores are wasted every year in these stores.

The hon.Minister has mentioned regarding economy in the railways. But the fact is otherwise. Last year there were 7 lakh and 95 thousand 4th class employees in the Railway whereas there has been an increase of 3,000 in their number this year. Rs.1 crore and 30 lakh have been spent on the officers of class D and class II. It comes to Rs.2,000 per officer. On the one side you plead to economise in the administrative expenses on the other side you spend so lavishly.

We had been demanding to discontinue those saloons provided to officers and Ministers. If it is done so, the burden on the people may be reduced.

Some device should be adopted to reduce these accidents and a Committee to investigate reasons of these accidents should be formulated. Attention should also be paid to implement the recommendations of the Committee.

Medical facilities provided to the railway employees are not adequate. On the one hand the average age of the General public has increased on the other hand the age of the railway employees have been reduced due to lack of medical facilities. This state of affairs should be ended.

Last year Rs.75 lakhs had to be paid as compensation to the employees. The Railway Ministry should look into this matter.

Out of 18 lakh employees of the railways, 5 lakhs employees are temporary. They have been paid very low. I request that a committee to consider to give them facilities and to make them permanent should be set up immediately.

So far as the question of absorbing Scheduled Caste and Scheduled Tribes is concerned, their number is very small in the lower ranks and their position in the case of higher officer still worse. These figures have shown a continnous decline in the recent past. Therefore railways have never been successul in providing jobs to them.

If you want to increase the efficiency of the railway employees you should set up job training schools for them. Unless some incentive is being given to them they may not work.

There is great discontentment among the railway employees, it is, therefore, necessary to take some steps to remove them.

Uneconomic lines should not be closed, because these lines served the undeveloped regions. In that case you have to close the North West Frontier Railway also because it is going on in loss. Private railway lines should also be taken over by the Government.

श्री विमल कान्ति घोष (सेरामपुर) रेलवे मंत्री ने किराये और भाड़े में वृद्धि की घोषणा की है। मेरे विचार से ऐसी वृद्धि किये जाने से जनसाधारण को और अधिक कठिनाई होगी।

माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि दुर्भाग्य से पिछले 16 वर्षों में महंगाई भत्ते, वार्षिक वेतनवृद्धि, लाभांश, लोहा, स्पात और स्टोर आदि के मूल्यों का बोझ बराबर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष और इस वर्ष रेलवे में घाटे का यही कारण है। पिछले 16 वर्षों में कोयले के मूल्य में 115 प्रतिशत, लोहे और इस्पात के मूल्य में 143 प्रतिशत और कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति लागत में 106 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रेलवे मंत्रालय का इन सब बातों पर पूरा नियंत्रण नहीं है।

रेलवे के किराये और भाड़े में वृद्धि की गई है। यदि उसी के अनुसार रेलवे में दी जाने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि की जाये तो इस वृद्धि के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी।

[श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए]
[Shri G, S. Dhillon in the chair]

तीसरे दर्जे के यात्रियों को और सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इस समय उनकी दशा सबसे खराब है। तीसरे दर्जे के डिब्बों में पानी, बिजली शयनागार इत्यादि के उचित प्रबन्ध किये जाने चाहिये। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर खान-पान की सेवा में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है।

सवारी और एक्सप्रेस गाड़ियोंकी संख्या बढ़ाकर गाड़ियों में भीड़ को कम किया जाना चाहिये। प्लेटफार्म टिकटों में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। सिलिपर कोचेज के लिये प्रत्येक रात्रि का नया प्रभार जनसाधारण के लिये बहुत अधिक है।

अलाभकारी रेलवे लाइनों को बन्द किए जाने से लोगों को बहुत कठिनाई होगी और ऐसा करना कल्याणकारी राज्य और समाजवाद के विरुद्ध होगा।

निम्नवर्ग के बहुत से कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट नहीं किए गए हैं। इस सम्बन्ध में बिना विलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिये।

देश में बहुत सी छोटी लाइनें हैं जिनका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। मार्टिन-बर्न रेलवे लाइन का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। हावड़ा-शेखला और हावड़ा-चम्पादनगा सेक्शनों को पूर्वी रेलवे पर तारकेश्वरी तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। पूर्वी रेलवे के हावड़ा-तारकेश्वर सेक्शन को आरामबाग होते हुए विष्णुपुर तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। आरामबाग, हुगली जिले के आराबाग डिवीजन का हेडक्वार्टर है, किन्तु दुर्भाग्यवश वहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। उस क्षेत्र में रेलवे लाइन की व्यवस्था करना आवश्यक है।

शिवराफुली से तारकेश्वरी तक हावड़ा-तारकेश्वरी लाइन को दोहरा किया जाना चाहिये।

पूर्वी रेलवे के बंडेलकटवा सेक्शन से रेलवे विद्युतन योजना में शामिल किया जाना चाहिये।

पूर्वी रेलवे के बर्दवान सेक्शनों से और ज्यादा गाड़ियों के चलाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। भीड़ के समय वहाँ और गाड़ियाँ चलाई जानी चाहिये।

कलकत्ता रेलवे परियोजना के सम्बन्ध में भी मैं रेलवे मंत्री से कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। वहाँ यातायात की समस्या को हल करने के लिये सर्कुलर रेलवे के चलाये जाने का सुझाव दिया गया था।

कलकत्ते में यातायात की गम्भीर समस्या है अतः इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्य किया जाना चाहिये।

श्री चक्रपाणि (पोन्नाणि): माननीय मंत्री ने रेलवे के खेदपूर्ण कार्य को छिपाने का प्रयास किया है। वह हमें इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति अस्थायी है और इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय कुछ भी करने में असमर्थ है। इसके परिणामस्वरूप रेलवे के कार्य में और खराबी आयेगी।

इस वर्ष प्रभार पूंजी का शुद्ध राजस्व पिछले वर्षों के मुकाबले सबसे कम रहा है और भारतीय रेलवे का कार्य सबसे खराब रहा है।

रेलवे में कुल 3000 करोड़ रु० से अधिक पूंजी लगी है और उससे 4.02 प्रतिशत का लाभ होता है। इस वर्ष लाभ इतना कम है कि इससे अधिक लाभ तो किसी भी मियादी जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। इन सब दोषों को दूर करने के लिये रेलवे ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

मन्दी के सम्बन्ध में भी रेलवे मंत्री ने उल्लेख किया है। परन्तु वह इसका मुख्य कारण का पता लगाने में असफल रहे हैं। सरकार की सारी आर्थिक नीति ही इसके लिए जिम्मेदार है।

रेलवे मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण ही रेलवे में कार्यसंचालन की स्थिति बिगड़ी है। आत्मनिर्भरता के स्थान पर विदेशी सहायता पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 1950–51 में 18 करोड़ रुपए के उपकरण रेलवे के लिये आयात किए गए थे जबकि गत वर्ष 42 करोड़ रुपए के उपकरण आयात किए गए हैं। आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में 25 प्रतिशत रेलें डीजल से चलाई जाती हैं जिसके लिए डीजल इंजनों तथा डीजल के आयात

के लिये सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। जापान, फ्रांस, इटली तथा अन्य औद्योगीकृत देशों की तुलना में यह प्रतिशत बहुत अधिक है। यह निर्णय विश्व बैंक तथा अन्य सहायता देने वाले देशों द्वारा हम पर लादा गया है। पश्चिमी देशों में अपने इंजनों के लिये बाजार चाहिए था और इसके लिये उन्होंने भारत को उपयुक्त पाया यहाँ तक कि शंटिंग के लिये भी डीजल इंजनों का प्रयोग कर रहे हैं। भाप के इंजनों की माँग में कमी हो जाने से कोयले की माँग में भी कमी हो गई है। अतः अनेक कोयला खानों के बन्द होने की शंका है।

रेल पटरी को बनाये रखने के लिये जापान से माटिमा मशीनों का आयात किया जा रहा है। इस मशीन को दस से पन्द्रह व्यक्ति चलाते हैं और यह मशीन लगभग 30 मील तक रेल पटरी की देखरेख कर सकती है। इससे 100 से 150 गैंगमन बेकार हो जाते हैं। यदि इस मशीन को हमारे देश में लगाया गया तो लगभग 2 लाख गैंगमन बेरोजगार हो जायेंगे। इसी प्रकार रेलवे लेखा विभाग में स्वयंचालित मशीनें लगाई जा रही हैं जिससे हजारों लोगों के बेरोजगार हो जाने की शंका है।

मंत्री महोदय ने रेलवे में संचालन लागत में वद्धि के बारे में बहुत कुछ कहा है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्पात के मूल्यों में वृद्धि इस्पात पर से नियंत्रण हटाये जाने के कारण नहीं हुई? डीजल तेल पर शुल्कों तथा बिक्री कर में वृद्धि के कारण है डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अतः मूल्य-वृद्धि सरकार की नीति के कारण ही हुई है।

जहाँ तक रेलवे बोर्ड का सम्बन्ध है मेरे एक माननीय सदस्य ने इसको सफेद हाथी बताया है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। रेलवे बोर्ड को माननीय मंत्री के कहने के अनुसार कार्य करना चाहिये न कि माननीय मंत्री को रेलवे बोर्ड के कहने के अनुसार।

जहाँ तक रेलगाड़ियों के समय पर आने-जाने का प्रश्न है इस वर्ष आँकड़े 85.31 प्रतिशत दिए गए हैं। 1966-67 में यह आँकड़े 87.99 प्रतिशत थे। सभी व्यक्ति जानते हैं कि अधिकांश रेलगाड़ियाँ समयानुसार नहीं चलती हैं।

जहाँ तक रेलयात्रियों को सुविधाय देने का प्रश्न है अधिक से अधिक सुविधायें वातानुकूलित डिब्बों तथा प्रथम श्रेणी के यात्रियों को दी जाती हैं। तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं पर बहुत ही कम राशि व्यय की जाती है। रेलवे बोर्ड के प्रतिवेदन से पता चलता है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों से सबसे अधिक आय हुई है। परन्तु उनको सुविधायें देने पर बहुत ही कम राशि व्यय की जाती है। उच्च श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये विश्रमालयों तथा आरक्षण तथा जलपान की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये अनेक स्टेशनों पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है।

जहाँ तक रेलगाड़ियों के डिब्बों में भीड़ का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड के आँकड़ों के अनुसार यह 17 प्रतिशत है जबकि वास्तव में 97 प्रतिशत है। मैं जानना चाहता हूँ कि भीड़ को कम करने के लिये माननीय मंत्री ने क्या उपाय किए हैं।

रेलवे विकास के मामले में केरल की उपेक्षा की गई है। वुद्रीपुरम से कोचीन तक तटवर्ती रेलवे लाइन का बहुत महत्व है और हम इस मामले को अनेक वर्षों से यहाँ उठा रहे हैं।

तैल्लीचेरी से मैसूर तक, तथा स्यानाकुलम से एलीपी तक भी एक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए। कोचीन से कलकत्ता तथा बम्बई से कोचीन तक सीधी रेलगाड़ियाँ चलाई जानी चाहिये। नए पुल के निर्माण के कारण पट्टाम्बी एक व्यापार केन्द्र बन गया है अतः वहाँ पर सभी मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों को रुकना चाहिये। मैंने इस मामले को गत वर्ष भी उठाया था। भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में त्रिवेन्द्रम ही एक ऐसी राजधानी है जो कि बड़ी लाइन द्वारा अन्य क्षेत्रों से नहीं मिली हुई है। अतः एयरनाकुलम से कोट्टयम तक भी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये।

ओलवकोट डिवीजन में इरीपानाम यार्ड में कर्मचारियों ने हड़ताल की है। उनकी माँगें उचित हैं तथा माननीय मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

रेलवे बोर्ड ने मितव्ययता के नाम पर अलाभकारी लाइनों को बन्द कर देने का निर्णय किया है। यह निर्णय न्यायोचित नहीं है। हमारे देश में पिछड़े हुए अनेक वर्ग हैं जिनके विकास के लिये अलाभकारी लाइनों को बन्द नहीं किया जाना चाहिये।

जहाँ तक रेलवे में भर्ती का सम्बन्ध है केवल गत वर्ष 800 प्रथम श्रेणी के अधिकारी रेलवे में भर्ती किए गए हैं। इनकी संख्या 5700 से बढ़कर 6500 हो गई है। अतः रेलवे में अलाभकारी लाइन को बन्द करने के बजाय इन अधिकारियों की संख्या को कम किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से अपील करूँगा कि वह विकास के मामले तथा आत्मनिर्भरता सम्बन्धी अपनी नीति का पुनर्विलोकन करें।

श्री सोनावने (पंढ़रपुर) : रेलवे मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह आशा व्यक्त की है कि अगले वर्ष रेलवे के कार्य-संचालन व्यय में अधिक मितव्ययता की जा सकेगी। परन्तु मेरे विचार में ऐसा तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि रेलवे प्रशासन में पर्याप्त कठोरता न बरती जाये। इस उद्देश्य हेतु किसी प्रकार की ढील भी प्रशासन में नहीं दी जानी चाहिए। रेलवे की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिये रेलवे बोर्ड ही जिम्मेदार है। यदि इसमें कोई सुधार करना है तो रेलवे बोर्ड की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। रेलवे बोर्ड के सदस्यों में दूरदर्शिता नहीं है और वे रेलवे प्रशासन के लिए परवाह नहीं करते। मैंने एक सुझाव दिया था कि रेलवे मंत्री की अध्यक्षता में रेलवे के सभी जनरल मैनेजरों की एक समिति बनाई जानी चाहिये और रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

रेलवे बोर्ड कोयला खानों के मालिकों से कोयले के विवाद को हल करने में असफल रहा। उन्होंने इस विवाद को दूरदर्शिता से हल करने के बजाय माल तथा यात्री यातायात बन्द कर दी जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा रेलवे के राजस्व में कमी हुई।

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा नहीं कि रेलवे ने रेलगाड़ियों चलाना बन्द कर दिया था बल्कि कोयला खानों के मालिकों ने कोयला लादना बन्द कर दिया था। कुछ गैर-आवश्यक ब्रांच लाइनों की रेलगाड़ियों को कम किया गया था ताकि आवश्यक लाइनों पर यातायात को बनाये रखा जा सकेगा।

श्री सोनावने : मैंने यह कहा है कि रेलवे प्रशासन कोयला खानों के मालिकों की बात ो मान लेती तथा बाद में समझौता हो जाने पर मूल्य में अन्तर आदि का भुगतान हो सकता था।

अब रेलवे मंत्री अलाभकारी लाइनों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बारसी लाइट रेलवे को जब कम्पनी चला रही थी तो वह पर्याप्त लाभ कमा रही थी परन्तु सरकार को उसमें हानि हो रही है। मैं 1950 से इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ पर केवल दो रेलगाड़ियों ही चलती हैं, एक प्रातः तथा एक सायंकाल जिसके परिणामस्वरूप वहाँ कर्मचारी बेकार बैठे रहते हैं। मैंने वहाँ पर एक शटल गाड़ी चलाने का भी अनुरोध किया था परन्तु उसको स्वीकार नहीं किया गया।

स्वयंचालित मशीनों के लागाये जाने का मैं स्वागत करता हूँ। इससे कुछ बेरोजगारी अवश्य ही बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि न की जाये। मेरे विचार में यदि 55 वर्ष की आयु में कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त कर दिया जाना है तो युवकों तथा मशीनें लगाने के फलस्वरूप घोषित किए जाने वाले कर्मचारियों को रोजगार दिया जा सकेगा।

विभिन्न राज्यों में रेलवे सम्पत्ति को पर्याप्त क्षति पहुँचाई जा रही है। मेरा सुझाव है कि किसी विशेष राज्य में रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय को सम्बन्धित राज्य पर जोर देना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तो जिन रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई जाये उनके बीच किराये में वृद्धि की जानी चाहिये।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेलगाड़ियों में चोरी के कारण भी रेलवे को बहुत हानि होती है। मेरा सुझाव है कि किसी प्वायंट पर जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिए। मैंने यह सुझाव समितियों में भी दिया है। यदि जिम्मेदारी नियत नहीं की जाती तो प्रतिवर्ष हानि में वृद्धि होती रहेगी।

धौंद मनमड सैक्शन, जो कि पहले शोलापुर डिवीजन का भाग था पुनः इसी डिवीजन के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये क्योंकि इसका नियंत्रण प्वायंट वहीं है।

श्री जगजीवन राम ने जब वे रेलवे मंत्रालय के मंत्री थे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पात्र व्यक्तियों को चाय स्टालों आदि के ठेके देने की विशेष व्यवस्था की थी परन्तु ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है और इस बारे में अगरवाला तथा गुप्ता आदि जातियों का एकाधिकार स्थापित हो गया है। श्री जगजीवन राम द्वारा शुरु की गई स्वस्थ प्रथा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों को ऐसे कार्यों के ठेके दिए जाने चाहिए।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने श्रमिकों की कठिनाइयों तथा शिकायतों का उल्लेख किया है। मुझे श्रमिकों से पूरी सहानुभूति है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि श्रमिकों को उनका उचित भाग मिलना चाहिए। परन्तु श्रमिक नेताओं को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और

श्रमिकों को ईमानदारी तथा मेहनत से काम करने के लिए कहना चाहिए। श्रमिक नेताओं को मजदूरों को हड़ताल करने के लिए नहीं भड़काना चाहिए। इसमें बहुत हानि होती है।

श्री गाडिलिंगन गौड (करनूल) : रेलवे बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

रेलवे मंत्री द्वारा माल भाड़े में वृद्धि करने से समाज पर बहुत बोझ पड़ेगा। यह ठीक है कि अधिक सुविधाओं के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि क्या रेलवे में लगाई गई पूंजी, उस पर किए जाने वाले व्यय की तुलना में यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध हैं।

1947-48 में रेलवे में कुल 740 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई थी। 1966-67 में यह बढ़ कर 2,841 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार पूंजी में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है जबकि रेलवे लाइनें कुल पाँच प्रतिशत अधिक क्षेत्रों में ही बिछाई गई हैं।

जहाँ तक सुविधाओं का सम्बन्ध है इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1954-55 में मैं बेजवाड़ा गया था। उस समय रेलगाड़ी के डिब्बे में बिजली नहीं थी परन्तु इस वर्ष जनवरी में जब मैं अपने दल की एक बैठक में भाग लेने के लिये बेजवाड़ा गया तो वहाँ पर बहुत धीमी रोशनी थी। शौचालय आदि जाने के लिए मैचबक्स से रोशनी करनी पड़ती थी। यह स्थिति प्रथम श्रेणी के डिब्बे की है। पहले पढ़ने के लिये पृथक रोशनी हुआ करती थी परन्तु यह अब समाप्त कर दी गई है।

1954 में मैंने मैसूर राज्य में सिरगुप्पा से अदोनी और कोडामगुर होती हुई करनूल तक एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया था। चौदह वर्ष व्यतीत हो गए हैं परन्तु अभी तक इस लाइन का सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। हालांकि 1956 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा था कि इस मामले पर विचार किया जायेगा। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने इस बरे में एक प्रश्न भी किया था। आँध्र प्रदेश राज्य ने 1964 में ओंगलोले से नागरजूनासागर से होती हुई एक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया था। परन्तु इस बारे में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह इन सभी मामलों पर ध्यान दें।

सरकार द्वारा कोठागुडियम-बैलाडिला लाइन को यात्री यातायात के लिए खोलने का आश्वासन दिया गया था परन्तु इस आश्वसान को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

जहाँ तक अलाभप्रद छोटी लाइनों को बन्द करने का सम्बन्ध है मेरा सुझाव है कि सम्बन्धित संसद सदस्यों से परामर्श किए बिना ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

रेलवे मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि अधिकांश रेल दुर्घटनायें तोड़-फोड़ की गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुई हैं। परन्तु सरकार तोड़फोड़ करने वालों का पता लगाने तथा उनको उचित दण्ड देने में असफल रही है। यही कारण है कि तोड़-फोड़ की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

रेलवे में कोयले की बहुत चोरी होती है उसको रोका जाना चाहिये।

गुंटाकल को दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन किए गए हैं। उस पर विचार किया जाना चाहिये। मंथरालयम रोड और अदोनी में विश्रामालय बनाने के बारे में 1955 में मैंने निवेदन किया था। मंथरालयम रोड ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। अभी तक इस स्थान पर कोई विश्रामालय नहीं बनाया गया है।

गार्डों का कहना है कि उनका वेतन बोगी के कण्डक्टरों से भी कम है।

एक गाड़ी हैदराबाद से चल कर 20 घंटे में बंगलौर पहुँचती है। इस गाड़ी की गति बहुत धीमी है अतः इस गाड़ी की गति तेज़ की जानी चाहिये।

मैंने रेलवे कर्मचारियों को दी जाने वाली रियायतों के ब्यौरे की छानबीन की है। रेलवे के 13.60 लाख कर्मचारियों को यह रियायतें मिल रही हैं। वे सारे देश में जहाँ चाहें, आ-जा सकते हैं। सरकार इन रियायतों के लिये 18 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे विचार में ये रियायतें बन्द की जानी चाहिये। यदि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाये तो किराया भाड़ा बढ़ा कर जो बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है उससे बचा जा सकता है। तेरह लाख लोगों को सहायता देने के लिये सरकार को जन-साधारण पर बोझ नहीं डालना चाहिये।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : रेलवे के किराये भाड़े में वृद्धि हो गयी है। यह तर्क दिया गया है कि कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने और कोयले के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किराये भाड़े में वृद्धि की गयी है। परन्तु पैट्रोल, टायर, डीज़ल तेल और बैट्रियों के मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद सड़क परिवहन लाभ अर्जित कर रहे है, फिर रेलवे को घाटा होने के क्या कारण हैं? अतः यह तर्क ठीक नहीं है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि और मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण रेलवे भाड़े में वृद्धि की गयी है। वस्तुतः इसका कारण रेलवे प्रशासन की अकुशलता है।

एक दूसरा तर्क यह दिया गया है कि रेलवे में माल-यातायात के लिये स्थान कम कर दिया गया है। परन्तु रेल भाड़ा बढ़ा देने से भी तो माल-यातायात में वृद्धि नहीं होगी। यदि माल यातायात में कमी हुई है तो रेलवे का भाड़ा कम कर देना चाहिये जिससे लोग माल यातायात के लिए रेलवे का अधिक उपयोग करें।

रेलवे के खर्च में मितव्ययता की जा सकती है। जैसे प्रथम श्रेणी के कम्पार्टमेंट में अटैंडेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम दर्जे के सभी डिब्बों को एक साथ जोड़ कर उनमें एक अटैंडेंट रखा जा सकता है। वास्तव में इनका कोई लाभ भी नहीं है। फालतू कर्मचारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हमारा दल समाजवाद के पक्ष में है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि निहित स्वार्थों को प्रश्रय देते रहें। जब खाने-पीने की व्यवस्था रेलवे के हाथ में न होकर ठेकेदारों के हाथ में थी तब रेलवे विभाग ठेकेदारों से एक करोड़ रुपया वसूल करता था परन्तु जब से रेलवे ने स्वयं यह कार्य भार संभाला है तब से वे कहते हैं उन्हें एक करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हमें समाजवाद के नाम पर सरकारी प्रशासन को ठप्प नहीं कर देना चाहिये अतः इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये।

एक नयी बात यह कही जा रही है कि अलाभकारी लाइनों के कारण रेलवे को घाटा हो रहा है। मैंने शिमला-कालका और पठानकोट-जोगिन्दरनगर गाड़ियों पर यात्रा की है। इन गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है। वास्तव में ये इंजन बहुत पुराने और खराब होते रहते हैं। इसलिए उनका खर्च अधिक है। फिर इन गाड़ियों में प्रथम दर्जे के डब्बे अधिक हैं और तीसरे दर्जे के बहुत कम हैं। पठानकोट-जोगिन्दरनगर गाड़ी में दूसरे दर्जे का कोई डिब्बा नहीं है। प्रथम दर्जे वाले डिब्बों में प्रायः वे लोग यात्रा करते हैं जिनके पास पास होते हैं। इन बातों पर ध्यान न देकर रेलवे ने इन लाइनों को अलाभकर कह कर बन्द करने का निश्चय किया है। रेलवे के साथ-साथ मोटर परिवहन भी है परन्तु वह कभी नहीं कहते कि इस मार्ग पर मोटरें नहीं चलायेंगे क्योंकि वह अलाभकर है। वे तो लाभ अर्जित कर रहे हैं और रेलवे को घाटा पड़ रहा है। वास्तव में रेलवे प्रशासन अपनी अदक्षता को छिपाने के लिये इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। यदि रेलवे प्रशासन इन लाइनों को नहीं चलाना चाहता तो उन्हें यह कार्य किसी ऐसी संस्था को सौंप देना चाहिये जो इसे करने के लिये तैयार हो। मैं यह कहता हूँ कि इन लाइनों का बन्द नहीं करना चाहिये बल्कि उसके लिये कोई और विकल्प ढूंढ़ना चाहिये।

फिर तीसरे दर्जे के किराये और भी बढ़ा दिए हैं, जनसाधारण पर पहले ही बहुत बोझ पड़ा हुआ है और उन्हें अधिक परेशान नहीं किया जाना चाहिये। हमें तीसरे दर्जे के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा उनसे लिये जाने वाले किराये पर फिर से विचार करना चाहिये।

रेलवे सम्पत्ति की हानि के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि जिस क्षेत्र में इस प्रकार की हानि हो उस क्षेत्र में अनिवार्य कर लगाया जाये। यह सुझाव बहुत अच्छा है। यह प्रथा पहले भी चलती रही और हमें फिर से उसे आरम्भ कर देना चाहिये।

कालका-दिल्ली गाड़ी में काफी अधिक सैनिक यात्रा करते हैं और मुख्य रूप से उनके लिये डिब्बे आरक्षित होते हैं। इस लाइन पर या तो एक और गाड़ी चलायी जानी चाहिये या इस गाड़ी में और अधिक डिब्बे जोड़े जाने चाहिये जिससे सामान्य जनता भी रेलवे का कुछ लाभ उठा सके।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : रेलवे के घाटे के लिये योजना आयोग और रेलवे बोर्ड में अत्यधिक केन्द्रीकरण उत्तरदायी है। रेलवे को मंदी के कारण घाटा नहीं हो रहा है। उसके अन्य कई कारण हैं। खाद्यान्न के लाने ले जाने में काफी लापरवाही की जाती है। रेलवे बोर्ड या तो इस विषय पर विचार नहीं करता या योजना आयोग उन्हें ऐसा करने नहीं देता। नीति बनाने और योजना तैयार करने में पहल करने का काम रेलवे बोर्ड से योजना आयोग के पास चला गया है। इसलिए अब रेलवे बोर्ड को योजना आयोग की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है, वे अपनी प्राथमिकताओं को भी फिर से व्यवस्थित भी नहीं कर सकते। अब अलग-अलग रेलवे प्रशासनिक इकाइयाँ मात्र रह गयी हैं या रिले स्टेशन रह गयी हैं जिनका कार्य दिल्ली से आदेश प्राप्त करना और उनका पालन करना रह गया है। केन्द्र को अलग-अलग रेलवे पर अपना नियंत्रण करना चाहिये। वर्ष 1948 की कुंजरू-समिति रेलवे बोर्ड केन्द्रीकरण से बहुत असंतुष्ट थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि रेलवे का प्रबन्ध और नियंत्रण सांविधिक प्राधिकार को सौंप देना

चाहिये। बाद में श्री के० सन्थानम ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। मेरे विचार में मंत्री महोदय को इन सुझावों पर विचार करना चाहिये।

यात्री किराये तथा रेल भाड़े में जो वृद्धि की गयी है उससे मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए मूल्यों का दुष्चक्र और तेजी से चलने लगेगा और जनसाधारण पर अनुचित बोझ बढ़ जायेगा। हमारे राज्य में सड़क परिवहन रेलवे का कड़ा मुकाबला है। वहाँ पर आजकल एक्सप्रैस गाड़ी और राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाली एक्सप्रैस बसों का किराया समान है और रेल के किराये में वृद्धि हो गयी तो बसों की अपेक्षा रेलवे का किराया बढ़ जायेगा। इन परिस्थितियों में हमारी जनता रेलवे को कैसे संरक्षण देगी। हम तो मद्रास में किराये कम कर रहे हैं परन्तु कांग्रेस सरकार यहाँ पर किराये बढ़ा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रत्येक वर्ष रेल के किराये भाड़े में वृद्धि करने की मनोवृत्ति का अन्त किया जाना चाहिये।

हमारे राज्य में कुछ लाइनों को समाप्त करने के निर्णय से हमें बहुत धक्का लगा है। मेतुपलायम--ओटकमांड, मयूरम-ट्रंकेबार, पेरालम—करइक्कल और निडामंगलम—मन्नारगुडी लाइनों को समाप्त करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। यह तर्क दिया गया है कि ये लाइनें अलाभकारी हैं। परन्तु इस दृष्टिकोण से देखा जाये तो सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रम अलाभकारी हैं और रेलवे लाइनों से पहले उन्हें बन्द करना चाहिये। हमारे विचार में इस कार्य में आर्थिक दृष्टिकोण की अपेक्षा राजनीतिक हित को अधिक ध्यान में रखा गया है। उपरोक्त लाइनों को बड़े परिश्रम के साथ बनाया गया है। रेलवे अधिकारी अपनी अदक्षता को छिपाने के लिये इस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने और किरायों में कमी करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मेतुपलायम-ऊटी लाइन को समाप्त करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इसको समाप्त करने से मैसूर, केरल, आन्ध्र और मद्रास आदि चार राज्यों को हानि होगी। मंत्री महोदय का कहना है कि परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्ध किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बसों का डिज़ाइन इस तरह बनाया जायेगा जिससे उनमें रेल जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

इन लाइनों को बन्द करने के विषय में कोई निर्णय तब तक नहीं लेना चाहिये जब तक कोई जाँच समिति समस्त परिवहन प्रणाली की जाँच न कर ले और संसद् की पूर्व अनुमति न ले ले।

रेलवे की नीति के सम्बन्ध में संकीर्णता से काम लिया जाता है। रेलवे के वर्तमान क्षेत्रों में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में काफी विषमता है। हमें यह समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में दक्षिण की क्यों उपेक्षा की जा रही है। हमारे राज्य में केवल मद्रास से विलीपुरम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है परन्तु हमारे देश में 2800 किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है। इस प्रकार के भेदभाव वाले व्यवहार को समाप्त कर देना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहता हूँ कि मद्रास-अरकोनम और मद्रास-गुमीडीपुंडी लाइनों का भी विद्युतीकरण किया जाये।

भारतीय रेल सेवा के अस्थायी इंजीनियरों को स्थायी बनाने के लिए एक शर्त रखी गयी है कि उन्हें प्रवीण की परीक्षा पास करनी चाहिये। यह शर्त अनुचित है और अनिच्छुक लोगों

को जबरदस्ती हिन्दी पढ़ाने का यह स्पष्ट उदाहरण है। मैं जानना चाहता हूँ कि डाक्टरों और जीनियरों तथा तकनीशियनों की पदोन्नति हिन्दी न जानने के कारण रुकी हुई है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय का स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

लगभग पन्द्रह वर्ष से कल्लाकुडी के लोग डालमियापुरम स्टेशन का नाम बदल कर कल्लाकुडी रखने की माँग कर रहे हैं, परन्तु सरकार ने उनकी माँग की कोई परवाह नहीं की है। यह बात लोकतांत्रिक शिष्टाचार के विरुद्ध है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह जनता की इच्छाओं का आदर करें।

Shri Vidya Dhar Bajpai (Amethi) : I want to give certain constructive suggestions in this regard.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

Railway Department has been profit-earning organisation but now this Department is running at a loss. It is gross indiscipline which has crept into the Railway administration. To day there is great risk in travelling by rail because of fear of accidents.

It is regretted that the third class passengers who contributed the major portion of the railway revenues, do not get the proper facilities. They are harassed by the railway employees. There have been cases when uneducated villagers have been charged more fares and they have issued old and invalid tickets. It is very strange that although the police have been posted at the Stations yet no action has been taken in this regard.

The pick-pocketing cases have been on the increase in the waiting halls.

There have been increase in the cases of scuffles between the Railway Protection Force personnel and the Railway employees. These people are also sometime party in the theft cases on the Railways.

Before giving them more powers the present position should be compared with the past and a Parliamentary Committee should look into their working.

It has come to notice that on most of branch lines, there are no arrangements of light and water.

At present there is only one train running in between Lucknow and Delhi. In that train 80 percent seats are reserved. It is not able to cope up with the rush. It is, therefore, necessary that one more train should be started between Lucknow and Delhi and at least two third class coaches should be attached in 83 up train.

There should be a provision for reservaton of fifty percent seats in the 2nd class Compartments beteen Delhi and Bombay.

There have been increase in accidents due to late arrivals of the trains at the platforms. The Railway doctors object to reach at the accidental spots and they demand fee from the doctors which is inhuman.

Vendors at the railway stations are earning very high profits of the things sold at the stations. It is not proper. If the Government is unable to sell the things at reasonable prices it should entrust this work to some contractors. More powers should be given to Vending Reforms Committee so that it may be able to improve the matters.

After Government has taken the catering arrangements in its hand, its standard has fallen and it is running in loss. In order to stop the smuggling of the catering goods the Government should keep an eye on its officers.

Low paid employees are retrenched in the Railways in the name of economy. It causes great unrest among employees and inconvenience to the passengers. The economy can be done by other methods also. It is suggested that strength of the inspector at various zones on which several lakhs of rupees are spent, should be reduced. Thereby about Rs.20 lakhs can be saved. In Railway Headquarters and Zonal Offices there is much scope for reduction in the strength of staff. This matter should be entrusted to the Administrative Reform Committee. At least 4 crores of rupees should be saved on that account. Expenditure on air-conditioning and pomp and show in the offices should also be avoided.

कच्चा तीबू द्वीप के बारे में वक्तव्य

Statement Re: Kuchchatibu Island

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

इस द्वीप के सम्बन्ध में संसद् के दोनों सदनों में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि 30 अगस्त, 1960 को लोकसभा में प्रश्न संख्या 896 के उत्तर में बताया गया कि "इस द्वीप के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में हमारे और लंका के बीच कुछ विवाद हैं।" कच्चा तीबू द्वीप का उपयोग भारत और श्रीलंका के मछुए फरवरी से अप्रैल के बीच मछली पकड़ने के मौसम में किया करते हैं। वहाँ एक छोटा-सा गिरजाघर है जहाँ पर मार्च में होने वाले सन्त एन्थोनी त्यौहार के अवसर पर भारत और श्रीलंका के कैथोलिक तीर्थयात्री जाते हैं।

मुझे हमारे कोलम्बो स्थित उच्चायोग से तथा दिल्ली स्थित श्रीलंका के उच्चायोग से भी, श्रीलंका के प्रधान मंत्री का एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उस द्वीप से सम्बन्धित मामलों पर गत सितम्बर में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिये तय की गई प्रक्रियाओं के आधार पर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। उस समय यह तय हो गया था कि दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी वर्ष में एक बार कोलम्बो और नई दिल्ली में मिलें और दोनों देश आपसी सम्बन्धों की प्रगति पर तथा समान हितों से सम्बद्ध सभी मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करें। हम इस मैत्रीपूर्ण रवैये की सराहना करते हैं और इस समझौते के संदर्भ में ही भारत सरकार निकट भविष्य में ही श्रीलंका की सरकार के साथ तीबू द्वीप के सम्बन्ध में बातचीत करना चाहती है।

Shri Atal Behari Vajpayee : It has not been clarified in that Statement whether Ceylon has taken illegal occupation of that island or not ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस सम्बन्ध में मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा तो वह प्रक्रिया के विरुद्ध होगा। यदि आप चाहें तो इस विषय पर आधे घंटे या एक घंटे की चर्चा की जा सकती है और उस समय सब सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—CONTD

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बाजपेयी अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

Shri Vidya Dhar Bajpai: Although the Railway Works Department is capable of doing constructive work, this work has been entrusted to contractors. As a result of it moral standard will fall and corruption will increase.

The big saloons should be converted to passenger coaches. It will result in a saving of about two lakh rupees. A Parliamentary Committee should also be set upto make necessary investigation.

The relations between the management and labours are not healthy. The hon. Minister should look into the reasons of this tension.

The Railway Ministry has established a Labour Welfare Department and a lot of money is being spent on it but that money is being spent for punishing them instead of their welfare. Employees have not been confirmed even after ten to twelve years of services. There have been complaints of favourtism in transferring the employees. Railway Ministry should try to stop such things and if necessary it may intervene.

Satisfaction of the labour is the best test of any system. The Railway drivers, firemen, Station Masters and Assistant Station Masters etc. are overworked. The Railway Minister has not mentioned anything about them. The Railway Ministry should immediately look into these matters. The facilities necessary for the drivers and the fireman must immediately be provided. Proper repairs of the engines should be done. It will greatly help in avoiding accidents.

In order to increase railway revenue permission of advertisements similar to that of advertisement at the railway stations should be given.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The hon. Railway Minister has presented a deficit budget. On the one side the Government pleads socialism on the other side it imposes more burden on the people to make up this deficit. Instead of imposing more burden on common man the Railways should try to economise in the aministrative expenses. The Railway Protection Force has also a share in the thefts committed at the stations. If the Railways really want to avoid deficit it should abolish Railway Board. Strength of the high paid officers should be cut down. Third class sleeper fare should not be increased and the common man should not be burdened like this. Instead of this other methods suggested by me should be adopted. Pilferage of goods should be checked. As a result of it payment of compensation for loss will be saved.

Facilities to railway's labourers are being given. But their condition are deteriorating day by day.

The Railway employees are very low paid. They are overworked. A high powered Committee should be formed to investigate their work and and to give them more facilities. They should be given better pay scales and more amenities.

Four employees of the Samastipur Hospital were dismissed last year. But no decision has been taken so far on their fate. Similarly Railway High School Clerks and teahers are being harassed.

The recent accident at Luckeesarai Station could have been averted, had proper measures been taken in time earlier. The demand of the poeple is that a Judicial inquiry should be made of the accident. Departmental inquiries will not do. Had the Station Master used the farsightdness, this accident would have been averted. But he did not do that and the responsibility is being tried to be thrown upon lower staff.

The rail track should be straightened in order to avoid accidents.

The R. M. S. building has not been built so far though about ten to fifteen thousand employees are working there. A new building should be constructed. The R. M. S. office in Jamshedpur is working in rented building. A new buliding should also be constructed for it.

Bridges should be constructed on the river Ganges at Patna.

लैफ्टिनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित "अन्टोल्ड स्टोरी" नामक** पुस्तक के बारे में

RE: "UNTOLD STORY" BY LT. GEN. KAUL**

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi Sadar) : My question was :

"The reasons for which Government did not take any action againt General Kaul for writing the book "Untold Story", although the Ministry of Law had made a recommendation to that effect".

In reply to my question the hon. Minister assured the House that action in this connection will be taken on receiving opinion from law Ministry . But he did not fulfil his promise. This is against public interest and against Parlaimentary system.

Now the Government has told that the secrets divulged in the above book have become outdated and outmoded. According to Official Secrets Act, Government employees and particularly army officials are bound to keep secrecy during their tenure of office and even afterwards. Action can be taken against the persons who do not keep the secrrets. In this case General Kaul has received rupees two lakhs out of the book.

Government should file a suit against General. Kaul. I may agree not to do that if it had been in the public interest. But I cannot agree to your views.Whether the Henderson's Committee Report of 1965 has become outdated? It is but natural that with the passing of time military strength becomes outdated. You are not prepared to place the Herderson's Committee's report at the Table of the House. But in your opinion the disclosure made by General Kaul in his book has become outdated. It is very strange. In my opinion the culprit must be punished

Not to speak of filing a suit against General Kaul, even his pension has not been stopped. Why Government has not stopped his Provident Fund and Gratuity? It is not done because he has got an approach up to the top level.

If the Hon. Minister is of the view that the present legislation is not sufficient to deal with, new legislation should be brought to take necessary action in future at least.

Shri Rabi Ray (Puri) : At the time of Chinese attack on India in 1962 India had to suffer a great loss. For this loss some high and responsible officer must be responsible. An inquiry should be made to fix the responsibility. When the Law Ministry had suggested to take action against them why the Defence Minister did not agree to it ? To say that no action should be taken aganist General Kaul because the confidential things mentioned in the book written by General Kaul have become outdated will not create a healthy precedent. Action should be taken against them so that it may set up an example for others in future.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद कि में निय ों का उलंघन नहीं कर सकता ।

श्री लोबो प्रभु : मैंने अपना नाम आपके पास 11 बजे म० पू० भेजा था, परन्तु किसी गलती के कारण वह आप तक न पहुँच सका।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री लोबो प्रभु : एक सरकारी कर्मचारी का यह मौलिक अधिकार है कि वह ऐसी जानकारी को जो सुरक्षा के विरुद्ध नहीं है और जो उसके पास है, प्रकट कर सकता है। यदि कोई सरकारी

**आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour Discussion

कर्मचारी लोकतंत्र की सहायता करना चाहता है तो उस पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया जाय। इस मामले को उठाकर सरकारी कर्मचारी के मौलिक अधिकार को चुनौती क्यों दी जा रही है?

Shri Sheo Narain (Basti) : May I know whether Shri Kaul signed any agreement before joining this Service, if so, whether he wrote this book in violations of that agreement ; if so, the reason why action has not been taken against him ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही उत्तर देना चाहता हूँ। श्री कंवरलाल गुप्त का यह कहना गलत है कि श्री कौल के साथ पक्षपात किया गया था। पुस्तक में कई स्थान पर श्री कौल ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन की अवांछनीय अलोचना की है। श्री गुप्त के कथन के खंडन के लिये यही पर्याप्त है। जहाँ तक शासकीय रहस्य अधिनियम का सम्बन्ध है, उसमें दंड सम्बन्धी दो धाराएँ हैं। एक धारा 3 जो सुरक्षा से सम्बन्धित है तथा दूसरी धारा 5 है जिसके अनुसार किसी शासकीय रहस्य को अनधिकृत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को पास पहुँचाना, जिसके पास इसे नहीं पहुँचना चाहिये था, अपराध है। परन्तु साथ ही यह भी व्यवस्था है, कि धारा 5 के अन्तर्गत आने वाले मामले पर सरकार विचार करेगी और यह देखेगी कि क्या अभियुक्त पर मुकदमा चलाना सार्वजनिक हित में होगा। सरकार ने सब बातों पर विचार करने के बाद श्री कौल के मामले में निर्णय लिया है जो सबको स्वीकार्य होना चाहिये।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान नियमों के अधीन यदि कोई अधिकारी सेवा में रहते हुए कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित करता है जिसमें ऐसी जानकारी दी गई है जो उसने अपने पद पर रहते हुए प्राप्त की थी, तो उसे उपयुक्त अधिकारी से कोई आपत्ति न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। परन्तु सेवा-निवृत्ति के पश्चात् किसी भी सैनिक अथवा असैनिक अधिकारी पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। यदि सेवा-निवृत्त होने पर कोई अधिकारी ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित करता है तो उसपर शासकीय रहस्य अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है। परन्तु मुकदमा चलाने से पूर्व सरकार स्वविवेक से यह निर्णय करेगी कि अमुक मामले में मुकदमा चलाया जाये अथवा नहीं।

हमने श्री कौल के मामले का भली प्रकार अध्ययन किया है। यह तो सच है कि जनरल कौल की पुस्तक में कुछ ऐसे वाक्य अथवा वाक्यांश दिए गए हैं जो गोपनीय दस्तावेजों अथवा प्रतिवेदनों से लिये गए हैं। परन्तु ऐसे मामले में जबकि पुस्तक के प्रकाशन और सेवा निवृत्ति के बीच काफी समय व्यतीत हो गया हो, यह निश्चय करना आवश्यक हो जाता है, कि जो जानकारी प्रकट की गई है क्या उससे शत्रु अनुचित लाभ उठा सकता है या उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है या वह राष्ट्रीय हित के विपरीत है। यदि जनरल कौल की पुस्तक में छपी सामग्री ऐसी होती तो उस पर अवश्य ही मुकदमा चलाया जाता। इन सब बातों पर विचार करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जनरल कौल पर मुकदमा चलाने से कोई लाभ न होगा, बल्कि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसी जानकारी हमें न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी जो वर्गीकृत किस्म की है, जो प्रकट नहीं की जानी चाहिये।

जहाँ तक स बात का सम्बन्ध है कि भविष्य में सकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या किया जाना चाहिये यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमने इस बात की छानबीन शुरू कर दी है कि क्या विद्यमान नियमों में इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। जिनके द्वारा सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों पर ऐसी पाबन्दी लगाई जाये कि वे सेवा-निवृत्ति के बाद निर्धारित समय तक कोई पुस्तक प्रकाशित न कर सके और उसके लिये सरकार से 'कोई आपत्ति' नहीं प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य कर दिया जाये। जनरल कौल के मामले पर विचार करने के पश्चात् हमने यही निश्चय किया है कि उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाये।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 5 मार्च, 1968/15 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 5 1968/Phalguna 15, 1889 (Saka)

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad-3.